




# UPSC (IAS) & PCS



# MONTHLY (मासिक) CURRENT AFFAIRS

## JUNE - 2024



[www.resultmitra.com](http://www.resultmitra.com)

**Result Mitra है आपके रिजल्ट का साथी**

# शत्रु एजेंट अध्यादेश , UAPA And AFSPA



## हालिया सन्दर्भ

- जम्मू कश्मीर के DGP आर आर स्वैन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की मदद करने वाले व्यक्तियों पर शत्रु एजेंट अध्यादेश, 2005 के तहत जाँच एजेंसियों द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
- DGP ने कहा कि ऐसे लोगों को जांच के दायरे में लाए जाने के बजाय सीधे गोली मार देनी चाहिए।
- जो लोग आतंकवादियों के समर्थन करते हैं, DGP के अनुसार उनके साथ दुश्मन के एजेंट जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

## शत्रु एजेंट अध्यादेश

- शत्रु एजेंट अध्यादेश वर्ष 1917 में तत्कालीन डोगरा महाराजा द्वारा जारी किया गया था।
- इसे अध्यादेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि डोगरा शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को 'अध्यादेश' ही कहा जाता था।
- अध्यादेश के अनुसार, जो कोई भी शत्रु एजेंट है या शत्रु की सहायता करने के उद्देश्य से किसी ऐसे साजिश को रचता है, जो शत्रु को सहायता पहुंचाने जैसा हो या जिससे भारतीय सेना के सैन्य अथवा हवाई अभियानों में बाधा उत्पन्न करती हो या उनके जीवन को खतरे में डालते हों या किसी प्रकार का आगजनी का दोषी हो, उन्हें मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठोर कारावास में दंडित किया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।

## आजादी के बाद

- 1947 में विभाजन के बाद, अध्यादेश को तत्कालीन राज्य में कानून के रूप में शामिल किया गया।
- वर्ष 2019 में जब जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, तो उनमें उन कानूनों को सूचीबद्ध किया गया, जिन्हें निरस्त और जारी रखना था।
- शत्रु एजेंट अध्यादेश और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम जैसे कानून बने रहे जबकि रणबीर दंड संहिता को भारतीय दंड संहिता (IPC) में बदल दिया गया।
- इसके अलावा केंद्र के कई कानूनों जैसे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम (अत्याचार निवारण), 1989 सहित अन्य कानूनों को जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया।

## शत्रु एजेंट अध्यादेश में प्रक्रिया

- शत्रु एजेंट अध्यादेश के अंतर्गत मुकदमे का संचालन एक विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के सलाह से किया जाता है।
- कानून के मुताबिक अभियुक्त अपने बचाव के लिए कोई वकील तब तक नहीं रख सकता, जब तक न्यायालय ऐसा अनुमति न दे।
- अध्यादेश की धारा-9 के तहत, जब न्यायालय वकील रखने की अनुमति देता है तो वह विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही में अपना पक्ष रख सकता है।
- न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए फैसले का अपील किए जाने का प्रावधान नहीं है।



- हालांकि विशेष न्यायाधीश के फैसले की समीक्षा सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से चुने गए न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है और यहां दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- अध्यादेश स्वयं के तहत दिए गए फैसले के प्रकाशन पर भी रोक लगाता है।
- अध्यादेश कहता है - कोई भी व्यक्ति सरकार के पूर्व अनुमति के बिना किसी कार्यवाही के संबंध में अथवा अध्यादेश के तहत कार्यवाही किए गए किसी व्यक्ति के संबंध में कोई जानकारी प्रकट करता है या प्रकाशित करता है तो उसे 2 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

### पूर्व में चलाया गया मुकदमा

- ऐसे कई कश्मीरी हैं जिन पर इस अध्यादेश के तहत मुकदमा चलाया गया है तथा सजा सुनाई गई है।
- जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के संस्थापक, मकबूल भट को जिन्हें वर्ष 1984 में तिहाड़ जेल में फांसी सुनाई गई थी, पर अध्यादेश के तहत आरोप लगाए गए थे।
- यह कानून गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, अर्थात UAPA से ज्यादा कठोर है और इसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।

### UAPA

- इस वर्ष 1967 में भारत में अलगाववादी विद्रोहियों एवं राष्ट्र विरोधी आंदोलनों से निपटने के लिए सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था।
- इस कानून में कई बार संशोधन किया गया, आखिरी संशोधन वर्ष 2019 में किया गया था।
- UAPA के अंतर्गत दर्ज मामलों की जांच करने एवं इस पर मुकदमा चलाने का अधिकार के NIA - National Investigation Agency के पास है।
- UAPA आतंकवादी कृत्यों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान करता है।
- UAPA के तहत संदिग्ध व्यक्तियों को बिना किसी ट्रायल (Trial) या आरोपों के 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है।
- UAPA में तब तक जमानत नहीं दी जाती है जब तक न्यायालय संतुष्ट न हो जाए कि आरोपी दोषी नहीं है।




### AFSPA

- इसका पूरा नाम सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम है।
- AFSPA ब्रिटिश राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही रूप में आया था, जिसका प्रयोग विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए किया गया।
- वर्ष 1948 में AFSPA अध्यादेश को एक्ट के रूप में प्रतिस्थापित किया गया एवं इसे वर्ष 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जी बी पंत द्वारा संसद में पेश किया गया।
- शुरुआत में यह अधिनियम सशस्त्र बल (असम एवं मणिपुर) विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के रूप में पहचाना जाता था।
- यह कानून नागाओं के विद्रोह से निपटने के लिए वर्ष 1958 में पहली बार लागू किया गया था।
- जब नए राज्य - मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश अस्तित्व में आए तो AFSPA में संशोधन कर इन राज्यों में भी लागू करने के लायक बनाया गया।
- इस अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र को 'अशांत' घोषित करने का अधिकार राज्यों के पास था, लेकिन 1972 में संशोधन के द्वारा केंद्र को भी यह शक्ति प्राप्त हो गई।
- त्रिपुरा (2015) एवं मेघालय (2018) में यह कानून निरस्त हो चुका है, जबकि नागालैंड, अरुणाचल, असम एवं मणिपुर के कुछ हिस्से में यह अभी भी जारी है।
- AFSPA 'अशांत क्षेत्रों' में तैनात सशस्त्र बलों को यह अधिकार देता है कि जो व्यक्ति AFSPA का उल्लंघन करते हैं, वे उन्हें मार सकते हैं, तथा बिना वारंट के किसी भी जगह की तलाशी ले सकते हैं।

### Notes:-

# शीघ्र कार्यवाही: एक मौलिक अधिकार



## स्पीडी ट्रायल या शीघ्र सुनवाई

- इसका तात्पर्य किसी अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों के शीघ्र समय पर जांच, गवाही आदि को पेश कर उसके मुकदमे के शीघ्र सुनवाई से है।
- दरअसल 'न्याय' का तात्पर्य दोषी/अभियुक्त की दोषसिद्धि या निर्दोश साबित कर रिहाई दे देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 'न्याय' में त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही भी शामिल है।
- वास्तविकता यह है कि पूरे देश के जेल में कई ऐसे कैदी हैं, जिन्होंने अपने जुर्म (अगर साबित हो जाता) के दंड में पाए जाने वाले सजा से ज्यादा वक्त जेल में बिता चुके हैं।
- शीघ्र कार्यवाही बुनियादी मानवाधिकारों में शामिल है और न्यायालय स्वयं यह मानती है कि 'न्याय में देरी होना, न्याय से वंचित करने के समान है।'

## स्पीडी ट्रायल की अवधारणा की शुरुआत

- स्पीडी ट्रायल के अवधारणा की शुरुआत वर्ष 1977 में बिहार में नियुक्त किए अधिकारी आरिफ रुस्तम की रिपोर्ट से हुई।
- अपने कार्यकाल के दौरान आरिफ रुस्तम ने बिहार के कई सारे जेलों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया की जेल में कई ऐसे कैदी हैं जो सजा दिए जाने की स्थिति में मिलने वाले कारावास से ज्यादा समय से कैद में हैं।
- उन्होंने पाया कि कई सारे कैदी ऐसे हैं, जो अंडर ट्रायल है अर्थात जिनके केस की प्रक्रिया आरंभ भी नहीं हुई है।

## हुसैनारा खातून vs बिहार (गृह सचिव)

- आरिफ रुस्तम के निरीक्षण की रिपोर्ट जब एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई तब दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता कपिल हिंगोरानी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित था।
- याचिकाकर्ताओं हुसैनारा खातून ने अनुच्छेद-32 (संवैधानिक अधिकारों का उपचार) के तहत यह याचिका दायर की।
- याचिका की सुनवाई तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश पी एन भगवती की बेंच ने किया, जिसका निर्णय 9 मार्च 1979 को दिया गया।

## सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में निम्न आदेश दिए:-
- अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई जल्द सुनिश्चित हो।
- अनुचित सजा से निर्दोषों की रक्षा होनी चाहिए।
- दोषी साबित होने की दशा में अधिकतम दंड से ज्यादा दंड/ कारावास झेलना अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है।
- सरकार जमानत के आवेदन के लिए अभियुक्त/दोषी की तरफ से अपनी लागत पर वकील की नियुक्ति करे।
- न्यायालय एवं प्रशासन को लंबित मामले की स्थिति में कारण स्पष्ट करना चाहिए।

## IPC एवं Cr. Pc में शीघ्र कार्यवाही के लिए प्रावधान

- IPC की धारा 157 (1) के अनुसार, अपराध-स्थल पर पुलिस को पहुंचकर जल्द से जल्द जांच की कार्यवाही करनी चाहिए।
- धारा 167 (2) (a) कहता है कि किसी अभियुक्त को पुलिस की हिरासत में 60-90 दिनों से ज्यादा नहीं रखा जा सकता।
- धारा 173 (1) कहता है कि बिना देरी के पूर्ण जांच प्रक्रिया संपन्न करना पुलिस का कर्तव्य है।
- धारा 173 1 (a) कहता है अगर किसी नाबालिक बच्चे का बलात्कार हुआ है तो अपराध के दिन से 2 महीने के भीतर जांच प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए।
- धारा 376 से संबंधित अपराधों में 2 महीने के भीतर जांच प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए।
- धारा 468 कहता है की नियत अवधि के भीतर (1 वर्ष - 3 वर्ष) न्यायालय को मामले का संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा अभियुक्त रिहा हो जाएगा।

- धारा 428 कहता है कि अगर किसी अपराधी को आजीवन कारावास मिलता है तो दोषी करार दिए जाने से पूर्व कारावास में बिताया गया समय आजीवन कैद में घटा दिया जाना चाहिए।
- धारा 57 कहता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस द्वारा लाया जाना चाहिए, अन्यथा हिरासत अवैध और गैरकानूनी हो सकता है।
- Note: 1 July 2024 से IPC एवं Cr.Pc को क्रमशः भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
- Note: कोई भी कानून किसी सुनवाई की समाप्ति के लिए किसी समय-सीमा का निर्धारण नहीं करता है और अगर किसी मामले में ऐसा है तो वह एक निर्देश की भांति है न कि कानूनी रूप से अनिवार्य।



## शीघ्र कार्रवाई और संविधान

- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद-21 में शीघ्र कार्रवाई का सिद्धांत निहित है।
- अनुच्छेद 21 कहता है कि भारतीय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी भी व्यक्ति को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।
- मुन्न vs इलिनोइस मामले में SC ने कहा कि जीवन का तात्पर्य केवल ज़िन्दगी या जिन्दा रहने के अर्थों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक एवं विस्तृत है।
- व्यक्ति तब तक दोषी नहीं होता, जब तक कि उसका दोष सिद्ध न हो जाए, ऐसे में अनावश्यक कारावास, जमानत के लिए आर्थिक एवं मानसिक परेशानी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा।
- **मेनका गाँधी vs भारत संघ (1978) मामले में SC ने कहा था कि अनुच्छेद 21 से वंचित किये जाने के लिए दो आधार अनिवार्यतः होने चाहिए:-**
  - एक कानून एवं निष्पक्ष, उचित एवं न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया।
  - राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) में भी शीघ्र कार्रवाई के लिए प्रावधान है।
  - अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य जन-कल्याण के लिए उचित सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा।
  - अनुच्छेद 39 में राज्यों के लिए नीतिगत सिद्धांत का वर्णन है।
  - अनुच्छेद 39 A समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है।

## शीघ्र कार्रवाई में बाधा के संभावित कारण

- पुलिस प्रशासन की लापरवाही यथा:- जांच प्रक्रिया देर में शुरू करना, गवाह, सबूत जमा करने में देरी।
- लंबित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा होना,
- न्यायाधीशों एवं मामलों के अनुपात,
- न्यायालय की स्वतंत्रता
- न्यायालयों में अवकाश
- संबंधित वकील की अनिच्छा
- अभियुक्त का असहयोगपूर्ण व्यवहार
- अपराध की स्थिति आदि।

## उल्लंघन की दशा में

- चूंकि शीघ्र कार्रवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है, अतः पीड़ित व्यक्ति या उसके पक्ष से कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के तहत उपचार की गुहार लगा सकता है।

## अनुच्छेद 32

- संसद के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है।
- वर्तमान में SC एवं HC को ही यह शक्ति प्राप्त है।

## रिट के 5 प्रकार हैं:-

- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है 'को प्रस्तुत किया जाय।'
- यह न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के सन्दर्भ में जारी किया जाता है, जो हिरासत में रखा गया है।
- यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है।
- कुछ परिस्थितियों में यह रिट जारी क्यों नहीं किया जा सकता है:-
- जब हिरासत कानून सम्मत (अनुसार) हो,
- जब कार्रवाई न्यायालय या संसद/विधानमंडल के अवमानना करने पर हुई हो।
- जब हिरासत स्वयं न्यायालय द्वारा हुई हो।
- जब हिरासत न्यायालय के न्यायक्षेत्र से बाहर हुई हो।

## Notes:-

# वन्यजीव एवं पक्षियों पर हीट वेव का प्रभाव



## हालिया सन्दर्भ

- वर्तमान में दुनिया भर में चल रहे गर्मी की लहरें (Heat wave) इंसानों को ही नहीं बल्कि पशु एवं पक्षियों को भी प्रभावित कर रही है।
- कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको से लेकर अर्जेंटीना तक सैकड़ों पशु-पक्षियां हीट-वेव के चपेट में आकर अपनी जान गवा रहे हैं।
- अर्जेंटीना में एक ही दिन में लगभग सैकड़ों मैगैलेनिक पेंग्विन हीटवेव के कारण मर गए जबकि मेक्सिको में निर्जलित हाऊलर बंदर गर्मी के लहरों के कारण पेड़ों से बेहोश होकर गिर रहे हैं और कनाडा के तटरेखाओं (Sea Coast) पर लाखों सीपियाँ (Mussels) और बार्नाकल हिटवेव के कारण प्रभावित हो रहे हैं।
- दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैसों (GHG) के बढ़ते उत्सर्जन के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन हीटवेव (Heat waves) को अधिक उग्र और सामान्य बना रहे हैं।

## हीटवेव का वन्यजीव पर प्रभाव

- परिस्थितिकी विज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार वन्य जीवों पर हीटवेव का सबसे ज्यादा प्रभाव उन वन्यजीव क्षेत्रों पर ज्यादा पड़ता है जो पहले से ही गर्म और शुष्क क्षेत्र होता है जहां वन्यजीव बहुत अधिक ताप (Temperature) झेलने में सक्षम नहीं होते हैं।
- विशेषज्ञों के अनुसार पहले से गर्म और शुष्क क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी भले ही वन्यजीवों को नहीं मारती हो लेकिन इसका प्रभाव उनके व्यवहार (behaviour) के तरीकों में बदलाव का कारण हो सकती है, जो उनके प्रजनन दर (Reproduction rate) को प्रभावित करती है, जिससे उनके आबादी का आकार प्रभावित होता है।
- शुष्क एवं गर्म क्षेत्र में अधिक गर्मी बढ़ने के कारण यहां की वन्यजीव प्रजातियां पर्याप्त सक्रिय नहीं रह पाती जिसके कारण वे प्रजनन नहीं कर पाते हैं।
- वर्ष 2023 के एक अध्ययन से पता चला है कि जब हीटवेव चलती है तो दफनाने वाली भृंगों (burying beetles) सफलतापूर्वक प्रजनन नहीं कर पाते हैं।

## बढ़ती गर्मी के कारण ऑस्ट्रेलिया में फ्लाइंग फॉक्स (उड़नेवाली लोमड़ी) की संख्या में कमी

- बढ़ती गर्मी और हीटवेव के कारण जब किसी क्षेत्र का तापमान अचानक से बढ़ जाता है तो वहां के वन्यजीव अचानक से बड़ी इस गर्मी के प्रति अनुकूलित नहीं हो पाते हैं जिससे उनमें हीट स्ट्रेस (Heat stress) होता है।
- जानवरों में इस हीट स्ट्रेस का अनुमान इस प्रकार से लगाया जा सकता है पिछले कुछ वर्षों से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लगातार तापमान में वृद्धि (50°C) के कारण स्पेक्टैक्लड फ्लाइंग फॉक्स (उड़ने वाली लोमड़ियाँ) की संख्या में अचानक काफी गिरावट दर्ज की गई है।
- एक अनुमान के अनुसार नवंबर 2018 से लेकर अब तक लगभग 30,000 फ्लाइंग फॉक्स ऑस्ट्रेलिया में गर्मी की लहरों के दौरान मारे जा चुके हैं।
- ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव के कारण मारे गए फ्लाइंग फॉक्स की यह आबादी इसके यहां विद्यमान कुल आबादी का लगभग एक तिहाई है।
- हीट वेव के कारण बड़ी मात्रा में मारे गए फ्लाइंग फॉक्स के कारण ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उड़ने वाली लोमड़ियों की इस प्रजाति को संवेदनशील से 'लुप्तप्राय' प्रजाति में बदल दिया।

## फ्लाइंग फॉक्स की हीट अनुकूलन

- फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़ने वाली लोमड़ी दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ों की प्रजातियों में से एक है।
- फ्लाइंग फॉक्स मुख्य रूप से दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं।
- फ्लाइंग फॉक्स के पंखों का फैलाव 1 से 1.5 मीटर तक होता है।
- उनके अधिक आकार के कारण उनके शरीर में बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है।
- इन गर्मी से बचने के लिए एवं ठंडक महसूस करने के लिए वे अपने पंखों को फड़फड़ाकर एवं अपने ऊपर लार फैलाकर ठंडक उत्पन्न करते हैं।
- फ्लाइंग फॉक्स के लिए 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान घातक सिद्ध होती है जो इन्हें हीट स्ट्रेस देती है जो संभवतः इनके मौत के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारकों में से एक है।
- इसके अलावा मादा फॉक्स वर्ष में एक ही बार प्रजनन करती है लेकिन अधिक गर्मी बढ़ने के कारण इनके सक्रियता कम हो जाती है जो इनके प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है।
- प्रजनन क्षमता की कमी भी इनकी आबादी को कम करने के लिए जिम्मेदार कारक है।

## अर्जेंटीना में 'मैगैलेनिक पेंग्विन' पर हीट वेव का प्रभाव

- अर्जेंटीना के दक्षिणी तट पर पुटा टोंबो द्वीप जो की मैगैलेनिक पेंग्विन का प्रमुख आवास में से एक है, पिछले कुछ वर्षों से रिकॉर्ड उच्च तापमान और हीट वेव के कारण 'मैगैलेनिक पेंग्विन' के मृत्यु का कारण बन रहा है।

- एक शोध के अनुसार जनवरी 2019 से अब तक लगभग 1500 से अधिक मैगैलेनिक पेंग्विन की मृत्यु हुई।
- वर्ष 2019 में अत्यधिक गर्मी के कारण लगभग 354 से अधिक मैगैलेनिक पेंग्विन मारे गए।
- अर्जेंटीना के पुंटा टॉबो जो वर्ष 1987 तक दुनिया का सबसे बड़ा मैगैलेनिक पेंग्विन कॉलोनी के रूप में प्रसिद्ध या लगातार मैगैलेनिक पेंग्विन की संख्या में गिरावट हो रही है।
- वर्ष 1987 तक अर्जेंटीना के पुंटा टॉबो में मैगैलेनिक पेंग्विन प्रजनन जोड़े की कुल आबादी लगभग 1 लाख 70 हजार थी जो वर्ष 2024 में 40% की कमी के साथ लगभग एक लाख प्रजनन जोड़े तक आ गई है।
- विशेषज्ञों के अनुसार मैगैलेनिक पेंग्विन की संख्या में लगातार हो रही इस गिरावट का मुख्य कारण भोजन की कमी, प्रदूषण और बढ़ता हीटवेब हो सकता है।

## मैगैलेनिक पेंग्विन

- मैगैलेनिक पेंग्विन मुख्य रूप से एक दक्षिण अमेरिकी पेंग्विन है जो अर्जेंटीना, चिली, फॉकलैंड द्वीप समूह में प्रवास करती है।
- मैगैलेनिक पेंग्विन का नाम वर्ष 1520 में पुर्तगाली नाविक 'फर्डिनेंड मैगलन' के नाम पर रखा गया है जिसने पहली बार इसे देखा था।
- IUCN द्वारा मैगैलेनिक पेंग्विन की प्रजाति को चिंताजनक प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- पेंग्विन 40°C से अधिक तापमान पर हीट स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं।

## जानवरों द्वारा गर्मी के अनुकूलन ढलना

- अधिकांश ठंड प्रदेश में रहने वाले जानवर अत्यधिक ठंड से बचने के लिए शीत निद्रा (Hibernation) में चले जाते हैं।
- शीत निद्रा या (Hibernation) ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जानवर अपनी चयापचय (metabolism) प्रक्रिया को लगभग शून्य तक लेकर चले जाते हैं जो उनके शरीर के तापमान को बर्फीले परिवेश के तापमान के बराबर करने में मदद करता है।
- इसी प्रकार शुष्क एवं गर्म जलवायु में रहने वाले जानवर अत्यधिक गर्मी के दौरान भूमिगत रहते हैं एवं रात्रि के समय बाहर आते हैं।

## तापमान सेंसर

- मनुष्य एवं जानवरों का शरीर विभिन्न तापमान सेंसर से भरे होते हैं जो विशेष प्रकार के प्रोटीन का एक समूह होता है जिसे टीआरपी (TRP – Transient receptor potential) चैनल कहा जाता है।
- यह TRP चैनल जानवरों के संवेदी न्यूरॉन्स में स्थित होता है।
- यह TRP चैनल जानवरों के उच्च तापमान स्तर पर पहुंचने पर संवेदी न्यूरॉन्स के द्वारा तुरंत मस्तिष्क को संदेश भेजता है।
- मनुष्यों के लिए उच्च तापमान स्तर लगभग 24 डिग्री सेल्सियस का होता है जबकि मेंढकों के लिए यह 14 डिग्री सेल्सियस होता है।

## पक्षियों पर हीट वेब का प्रभाव

- जानवरों की तुलना में पक्षियाँ विशेष रूप से बढ़ते तापमान के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं।
- पक्षियों में जानवरों की तुलना में पसीने की ग्रंथियों (Sweat Glands) की कमी होती है जो उन्हें बढ़ती तापमानों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।

- वर्ष 2021 में कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे स्तनधारियों और पक्षियों के 100 वर्षों के डेटा का विश्लेषण करके एक शोध जारी किया गया।
- इस शोध में बताया गया कि स्तनधारी एवं पक्षियों के एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में रहने के बावजूद बढ़ते तापमान पर इनकी प्रतिक्रिया अलग-अलग थी।
- इस शोध में पाया गया कि इन सौ वर्षों के दौरान स्तनपायी समुदाय की आबादी लगभग स्थिर रही जबकि पक्षियों की प्रजातियों की संख्या में लगभग 43% की अश्वजनक गिरावट देखी गई।
- हालांकि इस शोध में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पक्षियों की गिरावट वाली 43% आबादी मर गए या दूसरे वातावरण में चले गए मगर इसमें इतना जरूर बताया गया कि तापमान का बढ़ता स्तर जानवरों (स्तनधारी) की तुलना में पक्षियों के लिए ज्यादा नुकसानदायक है।



## Notes:-

# भुगतान संतुलन एवं उसके घटक



## हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक आंकड़े से पता चला है कि भारत के चालू खाते ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च) के दौरान अधिशेष (Surplus) दर्ज किया है।
- चालू खाता में अक्सर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं जो न केवल देश की रूपयों की विनिमय दर (Exchange rate) और संप्रभु रेटिंग (Sovereign rating) को प्रभावित करता है बल्कि अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य की ओर भी इशारा करता है।
- भारत के चालू खाते को भुगतान संतुलन (Balance of Payments) से समझा जा सकता है।

## भुगतान संतुलन (Balance of Payments) क्या है?

- भुगतान संतुलन यानि BOP (Balance of Payments) मुख्य रूप से किसी देश का शेष विश्व के साथ लेन-देन के एक खाते (Account) के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- जिस प्रकार से भारत शेष विश्व के देशों के साथ व्यापार और लेन-देन करता है तो देश के अंदर और बाहर धन का प्रवाह (Flow of Money) होता है।
- भुगतान संतुलन यानि BOP यह दिखाता है कि भारत का शेष विश्व के साथ व्यापार के फलस्वरूप कितना धन देश से बाहर गया और कितना धन देश में आया।
- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा जारी भुगतान संतुलन चार्ट में देश में आने वाले सभी धन को सकारात्मक (+ve) एवं देश से बाहर जाने वाले सभी धन को नकारात्मक (-ve) रूप में चिह्नित किया जाता है।
- भुगतान संतुलन विदेशी मुद्राओं की मांग (डॉलर) के मुकाबले रूपए की मांग को संदर्भित करता है।

- उदाहरण के लिए अगर भारत और अमेरिका आपस में व्यापार करते हैं जिसमें भारत किसी वस्तु को अमेरिका से खरीदना चाहता है या अमेरिका में निवेश करना चाहता है ऐसी स्थिति में भारत, अमेरिका को एक निश्चित संख्या में रूपए (Rupees) सौंपेगा जिससे लेन-देन को पूरा करने के लिए आवश्यक डॉलर खरीदा जाएगा।
- अंत में विनिमय दर (Exchange rate) दोनों मुद्राओं की वर्तमान मांग से निर्धारित की जाएगी।
- भुगतान संतुलन के घटक –
- भुगतान संतुलन के दो मुख्य घटक होते हैं:-
- चालू खाता (Current Account) और दूसरा पूंजी खाता (Capital Account)

## चालू खाता (Current Account)

- चालू खाता मुख्य रूप से ऐसे खाते को संदर्भित करता है जो धन को लगातार और तत्काल पहुंच यानी चालू प्रकृति के होते हैं।
- चालू खाते को दो उप वर्ग में विभाजित किया जाता है- पहला वस्तुओं का व्यापार (Trade of Goods) और दूसरा सेवाओं का व्यापार (Trade of Services)
- वस्तुओं का व्यापार मूल रूप से भौतिक वस्तुओं (गेहूं, चावल, कार, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि) को संदर्भित करता है जो व्यापार संतुलन (Balance of trade) को निर्धारित करता है।
- उदाहरण के लिए अगर भारत निर्यात की तुलना में अधिक आयात करता है तो इसे व्यापार घाटा के रूप में नकारात्मक (-ve) चिन्ह से संदर्भित किया जाता है।
- चालू खाते का दूसरा उप वर्ग सेवाओं का व्यापार (Trade of Services) को 'अदृश्य व्यापार' भी कहा जाता है जिसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, आईटीआई, पर्यटन, परिवहन आदि देश में काम करने वाले भारतीय द्वारा भारत में भेजा गया पैसा और विदेशी निवेश से अर्जित आय शामिल होता है।

## पूंजी खाता (Capital Account)

- भुगतान संतुलन का दूसरा घटक पूंजी खाता (Capital Account) में 'निवेश' को शामिल किया जाता है।
- पूंजी खाते के अंतर्गत आने वाले निवेशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश (FII) शामिल है।
- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के चार्ट में पूंजी खाते में 25 बिलियन डॉलर का शुद्ध अधिशेष दर्शाया गया है जिसका तात्पर्य है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश (FII) अधिक हुआ है।
- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा पूंजी खाते में आने वाले अरबों डॉलर के निवेश को विदेशी मुद्रा भंडार में जोड़ देता है।
- अगर RBI इन विदेशी निवेश से मिले डॉलरों को विदेशी मुद्रा भंडार में नहीं जोड़ेगा तो रूपए की विनिमय दर (Exchange rate) बढ़ जाएगी और भारत के निर्यात के प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हो जाएगी।



## भुगतान संतुलन में कमी और अधिशेष का तात्पर्य

- भुगतान संतुलन में कमी या अधिशेष किसी देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे या बुरे के रूप में संदर्भित नहीं करता है।
- चालू खाता घाटा किसी अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा बुरा नहीं हो सकता या चालू खाता अधिशेष किसी अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा आवश्यक रूप से एक अच्छा विकास को संदर्भित नहीं करता है।
- RBI द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए जारी चार्ट में चालू खाते को घाटे के रूप में दिखाया गया है।
- भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए चालू खाता घाटा में इसलिए होता है क्योंकि यहां निर्यात करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरत आवश्यक वस्तुओं की आयत को बढ़ाने की आवश्यकता होती है।
- अगर हम वर्तमान के चालू खाता घाटा के तुलना वित्तीय वर्ष 2020-21 के चालू खाता चार्ट से करें तो इस वर्ष चालू खाता में अधिशेष था जबकि इस समय कोविड महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण देश की आर्थिक गतिविधियों को बंद कर दिया था।
- वित्त मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (NRPF) के अनुसार मोटे तौर पर जीडीपी का +1.5% से -2% तक का चालू खाता घाटा GDP विकास दर के अनुरूप होता है।

## प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign direct investment)

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तात्पर्य है कि किसी देश में दूसरे देशों या उनके संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश को संदर्भित करता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दो रूप होते हैं पहला ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक (Organic) यानी कार्बनिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का तात्पर्य एक विदेशी निवेशक द्वारा किसी देश में स्थापित व्यवसाय के विस्तार और विकास को गति देने के लिए धन का निवेश करना।
- जबकि इनऑर्गेनिक (Inorganic) यानी अकार्बनिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तात्पर्य एक विदेशी निवेशक द्वारा किसी देश के स्थापित व्यवसाय जो वित्तीय रूप से खराब स्थिति में है उसे धन देकर खरीद लेना।
- दोनों ही प्रकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और भारत के उद्योग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की आंकड़े के अनुसार भारत में चालू वित्त वर्ष (2023-24) के सितंबर 2023 तक 33 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया गया है।
- हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया गया जबकि 2021-22 में यह आंकड़ा 85 अरब डॉलर था।

## विदेशी संस्थागत निवेश (FII)

- विदेशी संस्थागत निवेश यानी Foreign Institutional Investor) ऐसी विदेशी निवेश या संस्थाएं हैं जो किसी अन्य के देश के वित्तीय बाजारों में निवेश करने को संदर्भित करता है।
- विदेशी संस्थागत निवेश के अंतर्गत पेंशन फंड, निवेश फंड, हैड फंड एवं म्यूचुअल फंड आदि शामिल होते हैं।



## Notes:-

# भारत में जलवायु अधिकार और जलवायु अनुकूल कानून की भावी आवश्यकता



## चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में एम.के. रंजीतसिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक व्यवस्थित ढंग से सोचने और शासन लागू करने का एक दिलचस्प अवसर प्रदान करता है।

## जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार

- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को अनुच्छेद 21 और 14 से जोड़ने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्वच्छ और स्थिर पर्यावरण के बिना जीवन और समानता के अधिकार पूरी तरह से हासिल नहीं किए जा सकते।
- न्यायालय के फैसले ने स्वास्थ्य के अधिकार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को उजागर किया, वंचित समुदायों को इसके प्रभावों के अनुकूल होने और उनका सामना करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन और विभिन्न मानवाधिकारों के बीच परस्पर संबंध को मान्यता दी, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त स्वस्थ पर्यावरण के मौलिक अधिकार पर जोर दिया।
- हालांकि, फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू संवैधानिक रूप से गारंटीकृत जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) के आधार पर 'जलवायु अधिकार' की शुरूआत थी।
- इस अधिकार को संविधान में शामिल करके, यह संभावित रूप से जलवायु से संबंधित कानूनी कार्रवाइयों का मार्ग प्रशस्त करता है, नागरिकों को इस अधिकार के लिए सरकारी सुरक्षा की मांग करने का अधिकार देता है।

## जलवायु विकास के विकल्प हेतु कानून आवश्यक

- भारतीय के लिए अपने आर्थिक विकास की दिशा को निम्न कार्बन और जलवायु के अनुकूल भविष्य की ओर मोड़कर जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के लिए तैयार रहना आवश्यक है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए कानून को विकास के सभी स्तरों पर रोज़मर्रा की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में इन उद्देश्यों को शामिल करना चाहिए।
- यह देखते हुए कि जलवायु परिवर्तन असुरक्षित आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है और एक न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण आवश्यक है, सभी जलवायु-संबंधी प्रयासों में सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।
- जबकि जलवायु कानून को अक्सर लक्ष्यों को पूरा करने पर केंद्रित एक शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है, यह दृष्टिकोण विकासशील देश के संदर्भ में अपर्याप्त है जहाँ जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना उत्सर्जन में कमी से परे है।
- यह प्रत्येक विकासात्मक विकल्प और जलवायु के अनुकूल भविष्य के लिए इसके निहितार्थों की गहन जाँच की आवश्यकता है।
- इसे प्राप्त करने के लिए, कानूनी ढाँचों को सरकारी स्तरों पर लागू अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
- प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए एक मजबूत संस्थागत संरचना की आवश्यकता होती है जो नीतियों को प्रभावी ढंग से तैयार, प्राथमिकता, समस्या निवारण और मूल्यांकन करती है।
- कई देशों ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में शासन क्षमता बढ़ाने के लिए 'ढांचा जलवायु कानून' को अपनाया है।
- ये कानून राष्ट्र-व्यापी उद्देश्यों को स्थापित करते हैं तथा उन्हें प्रक्रियाओं और जवाबदेही उपायों के साथ समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे जलवायु कार्रवाई सरकारी कार्यों का केन्द्रीय केंद्र बन जाती है।

## एक आदर्श जलवायु अनुकूल कानून से अपेक्षाएं

- एक व्यापक जलवायु कानून ढांचे के लिए एक संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है जो मौजूदा चुनौतियों के लिए प्रभावी समाधान तैयार करने में सक्षम हो।
- इसके लिए तत्कालीन प्राथमिकता, नीतिगत विकल्पों और उनके संभावित परिणामों का गहन विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञता के साथ एक सरकारी निकाय की स्थापना पर होना चाहिए।
- राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को सतत निम्न कार्बन विकास और लचीलापन हासिल करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों और तकनीकी कर्मियों से युक्त एक स्वतंत्र निम्न कार्बन विकास आयोग' की स्थापना भी की जानी चाहिए।

- साथ ही एक मजबूत जलवायु कानून ढांचे के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना महत्वपूर्ण है जो मौजूदा मुद्दों के लिए व्यावहारिक समाधान तैयार करने में सक्षम हो।
- अपितु रंजीतसिंह निर्णय जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए भारत के लिए निम्न कार्बन ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण की आवश्यकता पर जोर देता है।
- इसके अलावा जलवायु कानून को शहरों, इमारतों और परिवहन नेटवर्क में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक सहायक विनियामक वातावरण स्थापित करना चाहिए।
- भारत की विकास प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारों को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है, जिससे स्थानीय संदर्भों के अनुरूप कार्य योजनाओं जैसे अनुकूलन उपायों के कार्यान्वयन और जलवायु-लचीली फसलों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया जा सके।
- इसके अलावा, मैग्रोव जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना, जो चरम मौसम की घटनाओं के खिलाफ प्राकृतिक रक्षा के रूप में काम करते हैं, आवश्यक है।
- साथ ही इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सामाजिक समानता के मुद्दों को संबोधित करना सर्वोपरि है।

- इस कानून में न केवल सरकार को शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित व्यवसायों, नागरिक समाज और समुदायों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि ऊर्जा परिवर्तन और लचीलेपन में योगदान दिया जा सके।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी को सुविधाजनक बनाने से समाज के विभिन्न क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में अपनी विशेषज्ञता का योगदान करने का अवसर मिलेगा।
- भारत में एक कुशल जलवायु कानून जो समावेशी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, विभिन्न समूहों को इस मामले में अपनी बात रखने के लिए और अधिक सशक्त बनाएगा।



## संघीय ढांचे के साथ जुड़ाव है जरूरी

- कानूनी व्यवस्था को भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखना चाहिए, खासकर जब उत्सर्जन को कम करने और लचीलापन बढ़ाने से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जाता है।
- बिजली, कृषि, पानी, स्वास्थ्य और मिट्टी जैसे कई प्रमुख क्षेत्र राज्य और स्थानीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- इसलिए, न्यायालय द्वारा नव स्थापित जलवायु अधिकार की सुरक्षा के उद्देश्य से किसी भी नियामक ढांचे या संस्थागत व्यवस्था में उप-राष्ट्रीय सरकारों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- यह उप-राष्ट्रीय सरकारों को राष्ट्रीय वैज्ञानिक विशेषज्ञता तक पहुँच प्रदान करके, जलवायु उद्देश्यों के साथ संरेखित स्थानीय पहलों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करके और जलवायु संबंधी निर्णयों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तंत्र स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर पूरक संस्थान बनाकर राज्य-विशिष्ट समाधान विकसित किए जा सकते हैं।
- जबकि प्रस्तावित ढांचा कानून विभिन्न मंत्रालयों और संघीय ढांचे में प्रयासों के समन्वय के लिए आवश्यक है, इसे क्षेत्र-विशिष्ट कानूनों और संशोधनों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए जो इसके सिद्धांतों के साथ संरेखित हों।
- एम.के. रंजीतसिंह मामले में ऐतिहासिक निर्णय कानूनी और शासन सुधारों का मार्ग प्रशस्त करता है जो व्यक्तियों को जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाता है।

## भविष्य की राह

- भारत, एक विकासशील राष्ट्र है, जिसकी संवेदनशीलता बहुत अधिक है और जिसे बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है, उसे निम्न कार्बन और जलवायु के अनुकूल विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले विनियामक कानून को लागू करने से लाभ हो सकता है।
- ब्रिटेन जैसे देशों से सीखकर, जो राष्ट्रीय कार्बन बजट के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं, और केन्या, जो ज्ञान-साझाकरण और सार्वजनिक भागीदारी पर जोर देता है, भारत पारदर्शिता और विशेषज्ञ परामर्श सुनिश्चित करते हुए सार्थक लक्ष्य और समयसीमा निर्धारित कर सकता है।

## Notes:-

# भारत में Skimmed Milk Powder



## हालिया सन्दर्भ

- भारत के कई राज्यों द्वारा बनाए गए कड़े गौवध विरोधी कानून (Stringent anti slaughter laws) के कारण भारतीय डेयरी किसान पहले से ही अनुत्पादक मवेशियों (ऐसे मवेशी जो पर्याप्त दूध नहीं देते या जो न मवेशी हैं) के निपटान संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- लेकिन अब भारतीय डेयरी किसान एसएमपी SMP (Skimmed milk powder) के अधिशेष (Surplus) स्टॉक होने के कारण भी चिंतित है।
- नए उत्पादन वर्ष (जून जुलाई 2024) की शुरुआत में ही भारतीय सहकारी और निजी डेयरियों के पास अनुमानतः 3 से 3.25 लाख टन SMP, स्किमड मिल्क पाउडर के स्टॉक हैं।

## SMP (Skimmed milk powder) क्या है?

- गाय के दूध में औसतन 3.5% वसा और 8.5% ठोस गैस वसा, SNF (Solid not fat) होता है जबकि भैंस के दूध में 6.5% वसा और 9% ठोस और वसा (SNF) होता है।
- गाय एवं भैंसों के इन दूधों को खराब हो जाने के कारण लंबे समय के लिए इसका भंडारण नहीं किया जा सकता है।
- अतः फ्लश सीजन (ऐसा समय जब दूध देने वाले मवेशी अधिक दूध का उत्पादन करते हैं) के समय डेयरी किसान या डेयरियां इन अतिरिक्त दूध का उपयोग मक्खन, घी और एसएमपी (Skimmed milk powder) बनाने में इसका उपयोग करते हैं।
- मवेशियों के दूध के वास से मक्खन और घी तथा गैस ठोस वसा (SNF) से Skimmed milk powder तैयार किया जाता है।
- इनका Skimmed milk powder का उपयोग डेयरी किसान या डेयरियां उस समय करते हैं जब मवेशियों द्वारा दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।
- इसको Skimmed milk powder को पानी के साथ मिलाकर तरल दूध में संयोजित किया जाता है।

## फ्लश सीजन क्या होता है ?

- फ्लश सीजन आमतौर पर ऐसे सीजन को कहा जाता है जब मवेशियां अधिक दूध का उत्पादन करती हैं इसके विपरीत लीन सीजन (Lean Season) ऐसे सीजन को संदर्भित करता है जब मवेशियों के दूध उत्पादन में अपेक्षाकृत गिरावट आ जाती है।
- महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारतीय राज्यों में फ्लश सीजन आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद जुलाई से शुरू होकर दिसंबर तक रहता है जबकि गुजरात सहित उत्तर भारत में फ्लश सीजन सितंबर से मार्च तक चलता है।
- 1000 लीटर गाय के दूध से डेयरी किसान या डेयरियां लगभग 8.75 किलोग्राम स्किमड मिल्क पाउडर (SNF से) एवं लगभग 3.6 किलोग्राम घी (वसा से) तैयार करती हैं।

## स्किमड मिल्क पाउडर का ज्यादा उत्पादन समस्या क्यों है ?

- फ्लश सीजन के दौरान डेयरी किसान या डेयरियां अतिरिक्त दूध का उपयोग घी, मक्खन और स्किमड मिल्क पाउडर बनाने में करती हैं जबकि इस सीजन के दौरान ग्राहक इनका अधिक उपयोग नहीं करते हैं।
- भारत में सालाना डेयरी किसान या डेयरियां लगभग 5 से 6 लाख टन स्किमड मिल्क पाउडर का उत्पादन करती हैं।
- इन 5 से 6 लाख टन स्किमड मिल्क पाउडर में से 4 लाख टन SMP का उपयोग लीन सीजन (दूध के मंदी के मौसम) के दौरान दूध के पुनर्संयोजन के लिए किया जाता है जबकि 1.5 से 2 लाख टन Skimmed milk powder का उपयोग आइसक्रीम, बिस्कुट, चॉकलेट, मिठाइयां, शिशु खाद्य उत्पादन एवं अन्य औद्योगिक उत्पादों के लिए होता है।
- 2023-24 भारत के लिए प्रचुर एवं निरंतर दूध आपूर्ति का वर्ष था जबकि 2022-23 में अभूतपूर्व दूध की कमी देखी गई।
- वर्ष 2023 महाराष्ट्र के डेयरियों को पीले मक्खन (गाय) के लिए 430 से 435 रुपए प्रति किलोग्राम एवं स्किमड मिल्क पाउडर का लगभग 315 से 320 रुपए प्रति किलोग्राम मिला जो की रिकार्ड मूल्य था।
- वर्तमान वर्ष के अप्रैल से जून महीने में दूध की उपलब्धता में वृद्धि के कारण वर्तमान भारतीय डेयरियां 3 से 3.5 लाख टन स्किमड मिल्क पाउडर से भरी हुई है जिसका फ्लश सीजन शुरू होने के बाद सितंबर से अधिक स्टॉक बढ़ाने की संभावना है।

## अधिक स्किमड मिल्क पाउडर के स्टॉक से डेयरी किसान या डेयरियों पर प्रभाव

- वर्तमान समय में भारत में अधिक दुग्ध उत्पादन के कारण लीन सीजन के दौरान भी Skimmed milk powder के बिक्री में लगातार कमी दर्ज की जा रही है जिसका प्रभाव इसके दरों में गिरावट का कारण बन गई है।

- वर्तमान दूध के लीन सीजन के दौरान स्किमड मिल्क पाउडर का दर ₹ 320 प्रति किलोग्राम से गिरकर 200 से 210 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है जबकि पीले मक्खन की कीमत ₹ 400 प्रति किलोग्राम से गिरकर 335 से 340 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है।
- हालांकि SMP के विपरीत 'वसा' का भारत में घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बीच अच्छा बाजार है।
- भारत में अगस्त से नवंबर तक चलने वाले त्योहारों के सीजन के दौरान मिठाइयों की खपत में वृद्धि के कारण SMP की तुलना में वसा (घी और मक्खन) की कीमतों में सुधार की संभावना है।

## वैश्विक स्तर पर SMP की दरों में गिरावट

- कई डेयरी किसान एवं डेयरियों का मानना है कि सरकार को स्किमड मिल्क पाउडर के बढ़ते जमा स्टॉक से निपटने एवं डेयरी किसानों को मुनाफा प्रदान करने के लिए एकमात्र तरीका इसका विदेशी निर्यात को बढ़ावा देना हो सकता है।
- हालांकि वर्तमान में वैश्विक मंच पर स्किमड मिल्क पाउडर की वर्तमान कीमत भारत में हालिया कीमत से भी कम है जो इसके वाणिज्यिक निर्यात को अव्यवहार्य बनाती है।

## न्यूजीलैंड स्थित ग्लोबल डेयरी ट्रेड पाक्षिक

- ऑनलाइन नीलामी मंच पर स्किमड मिल्क पाउडर की दरें 2586 डॉलर प्रति टन चल रही है जो अप्रैल 2022 के 4599 डॉलर प्रति टन से काफी कम है।
- इसके अलावा भारत का स्किमड मिल्क पाउडर निर्यात 2013-14 की 1.3 लाख टन से घटकर वर्ष 2023-24 में मात्र 4800 टन रह गया है।

## भारत में डेयरी उत्पाद एवं निर्यात

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (APEDA) जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है के आंकड़े के अनुसार भारत 2022-23 के दौरान लगभग 230.58 मिलियन टन दूध का उत्पादन करके दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष देशों में से एक है।
- भारत का यह दुग्ध उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका के दुग्ध उत्पादन से दोगुना और चीन से तीगुना अधिक है।
- भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 458 ग्राम प्रति दिन है।
- भारत में विदेशी/संकर नस्ल की दूध देने वाली मवेशियों की प्रतिदिन प्रति पशु औसत ऊपर 8.55 किलोग्राम है जबकि स्वदेशी/गैरवर्णित मवेशियों के लिए यह 3.44 किलोग्राम प्रति दिन प्रति पशु है।
- 2022-23 के आंकड़े के अनुसार भारत को शीर्ष पांच दुग्ध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश (15-72%), राजस्थान (14.44%), मध्यप्रदेश (8.73%), गुजरात (7.49%) एवं आंध्र प्रदेश (6.70%) प्रमुख है।
- यह पांचों राज्य संयुक्त रूप से भारत के कुल दूध उत्पादन में 53.08% का योगदान देते हैं।

## निर्यात

- वर्ष 2022-23 के आंकड़े के अनुसार भारत द्वारा कुल 68 हजार मीट्रिक टन डेयरी उत्पाद का निर्यात कर लगभग 284.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया।
- भारत द्वारा डेयरी उत्पाद का निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूटान प्रमुख हैं।

## श्वेत क्रांति (White revolution)

- 13 दिसंबर 1970 को शुरू की गई श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन एक ऐतिहासिक परियोजना थी।
- डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है।
- डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने भारत में अमूल ब्रांड (AMUL BRAND) की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने नीतियों एवं प्रयासों की वजह से ही भारत वर्ष 1998 में अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। श्वेत क्रांति को तीन चरणों (i)1970 से 1980, (ii)1981 से 1985 तथा तीसरा 1985 से 1996 में वर्गीकृत किया गया।
- श्वेत क्रांति का पहला चरण विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा दान किए गए स्किमड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री से वित्तपोषित किया गया जिसके तहत 18 प्रमुख दूध शेडों को जोड़ा गया एवं चार महानगरों में 'मदर डेयरी' की स्थापना की गई।
- श्वेत क्रांति के दूसरे चरण (1981-85) में दूध शेडों की संख्या बढ़ाकर 18 से 136 कर दी गई एवं 43 हजार ग्राम सहकारी समितियों को समन्वित किया गया।
- श्वेत क्रांति के तीसरे चरण (1985-96) के अंतर्गत डेयरी सहकारी समितियों को दूध की खरीद और विपणन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया।
- इस दौरान 43 हजार सहकारी समितियों में 30 हजार नई डेयरी सहकारी समितियों को जोड़ा गया।



## Notes:-

# ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एवं संरक्षण कार्यक्रम



## चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) ने वर्ष 2024-29 के लिए पिछले महीने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए 56 करोड़ रुपये धनराशि की मंजूरी दी थी।
- केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करने वाली स्वायत्त निकाय भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा तैयार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण प्रस्ताव के तहत इसे पुनः विकसित करने के लिए बस्टर्ड रेंज राज्य में इसके विस्तृत जनसंख्या का अध्ययन करके इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान तकनीक विकसित करने पर जोर दिया जाना है।
- ज्ञातव्य हो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन दोनों भारत की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल हैं।

## ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है ?

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बड़ा पक्षी है जो केवल भारत में ही पाया जाता है।
- सिर्फ भारत में पाए जाने वाले इस पक्षी को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नैचर द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- वर्तमान में भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कुल जनसंख्या मात्र 140 है जो इसके भारत में ऐतिहासिक जनसंख्या का 10 प्रतिशत से भी कम है।
- अकेले राजस्थान के रेगिस्तानी और अर्ध-शुष्क परिदृश्य में लगभग 120 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं बाकि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक में जंगलों में कुल बस्टर्ड देखे गए हैं।
- राजस्थान के बाद ऐतिहासिक रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का दूसरा आवास मध्यप्रदेश में पिछले कई वर्षों से एक भी बस्टर्ड को देखा नहीं गया है।
- ऐतिहासिक रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लगभग पूरे भारतीय महाद्वीप में पाया जाता था।

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक स्थलीय पक्षी है जिनका आवास घास का मैदान है।
- अपने भोजन के लिए बस्टर्ड मुख्य रूप से कीड़े-मकोड़े, छिपकली और घासों के बीज पर निर्भर रहते हैं।
- घास के मैदान पर इसके आवास के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य बैरोमीटर के रूप में लाभदायक माना जाता है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा पक्षी के रूप में जाना जाता है जिसे कभी भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
- बस्टर्ड की लंबाई- 1.2 मीटर तथा वजन लगभग 15 किलोग्राम के आस-पास होता है।
- भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सोहन चिड़िया गोदावन, तुकदार जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है।
- भारत में डेजर्ट नेशनल पार्क (जेसलमेर, राजस्थान), तथा ग्रेट इंडियन बस्टर्डस सैन्चुअरी (सोलापुर, महाराष्ट्र) जैसे उद्यान एवं अभ्यारण में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं।

## ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लुप्तप्राय के कारण

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लुप्तप्राय होने का सबसे बड़ा कारण ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइनें हैं।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सामने की दृश्य क्षमता बहुत कम होती है जिसके कारण उड़ान के समय यह विद्युत लाइनों को नहीं देख पाता और विद्युत केबल से टकराकर करंट लगने से इनकी मौत हो जाती है।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 18 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइनों से टकराकर मर जाते हैं।

## ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्यक्रम

- वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र सरकार को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संभावित आवास क्षेत्र से ओवरहेड बिजली लाइनों के दायरे, व्यवहार्यता और सीमा को निर्धारित करते हुए इन बिजली लाइनों को भूमिगत किए जाने के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन का निर्देश दिया गया था।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी को संरक्षित करने के पहले कदम के रूप में वर्ष 2012-13 में राजस्थान सरकार एवं भारतीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक दीर्घकालीन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन रिकवरी परियोजना शुरू की गई थी।
- इस योजना के साथ ही वर्ष 2016 में 33.85 करोड़ रुपये की वित्तपोषण के साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्डस प्रजाति पुनर्प्राप्ति योजना की शुरुआत की गई थी जिसके आधार पर जीआईबी के प्रजनन केन्द्र स्थापित करने के साथ इसके अंडे कृत्रिम रूप से लगाए गए थे।
- इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के कोटा को हैबिटेड इम्पूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड- एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जीआईबी के संरक्षण प्रजनन केन्द्र के निर्माण के स्थान के रूप में चुना गया है।

- इस इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत जंगलों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंडों को एकत्र कर कृत्रिम रूप से संया जाता है जिसके कारण लगभग 29 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्राप्त किए गए।
- इस प्रजनन केन्द्र में वयस्क चूजों को संभोग कराकर लगभग 11 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्राप्त किए गए।

## प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण

- वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर समेकित क्षतिपूरक वनीकरण कोष बनाने के निर्देश के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण अधिनियम लाया गया।
- इस संगठन का मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्रों में होने वाले कमी के स्थान पर वनीकरण के लिए निवेश के लिए फंड जारी करना।
- इसके अलावा इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष तथा राज्य स्तर पर राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष बनाया गया।

## CAMPA द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जारी धनराशि का संभावित प्रयोग


- CAMPA द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन संरक्षण के लिए जारी दूसरे चरण की अवधि 2024 से 2033 है।
- इसके तहत वर्ष 2026 तक रामदेवरा और सोरसन (राजस्थान) में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के लिए दीर्घकालीन संरक्षण केन्द्र खोला जाना है।

## टेलीमेंट्री आधारित पक्षी ट्रेकिंग और जनसंख्या सर्वेक्षण

- इन पंक्षियों के लिए आवास प्रबंधन तथा क्षेत्रीय अनुसंधान, परियोजना को लागू करना।

## लेसर फ्लोरिकन क्या है ?

- लेसर फ्लोरिकन जिसे लिरव या खरमोर भी कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परिवार का सबसे छोटा सदस्य है।
- लेसर फ्लोरिकन भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तरह भारतीय उपमहाद्वीप में घास के मैदान में पाए जाने वाला स्थानीय पक्षी है।
- भारत में वर्तमान में इसकी जनसंख्या लगभग 1000 है जो लगभग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ ही अपने आवास को साझा करते हैं



## Notes:-

# ईरान के नये राष्ट्रपति के अधीन अपेक्षित आगामी परिवर्तन और भारत के लिए इसके मायने



## चर्चा में क्यों ?

- ईरानियों ने सुधारवादी मसूद पेजेशकियन को इस्लामिक गणराज्य के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना है, जो इब्राहिम रईसी की जगह लेंगे, जिनकी मई में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

## राष्ट्रपति चुनाव की पृष्ठभूमि

- ईरान में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव 19 मई को पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुःखद मौत की पृष्ठभूमि में हुए।
- 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा, जिसमें केवल 39.92 प्रतिशत पात्र मतदाताओं ने भाग लिया।
- ईरानी सरकार और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अधिक मतदान की उम्मीद की थी, लेकिन राज्य टेलीविजन फुटेज में मतदान केंद्रों पर केवल मामूली कतारें दिखाई गईं।
- ऑनलाइन वीडियो में तेहरान में खाली मतदान केंद्र और कम यातायात दिखाया गया, साथ ही उल्लेखनीय सुरक्षा उपस्थिति भी दिखाई दी।
- ये चुनाव बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच हुए।
- अप्रैल में, ईरान ने गाजा में चल रहे आक्रमण के जवाब में इजरायल पर सीधा हमला किया।
- इसके बाद, लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हौथिस जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा हमलों में वृद्धि हुई, जिन्हें ईरान द्वारा समर्थन प्राप्त है।
- जबकि अयातुल्ला खामेनेई राज्य के मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं, यह अनिश्चित है कि क्या हालिया घटनाएँ ईरान की विदेश नीति में बदलाव लाएँगी।

## चुनाव नतीजे

- 69 वर्षीय हृदय शल्य चिकित्सक डॉ. मसूद पेजेशकियन ने दूसरे दौर के चुनावों में अति रूढ़िवादी सर्द जलीली को हराकर बहुमत हासिल किया।
- उन्हें लगभग 16 मिलियन वोट मिले, जो कुल 30 मिलियन वोटों का 54 प्रतिशत था।
- उनकी जीत का श्रेय देश के प्राथमिक सुधारवादी गठबंधन के समर्थन और सरकार में चल रहे कट्टरपंथी वर्चस्व की संभावना से चिंतित कई ईरानियों के समर्थन को दिया गया।

## मसूद पेजेशकियन का नजरिया

- चुनाव प्रचार के दौरान पेजेशकियन ने "ईरान को अलगाव से बाहर निकालने" के लिए पश्चिमी देशों के साथ "रचनात्मक संबंधों" का आह्वान किया।
- उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य शक्तियों के साथ 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने का वचन दिया, जिसके तहत प्रतिबंधों में राहत के बदले में ईरान की परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था।
- 2018 में वाशिंगटन द्वारा इससे अलग होने के बाद यह समझौता टूट गया।
- ईरान के भीतर, उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे इंटरनेट प्रतिबंधों को कम करने और महिलाओं पर अनिवार्य हेडस्कार्फ लागू करने वाले पुलिस गश्ती दल का "पूरी तरह" खत्म करने का वादा किया, जो 2022 में पुलिस हिरासत में महसा अमिनी की मौत के बाद से एक हाई-प्रोफाइल मुद्दा है।
- गौरतलब है कि 22 वर्षीय ईरानी महिला को ट्रेस कोड के कथित उल्लंघन के लिए हिरासत में लिया गया था, और उसकी मौत ने देश भर में महीनों तक घातक अशांति फैलाई।
- जबकि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ईरानियों से आग्रह किया कि वे "आगे आने वाले कठिन रास्ते" पर उनके साथ रहें।
- "ईरान के प्रिय लोगों, चुनाव खत्म हो चुका है, और यह हमारे साथ मिलकर काम करने की शुरुआत है। आगे एक कठिन रास्ता है। यह आपके सहयोग, सहानुभूति और विश्वास से ही आसान हो सकता है,"
- "मैं अपना हाथ आपके सामने बढ़ाता हूँ और अपने सम्मान की शपथ लेता हूँ कि मैं आपको इस रास्ते पर नहीं छोड़ूँगा। मुझे मत छोड़िए।"
- अपितु पेजेशकियन ने ईरान के शिया धर्मतंत्र में कोई क्रांतिकारी बदलाव की पेशकश नहीं की है।
- हालांकि, उनके शासन में देश के अनिवार्य हिजाब कानून में ढील देखने को मिल सकती है।
- पेजेशकियन ने अपनी सरकार में अधिक महिलाओं और कुर्द तथा बलूचियों जैसे जातीय अल्पसंख्यकों को शामिल करने का भी वादा किया।
- उन्होंने मुद्रास्फीति को कम करने का भी वादा किया है, जो अब लगभग 40 प्रतिशत पर मँडरा रही है।
- जलीली के साथ एक बहस में, पेजेशकियन ने अनुमान लगाया कि ईरान को 200 बिलियन डॉलर के विदेशी निवेश की आवश्यकता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह केवल दुनिया भर में संबंधों को सुधारने से ही प्रदान किया जा सकता है।

## ईरान में राष्ट्रपति की शक्ति

- कई अन्य देशों के विपरीत, ईरान के राष्ट्रपति के पास राज्य प्रमुख का पद नहीं है।
- ईरानी सरकार की संरचना में सर्वोच्च नेता सर्वोच्च अधिकार रखता है।



- उसके बाद राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, संरक्षक परिषद और शस्त्र बल हैं।
- 1989 से सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं।
- वह राज्य के प्रमुख और कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्य करते हैं, जिनके पास राष्ट्रीय पुलिस और नैतिकता पुलिस को कमांड करने की शक्ति है।
- इसके अतिरिक्त, वह इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कोर की देखरेख करते हैं और न्यायपालिका के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं।
- राष्ट्रपति, दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, ईरान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
- राष्ट्रपति के रूप में पेजेशकियन का दूसरा सबसे बड़ा पद होगा और वह घरेलू और विदेश नीति दोनों पर प्रभाव डालेंगे।
- उनके पास आर्थिक नीति निर्धारित करने का अधिकार भी होगा, लेकिन पुलिस पर उनकी शक्ति सीमित होगी,
- पेजेशकियन का मुख्य कार्य खामेनेई द्वारा उल्लिखित राज्य नीतियों को लागू करना होगा।

## ईरानी जनता की अपेक्षाएं

- ईरानियों में पेजेशकियन की जीत के प्रति मिश्रित भावनाएं हैं, कुछ लोग प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, जबकि अन्य संशय में हैं।
- राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार मज़ियार खोसरावी के अनुसार नए राष्ट्रपति ने ईरान में "समस्याओं के तत्काल समाधान का वादा नहीं किया",
- "लोगों ने उन्हें इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनका दृष्टिकोण दुनिया के साथ-साथ चलने का था, जो वर्तमान सरकार से पूरी तरह अलग था।"
- हालांकि लोगों को उम्मीद है कि वह कुछ अच्छे बदलाव ला सकेंगे और देश के कुछ मुद्दों को सुलझा सकेंगे, विशेषकर अर्थव्यवस्था के मामले में।

## नए राष्ट्रपति के समक्ष भावी चुनौतियां

- पेजेशकियन को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि राज्य संस्थाओं पर अभी भी रूढ़िवादी लोगों का वर्चस्व है।
- ऐसी ही एक संस्था ईरानी संसद (मजलिस) है, जिसका चुनाव मार्च में हुआ था और इसमें रूढ़िवादी और अति रूढ़िवादी लोगों का प्रभुत्व है।
- अपितु अधिकांश रूढ़िवादी नेताओं का मानना है कि हिजाब या किसी अन्य वैचारिक मामले से निपटना राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। उनके अनुसार यह एक धार्मिक मामला है।
- पेजेशकियन को "घरेलू स्तर पर सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों तथा विदेश में कूटनीतिक भागीदारी" को सुरक्षित रखने के लिए कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा।
- इसके अलावा अमेरिका और यूरोप के साथ 2015 के समझौते को पुनर्जीवित करने के कूटनीतिक प्रयास पिछले कुछ वर्षों में विफल रहे हैं।
- साथ ही ईरान का राष्ट्रपति चुनाव इजरायल और तेहरान के सहयोगी हमस के बीच गाजा युद्ध को लेकर बढ़े क्षेत्रीय तनाव के बीच हुआ है, जिसमें सीरिया, लेबनान, इराक और यमन के अन्य ईरान समर्थित आतंकवादी समूह भी शामिल हो गए हैं।

## भारत-ईरान संबंध

- भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जिसमें व्यापार मार्ग फारस की खाड़ी और अरब सागर के माध्यम से दक्षिणी ईरान और भारत के तट को जोड़ते थे।

- भारत और ईरान ने 15 मार्च 1950 को एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, और तेहरान घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें "समान, बहुलवादी और सहकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" के लिए एक साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया।
- ईरान की अनुठी भौगोलिक स्थिति भारत को मध्य एशिया, अफगानिस्तान और यूरेशिया के बाजारों तक पहुंच प्रदान करती है।
- गैस भंडार के मामले में ईरान विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो ईंधन विविधीकरण, डीकार्बोनाइजेशन और 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी का अवसर प्रस्तुत करता है।
- भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022 में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो 2021 से 48% की वृद्धि को दर्शाता है।
- भारत ईरान को चीनी, मानव निर्मित स्टेपल फाइबर, विद्युत मशीनरी और कृत्रिम आभूषण निर्यात करता है, जबकि सूखे मेवे, रसायन और कांच के बने पदार्थ आयात करता है।
- ईरान ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया, जिनके नागरिकों को यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी।
- भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 2013 में हुई थी और 2018 में इसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कर दिया गया और भारत ने हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत फ़ारसी को नौ शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया।



## भारत-ईरान संबंधों की आगे की राह

- भारत के पास ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने में नेतृत्व करने का अवसर है।
- द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारत को तरजीही व्यापार समझौतों के माध्यम से ईरानी कृषि वस्तुओं पर टैरिफ कम करने पर विचार करना चाहिए।
- ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स में निवेश करने के साथ-साथ समुद्री लाइनों को विकसित करके, भारत द्विपक्षीय व्यापार का काफी विस्तार कर सकता है।
- आतंकवाद का मुकाबला करने और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।

- रूसी संघ और मध्य एशिया और काकेशस के अन्य देशों के साथ संयुक्त प्रयास भारत और ईरान के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
- ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा को सुविधाजनक बना सकता है।

## बदलती अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का संबंधों पर प्रभाव

- भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख स्रोत होने के बावजूद, देश ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल का आयात बंद कर दिया है।
- हालाँकि, अगर पेजेशकियन परमाणु विवाद के संबंध में पश्चिम के साथ बातचीत करने में सफल होते हैं, तो इससे आर्थिक प्रतिबंधों को अंततः हटाया जा सकता है, जो भारत के लिए फायदेमंद होगा।
- ईरान अपने तेल निर्यात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भारत संभावित रूप से कच्चे तेल का एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी आपूर्तिकर्ता प्राप्त कर सकता है।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार में 26% की कमी आई है, जो \$1.836 बिलियन है।
- भारत और ईरान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और चाबहार बंदरगाह के विकास जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी सहयोग कर रहे हैं।
- अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद, भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भूमि से घिरे अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।
- भारत ने चाबहार में शाहिद-बेहेश्टी बंदरगाह में 120 मिलियन डॉलर का निवेश करने का भी वादा किया है और ईरान में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 250 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा की पेशकश की है।
- INSTC, ईरान के माध्यम से भारत को रूस से जोड़ने वाला 7,200 किलोमीटर लंबा परिवहन गलियारा है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ने और मध्य एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

## Notes:-

# आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती जंगली आग



## हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में रूस की राज्य समाचार एजेंसी TASS ने आर्कटिक सर्किल में भीषण जंगली आग की सूचना दी है।
- यूरोप की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (C3S) के अनुसार पिछले 5 वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र में उच्च तीव्रता वाली जंगली आग की यह तीसरी घटना है।
- रूस के पारिस्थितिकी प्रबंधन और वानिकी मंत्री के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र में लगी इस भीषण आग का सबसे ज्यादा प्रभाव रूस के 'साखा' क्षेत्र पर पड़ा है जहां 24 जून तक जंगली आग के कारण लगभग 4 लाख 60 हजार हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है।
- रूस के 'साखा' क्षेत्र में 2019 और 2020 में भी भीषण जंगली आग ने काफी नुकसान पहुँचाया था।
- हालांकि यूरोप की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (C3S) ने पहले ही आगाह कर बताया था कि रूस के 'साखा' में उच्च वायु तापमान और शुष्क परिस्थितियां जो कि जंगली आग के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां हैं, जंगली आग को इस क्षेत्र में चिंगारी प्रदान कर सकती है।
- C3S की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जंगली आग ने पिछले दो दशक में जून 2024 को कुल मासिक कार्बन उत्सर्जन (6.8 मेगाटन) के साथ तीसरा सबसे अधिक मासिक कार्बन उत्सर्जन वाला महीना बना दिया है।
- वर्ष 2019 में जून माह का मासिक कार्बन उत्सर्जन (13.8 मेगाटन) तथा जून 2020 का मासिक कार्बन उत्सर्जन (16.3 मेगाटन) था।

## आर्कटिक क्षेत्र में जंगल की आग की घटना क्यों बढ़ रही है?

- आर्कटिक क्षेत्र के बोरियल या बर्फीले जंगल तथा टुंड्रा (पेर रहित क्षेत्र) पारिस्थितिकी तंत्र जंगल की आग का एक प्राकृतिक हिस्सा रहा है।
- हालांकि हाल के वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र में जंगल की आग की घटना की आवृत्ति और पैमाने में वृद्धि जलवायु संकट को बढ़ावा दे रही है।
- आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक स्तर की तुलना में लगभग 4 गुणा अधिक तेजी से गर्म हो रहा है।

- ज्ञातव्य हो कि वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ गया है।
- 1980 की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र के औसत तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि हुई है।
- आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती इस वार्मिंग के कारण आर्कटिक में बिजली गिरने की घटना में लगातार वृद्धि हो रही है।
- वर्ष 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1975 के बाद से अलास्का और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बिजली गिरने की घटना ने इस क्षेत्र में जंगल की आग को दोगुना कर दिया है।
- विशेषज्ञों के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र के इस बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवीय जेट स्ट्रीम को भी धीमा कर दिया है।
- ध्रुवीय जेट स्ट्रीम मध्य और उत्तरी अक्षांशों के बीच हवा प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार कारक है।
- ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के धीमा होने के कारण आर्कटिक और निचले अक्षांशों के बीच तापमान का अंतर कम हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुवीय जेट स्ट्रीम एक ही स्थान पर अटक जाता है और आर्कटिक क्षेत्र में बेमौसम गर्म मौसम आने के लिए जिम्मेदार होता है।
- ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के एक स्थान पर अटक जाने के कारण आर्कटिक क्षेत्र में बनने वाली कम दबाव प्रणाली को अवरुद्ध कर देता है जो इस क्षेत्र में बादल लाकर तेज वर्षा कराने के लिए भी जिम्मेदार है।
- इस क्षेत्र में तेज वर्षा के कारण तीव्र गर्मी की लहरें उत्पन्न होती हैं जो अधिक जंगल की आज का कारण बनती हैं।
- आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ता तापमान, बार-बार बिजली का गिरना और हीटवेव इस क्षेत्र में जंगली आग को आने वाले वर्षों में और बढ़ावा दे सकती है।
- वर्ल्ड वाइड फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर और आर्कटिक क्षेत्र में वर्ष 2050 तक जंगल की आग लगभग एक तिहाई बढ़ने की संभावना है।

## आर्कटिक के जंगली आग से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि


- जब जंगल में आग लगती है तो जंगल की वनस्पति और कार्बनिक पदार्थों के जलने के कारण कार्बन-डाई-ऑक्साइड (CO2) जैसी ग्रीनहाउस (GHG) गैसों का उत्सर्जन होता है जो वायुमंडल में फैल जाती है।
- कार्बन-डाई-ऑक्साइड (CO2) गैस वातावरण की गर्मी को बढ़ाने के जिम्मेदार कारकों में से एक है।
- हालांकि आर्कटिक में जंगल की आग की घटना के कारण उत्सर्जित कार्बन-डाई-ऑक्साइड गैस जैसी ग्रीन-हाउस गैसों (GHG) की तुलना में बढ़ती गर्मी के कारण इस क्षेत्र में 'पर्माफ्रॉस्ट' का पिघलना ज्यादा चिंताजनक है।
- पर्माफ्रॉस्ट सक्रिय बर्फ के चादर के नीचे जमी हुई मिट्टी और चट्टान की परतें हैं।

- वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्माफ्रॉस्ट के अंदर पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग दोगुना कार्बन और मिथेन गैस जमा है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट में लगभग 1700 बिलियन मीट्रिक टन मिथेन (CH<sub>4</sub>) और कार्बनडाईऑक्साइड (CO<sub>2</sub>) जमा है।
- आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट के नीचे दबे CO<sub>2</sub> और मिथेन की यह मात्रा वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन के उपयोग से उत्पन्न कार्बन की मात्रा की तुलना में 51 गुना अधिक है।
- आर्कटिक के जंगलों में लगने वाली आग पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने की गति को बढ़ाने में मदद करती है।
- जंगलों में लगने वाली यह आग पर्माफ्रॉस्ट के ऊपर की वनस्पति और मिट्टी के ऊपरी इंसुलेशन परतों को नष्ट करने के साथ प्राचीन कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देती है जो पर्माफ्रॉस्ट को तेजी से पिघलने और उसके अंदर जमा कार्बन और मिथेन गैसों को निकलकर वातावरण में फैलने में सहायक बनाती है।
- वैज्ञानिक का मानना है कि अगर आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट एक बार बड़े पैमाने पर पिघलना शुरू हो गया तो इससे कार्बन और मिथेन गैस जैसे ग्लोबल वार्मिंग गैसों (GHG) का उत्सर्जन रोकना लगभग असंभव हो जाएगा।
- अर्थात् दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस स्तर तक इसे सीमित नहीं कर पाएगी जो पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।
- 2023, आर्कटिक का सबसे गर्म वर्ष-
- वर्ष 1900 के बाद से वर्ष 2023 आर्कटिक का छठा सबसे गर्म वर्ष था।
- वुडवेल क्लाइमेट रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में बढ़ते तापमान और अभूतपूर्व जंगली आग ने इस क्षेत्र के आसपास के समुदायों एवं वैश्विक स्तर पर संकट को बढ़ा दिया है।

## आर्कटिक की बढ़ती गर्मी और आग का वैश्विक प्रभाव

### उपसागर पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना

- उपसागर (Sub Sea) पर्माफ्रॉस्ट समुद्र तल के नीचे जमी मिट्टी है जिसमें कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है।
- राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) की वर्ष 2022 में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जमीन पर पर्माफ्रॉस्ट की तरह समुद्र के अंदर का पर्माफ्रॉस्ट भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलता है जिससे उसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ सड़कर बड़ी मात्रा में मिथेन और कार्बनडाईऑक्साइड (CO<sub>2</sub>) जैसी GHG गैसों का उत्सर्जन करती है जो समुद्र की अम्लीकरण को खराब कर समुद्री जीव-जंतुओं को प्रभावित करती है।



## खाद्य असुरक्षा

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप मीठे पानी के निकायों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों पर प्रभाव के कारण पश्चिमी अलास्का में चिनुक और घुम सैल्मन की संख्या में बेहद कमी दर्ज की गई है जिसका असर 'मत्स्य पालन' पर पड़ा है जो स्वदेशी समुदायों की खाद्य सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डालता है।
- आसपास के क्षेत्रों में जंगली आग में वृद्धि –
- कनाडा जिसका 40% क्षेत्र आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव का हिस्सा माना जाता है पिछले कुछ वर्षों में जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्र रहा है।
- इस क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण वनस्पति और मिट्टी सूखने के कारण एवं कम औसत वर्षा के फलस्वरूप जंगल की आग की घटना ने लगभग 10 मिलियन एकड़ कृषि क्षेत्र को नष्ट कर दिया।
- इस क्षेत्र की लगातार जंगली आग की घटना ने लगभग 46 हजार स्थानीय आबादी को पलायन के लिए मजबूर कर दिया।

## भीषण बाढ़

- NOAA की रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ रहे लगातार गर्मी के कारण अलास्का स्थित मेंडनहाल ग्लेशियर बड़ी मात्रा में पिघल रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में आसपास प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है।
- वर्ष 2023 में मेंडनहाल ग्लेशियर की सहायक नदी में हिमनद मील के बर्फ के पिघलने से विनाशकारी बाढ़ आई थी।

## ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का पिघलना

- NOAA की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर अगस्त 2022 और सितंबर 2023 के बीच ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलने से इसके बर्फ के चादर का द्रव्यमान लगभग 350 ट्रिलियन पाउंड कम हो गया है।
- ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का पिघलना समुद्र के स्तर में वृद्धि का कारण है।

## Notes:-

# अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित अपर सियांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना



## चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अरुणाचल प्रदेश के दौरे से पहले राज्य पुलिस द्वारा अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना के दो बांध विरोधी कार्यकर्ताओं को ऐहितियात के तौर पर हिरासत में ले लिया गया है।
- अरुणाचल राज्य पुलिस के अनुसार ये दोनों कार्यकर्ता संभावित रूप से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के अरुणाचल दौरे के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करने का प्रयास कर सकते थे इसलिए इन्हें हिरासत में ले लिया गया है।
- हालांकि हिरासत में लिए गए दोनों बांध विरोधी कार्यकर्ता का यह कहना है कि वे सिर्फ विवादास्पद प्रस्तावित अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे।

## उपरी सियांग परियोजना क्या है ?

- अपर सियांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के सियांग जिले में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक सियांग नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना है।
- इस परियोजना की शुरुआत अप्रैल 2009 में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा बांधों के निर्माण के साथ शुरू किया गया था।
- इस जल विद्युत परियोजना के तहत लगभग 11 हजार मेगावाट जल विद्युत (Hydroelectricity) के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार 5500 मेगा वाट जल विद्युत उत्पादन वाली सियांग पर स्टेज-I और 3750 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन वाली सियांग अपर स्टेज-II जल विद्युत परियोजना को एकीकृत करके अपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना में बदलने का प्रस्ताव रखा।
- राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (NHPC, National Hydroelectricity Power Co-operation) द्वारा इस परियोजना के तहत लगभग 300 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाना है जो बन जाने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा बांध होगा।

## निर्माण कार्य

- उपरी सियांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का विकास एवं निर्माण कार्य संयुक्त रूप से राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (NHPC) एवं नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर द्वारा किया जा रहा है।
- इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर एवं अरुणाचल प्रदेश सरकार की क्रमशः 37%, 37% और 26% हिस्सेदारी है।

## परियोजना का रणनीतिक महत्व

- राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (NHPC) के सूत्रों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की प्रस्तावित उपरी सियांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का मुख्य उद्देश्य चीन की अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तिब्बत के मेडोग में प्रस्तावित यारलुंग त्सांगपो नदी पर 60 गीगावाट क्षमता वाली बांध निर्माण परियोजना का मुकाबला करना है।
- इस परियोजना का उपयोग चीन पानी की कमी वाले उत्तरी क्षेत्रों में पानी मोड़ने के लिए करेगा।
- यारलुंग त्सांगपो नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के रूप में जबकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में बहती है।
- चीन द्वारा इस परियोजना से भारत में पीक समय के दौरान पानी की कमी (चीन द्वारा उत्तरी क्षेत्र में पानी मोड़ने के कारण) जबकि इनके द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान पानी को छोड़े जाने से बाढ़ की संभावना बढ़ा सकती है।
- चीन की इस परियोजना एवं भारत की समस्या का समाधान प्रस्तावित उपरी सियांग परियोजना है जो चीन द्वारा सियांग नदी (चीन में यारलुंग त्सांगपो नदी) के पानी के बहाव को मोड़ने के दौरान एक विशाल जलाशय के रूप में काम करेगा जो अरुणाचल प्रदेश की जल आवश्यकता एवं उसकी सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करेगा।

## सियांग नदी

- सियांग नदी जिनका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से होता है चीन में यारलुंग त्सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है।
- यह नदी सियांग नदी के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जो आगे चलकर असम में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है।
- बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नदी के रूप में जाना जाता है।
- अपने निर्वहन के हिसाब से सियांग नदी दुनिया की 9 वीं सबसे बड़ी नदी है जबकि लंबाई की दृष्टि से यह दुनिया की 15 वीं सबसे लंबी नदी है।
- 2900 किलोमीटर लंबी यह नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के गेलिंग गांव में प्रवेश करती है और असम घाटी के माध्यम से ब्रह्मपुत्र के रूप में यह असम में प्रवेश करती है।

- दक्षिण पश्चिम में यह नदी जमुना के नाम से बांग्लादेश में बहती हुई दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के साथ विशाल डेल्टा बनाते हुए विलुप्त हो जाती है।
- तिब्बत में यह नदी 1700 किलोमीटर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में 920 किलोमीटर तक बांग्लादेश में 260 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
- सियांग नदी के तहत भारत को लगभग 30% मीठा जल एवं भारत की कुल पनबिजली क्षमता का लगभग 40% पनबिजली प्राप्त होता है।

## उपरी सियांग बहुउद्देशीय पनबिजली परियोजना का स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध क्यों ?

- इस परियोजना के तीन बांध विरोधी संगठन सियांग इंडिजिनियस फार्मस फोरम (SIFF), दिबांग रेजिस्टेंस और नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स इसका विरोध कर रही है।
- इन तीनों बांध विरोधी संगठन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही स्थापित कई जल विद्युत परियोजनाओं के कारण यहां की नदियां पहले से ही प्रभावित रही है।
- प्रस्तावित उपरी सियांग मेगा बांध परियोजना सियांग नदी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र जो वन्यजीव आवास और जैव विविधता के घर के रूप में है को नुकसान पहुंचाएगा।
- बांध विरोधी संगठन का कहना है इस प्रस्तावित परियोजना के कारण यिंगकियों के उपरी जिला मुख्यालय सहित कई जनजाति समूहों के 300 से अधिक गांव जलमग्न हो जायेंगे।
- इसके अलावा इन संगठनों का कहना है कि सियांग जिले और राज्य के सभी आदिवासी क्षेत्र के लोग सियांग नदी पे आजीविका, संस्कृतिक प्रयासों और जीविका के लिए निर्भर है जो प्रस्तावित बांध के निर्माण से खतरे में पड़ जाएगा।

## NHPC का 325 करोड़ रुपए का पैकेज

- राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने प्रस्तावित परियोजना के लिए समर्थन जुटाने के अभियान के साथ 325 करोड़ रुपए की बुनियादी पैकेज को मंजूरी दी है।
- इन पैकेज का उपयोग बांध निर्माण से प्रभावित लोगों के लिए आजीविका योजना के कार्यन्वयन के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।



## Notes:-

# UFO क्या है ?



## चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अमेरिकी वायु सेवा के एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने पिछले वर्ष अमेरिकी कांग्रेस में आयोजित अज्ञात उड़ने वाले वस्तु यानी UFO (Unidentified Flying Object) पर चर्चा की गई।
- कथित तौर पर अमेरिकी कांग्रेस में आयोजित इस चर्चा में UFO एवं UAP (Unidentified Aerial Phenomenon) को अमानवीय प्राणियों के रूप में प्रस्तुत किया गया जो हमारे स्थलीय विकास का हिस्सा नहीं है।
- 2 जुलाई 1947 की तथाकथित रोसवेल की यूएसओ घटना के कारण 2 जुलाई को 'विश्व यूएफओ दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

## UFO क्या है ?

- अमेरिकी वायु सेना के अनुसार किसी भी अस्पष्ट हवाई घटना को संदर्भित करता है जो पर्यवेक्षक द्वारा आसानी से तुरंत पहचाना नहीं जा सकता।
- UFO शब्द गढ़ने का श्रेय अमेरिकी वायुसेना को जाता है।
- शुरुआत में UFO को उन वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया गया जो विशेषज्ञ जांचकर्ताओं द्वारा जांच के बाद भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।
- हालांकि UFO मूल रूप से अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं को संदर्भित करता है।

## क्या थी 2 जुलाई 1947 की घटना

- विश्व UFO दिवस को 2 जुलाई 1947 के न्यू मैक्सिको के रोसवेल घटना से जोड़कर देखा जाता है।
- दरअसल 2 जुलाई 1947 को न्यू मैक्सिको रोजवेल के जे बी फोस्टर खेत में कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें ऐसी खबरें आई कि अमेरिकी वायु सेना ने एक फ्लाइंग डिस्क बरामद की है।
- अमेरिकी वायु सेना ने इस दुर्घटना की जांच रिपोर्ट वर्ष 1994 में जारी की।
- इस जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोई विदेशी अंतरिक्ष यान जो संभवतः एक गुप्त वायु सेवा के गुब्बारे के रूप में सोवियत परमाणु परीक्षण की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया था दुर्घटना का शिकार हो गया।
- हालांकि रोजवेल में दुर्घटनाग्रस्त जगहों के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि दुर्घटना स्थल के पास शव, लकड़ी की छड़ें आदि थी।

- इसका जवाब देते हुए वर्ष 1947 में अमेरिकी वायु सेना ने रिपोर्ट जारी कर कहा कि रोसवेल दुर्घटनास्थल पर पाए गए कथित विदेशी शव सिर्फ पैराशूट परीक्षणों में इस्तेमाल किए गए 'डमी' था।
- हालांकि कुछ UFO शोधकर्ताओं ने अमेरिकी वायु सेना द्वारा रोसवेल घटना के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण का खंडन करते हुए कहा गया कि 'रोसवेल' घटना के समय इस प्रकार के 'डमी' का उपयोग विश्व में कहीं भी नहीं हो रहा था।
- UFO शोधकर्ताओं के अनुसार रोसवेल घटना के दौरान मिला डमी का पहला उपयोग विश्व पटल पर 1954 से 1959 के बीच उच्च ऊंचाई वाले पैराशूट ड्रॉप में किया गया था।

## UFO से संबंधित प्रोजेक्ट ब्लू बुक

- वर्ष 1952 से 1969 के बीच टाइम मैगजीन ने अज्ञात उड़ान संबंधी लगभग 12000 से अधिक रिपोर्ट संकलित की।
- टाइम मैगजीन ने इन अज्ञात उड़ानों को पहचान के रूप में खगोलीय, वायुमंडलीय, कृत्रिम या अज्ञात के द्वारा वर्गीकृत किया गया।
- इनमें अज्ञात उड़ानों की संख्या लगभग 6% थी, जिसकी कम संख्या होने के कारण टाइम मैगजीन ने 'प्रोजेक्ट ब्लू बुक' कार्यक्रम को रद्द करते हुए अनुसंधान समाप्त कर दिया।
- वर्ष 2021 में अमेरिकी सरकार द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि अज्ञात उड़ानों संबंधी डाटा अनिर्णायक है जो पक्षी, गुब्बारे, ड्रोन जैसी वस्तुएं या प्राकृतिक वायुमंडलीय घटनाओं के परिणाम हो सकती हैं।

## यूएफओ की अन्य जांच

- UFO संबंधित एक अन्य जांच परियोजना अमेरिकी एविएशन ग्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम (AATIP) वर्ष 2017 से 2012 तक चली थी।
- 2017 में AATIP द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी सरकार के पास UFO से प्राप्त मिश्र धातु और अन्य वस्तुएं हैं जो अज्ञात ग्रहों के हैं।
- वर्ष 1968 में कनाडाई राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने UK, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस के लगभग 750 अज्ञात दृश्यों की जांच के बाद रिपोर्ट में कहा गया कि इन सभी अज्ञात उड़ानों का म्युचुअल UFO नेटवर्क अमेरिका के कोलोराडो से जुड़े हुए लगते हैं।

## भारत में UFO

- भारत में UFO का देखा जाना भारत के संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं रहा है।
- हालांकि TV युग से पहले वर्ष 1967 में लेखक निर्देशक सत्यजीत के द्वारा लिखित 'द एलियन' नामक स्क्रिप्ट में एक अज्ञात सांसारिक प्राणी का वर्णन किया गया है जो पृथ्वी पर आता है।
- एलियन पर बनने वाली एक और प्रारंभिक तमिल फिल्म 1963 में 'कलाई आरसी' थी।

## UFO, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय

- वर्ष 2022 में अमेरिकी कांग्रेस में अमेरिकी स्पेस में देखे गए सैकड़ों अस्पष्टीकृत दृश्यों की जांच संबंधी पहली बार चर्चा हुई।
- इस चर्चा के दौरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों और समुद्रतटों के पास देखी जाने वाली अज्ञात उड़ान संबंधी दृश्यता पर चिंता व्यक्त की गई।
- 2021 की एक सरकारी रिपोर्ट में अमेरिकी स्पेस में रहस्यमय 144 विमानों या अन्य उपकरणों को रहस्यमय गति या प्रक्षेप पथ पर उड़ने की जानकारी दी गई।
- इस चर्चा में दोनों प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों ने UFO को एक राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का विषय बताया।



### क्या UFO अमेरिकी कार्यक्रम का हिस्सा है?

- इसी सुनवाई के दौरान सेनानिवृत्त अमेरिकी वायु सेना के मेजर डेविड गुश ने गवाही देते हुए कहा कि अमेरिका लंबे समय से UFO संबंधी कार्यक्रम को संचालित कर रहा है।
- मेजर डेविड गुश ने अपने सनसनेखी खुलासे में कहा कि अमेरिकी सरकार को वर्ष 1930 से ही गैर मानवीय गतिविधि कार्यक्रम की जानकारी है।
- हालांकि पेंटगन ने डेविड गुश के दावों का पूरी तरह से खंडन करते हुए कहा कि अमेरिका में इस तरह का कोई कार्यक्रम अस्तित्व में नहीं है।

### Notes:-



# संथाली विद्रोह एवं संथाली जनजाति



## चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में 30 जून को संथाल हूल विद्रोह की शुरुआत की 169 वीं वर्षगांठ मनाई गई।
- 30 जून 1855 को शुरू होने वाला संथाल टूल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक उपनिवेशों के खिलाफ पहले किसान विद्रोह में से एक था।
- हालांकि संथालों ने अपने जीवन की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की सुरक्षा के प्रयास के लिए ऊंची जातियों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ भी लड़ाइयां लड़ी जिन्हें 'दिकु' नाम से वर्णित किया गया है।

## संथाल जनजाति

- संथाल भारतीय उपमहाद्वीप का ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषी 'मुंडा' नामक जातीय समूह है।
- विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा बोलने वाले यह समूह संभवतः 2000 से 1500 ई पूर्व के बीच में इंडोचीन से ओडिसा के तट पर आए।
- तत्पश्चात यह जनजातीय समूह दक्षिण पूर्व एशिया में फैलकर स्थानीय भारतीय आबादी के साथ घुल-मिल गया।
- हालांकि संथाल लोककथाओं के अनुसार संथालों की मातृभूमि झारखंड के हजारीबाग जिले के 'अहुरी' क्षेत्र को बताया गया है जहां से ये छोटा नागपुर पठार, मालदा, पाटकुम और सौत में फैल गए।
- डाल्टन के अनुसार इन्हीं स्थानों पर इनका नाम बदलकर खखार समूह से संथाल कर दिया गया।
- 1795 ईस्वी में संथालों ने ऐतिहासिक अभिलेखों में अपना नाम संतूर के रूप में दर्ज कराया।
- वर्तमान में संथाल जनजातीय समूह जनसंख्या की दृष्टि से मुख्य रूप में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम और त्रिपुरा राज्य में पाए जाते हैं।
- संथाल जनजाति समूह झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है।
- भारत के अलावा बांग्लादेश और नेपाल में भी इनकी अच्छी खासी आबादी है।
- संथाल जनजातीय समूह के लोग संथाली भाषा बोलते हैं।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में संथाली जनजातीय समूह की कुल संख्या लगभग 7.5 मिलियन है।

## संथाल हूल विद्रोह

### पृष्ठभूमि

- औपनिवेशिक शासन काल के दौरान संथाली जनजातीय समूह मुख्य रूप से स्वर्ण रेखा नदी के किनारे फैले हजारीबाग और मेदिनीपुर क्षेत्र में निवास करते थे जो बंगाल प्रेसीडेंसी के अंतर्गत आता था।
- 1770 में आए बंगाल में भयंकर अकाल के कारण संथालों का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ क्योंकि ये अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि एवं वन उत्पादों पर निर्भर थे।
- वर्ष 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्तमान झारखंड के दामिन-ए-कोह क्षेत्र का सीमांकन करते हुए इस क्षेत्र में पहले से मौजूद 'पहाड़ियां जनजाति' को जंगलों को साफ करके कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- हालांकि 'पहाड़ियां जनजातीय' समूह में ईस्ट इंडिया कंपनी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जिसके कारण अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में संथालों को बसने एवं कृषि कार्य करने के लिए आमंत्रित किया।
- अंग्रेजों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि तथा आर्थिक सुविधाओं के वादे से प्रोत्साहित होकर बड़ी संख्या में संथाल जनजातीय समूह दामिन-ए-कोह क्षेत्र के घालभूम, मानभूम, हजारीबाग और मिदनापुर के क्षेत्र के आस-पास आकर बस गए।
- 1830 से 1850 के बीच इस क्षेत्र में संथालियों की जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से 3000 से बढ़कर 83 हजार हो गई।
- राजस्व के वृद्धि के साथ ही इस क्षेत्र में महाजन, जमींदार, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियोजित उधारदाताओं एवं अन्य विचौलिये का प्रभाव बढ़ गया।
- कई संथालियों द्वारा महाजन, जमींदार एवं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियोजित उधारदाताओं द्वारा उच्च दरों पर ऋण लिया गया था जिसे चुकाने में असमर्थता के कारण उनकी जमीनें जबरन छीन ली गईं तथा उन्हें बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाने लगा।

## विद्रोह की शुरुआत

- ईस्ट इंडिया कंपनी की उपरोक्त राजस्व प्रणाली, सूदखोरी, जमींदारी प्रथा से तंग आकर चार संथाल भाइयों सिददों, कान्हो, चांद एवं भैरव मूर्मों ने अपनी दो बहनों फूलों और झानो के साथ अंग्रेजों के खिलाफ 30 जून 1855 को विद्रोह का ऐलान कर दिया।
- अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के ऐलान के साथ लगभग 60 हजार संथाली मुर्मू भाइयों के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई के लिए आगे आए।
- विद्रोह की घोषणा के तुरंत बाद ही संथालियों ने मुर्मू भाइयों के नेतृत्व में अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर जमींदारों, सूदखोरों एवं साहूकारों पर हमला बोल दिया।
- मुर्मू भाइयों ने इस विद्रोह के दौरान समानांतर सरकार चलाने के लिए लगभग दस हजार संथालों की एक अलग टीम सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में तैयार की गई जिसका मुख्य उद्देश्य संथाल बाहुल्य क्षेत्र में खुद का कानून बनाकर तथा लागू करके टैक्स एकत्र करना था।



- विद्रोह को दबाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक छोटी सैन्य टुकड़ी भेजी गई लेकिन शस्त्र संधालों की भीड़ एवं आक्रोश देखकर वे वापस आ गए।
- तत्पश्चात् इस उग्र विद्रोह को दबाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय जमींदारों एवं मुर्शिदाबाद के नवाब के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सैन्य दल को भेजा गया।
- संधाली जो गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे कि अंग्रेजी सैन्य बलों के साथ कहलगांव, सूरी, रघुनाथपुर और मुंकटोरा जैसे क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में खूनी झड़प हुई।
- इस विद्रोह में संधालों को गैर-आदिवासियों का भी साथ मिला जिसने विद्रोह के दौरान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विद्रोहियों को सूचना एवं हथियार उपलब्ध कराने का काम किया।
- संधालियों ने इस विद्रोह में अंग्रेजों का सामना काफी वीरता से किया लेकिन सिद्धू एवं कान्हू मुर्मू की अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तारी के बाद 3 जनवरी 1856 को यह विद्रोह समाप्त हो गया।
- लगभग सात महीने चलने वाले इस विद्रोह में करीब 15 हजार से अधिक संधाली मारे गए एवं 10 हजार से अधिक संधालियों के गांव नष्ट कर दिए गए।
- अंग्रेजों ने 9 अगस्त 1855 को सिद्धू मुर्मू एवं फरवरी 1856 में कान्हू मुर्मू को फांसी दे दी।

### एसपीटी एक्ट

- एसपीटीएस सीएनटी एक्ट (Santhal Pargana Act - SPT) या संधाल परगना कियारेदारी अधिनियम - 1876, अंग्रेजों द्वारा अधिनियमित एक कानून था जो संधाली हूल विद्रोह के परिणामस्वरूप आया।
- यह कानून आदिवासी भूमि (ग्रामीण या शहरी) को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है।
- इस अधिनियम के तहत संधालों को अपनी भूमि पर स्वशासन का अधिकार दिया गया।

### सीएनटी एक्ट

- सीएनटी एक्ट यानि छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम - 1908 अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ी गई मुंडा विद्रोह के बाद लाया गया।
- इस अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर की अनुमति से कुछ भौगोलिक क्षेत्र के भीतर आदिवासियों को अपनी समूह में ही भूमि हस्तांतरण की अनुमति देता है।
- इस अधिनियम के तहत आदिवासी और दलितों की भूमि का गैर-आदिवासी समूहों को बिक्री पर रोक लगा दी गई।

### अन्य जनजातीय विद्रोह

- पाइका विद्रोह (1817)
- भील विद्रोह (1818)
- कोल विद्रोह (1831-32)
- खासी विद्रोह (1827-33)
- पागलपंथी विद्रोह (1825-50)
- कच्छ का विद्रोह (1819-31)
- रामोसी विद्रोह (1825-26 एवं 1839-41)
- मुंडा विद्रोह (1899-1900)
- अहोम विद्रोह (1828-33)

### संधालों की बहुलता वाले राज्य

- झारखंड (27.52 लाख)
- पश्चिम बंगाल (25.12 लाख)
- उड़ीसा (8.94 लाख)
- बिहार (4.06 लाख)
- असम (2.13 लाख)

### Notes:-

# RBI का हालिया रोजगार सम्बन्धी रिपोर्ट एवं भारत सरकार की प्रमुख रोजगार योजना



## चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रोजगार संबंधी एक आंकड़ा जारी किया है।
- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023-24 में देश में रोजगार लगभग 6% बढ़ाने की बात कही गई है जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के रोजगार वृद्धि लगभग 3.2% थी।
- उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक द्वारा देश के रोजगार संबंधी रिपोर्ट 'सिटी ग्रुप इंडिया' द्वारा जारी रोजगार संबंधी शोध रिपोर्ट के कुछ दिन बाद आया है जिसमें कहा गया था कि भारत अपनी 7 प्रतिशत के विकास दर के बावजूद रोजगार के समुचित अवसर पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

## क्या कहता है RBI की रिपोर्ट रिपोर्ट का आधार

- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा उद्योग स्तर पर भारत की रोजगार की उत्पादकता को जानने के लिए KLEMS डेटाबेस के माध्यम से संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था सहित 27 उद्योगों को शामिल किया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के KLEMS डेटाबेस का तात्पर्य K से पूंजी, L से श्रम, E से ऊर्जा, M से सामग्री एवं S से सेवाएं हैं।
- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इस KLEMS डेटाबेस में व्यापक क्षेत्रीय स्तरों (कृषि, विनिर्माण और सेवाएं) सहित अखिल भारतीय स्तरों के आकलन के आधार पर यह आंकड़ा जारी किया है।

## आंकड़े

- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 9 जुलाई को जारी रोजगार संबंधी आंकड़े में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में देश में रोजगार के अवसर में दोगुनी वृद्धि हुई है।
- 2023-24 के पूर्ण वित्त वर्ष में लगभग 4.67 करोड़ नौकरियों में वृद्धि के साथ भारत में कुल कार्यबल बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में देश के कुल कार्यबल 59.67 करोड़ थी।
- इस आंकड़े में बताया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश में लगभग 7.8 करोड़ नौकरियों में वृद्धि हुई थी।

## देश में रोजगार के अवसर पर क्या कहता है सिटी ग्रुप रिपोर्ट

- रोजगार संबंधी शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनसांख्यिकी वृद्धि को देखते हुए भारत अपने 7 प्रतिशत जीडीपी (GDP) वृद्धि के साथ भी अगले दशक तक पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजन करने में सक्षम होता नहीं दिख रहा है।
- दिग्गज बैंकिंग कंपनी सिटी ग्रुप ने अपने रिपोर्ट में कहा कि हालांकि भारत में आधिकारिक बेरोजगारी दर सिर्फ 3.2% है लेकिन वर्तमान समय में नौकरियों के गुणवत्ता, संभावित अल्परोजगार एवं रोजगार के अवसरों का सृजन एक गंभीर मुद्दा है।
- सिटी ग्रुप के रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कुल रोजगार का लगभग 46% हिस्सा कृषि से संबंधित है जबकि कृषि क्षेत्र का भारत के जीडीपी में योगदान लगभग 20% से भी काम है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय जीडीपी में अधिक योगदान देने वाले विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार तुलनात्मक रूप से कम है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल कार्यबल का सिर्फ 21% लोगों के पास 'वेतनभोगी' नौकरी है जो पूर्व कोविड काल के 24% से भी काम है।
- रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी लगभग 67% रही जो धीमी ग्रामीण से शहरी प्रवासन की प्रक्रिया को दर्शाता है।
- सिटी ग्रुप के इस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्तमान हालात में देश में केंद्र सरकार को लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियों को भरे जाने की जरूरत है तथा अगले दशक तक प्रत्येक वर्ष 1.2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की जरूरत है।

## नवीनतम PLFS रिपोर्ट

- सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) ने मई 2024 में त्रैमासिक (जनवरी-मार्च) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS, Periodic Labor force survey) बुलेटिन जारी की।

## सर्वे के प्रमुख बिंदु

- PLFS के इस सर्वे में कहा गया कि मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.8% से घटकर 6.7% हो गई।
- महिला बेरोजगारी दर 2023 के 9.2% से घटकर वर्ष 2024 में 8.5% हो गई। शहरी क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि (22.7% से बढ़कर 25.6%)
- शहरी क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी 2023 के 48.5% से बढ़कर 50.2%
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) को वर्ष 2017 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा शुरू किया गया था जो प्रत्येक तीन महीने के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR), बेरोजगारी दर (UR) आदि का विवरण प्रस्तुत करती है।
- 15 मई 2024 तक PLFS की यह अब तक की 22 वीं बुलेटिन है।

## भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख रोजगार सृजन योजनाएं

### 'आत्मनिर्भर भारत' रोजगार योजना

- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत 12 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए शुरू किया गया था।
- इस योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ पंजीकृत करके एक हजार तक के रोजगार देने वाले कंपनी को शामिल किया जाना है जिसमें कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के अंशदान जो लगभग 24% के बराबर है।
- यह योजना मुख्य रूप से 1000 या उससे अधिक कर्मचारी वाले कंपनियों के कर्मचारियों के EPFO भुगतान को कवर करती है।
- जुलाई 2023 तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 8 लाख कर्मचारियों को EPFO के अंतर्गत पंजीकृत करके रोजगार के अवसर का सृजन किया जा चुका है।

### प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

- 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, रोजगार सृजन के लिए संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) साथ पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- इस योजना के तहत भारत सरकार नए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत लाकर कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में नियोक्ताओं के पूर्ण योगदान का भुगतान करती है।

### राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना

- राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना को 20 जुलाई 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच किया गया।
- इस पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के नव युवाओं को रोजगार एवं कैरियर सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ निशुल्क ऑनलाइन कैरियर प्रशिक्षण देना है।

### प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान

- 20 जून 2020 को शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य तत्काल रोजगार उपलब्ध कराना है।

### पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

- पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत सितंबर 2014 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 15 से 35 साल के ग्रामीण युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा एक कौशल विकास योजना है।

### पीएम (PM) स्वनिधि योजना

- पीएम स्वनिधि योजना जिसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना भी कहा जाता है, जून 2020 में लॉन्च किया गया था।
- इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत के स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

### प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

- वर्ष 2008 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के तहत रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
- 2020-21 में इस कार्यक्रम को 13544 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
- इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों में एवं बेरोजगार युवाओं को ऋण सहायता प्रदान करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग की स्थापना से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।

### प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गैर कृषि, गैर कॉपरेट लघु-सूक्ष्म उद्योगों के 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना है।

### उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन योजना

- उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मार्च 2020 में राष्ट्रीय विनिर्माण को बढ़ावा देने एवं 60 लाख नई नौकरियों को पैदा करने के उद्देश्य से 14 प्रमुख उत्पादन से जुड़ी क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई।



### Notes:-

# US Japan सैन्य संबंध और Indo-Pacific Area



## हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में जापानी विदेश मंत्रालय ने साफ लफ्जों में कहा है कि देश के अमेरिकी सैनिकों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- दरअसल पिछले कुछ महीनों में US आर्मी द्वारा जापानी महिलाओं के साथ बलात्कार की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें कुछ दिन वर्ष पूर्व एक नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला भी शामिल है।
- दरअसल जापान के पास पूर्ण सैनिक प्रणाली नहीं है और वह बाह्य सुरक्षा के लिए US आर्मी पर निर्भर है तथा जापान में भारी संख्या में US आर्मी मौजूद है, जिनके द्वारा पिछले 25 वर्ष में बलात्कार के 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।

## US Army और मानवाधिकार उल्लंघन

- वियतनाम युद्ध के दौरान भीषण अमानवीय व्यवहार,
- युद्ध के दौरान 5 करोड़ लीटर से ज्यादा रासायनिक शाकनाशी का इस्तेमाल, जिसका उद्देश्य वियतनाम के लोगों के आहार श्रृंखला को बाधित करना था। 'ऑरेंज फैक्टर' के द्वारा रसायनों का छिड़काव
- ह्यूमन राइट वाच ने पूर्व में US Army पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अफगानिस्तान में भी कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन किया।
- इराक पर आक्रमण के बाद US सैनिकों ने वहां भी मानवाधिकार की धज्जियां उड़ा दी, जिसका जिक्र कई रिपोर्ट में की गई।

## जापान में US सेवक

- WW-II के बाद, जापान के आत्मसमर्पण के बाद US आर्मी ने जापान में सैन्य अधिग्रहण किया।
- कई सरकार गठित होने तक US आर्मी का जापानी सैन्य किसानों पर आधिपत्य रहा।
- मित्र राष्ट्रों की दबाव में जापान की नई सरकार ने भी विसैन्यीकृत जापान का निर्माण किया।
- वर्ष 1947 में जापानी सरकार ने No armed force clause के साथ संविधान अपनाया।

## ओकिनावा का विवाद

- वियतनाम युद्ध के दौरान जापानी सैन्य ठिकाने का US द्वारा इस्तेमाल, अमेरिका में US सैन्य का प्रमुख अड्डा,
- US के 62% सैन्य ठिकाने ओकिनावा में
- US के सैन्य प्रसार के खिलाफ ओकिनावा में कई बार दंगा एवं विद्रोह
- सिर्फ ओकिनावा प्रांत में 1972-2009 के बीच अमेरिकी सैनिकों पर 5500 से ज्यादा अपराधों का आरोप, जिसमें मर्डर, बलात्कार, आगजनी आदि शामिल

## जापान की मजबूरी

- आंतरिक विद्रोह, अमेरिकी सैनिकों की मनमानी एवं सैन्य सेवा के बदले US को भारी रकम चुकाये जाने के दबाव के बावजूद जापान USA को सैन्य सेवा समाप्त करने के लिए नहीं कह सकता है, इसके कुछ प्रमुख कारण निम्न है-

  1. लगातार गिरती युवा आबादी
  2. युवाओं की सैन्य भर्ती के लिए अनिच्छा
  3. खुला प्रशांत महासागरीय क्षेत्र
  4. चीन रूस एवं उत्तर कोरिया के गठबंधन का क्षेत्र में बढ़ता वर्चस्व
  5. तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते शांति सुरक्षा बनाए रखना
  6. सैन्य सेवाओं पर खर्च के बजाय अन्य आर्थिक क्षेत्र में निवेश की इच्छा

## US जापान गठबंधन क्षेत्र की जरूरत

- हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, जिन्हें इंडो Indo-Pacific region कहा जाता है, में दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध निम्न मायनों में महत्वपूर्ण है-

  1. चीन के अतिक्रमण नीति को संतुलित करना,
  2. उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच तनाव को नियंत्रित करना,
  3. चीन रूस North korea के बढ़ते सामरिक रिश्तों एवं प्रभाव को नियंत्रित करना

  - USA का Middle east में प्रभुत्व में कमी आई है, अतः वह Indo-Pacific में स्थिति मजबूत बना रखना चाहेगा।

## QUAD जैसे संगठन के लिए महत्वपूर्ण

### जापान का बदलता कूटनीतिक स्वरूप

- विगत कुछ वर्षों में जापान ने अपनी कूटनीति एवं सैन्य नीति में बदलाव प्रदर्शित किया है, जिसके निम्न कारण हैं:
- उत्तर कोरिया का रवैया –
- उत्तर कोरिया में तानाशाही राजतंत्र है, जो किम जोंग के नेतृत्व में लगातार परमाणु एवं वैचेसविक हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है।
- इसके अलावा यह मिसाइल परीक्षण के दौरान जापानी सीमा का अतिक्रमण करता रहा है।
- दक्षिण कोरिया एवं जापान की निकटता के एवं N-S कोरिया का तनाव

## चीन का अतिक्रमण वादी सोच

1. चीन का क्षेत्र में लगातार बढ़ता वर्चस्व
2. सेनकाकू द्वीप, दोनों के बीच तनाव का कारण
3. पूर्वी चीन सागर में विभिन्न मुद्दों पर तनाव

## अमेरिकी गारंटी की अनिश्चितता

### अमेरिकी सैनिकों की मनमानी

- अमेरिकी प्रशासन का एशियाई क्षेत्र में भटकता ध्यान, जो Middle-east में उत्पन्न स्थितियों के कारण हुआ है।
- डोनाल्ड ट्रंप ने जापान से US आर्मी की सेवा के बढ़ते 8 बिलियन USD की मांग की थी जिसे जापान चुका रहा है।
- साथ ही USA की अतिरिक्त नीतियां, जैसे अफगानिस्तान में इराक में सैन्य वापसी तथा वर्तमान में यूक्रेन के साथ किया जा रहा व्यवहार।

### आंतरिक स्थिति

- नई पीढ़ी के लोग जापान को सैन्य मामले में आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं। बदलते सामरिक एवं रणनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक दौर में सैन्य मामलों में दूसरे देश पर निर्भर रहना औचित्य एवं देशहित के समक्ष बाहर

### जापान द्वारा सैन्यीकरण के प्रयास

1. 1960-2020 तक जापान के GDP का मात्र 1% सैन्य सेवाओं पर खर्च करने की सीमा को समाप्त कर दिया गया है तथा वर्ष 2027 तक जापान कुल GDP का 2% सैन्य सेवाओं पर खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है।
2. लगातार कूज़ मिसाइल सहित अन्य घातक हथियारों के विकास पर बल

### QUAD संगठन का सक्रिय सदस्य

1. USA एवं भारत सहित अन्य देशों के साथ नियमित सैन्य अभ्यास
2. GCAP अर्थात Global Combat Air Programme के तहत UK, इटली के साथ 6th पीढ़ी के लड़ाकू विमान को 2035 तक तैयार करने की रणनीति।
3. Indo-pacific क्षेत्र में स्वतंत्र राजनीति एवं रणनीति को बढ़ावा
4. प्रशांत महासागरीय द्वीपों के साथ बनाए गए प्रशांत द्वीप फोरम का अगुआ।
5. रूस यूक्रेन युद्ध में NATO देश के साथ सहयोग की भावना को बढ़ावा

## भारत के लिए महत्व एवं चुनौतियां

- जापान की बढ़ती सैन्य शक्ति एवं मजबूत US-जापान गठबंधन भारत के लिए महत्वपूर्ण है:-
- Indo-pacific की सुरक्षा के लिए
- चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए
- भारत जापान द्विपक्षीय व्यापार, सामरिक रणनीति एवं राजनीतिक तथा क्षेत्रीय भावना में मजबूती
- जापान भारत में बहुत बड़ी मात्रा में ऋण एवं निवेश उपलब्ध करवाता है, ऐसे में मजबूत जापान भारतीय हितों के लिए सकारात्मक परिणामों वाला रहेगा।
- भारत जापान के बीच JIMEX (नौसेना), मालाबार अभ्यास (नौसेना), धर्म गार्जियनधन (थल सेना), वीर गार्जियन (वायु सेना) एवं शिन्सू मैत्री (वायु सेना) सैन्य अभ्यास नियमित रूप से होता है।

## भारत के लिए चुनौती

- US जापान गठबंधन का एक विरोधी रूस भी है, ऐसे में US जापान गठबंधन से नजदीकियां रूस को भारत से दूर कर सकता है।
- रूस पहले भी QUAD के प्रति विरोध जता चुका है।
- Indo-pacific क्षेत्र में शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।
- आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए भारत को रूस, जापान, USA, चीन एवं उत्तर कोरिया जैसे देशों से रिश्ते सामान्य बनाए रखने होंगे।
- चीन रूस नॉर्थ कोरिया ज्यादा आक्रामक रवैया अपना सकते हैं।

## आगे की राह

- भारत द्वारा कूटनीतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक महत्व को बढ़ावा देते हुए शांत Indo-pacific की दिशा में प्रयास करना चाहिए।
- भारत को गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखते हुए अपने साझेदारों से बेहतर संबंध बनाए रखना चाहिए।



## Notes:-

# सेनगोल और रामानाद साम्राज्य



## चर्चा में क्यों ?

- पिछले वर्ष 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में तमिलनाडु का ऐतिहासिक राजदंड 'सेनगोल' को स्थापित किया था।
- 18 वीं लोकसभा के पहले सत्र पर समाजवादी सांसद 'सेनगोल' को राजतंत्र की पहचान बताकर इसे संविधान को बचाने के लिए संसद से हटाने की मांग की है।

## क्या है सेनगोल ?

- 'सेनगोल' को तमिल शब्द 'सेम्माई' से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ 'धार्मिकता' है।
- 'सेनगोल' या चेन्कोल को तत्कालीन मद्रास (वर्तमान में चेन्नई) के जौहरी बुम्निडी बंगारू चेटी के द्वारा तैयार किया गया था।
- 'सेनगोल' सोने की परत चढ़ा हुआ एक हस्त निर्मित राज दंड है जिसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट है।
- 'सेनगोल' का ऊपरी व्यास लगभग 3 इंच और नीचे का व्यास लगभग 1 इंच है जिसके शीर्ष पर भगवान शिव का पवित्र बैल नंदी का चित्र है।
- यह एक लकड़ी के डंडे में किए गए कलाकृति के रूप में है।

## ऐतिहासिक महत्व

- 'सेनगोल' को मद्रुरै राजवंश के दौरान एक शाही राजदंड शक्ति से जुड़े प्रतीक के रूप में जाना जाता था।
- इसके अलावा इसे धार्मिकता, न्याय और अधिकार के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता था।
- मद्रुरै राजवंशों के दौरान इस 'सेनगोल' को महत्वपूर्ण अवसरों पर मद्रुरै मंदिर के देवी मीनाक्षी के सामने रखा जाता था।
- इसके उपरांत 'सेनगोल' को एक 'दैवीय प्रतीक' के रूप में राजा के सिंहासन कक्ष में रखा जाता था जहां यह राजा की भूमिका का प्रतिनिधित्व करता था।
- ऐसा माना जाता है कि 17 वीं शताब्दी के दौरान रामनाद के सेतुपतियों ने जब पहली बार राजा का दर्जा प्राप्त किया तो उन्हें यह 'सेनगोल' रामेश्वरम मंदिर के पुजारियों द्वारा एक अनुष्ठानिक प्रतीक के रूप में दिया गया।
- अतः 'सेनगोल' को इसके ऐतिहासिक सन्दर्भ के अनुसार 'धार्मिक राजत्व' के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया।

## आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार 'सेनगोल'

- गृहमंत्री अमित शाह ने 'सेनगोल' को ब्रिटिश से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक बताया।
- आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के दौरान आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू की सत्ता हस्तांतरण को एक समारोह के रूप में मनाए जाने की पेशकश की।
- इसी पेशकश के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण समारोह के रूप में नवगठित राष्ट्र को "चोल राजवंश की परंपरा" का पालन करने का सुझाव दिया।
- चोल राजवंश के दौरान सत्ता हस्तांतरण के लिए राजा द्वारा उसके उत्तराधिकारी को 'सेनगोल' सौंपकर नवनिर्वाचित शासक को अपनी प्रजा पर 'निष्पक्ष और न्यायपूर्ण' शासन करने का आदेश दिया जाता था।
- आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार सी राजगोपालाचारी को यह राजदंड तमिलनाडु के तंजौर जिले से 'तिरुवदुथुराई एथेनम' मठ से प्राप्त हुआ।
- जिसके बाद इस 'सेनगोल' को पुनः सुसज्जित करने का काम जौहरी बुमिडी बंगारू चेटी को दिया गया।
- 14 अगस्त 1947 को दिल्ली में आयोजित सत्ता हस्तांतरण समारोह के दौरान तमिलनाडु से अधीनम (पुजारियों) ने तंजौर नदी के पवित्र जल को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर छिड़ककर उनके हाथों में 'सेनगोल राजदंड' सौंपा जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया।

## क्या सत्ता हस्तांतरण समारोह आधिकारिक रूप में दर्ज है ?

- भारतीय संस्कृति मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार 'टाइम पत्रिका' की 25 अगस्त 1947 की अंक में इस समारोह का जिक्र किया गया था।
- हालांकि भारतीय संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि तत्कालीन समय में देश विभाजन के कारण हुए सांप्रदायिक हिंसा के कारण सेनगोल समारोह के लिए औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया था, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप यह समारोह भारत की संस्थागत स्मृति से गायब हो गया।

## सेतुपति

- सेतुपति मुख्य रूप से तमिलनाडु के रामनाथपुर और शिवगंगा जिले के मारवार समुदाय के मूल निवासी तमिल कबीले के रूप में जाना जाता है।
- 5 वीं शताब्दी के दौरान मारवार वंश रामनाथस्वामी मंदिर के संरक्षक के रूप में थे जिन्हें 'सेतु' कहा जाता था, जिसके बाद इनके द्वारा सेतुपति की उपाधि धारण की गई।
- 17 वीं शताब्दी के आरम्भ में मुथुकृष्णप्पा नायक ने सेतुपति की प्राचीन वंशावली को पुनर्स्थापित किया। जिसका मुख्यालय 'रामनाद' था।

- 1702 ई में रघुनाथ किलावन ने खुद को स्वतंत्र राजा के रूप में रामनाद का राजा घोषित किया।
- 1708 तक रघुनाथ किलावन ने रामनाद को शक्तिशाली रामनाद साम्राज्य में बदल दिया जो मारवार साम्राज्य के रूप में जाना जाता है।
- 1790 के दशक में रामनाद साम्राज्य को ब्रिटिश राज्य के दौरान रामनाद के राजा को हटा दिया गया एवं तत्कालीन रामनाद साम्राज्य के राजा की बहन मंगलेश्वरी नचियार रामनाद का शासक बना दिया गया।
- वर्ष 1803 में अंग्रेजों द्वारा रामनाद को जागीर देकर राज्य को जमींदारी में बदल दिया।
- तब से लेकर भारत की आजादी तक रामनाद पर रानी और उसके वंशजों का शासन रहा।
- वर्ष 1947 में भारत की आजादी के बाद भारत सरकार ने सभी जागीरें, रियासतों और संपत्तियों को भारत संघ में विलय कर दिया जिसके कारण 1949 में सभी शासकों ने अपने शासकीय अधिकार खो दिए।
- वर्ष 1971 में इन शासकों को दिया जाने वाला भत्ता 'प्रिवी पर्स' भी समाप्त कर दिया गया जिसके बाद रामनाद साम्राज्य के सभी अधिकार समाप्त हो गए।

### रामनाथस्वामी मंदिर


- रामनाथस्वामी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप के पास स्थित भगवान शिव को समर्पित देश के कुल 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में से एक है।
- इस मंदिर को रामेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
- हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने अपने लंका अभियान के दौरान रामसेतु नामक पुल को पार करने से पहले की थी।
- इस मंदिर का जीर्णोद्धार 12 वीं शताब्दी में 'पांड्या राजवंश' के दौरान किया गया था।
- द्राविड़ वास्तुकला शैली से बनाया गया यह मंदिर हिंदू धर्म के चार धर्मों में से एक है।



### Notes:-



# Research & Development (R&D) में निवेश और बजट



## बजट एवं R&D

- नया बजट पेश होने वाला है, ऐसे में यह समय अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए बजट में हिस्सेदारी की संभावित आवश्यकता को उजागर करता है।
- यह बजट R&D के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण हो सकता है, जिस प्रकार 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने ऊंची छलांग लगाई थी।
- पहले पीएम नेहरू से लेकर वर्तमान पीएम मोदी तक के वर्तमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश के महत्व की चर्चा की है।
- पंडित नेहरू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के प्रति समर्पित थे, एवं अंतरिक्ष अनुसंधान एवं परमाणु ऊर्जा जैसे सफल वैज्ञानिक उपकरणों को स्थापित करने का श्रेय उन्हें प्राप्त है।
- आजादी के बाद से अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा एवं रक्षा क्षेत्र में प्रगति देखी गई है लेकिन अन्य क्षेत्रों में कुछ विशेष विकास नहीं हुआ है।
- भारत बहुत पूर्व से R&D में कुल GDP के 2% व्यय करने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता रहा है, लेकिन भारत यह दाखिल नहीं कर पाया है।
- पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि 'हम विज्ञान क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टिकोण में पिछड़ रहे हैं एवं जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है उससे हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए।'

## तुलनात्मक दृष्टिकोण

- भारत का R&D पर खर्च GDP का 0.6-0.7%
- अमेरिका का खर्च 2.8%
- चीन का खर्च 2.1%
- इजराइल का खर्च 4.3%
- दक्षिण कोरिया का खर्च 4.2%
- उपरोक्त आंकड़े 'R&D व्यय पारिस्थितिकी तंत्र' रिपोर्ट, जो पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया जाता है, से लिए गए हैं।
- क्रय शक्ति क्षमता (PPP) के आधार पर चीन का R&D पर 527.5 बिलियन डॉलर
- PPP के आधार पर भारत का R&D पर व्यय 58.7 बिलियन डॉलर
- चीन में R&D क्षेत्र में 7,38,000 लोग कार्यरत, जबकि भारत में इस क्षेत्र में 1,58,000 लोग कार्यरत
- चीन PPP के मामले में R&D पर खर्च करने के मामले में USA के बाद दूसरे स्थान पर

## चीन से सीखने की जरूरत

- 1990 के दशक में चीन का R&D पर खर्च GDP का मात्र 0.7%, जबकि वर्तमान में 2.1%
- चीन की नीति 2050 तक बड़ी तकनीकी नवोन्मेष शक्ति बनने की
- 2018 में 15 मंत्रालय का पुनर्गठन
- 2023 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार

## प्रगति का क्षेत्र

- अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत की आश्चर्यजनक प्रगति,
- उदारतापूर्वक निवेश एवं अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा आयोग की मिली स्वायत्ता प्रगति की मुख्य वजह,
- परमाणु एवं अंतरिक्ष आयोग में प्रमुख वैज्ञानिक, राज्य मंत्री, पीएम के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव एवं वित्त सचिव आदि शामिल होते हैं, जिससे इन निकायों को नौकरशाही संबंधी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है।

## सरकारी बनाम निजी खर्च

- भारत में R&D पर होने वाले कुल खर्च में सरकार का हिस्सा 56%
- चीन में 15%
- जर्मनी में 14%
- UK में 7%
- जापान में 8%
- भारत ने उदार आयकर नीति के साथ निजी निवेश को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर कंपनियों ने इस नीति का दुरुपयोग किया।

## पूंजीगत व्यय

- भारत द्वारा R&D पर किए जा रहे कुल व्यय का 44% हिस्सा पूंजी विकास पर खर्च किया।
- R&D क्षेत्र में सरकार द्वारा अधिकांश व्यय भवन निर्माण एवं अचल संपत्तियों (भवन, भूमि) के अधिग्रहण पर कर रही है।
- चीन एवं UK द्वारा पूंजीगत निवेश 0% एवं USA द्वारा 0.2% किया जाता है।

## PM मोदी का विजन

- शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनाने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान
- विज्ञान के रहस्यों का पता लगाने एवं प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की शक्ति के दोहन में विशेष महत्व
- डिजिटल दुनिया में आर्थिक प्रगति के लिए R&D पर निवेश आवश्यक।

## उपाय

- शीर्ष वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाना
- सभी वैज्ञानिक संस्थाओं को 1 या 2 व्यापक निकायों में विलय
- आयोग एवं विभिन्न संस्थाओं के स्वायत्ता में वृद्धि
- निजी क्षेत्र द्वारा R&D में निवेश को बढ़ावा
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन कोष का उपयोग से निवेश को बढ़ावा
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं की शुरुआत
- भवन एवं अचल कंपनियों पर किए जाने वाले निवेश को R&D पर किए जाने वाले व्यय से अलग किया जाना
- राज्य सरकारों को GDP के 1 या 0.5% हिस्सा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन कोष के लिए रखे जाने की सलाह

## अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत

- वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना
- 1962 में ही थुम्बा भूमध्य सागरीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन निर्माण की शुरुआत 15 अगस्त 1969 को ISRO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना
- 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना
- सितंबर 1972 में ISRO को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया।
- अंतरिक्ष आयोग सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माता है।

## परमाणु ऊर्जा आयोग

- अगस्त 1948 में स्थापित
- 9 अगस्त परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना
- परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अधीन विभाग

## रिकॉर्ड बुक में निर्मला सीतारमण

- लगातार 7 बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्तमंत्री
- 7 में से 6 पूर्ण एवं 1 अंतरिम बजट, जो 2024 में आम चुनाव से पहले पेश किया गया था।
- इससे पूर्व लगातार 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम
- मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी. चिदंबरम एवं यशवंत सिन्हा के नाम लगातार 5 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड
- सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम, जिन्होंने 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया (लगातार 6 बा)
- पी. चिदंबरम 9, प्रणव मुखर्जी 8 बार के साथ क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर
- NOTE- स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्तमंत्री आर.के.शर्मा षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था।



## Notes:-

# इजरायल का Hannibal Protocol



## हालिया सन्दर्भ

- इजरायली समाचार पत्र हारेत्ज ने खुलासा किया है कि पिछले वर्ष जब हमास ने दक्षिणी इजरायल पर हमला किया था, तब इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने हनिबल या हैनिबल निर्देश को लागू कर दिया था।
- यह निर्देश IDF द्वारा अधिकतम बल प्रयोग किए जाने का एक साधन है, जिसके तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि कोई भी सैनिक दुश्मन द्वारा बंदी न बना लिया जाए, भले ही इस प्रक्रिया में सैन्य एवं नागरिक जीवन का बलिदान ही क्यों न करना पड़े।
- हनीबल निर्देश जिसे हनीबल प्रक्रिया का प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, का प्रयोग 7 अक्टूबर को (हमास के द्वारा हमले वाले दिन) तीन सैन्य ठिकानों में किया गया था, जहां हमास ने हमला किया था।
- हमास के उस हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गये थे, तथा 250 को हमलावरों द्वारा बंदी बनाकर गाजा ले जाया गया था।
- जवानी हमले में इजरायल-हमास के बीच हो रहे युद्ध में पिछले 9 महीनों में 38000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।

## हालिबल निर्देश

- यह एक प्रक्रिया है, जो कथित रूप से IDF के सैन्य कार्यवाही को प्रदर्शित करता है।
- इसका उद्देश्य किसी एक भी बंदी इजरायली सैनिक के आस-पास के सभी लोगों को तुरंत खत्म कर देना है, भले ही इसमें बंदी सैनिक के जीवन का बलिदान भी हो जाए।
- यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से लंबी एवं जटिल तथा घाटे के कैदी की अदला-बदली के सिद्धांत को रोकता है।
- कथित हैनीबल का सिद्धांत पूर्णतः प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन इसमें कहा जाता है कि 'बंदी बनाए जाने की स्थिति में मुख्य मिशन सैनिक को बंदी बनाने वालों से बचाना है, भले ही यह सैनिक की जान अथवा घायल होने की कीमत पर ही हो।'

## नामकरण

- इजरायली अधिकारियों के अनुसार यह नामकरण किसी विशेष कारण से नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया का नाम कार्थेजियन जनरल हैनिबल के नाम पर हुआ है, जिसे लगभग 181 BC में रोमनों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को देखते हुए खुद को मारने का निर्णय लिया था।

- हैनिबल, वर्तमान ट्यूनीशिया के कार्थेज सेना का जनरल था, जिसने अनोटोलिया में बिथानिया के राजा प्रूसियास प्रथम के यहां शरण ली थी।
- रोमनों ने प्रूसियास से हैनिबल को सौंपने के लिए मजबूर किया।
- जब हैनिबल को विश्वास हो गया कि अब वह बंदी बनाए जाने से नहीं बच पाएगा तो उसने स्वयं को जहर खाकर मार लिया।

## इजरायल द्वारा अपनाया जाना


- इस सिद्धांत को 1985 के जिब्रिल समझौते के जवाब में इजरायल द्वारा तैयार किया गया था।
- जिब्रिल समझौते में इजरायल को 3 बंदियों के बदले 1,150 फिलीस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ा था।
- इजरायल के तीन नागरिकों को सीरिया सहित स्थित उग्रवादी समूह 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ फिलीस्तीन द्वारा लेबनान में पकड़ा गया था।
- बंदियों के अदला-बदली का कार्य 1 वर्ष तक चला था, जिसका नाम उग्रवादी समूह के नेता अहमद जिब्रिल के नाम पर रखा गया था।
- इजरायल द्वारा छोड़े गये कैदियों में शेख अहमद यासीन भी शामिल था, जिसने 1987 में हमास की स्थापना की थी।
- इस प्रकार की अदला बदली इसराइल दोहराना नहीं चाहता था इसलिए यह सिद्धांत अपनाया गया।
- 1986 में जब हिज्बुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों को बंदी बनाने का प्रयास किया तो IDF के उत्तरी कमांड प्रमुख योसी पेलेड ने इसी प्रक्रिया के तहत ऑपरेशन का आर्डर दिया था।

## संसर्शप

- 2003 में जब इस प्रक्रिया के संबंध में अखबार द्वारा खुलासा किया जाने लगा तो इजरायल सैन्य संसर्शप ने इस संबंध में किसी भी प्रकाशन पर रोक लगा दी थी।
- इजरायल में इस सिद्धांत का विरोध नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि एक बंदी के रूप में सैनिक को उचित सम्मान नहीं मिलेगा।
- कानून विशेषज्ञ इसकी आलोचना इस संदर्भ में करते हैं कि इसमें मानव जीवन की उपेक्षा की जाती है।

## Notes:-

# High Seas Treaty या राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर समझौता



## हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में भारत सरकार ने सोमवार 8 जुलाई को महासागरीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नए अंतरराष्ट्रीय कानून हाई सीज संधि (High seas treaty) पर हस्ताक्षर करने और उसका अनुमोदन करने की बात कही है।
- ज्ञातव्य हो कि उच्च सागर संधि (High sea treaty) जिसे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से पड़े जैव विविधता पर समझौते (BBN), Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction) कहा जाता है, पर 20 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र के साप्ताहिक सम्मेलन के दौरान न्यूयॉर्क में हस्ताक्षरित किए गए थे।
- औपचारिक रूप से उच्च सागर संधि (High seas treaty) को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे महासागरीय एवं समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग का समझौता कहा जाता है।

## हाई सीज (उच्च सागर) क्या है ?

- उच्च सागर या High seas ऐसे दुनिया भर के ऐसे सागरीय एवं महासागरीय खारे पानी का हिस्सा है जो किसी देश के प्रादेशिक या आंतरिक जल का हिस्सा नहीं है।
- उच्च सागर संबंधित यह सिद्धांत वर्ष 1609 में डच न्यायविद ट्यूगो गोटियस ने दिया था।
- उच्च समुद्री यानी हाई सीज पर कानून बनाने के लिए सर्वप्रथम 1958 में 'जेनेवा' में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान उच्च समुद्रों के कानून को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया लेकिन यह सफल नहीं हो पाया।
- हालांकि वर्ष 1973 में न्यूयॉर्क शहर में उच्च समुद्री कानून को अंतिम रूप दिया गया।
- हालांकि वर्ष 1958 के 'जेनेवा' संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान ही हाई सीज यानी उच्च समुद्र को परिभाषित कर लिया गया था।
- हाई सीज को किसी देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) से 200 समुद्री मील (370 Km) से परे समुद्री क्षेत्र को हाई सीज के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- प्रत्येक देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) (370 Km से बाहर) से बाहर के क्षेत्र को उच्च समुद्री या अंतरराष्ट्रीय जल के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- उच्च समुद्र या अंतरराष्ट्रीय जल विश्व के कुल महासागरीय क्षेत्र का लगभग 64% (लगभग दो तिहाई) क्षेत्र बनाता है।

- उच्च समुद्री क्षेत्र में सभी देशों को समान रूप से नेविगेशन, ओवर फ्लाइट, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार होता है।

## हाई सीज संबंधित संकट

- चूंकि हाई सीज क्षेत्र किसी भी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में नहीं आता इसलिए इनके समस्याओं की जिम्मेदारी किसी की नहीं है।
- हाई सीज क्षेत्रों में विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे संसाधनों की अत्यधिक दोहन, प्लास्टिक के डंपिंग सहित प्रदूषण, समुद्र के अम्लीकरण, जैव विविधता की हानि सहित कई समस्याओं से यत्र क्षेत्र पीड़ित हो चुका है।
- संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 तक हाई सीज क्षेत्रों में लगभग 17 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक को डंप किया जा चुका था जिसे आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ने की संभावना जताई गई है।
- उच्च समुद्री क्षेत्र में विभिन्न देशों की मानव जनित गतिविधियों के कारण समुद्री जल की अम्लीकरण होने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है जो लगभग 2.7 लाख ज्ञात समुद्री प्रजातियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है।

## हाई सीज संबंधी अंतरराष्ट्रीय कानून

- वर्ष 1882 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान उच्च समुद्री क्षेत्रों के लिए 'समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (UNCLOS, United nations Convention on the Law of the Sea) के रूप में एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया गया।
- UNCLOS के तहत उच्च समुद्री क्षेत्रों के लिए वैध व्यवहार एवं इसके उपयोग के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार किया गया।
- UNCLOS की रूपरेखा के तहत ही क्षेत्रीय बल और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को परिभाषित किया गया।
- इसके अलावा UNCLOS समुद्री संसाधनों का सभी देशों के लिए न्यायसंगत पहुंच एवं उपयोग, समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सामान्य सिद्धांत भी निर्धारित करता है।
- इसी आधार पर वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNCLOS के तहत तैयार किए गए रूपरेखा को कानूनी रूप देने का निर्णय किया गया।

## ऐतिहासिक राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से पड़े जैव विविधता पर समझौता (BBNJ)

- राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर समझौता, UNCLOS के तहत एक समझौता है जिसे मार्च 2023 में न्यूयॉर्क में आयोजित एक अंतर सरकारी सम्मेलन के रूप में अंतिम रूप दिया गया।
- BBNJ संधि को 20 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क में इसे हस्ताक्षर के लिए खोला गया जो 2 साल तक यानी 20 सितंबर 2025 तक हस्ताक्षर के लिए खुले रहेंगे। विश्व के लगभग 91 से अधिक देशों ने अब तक इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं जबकि 8 से अधिक देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है।

## संधि का मुख्य उद्देश्य

- राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता पर समझौता (BBNJ) का मूल रूप से चार उद्देश्य हैं:-
- समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण
- समुद्री अनुवांशिक संसाधनों का उचित और न्याय संगत बंटवारा
- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संभावित रूप से प्रदूषण या नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियों का पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करके इसके उपचार का प्रबंध करना।
- विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को समुद्री प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण।

## संधि के अनुसंधान की प्रक्रिया

- किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू होने के लिए एक निश्चित न्यूनतम संख्या में देशों का अनुमोदन करना जरूरी होता है।
- BBNJ संधि को अंतरराष्ट्रीय कानून बनने के लिए 60 देशों का अनुमोदन प्रस्ताव चाहिए।
- 60 देशों के अनुमोदन के 120 दिन बाद यह संधि अंतरराष्ट्रीय कानून का रूप ले लेगी।
- संधि का अनुमोदन या अनुसमर्थन वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई देश संधि के तहत बनाए गए प्रावधानों को कानूनी रूप से मानने के लिए सहमत होता है।
- संधि का अनुमोदन करना और हस्ताक्षर करना दोनों एक दूसरे से भिन्न है।
- संधि पर हस्ताक्षर करना इस बात को दर्शाता है कि कोई देश संधि में उल्लेखित प्रावधानों से सहमत है तथा इसका पालन करने को तैयार है।
- प्रत्येक देश में अनुमोदन के लिए अलग-अलग प्रक्रिया है।
- ऐसे देश जहां संसद जैसी विधायी संस्थाएं हैं वहां आमतौर पर ऐसे अनुमोदन या अनुसमर्थन के लिए विधायिका की सहमति आवश्यक होती है।
- ऐसे विधायी संस्था वाले देशों के लिए संधि पर हस्ताक्षर करना आसान होता है जबकि अनुमोदन के लिए विधायी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है।
- ऐसे देश जहां संसद जैसी विधायी संस्थाएं नहीं हैं वहां इस प्रकार के अनुमोदन के लिए केवल कार्यकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- इस नए BBNJ संधि का अब तक 8 देशों में अनुमोदन किया है जबकि 91 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है।

## भारत के संबंध में

- भारत विश्व के अधिकांश देशों की तरह पिछले 20 वर्षों से BBNJ संधि को लागू करने एवं इसे अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने का पक्षधर रहा है।
- ऐसे में भारत द्वारा BBNJ संधि पर हस्ताक्षर एवं अनुमोदन करने का निर्णय समुद्री पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के इनकी सदियों पुरानी रुचि को दर्शाता है।



## Notes:-

# Health Sector में AI



## आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का तात्पर्य कंप्यूटर या कंप्यूटर के द्वारा संचालित रोबोट के द्वारा ऐसे कार्यों को करने की क्षमता से है जो सामान्यतः मनुष्यों के द्वारा संपादित किए जाते रहे हैं।
- AI ऐसे कार्यों को कर सकता है, जिसको किए जाने के लिए मानव जैसे बुद्धि एवं विवेक की जरूरत होती है।
- इन कार्यों में भाषा, पैटर्न को समझना एवं पहचानना एवं समस्याओं को सुलझाना आदि शामिल है।
- AI मानव से बहुत तीव्र गति एवं सटीकता से कार्य करने के सक्षम होते हैं।
- कंप्यूटर की शक्ति एवं बिग डेटा की सफलताओं ने इमेज एवं स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और ऑटोनोमस सिस्टम ने AI की क्षमताओं को बढ़ाने में योगदान दिया है।

## AI के समूह

### आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस (ANI)

- विशेष कार्यों को किए जाने के लिए डिजाइनीकृत
- सीमित दायरे, जैसे वर्चुअल अस्सिस्टेंट, इमेज रिकग्निशन आदि में मददगार
- ANI की प्रणाली अत्यंत विशिष्ट
- असंबंधित कार्यों में स्वयं को बदलने में असक्षम
- अमेजन का एलेक्सा एवं एप्पल का सिरी तथा नेटफ्लिक्स पर सिफारिश सिस्टम आदि।

### आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI)

- स्ट्रॉंग AI के रूप में पहचान
- मानव समान कार्य करने में सक्षम
- मानव हस्तक्षेप के बिना समस्या समाधान कर सकने में सक्षम
- ANI से ज्यादा जटिल प्रणाली
- स्वायत्त रूप से कार्य को सीखने, समझने में सक्षम
- सेल्फ ड्राइविंग कार बेहतरीन उदाहरण

### मशीन लर्निंग (ML)

- कंप्यूटर द्वारा बिना किसी विशेष प्रोग्राम अनुदेश के क्रम में डेटा का अनुकरण
- डेटा से सीखने में भविष्यवाणी करने में एल्गोरिथम को प्रशिक्षित करना शामिल

### डीप लर्निंग (DL)

- ML का ही एक उपसमूह
- बिग डेटा से स्वचालित रूप से सीखने के लिए कई परतों वाले न्यूरल नेटवर्क का उपयोग
- ML की तुलना में ज्यादा मात्रा में डेटा और कंप्यूटेशनल शक्ति की जरूरत मानव मस्तिष्क जैसे कृत्रिम तंत्रिका तंत्र (न्यूरल सिस्टम) का प्रयोग

### AI के प्रकार

#### सीमित मेमोरी AI

- पिछले घटनाओं के अनुकूल होने के साथ ही नवीन आंकड़ों के आधार पर स्वयं को अपडेट कर सकते में सक्षम
- मेमोरी की आवधिक क्षमता कम
- स्वचालित वाहन इसी AI प्रकार पर आधारित होते हैं, जो पिछले घटनाओं के आधार पर सड़क पर स्वयं को मार्गदर्शित करते हैं।

#### रिएक्टिव AI

- स्थिर होने के कारण समान इनपुट देने पर समान आउटपुट देने में सक्षम
- चेस (शतरंज) खेलने में प्रयोग होने वाली AI इसका उदाहरण

#### स्वयं जागरूक AI

- अपने मस्तिष्क के प्रति जागरूक
- अपने अस्तित्व के प्रति संवेदनशील, हालांकि वास्तविक अर्थों में AI में मानव जैसे संवेदनशीलता नहीं होती है।

#### थ्योरी-ऑफ-माइंड

- पिछले घटनाओं से सीखने, समझने एवं भविष्य में उनका प्रयोग किए जाने में सक्षम
- उन्नत चैट बॉट उदाहरण में शामिल
- ट्यूरिंग टेस्ट पास करने में सक्षम
- ट्यूरिंग टेस्ट, जांच की ऐसी प्रणाली है, जिससे इस तथ्य का पता लगाया जाता है कि क्या कंप्यूटर मानव-मस्तिष्क के जैसे सोचने-समझने में सक्षम है।

#### ऑगमेंटेड AI

- मानव बुद्धि के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की दक्षता को बढ़ाना वास्तविक अर्थों में AI के विपरीत, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्रौद्योगिकीय क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है।

#### स्वास्थ्य क्षेत्र में AI

- गैर संचारी रोगों (NCD) एवं संचारी रोगों (CD) दोनों के क्षेत्र में मददगार
- NCD एवं CD के रोकथाम, निदान, प्रबंधन एवं उपचार में कारगर
- कैंसर, मधुमेह एवं हृदय रोग जैसे स्थितियों में रोगों की पहचान करने, रोगी डेटा का विश्लेषण कर रोगों के निदान में सक्षम
- वास्तविक रूप में लक्षण प्रकट होने से पूर्व ही रोगों का पता लगाने में सक्षम

- उच्च रक्तचाप एवं अस्थिमा जैसे बीमारियों के संदर्भ में AI सिस्टम व्यक्तिगत उपचार के लिए दवा की खुराक एवं उपचार तैयार करने में सक्षम
- AI संचालित वेयरेबल (पहनने योग्य) डिवाइस एवं मोबाइल एप्प रियल टाइम स्वास्थ्य निगरानी करने में सक्षम
- विभिन्न डिवाइस अलर्ट जारी कर पुरानी बीमारियों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मददगार
- AI मॉडल रोग की प्रगति एवं परिणामों को पूर्वानुमान लगाने में सक्षम
- संक्रामक रोगों के संदर्भ में AI विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं यात्रा पैटर्न आदि का विश्लेषण कर पूर्वानुमान लगाने एवं निगरानी करने में सक्षम



## लाभ

- AI के माध्यम से रक्त के नमूनों का इमेजिंग के माध्यम से रोगाणुओं की जल्द एवं सटीक पहचान संभव
- AI विशिष्ट रोगाणुओं के खिलाफ प्रभावी रसायन यौगिक की भविष्यवाणी कर दवा निर्माण में सहायक, जिसमें एंटीबायोटिक्स एवं एंटीवायरस दवाओं के बनाए जाने में तीव्रता लाना संभव
- AI टेलीमेडिसिन द्वारा दूरस्थ निगरानी काफी मददगार
- स्वस्थ सेवा प्रणालियों की दक्षता बढ़ाने, लागत को कम करने एवं बेहतर परिणाम देने में सक्षम

## AI संचालित समाधान

### रोग का पता लगाना एवं निदान

- AI उच्च सटीकता के साथ एक्स-रे, MRI एवं CT स्कैन का विश्लेषण करने में सक्षम, जिससे कैंसर एवं TB जैसी बीमारियों का जल्द पता लगाना संभव
- AI फेफड़ों की गाँठें, स्तन कैंसर एवं मधुमेह रेटिनोपैथी की पहचान करने में सक्षम

### दवा की खोज एवं विकास

- विशिष्ट रोगों के लिए संभावित दवाओं का पता लगाने एवं उनकी कुशलता एवं प्रभाविता की पहचान करने में सक्षम है, जो दवाओं के विकास के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है।
- AI यह बताने में सक्षम है कि विशिष्ट दवा, किसी जैविक प्रणाली के साथ किस प्रकार का रिएक्शन करेगा, जिससे प्रयोगशालाओं के लागत एवं मानव घंटे को बचाया जा सकता है।
- AI दवाओं की लागत को उपरोक्त प्रक्रियाओं द्वारा कम कर देता है, जिससे रोग निदान एवं दवाओं की पहुंच तथा प्रभावी उपचारों की उपलब्धता में वृद्धि होती है।

### जोखिम मूल्यांकन

- AI रोग के प्रकोप, रोगी की स्थिति में गिरावट एवं दोबारा अस्पताल में भर्ती किये जाने की संभावना की भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं पहनने योग्य डिवाइस की मदद से रोगियों एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को निरंतर महत्वपूर्ण अपडेट देता रहता है।

### सटीक इलाज

- AI विशिष्ट रोगियों के लिए उसके अनुवांशिकी, पर्यावरणीय एवं जीवनशैली के आधार पर चिकित्सा व्यवस्था की तैयारी करता है।
- AI इस तथ्य का पता लगाने में सक्षम है कि विशिष्ट रोगी किसी विशिष्ट उपचारों पर क्या प्रतिक्रिया देगा, जिससे दवाओं एवं खुराकों को अनुकूलित किया जा सकता है।
- AI प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सक्षम है तथा नैदानिक देखभाल को बढ़ावा देता है।

## पहनने योग्य उपकरण

- उपकरणों के माध्यम से डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम, जिससे हृदय समस्याओं एवं स्लीप एपनिया जैसे स्वास्थ्य-विकारों का पूर्वानुमान लगाना संभव
- प्रारंभिक उपचार एवं पुरानी बीमारी की बेहतर प्रबंधन करने में मददगार
- वेयरेबल डिवाइस बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भी प्रभावी है, जो उनके गिरने या अन्य आपात स्थितियों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है।

## Notes:-

# BRICS



## चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड और मलेशिया ने ब्रिक्स (BRICS) समूह में शामिल होने की इच्छा प्रकट की है।
- पिछले महीने थाईलैंड में ब्रिक्स (BRICS) में अपने आपको शामिल करने के लिए अनुरोध किया था जबकि मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने जल्द ही ब्रिक्स (BRICS) में शामिल होने के औपचारिक प्रक्रियाएं शुरू करने की बात कही है।
- आसियान फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक पिति श्रीसंगम के अनुसार आसियान के सदस्य देशों के ब्रिक्स में शामिल होने से उनके व्यापार और निवेश के अवसरों में वृद्धि होगी।
- थाईलैंड और मलेशिया जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में एक शक्ति के रूप में देखा जाता है को ब्रिक्स (BRICS) जैसे समूह में शामिल होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज को उठाने और व्यापार तथा निवेश को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

## BRICS, ब्रिक्स क्या है ?

- ब्रिक्स (BRICS), विभिन्न देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है।
- ब्रिक्स (BRICS) विश्व की उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है जिसकी परिकल्पना वर्ष 2001 में अर्थशास्त्री 'जिम ओ नील' ने ब्राजील, चीन, भारत और रूस के लिए ब्रिक (BRIC) के रूप में की थी।

## गठन की शुरुआत

- 20 सितंबर 2006 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन की पहल पर पहली ब्रिक्स मंत्रीस्तरीय बैठक आयोजित की जिसमें रूस, चीन और ब्राजील के विदेश मंत्री सहित भारत के रक्षा मंत्री ने भाग लिया।
- 16 मई 2008 को रूस के 'येकातेरिनबर्ग' में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक बैठक की गई जिसमें सामयिक वैश्विक विकास पर आम सहमति के साथ एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई।
- 9 जुलाई 2008 को रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने टोक्यो (जापान) में G-8 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं चीनी राष्ट्रपति हू जिताओं के साथ बैठक में ब्रिक (BRIC) के औपचारिक गठन का एलान किया।
- 16 जून 2009 को रूस के 'येकातेरिनबर्ग' में पहले ब्रिक (BRIC) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें पारदर्शी, सक्रिय और वृद्धिशील तरीके से BRIC देशों के बीच सहयोग एवं संवाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

- वर्ष 2010 में इस अंतर-सरकारी संगठन में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद इस संगठन का नाम ब्रिक (BRIC) से ब्रिक्स (BRICS) कर दिया गया।
- ब्रिक्स (BRICS), B से भारत, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से दक्षिण अफ्रीका को संदर्भित करता है।

## BRICS की विशेषता

- संयुक्त रूप से BRICS के सदस्य देश दुनिया की कुल आबादी का 45% (लगभग 3.5 अरब) आबादी का प्रतिनिधित्व करती है।
- विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार संयुक्त रूप से BRICS के सदस्य देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य का 28% (लगभग 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) रखता है।
- BRICS देश के सदस्य देश संयुक्त रूप से विश्व के लगभग 44% कच्चे तेल का उत्पादन करता है।
- BRICS के सदस्य देश संयुक्त रूप से कुल वैश्विक व्यापार के 16% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है।

## BRICS के नए सदस्य

- BRICS में वर्तमान में कुल 11 देश शामिल हैं।
- BRICS के 5 मूल सदस्य देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के अलावे ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र और इथियोपिया को BRICS के दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15 वें शिखर सम्मेलन के दौरान BRICS के सदस्य देश बनने का आमंत्रण दिया गया था।
- BRICS में इन नए देशों की सदस्यता 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई है।

## चीन की मंशा BRICS, पश्चिमी विदेशी समूह बने

- हालांकि BRICS के सभी फैसले सर्वसम्मति से सभी देशों के साथ लिए जाते हैं लेकिन रूस खुद को पश्चिम का प्रतिद्वंद्वी ता है तथा चीन-अमेरिका संबंध ऐतिहासिक रूप से अपने निचले स्तर पर है ऐसे में BRICS समूह का हालिया विस्तार चीन एवं रूस की पश्चिमी देशों से प्रतिद्वंद्विता दिखाता है।
- हालांकि BRIC के अन्य मूल सदस्य देश ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत अमेरिका और यूरोप में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में है।
- ईरान को BRICS की सदस्यता, जिसकी पश्चिमी देशों में तनावपूर्ण संबंध है, में चीन और रूस का योगदान हो सकता है।
- चीन जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा खरीददार है ने हाल ही में सऊदी अरब के प्रतिद्वंद्वी ईरान के साथ शांति समझौता स्थापित कराया है।
- हालांकि सऊदी अरब पारंपरिक रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा है।
- मिस्र और इथियोपिया दोनों देशों के अमेरिका के साथ लंबे संबंध रहे हैं।
- चीन का मानना है कि ब्रिक्स (BRICS) एक पश्चिम विरोधी समूह बने लेकिन भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इसे एक 'गैर-पश्चिमी' समूह के रूप में बनाए रखना चाहता है।




## दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन ASEAN

- ASEAN यानि (Association of South-east Asian Nations) दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है।
- ASEAN दक्षिण-पूर्व एशिया के दस देशों का आर्थिक और राजनीतिक संघ है।
- आसियान जो पहले दक्षिण पूर्व एशिया संघ (ASA) के रूप में था, का गठन 31 जुलाई 1961 को हुआ जिसमें थाईलैंड, फिलिपींस और मलाया शामिल था।
- 8 अगस्त 1967 को आसियान (ASEAN) का गठन जिसमें 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर और थाईलैंड था।
- इसके बाद ब्रुनेई (1984), वियतनाम (1995), लाओस (1997), म्यांमार (1997) और कंबोडिया (1999) में ASEAN का सदस्य बना।
- दो देश पूर्वी तिमोर और पापुआ न्यू गिनी पर्यवेक्षक के रूप में आसियान के सदस्य हैं।
- आसियान के सभी सदस्य देश संयुक्त रूप से 600 मिलियन से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है एवं इसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 6.5% है।

## BRICS संबंधी अन्य तथ्य

- रूस अक्टूबर 2024 में BRICS की 16 वीं शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
- वर्ष 2014 में ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' की स्थापना की गई।



## Notes:-

# शुतुरमुर्ग - भारत में मिले हालिया अवशेष एवं प्रजाति



## हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की एक टीम ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41 हजार साल पुराना शुतुरमुर्ग (Ostrich) के घोंसले की खोज की है।
- पुरातत्वविदों की टीम के अनुसार इस घोंसले की चौड़ाई लगभग 9-10 फीट है, जिसमें अनुमानतः 9-11 अंडे रहते थे।
- हालांकि यह घोंसला एक बार में लगभग 30 से 40 अंडा रखने में सक्षम हो सकता था।
- पुरातत्वविदों की टीम ने जीवाश्मों के लिए प्रकाशम स्थल की जांच के बाद बताया कि यहां मिला शुतुरमुर्ग का यह घोंसला दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शुतुरमुर्ग का घोंसला है।
- शुतुरमुर्ग की सबसे पुरानी घोंसले की यह खोज भारतीय उपमहाद्वीप में विलुप्त 'मेगाफौना' के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है।

## क्या है मेगाफौना ?

- प्राणी विज्ञान (Zoology) के अनुसार मेगाफौना का तात्पर्य बड़े जानवरों से है।
- मेगाफौना शब्द का उपयोग आमतौर पर 50 Kg से अधिक वजन वाले जानवरों को वर्णित करने के लिए किया जाता है।
- 'मेगाफौना' शब्द का पहली बार उपयोग वर्ष 1876 में ब्रिटिश प्रकृतिवादी और खोजकर्ता अल्फ्रेड रसेल वालेस ने अपनी पुस्तक "द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स" में किया था।
- मेगाफौना जानवरों को उनके आहार प्रणाली के आधार पर तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-
- **मेगाहरबिबोर्स** :- ऐसे मेगाफौना जानवर जो सिर्फ पौधों और उनके उत्पाद आहार के रूप में ग्रहण करते थे।
- **मेगाकार्निवोर्स** :- ऐसे मेगाफौना जानवर जो मांस (Flesh) आहार के रूप में ग्रहण करते थे।
- **मेगाओम्निवोर्स** :- ऐसे मेगाफौना जानवर जो पौधे और मांस दोनों का उपयोग आहार के रूप में करते थे।
- इस आधार पर शुतुरमुर्ग को 'मेगाओम्निवोर्स' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसका वजन लगभग 90 से 140 किलोग्राम के बीच तथा ऊंचाई लगभग 7 से 9 फीट के बीच होती है।

## भारतीय उपमहाद्वीप में शुतुरमुर्ग के जीवाश्म की अन्य खोज

- वर्तमान में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में हुई शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज 41 हजार वर्ष पहले दक्षिणी भारत में शुतुरमुर्ग की मौजूदगी साबित करती है।
- भारतीय उपमहाद्वीप में शुतुरमुर्ग के जीवाश्म का पहला प्रलेखित साक्ष्य 1884 में रिचर्ड लिडेकर द्वारा वर्तमान पाकिस्तान में ऊपरी शिवालिक पहाड़ियों में ढोक पठान में प्रस्तुत किया गया था।
- रिचर्ड लिडेकर ने शुतुरमुर्ग के इस विलुप्त प्रजाति की पहचान स्टूथियों एशियाटिकस या एशियाई शुतुरमुर्ग के रूप में की थी।
- शुतुरमुर्ग की इस विलुप्त प्रजाति का नाम रिचर्ड मिलने एडवर्डस ने 1871 ईस्वी में रखा था।

## महाराष्ट्र (1989)

- वर्ष 1989 में पुरातत्वविद एस ए साली ने महाराष्ट्र के पटने में एक पुरापाषाणकालीन स्थल में लगभग 50 हजार वर्ष पुरानी शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके एवं उसके छोटे-छोटे टुकड़े की खोज की पुष्टि की थी।

## शुतुरमुर्ग संबंधी अन्य शोध (भारतीय उपमहाद्वीप)

- वर्ष 2017 में हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलेक्युलर बायोलॉजी (CCMB) के शोधकर्ताओं ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में मिले शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके का उम्र का आकलन करके बताया कि भारत में लगभग 25 हजार वर्ष पहले शुतुरमुर्ग की उपस्थिति थी।
- वर्ष 2020 में येल विश्वविद्यालय और स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने भारत के करीब 25 साइटों से जीवाश्मों के डेटाबेस संकलित करके एक अध्ययन प्रकाशित करके कहा कि भारत में मेगाफौना जानवरों की विलुप्ति लगभग 30 हजार वर्ष पहले मनुष्यों के आगमन के साथ ही शुरू हुई थी।

## मेगाफौना की विलुप्ति और कारण

- पुरातत्वविदों के अनुसार अंतिम हिमयुग के उत्तरार्ध के दौरान ही 1000 Kg से अधिक द्रव्यमान वाले 80% मेगाफौना की विलुप्ति अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा उत्तरी यूरेशिया से हो गई थी।
- हालांकि छोटे मेगाफौना की विलुप्ति लगभग 30 हजार वर्ष पहले हुई।

## मेगाफौना की विलुप्ति के लिए संभावित जिम्मेदार कारक

1. जलवायु परिवर्तन
2. बीमारी
3. मानव शिकार
4. अन्य जानवरों से प्रतिस्पर्धा
5. जंगलों में आग, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा

## शुतुरमुर्ग

- शुतुरमुर्ग जिसका वैज्ञानिक नाम 'स्टूथियो कैमेलस' है एक उड़ान रहित पंखी की एक प्रजाति है।
- वर्तमान में शुतुरमुर्ग की दो प्रजातियां मौजूद हैं।
- सामान्य शुतुरमुर्ग 'स्टूथियोनिफार्मिस' से संबंधित है जिन्हें पंक्षियों की श्रेणी 'रेटाइडस' में रखा गया है।
- पंक्षियों की श्रेणी 'रेटाइडस' में किवि, एमस, टिनैमस, रियास और कैसोवरी जैसे पंक्षियों को रखा गया है।
- शुतुरमुर्ग की दूसरी श्रेणी 'सोमाली शुतुरमुर्ग' जिसे पहले शुतुरमुर्ग की एक विशिष्ट उप प्रजाति माना जाता था को वर्ष 2014 में बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता दे दी गई।

## शुतुरमुर्ग की उप प्रजातियां एवं निवास

- वर्तमान में जीवित शुतुरमुर्ग को चार उप प्रजाति में विभाजित किया गया है:-
- **उत्तरी अफ्रीकी शुतुरमुर्ग** - उत्तरी अफ्रीकी शुतुरमुर्ग को लाल गर्दन वाला शुतुरमुर्ग या बार्बरी शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है।
- लंबाई - 9 फीट
- वजन - 154 Kg
- नर शुतुरमुर्ग का पंख काला और सफेद तथा मादा का पंख भूरा होता है।
- उत्तरी अफ्रीकी शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी अफ्रीका के घाना, नाइजीरिया और सेनेगल में निवास करती है।
- उत्तरी अफ्रीकी शुतुरमुर्ग अफ्रीका के मात्र 18 देशों में बचा हुआ है।
- **दक्षिण अफ्रीकी शुतुरमुर्ग** - दक्षिणी अफ्रीकी शुतुरमुर्ग को काली गर्दन वाला शुतुरमुर्ग या केप शुतुरमुर्ग कहा जाता है। इस प्रकार के शुतुरमुर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंगोला, कांगो, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में पाया जाता है।
- मसाई शुतुरमुर्ग - मसाई शुतुरमुर्ग को गुलाबी गर्दन वाला या पूर्वी अफ्रीकी शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग की यह प्रजाति मुख्य रूप से दक्षिणी केन्या, पूर्वी तंजानिया, इथियोपिया और सोमालिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
- अरब शुतुरमुर्ग - अरब शुतुरमुर्ग जिसे सिरियाई शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है जो अरब प्रायद्वीप के सीरिया ईराक में आम था 1966 के आसपास विलुप्त हो गया। वर्तमान में अरब शुतुरमुर्ग की कुछ प्रजाति पश्चिमी एशिया के ईरान, जॉर्डन, कुवैत और यमन जैसे देशों में बड़ी मात्रा कम संख्या में निवास करती हैं।

## संरक्षण

- पिछले 200 वर्षों में शुतुरमुर्ग की आबादी में लगातार कमी होती गई है जिसके कारण आईयूसीएन (International Union for Conservation of Nature) और वर्डलाइफ इंटरनेशनल ने इसे 'चिंता की प्रजाति' (लुप्तप्राय प्रजाति) के रूप में वर्गीकृत किया है।



## IUCN

- प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करती है।
- स्थापना - 1948
- मुख्यालय - ग्लैड (स्वीटजरलैंड)
- IUCN को रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज को संकलित एवं प्रकाशित करने का काम करती है।

## बर्डलाइफ इंटरनेशनल

- बर्डलाइफ इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर पंक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए काम करती है।
- स्थापना - 20 जून 1922
- मुख्यालय - कैम्ब्रिज (UK)
- बर्डलाइफ इंटरनेशनल के अंतर्गत लगभग 116 देशों के साझेदार संगठनों से लगभग 2.5 मिलियन लोग कार्यरत हैं।
- बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा अब तक 13 हजार से अधिक महत्वपूर्ण पंक्षी और जैव विविधता क्षेत्र की पहचान वैश्विक स्तर पर की गई है।

## Notes:-

# AGNIPATH YOJANA



## चर्चा में क्यों?

- हाल ही में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा के पटल पर जनवरी में बारूदी सुरंग विस्फोट में मारे गए अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं देने की बात कही है।
- हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में राहुल गांधी के इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान मारे गए अग्निवीर के परिवार को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है।
- हालांकि इस मामले में सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि ड्यूटी के दौरान मारे गए अग्निवीर के परिवार को 1.65 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाता है जिसके तहत सुरंग विस्फोट के दौरान मारे गए अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को अब तक 98.39 लाख का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

## क्या है अग्निपथ योजना

- अग्निपथ योजना सेना (तीनों ARMY, AIR FORCE और NAVY) में अधिकारी रैंक के नीचे से सैनिकों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसकी घोषणा भारत सरकार द्वारा 16 जून 2022 को की गई।
- इस योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को 'अग्निवीर' कहा जाता है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया।
- इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 45 हजार से 50 हजार सैनिकों की भर्ती की योजना रखी गई है।
- इस योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों में से केवल 25% अग्निवीरों को ही स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक सेवा जारी रहेगी जबकि शेष 75% अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा के बाद सेना छोड़ना पड़ेगा।

## क्यों लागू की गई अग्निपथ योजना

- सरकार के अनुसार अग्निपथ की सेना में 'युवा प्रोफाइल' को बढ़ावा देगा।
- रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लागू होने से पहले सेना की औसत आयु 32 वर्ष थी जो इस योजना के लागू हो जाने से लगभग 26 वर्ष तक हो जाएगी।

- रक्षा मंत्रालय के अनुसार अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीर सेना को उच्च तकनीक और अल्ट्रा आधुनिक बनाने में मदद करेगा।
- इसके अलावा 'अग्निपथ योजना' सेना में वेतन और पेंशन बिल को कम करने में मदद करेगा तथा इस प्रकार बचे धनराशि का उपयोग सेना को 'आधुनिक' बनाने एवं नए हथियारों को खरीदने में किया जा सकेगा।
- अधिक सेना भर्ती से युवाओं को अधिक रोजगार प्राप्त होगा।
- युवाओं को आने वाले भविष्य में किसी युद्ध या आपातकालीन स्थिति के लिए युवा को तैयार करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।
- अग्निपथ योजना के तहत अपनी चार वर्षों की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीर सेवा में सीखे गए शिक्षा, कौशल, अनुशासन एवं अन्य गुणों के माध्यम से नागरिक समाज में अपना योगदान दे सकते हैं।

## अग्निवीरों के लिए पात्रता

- अग्निपथ योजना के तहत 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के उम्मीदवार 'अग्निवीर' की आवेदन के लिए पात्र होंगे।
- इसके अलावा भर्ती के वही मानक है जो अग्निपथ योजना के लागू होने से पहले निर्धारित था।

## चयन के बाद

- अग्निवीरों के एक बार चयन हो जाने के बाद उन्हें 6 महीने का सैन्य प्रशिक्षण से गुजरना पड़ेगा और फिर उनकी तैनाती 3.5 साल के लिए की जाएगी।
- अग्निवीरों को इन चार वर्षों के दौरान 30 हजार से 40 हजार रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं एवं इसके साथ वो अन्य जोखिम एवं कठिनाई भत्ते के हकदार होते हैं।
- अग्निवीरों के चार साल के उनकी सेवा के दौरान उनके वेतन का 30% 'सेवा निधि कार्यक्रम' के तहत काटेगी जिसमें सरकार हर महीने उतनी ही राशि का योगदान करेगी जिस पर उन्हें ब्याज भी मिलेगा।
- 4 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद अग्निवीरों को उनके वेतन के अलावा 11.71 लाख की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी जो कर मुक्त (Tax free) होगा।
- 4 साल पूरा होने के बाद दुबारा चुने गए 25% अग्निवीर जिन्हें स्थाई कमीशन मिलेगी उनके लिए शुरुआती 4 साल की अवधि को सेनानिवृत्ति लाभों के लिए नहीं माना जाएगा।

## अग्निवीरों एवं नियमित सैनिकों की बीमा और अनुग्रह राशि (Insurance and ex gratia)

- युद्ध में हताहत या मारे जाने अग्नि वीरों के लिए मुआवजे की प्रणाली को तीन श्रेणियां एक्स (X), वाई (Y) और जेड (Z) में वर्गीकृत किया गया है।
- जबकि नियमित सैनिकों की मौत को पांच श्रेणियां A से E में वर्गीकृत किया गया है।
- श्रेणी A (नियमित सैनिक) एवं श्रेणी X (अग्निवीर) में ऐसे सेना को रखा जाता है जिनकी मौत सैन्य सेवा के दौरान नहीं होती है।
- श्रेणी B और श्रेणी C (नियमित सैनिक) एवं श्रेणी Y (अग्निवीर) में ऐसे सेना को रखा जाता है जिनकी मौतें सैन्य सेवा के दौरान होती हैं।
- जबकि श्रेणी D और E (नियमित सैनिक) और श्रेणी Z (अग्निवीर) में उन सेवा को रखा जाता है जिनकी मौतें हिंसा, प्राकृतिक आपदा, दुश्मन की कार्रवाई, सीमा पर झड़पों और युद्ध जैसी स्थितियों में होती है।

## बीमा (Insurance)

- सभी नियमित सैनिक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में प्रति माह ₹5000 का योगदान करते हैं जो उनका 50 लाख रुपए का बीमा करता है जबकि अग्निवीरों को इसके तुलना में 48 लाख रुपए का बीमा होता है।
- इन बीमा राशियों का भुगतान सभी स्थायी सैनिक और अग्निवीरों को किया जाता है चाहे इनकी मृत्यु का कारण कोई भी हो।

## अनुग्रह राशि (Ex gratia)

- सैन्य सेवा के दौरान हुई मृत्यु के कारण अग्निवीरों को 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है जबकि नियमित सैनिकों को यह अनुग्रह राशि हताहत की प्रकृति के अनुसार 25 से 35 लाख के बीच दिया जाता है।
- हालांकि ऐसे अग्निवीर या स्थायी सैनिक जिनकी मृत्यु सैन्य सेवाओं के कारण नहीं होती है उन्हें किसी भी प्रकार की अनुग्रह राशि नहीं प्रदान किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा अग्निवीरों एवं स्थायी सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 'सेना' के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है।
- इसके अलावा घायल अग्निवीरों एवं नियमित सैनिकों को ऑपरेशन के दौरान मृत्यु होने पर 8 लाख रुपए एवं अन्य किसी कारण से मृत्यु होने पर 2.5 लाख रुपए दी जाती है।

## अग्निवीरों के लिए सेवा निधि

- सेवा निधि एक अंशदानी (Contributory Scheme) है जो सिर्फ अग्निवीरों के लिए लागू है।
- इस सेवा निधि के अंतर्गत ऐसे अग्निवीर जिनकी मृत्यु सैन्य सेवा के दौरान नहीं होती उन्हें सेवा खत्म होने की तारीख तक की गई जमा राशि सरकार की योगदान के साथ ब्याज सहित मिलता है।
- हालांकि जिन अग्निवीरों की मृत्यु सैन्य सेवा के दौरान हो जाती है उन्हें सेवा निधि घटक सहित 4 साल की अवधि तक का पूरा वेतन दिया जाता है।

## केवल नियमित सैनिक

- कुछ लाभ जैसे ग्रेच्युटी और मासिक पारिवारिक पेंशन केवल नियमित सैनिकों को ही दिया जाता है।
- नियमित सैनिकों की सैन्य सेवा के दौरान मृत्यु होने पर एक विशेष पारिवारिक पेंशन प्रतिमाह उनके परिवार के किसी सदस्य को दिया जाता है, जो सैनिक के अंतिम वेतन 60% होता है।
- इस विशेष पारिवारिक पेंशन को वन रैंक वन पे (OROP) प्रणाली और वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया गया है जिसमें DA घटक को भी जोड़ा जाता है।
- सैन्य सेवा के दौरान मरने वाले नियमित सैनिकों के बच्चे को शिक्षा भत्ते के रूप में 'स्नातक' होने तक भत्ता दिया जाता है।
- हालांकि नियमित सैनिकों के बच्चे को कक्षा 1 के लिए 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 50 हजार रुपए प्रति वर्ष तक शैक्षणिक छात्रवृत्ति दी जाती है।
- नियमित सैनिक के परिवार की भूतपूर्व सैनिक अंशदानी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के तहत मुफ्त में चिकित्सा देखभाल सैन्य अस्पतालों में की जाती है।



## Notes:-

# 10 years of Telangana state, how India's youngest state was formed



## हालिया सन्दर्भ

- भारत के सबसे युवा राज्य तेलंगाना 2 जून को अपना स्थापना दिवस मना रहा है।
- आज से 10 वर्ष पहले आंध्रप्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।
- काँग्रेस के नेतृत्व वाली (UPA) सरकार द्वारा वर्ष 2014 में कई दशकों से उठ रही तेलंगाना राज्य बनाने की मांग आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ।

## तेलंगाना राज्य के गठन का इतिहास आजादी से पहले (हैदराबाद रियासत)

- प्राचीन एवं मध्य काल में तेलंगाना भिन्न-भिन्न भारतीयों राजवंश जैसे सातवाहन, चालुक्य, चोल राष्ट्रकूट का हिस्सा रहा।
- सत्रहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर मुगलों और हैदराबाद के निजाम का शासन रहा।

## हैदराबाद रियासत

- आजादी से पहले तेलंगाना हैदराबाद रियासत का हिस्सा था।
- वर्तमान तेलंगाना क्षेत्र में मुख्य रूप से राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्व तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल था हालांकि इस क्षेत्र आसपास का क्षेत्रों में उर्दू भाषी मुस्लिम अभिजात वर्ग का वर्चस्व था।
- 1724 ई० में कमर-उद-दीन खान ने इस क्षेत्र को मुबारिज खान से जीतकर इस क्षेत्र का नया नाम हैदराबाद रखा।
- बाद में कमर-उद-दीन खान को आसिफ जाही निजाम या हैदराबाद का निजाम कहा जाने लगा।
- 1799 में हैदराबाद है निजाम नासिर-उद-दौला द्वारा अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन करने के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश भारत का रियासत बन गया।
- वर्ष 1945 में हैदराबाद के तेलुगु भाषी बाहुल्य क्षेत्र में प्रचलित जागीरदारी प्रणाली (भू-राजस्व) के खिलाफ कम्युनिस्टों ने विद्रोह छोड़ दिया, जिसको तत्कालीन ब्रिटिश शासित निजाम ने राखाकर नामक स्थानीय मिलिशिया का उपयोग करने क्रूर रूप से दबा दिया।

## आजादी के बाद

- वर्ष 1947 में भारत की आजादी एवं विभाजन के बाद हैदराबाद के निजाम भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय नहीं करना चाहते थे तथा स्वतंत्र रियासत के रूप में रहना चाहते थे।
- हालांकि सितंबर 1948 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन पोलो' नामक एक सैन्य अभियान द्वारा एक सप्ताह के भीतर भारत द्वारा हैदराबाद रियासत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया।
- भारत के गणतंत्र बनने के बाद 26 जनवरी 1951 को हैदराबाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में एम के वैलोदी को नियुक्त किया गया।
- भाषायी पुनर्गठन और आंध्रप्रदेश राज्य का निर्माण
- वर्ष 1952 में पौड़ी श्रीरामलू ने अलग तेलुगु राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया गया।
- हालांकि पौड़ी श्री रामलू की अनशन शुरू करने के 5 6 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई जिससे पूर्व क्षेत्र में अशांति फैल गई
- दिसंबर 1953 में भाषायी आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) अस्तित्व में आया।
- राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दो वर्ष बाद 1956 में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें सिफारिश की गई कि हैदराबाद को भाषायी आधार पर पुनर्गठित किया जाए।
- इस सिफारिश में राज्य पुनर्गठन आयोग ने मराठी प्रमुख मराठावड़ा को बॉम्बे राज्य में एवं दक्षिण पश्चिम कन्नड़ प्रमुख जिलों को मैसूर राज्य में एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया था।
- हालांकि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा विवादास्पद तेलुगु प्रमुख क्षेत्र तेलंगाना के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई बल्कि आयोग ने वर्ष 1961 तक तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की सिफारिश की।
- वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा तेलंगाना के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को नजरअंदाज कर तेलंगाना को आंध्रप्रदेश राज्य में विलय कर दिया गया।
- वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा तेलंगाना के लिए राज्य पुनर्गठित आयोग की सिफारिश को नजरअंदाज कर तेलंगाना को आंध्रप्रदेश राज्य में विलय कर दिया गया।

## तेलंगाना के लिए संघर्ष और तेलंगाना राज्य का निर्माण

- तेलुगू बाहुल्य क्षेत्र द्वारा अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर तथा तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के विलय को रद्द करने के लिए लगातार आंदोलन होते रहे।
- वर्ष 1969 में आंध्र प्रदेश राज्य बनने के बाद तेलंगाना राज्य गठन से लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया।
- वर्ष 1969 में तेलंगाना राज्य के गठन के लिए किए जा रहे आंदोलन में 'तेलंगाना प्रजा समिति' नामक एक संगठन की जन्म दिया जिसने अलग तेलंगाना राज्य की मांग का नेतृत्व किया।
- वर्ष 1972 में भी 'तेलंगाना प्रजा समिति' द्वारा अलग तेलंगाना राज्य के लिए व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया।

- अंततः वर्ष 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने 32 वें संविधान संशोधन करके आंध्र प्रदेश को छः क्षेत्र में विभाजित करके नौकरियों के लिए 'आरक्षण' क्षेत्र आधार पर दिए जाने का निर्णय लिया।
- इस संशोधन के बाद आंध्रप्रदेश की 'मूल मुल्की अधिनियम को निरस्त कर दिया गया फलस्वरूप अलग तेलंगाना राज्य के गठन के लिए की जा रही आंदोलन की गति कुछ कम हो गई।
- काफी लंबे समय बाद 2001 ई० में ईसीआर में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) की सदस्यता से इस्तीफा देकर अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) (वर्तमान में भारतीय राष्ट्र समिति, BRS) का गठन किया जिसका एकमात्र उद्देश्य नया तेलंगाना राज्य का गठन था।
- वर्ष 2009 में कांग्रेस के आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर की अचानक मृत्यु के बाद 29 नवंबर 2009 को केसीआर में अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया
- अंततः तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2014 में आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाकर अलग तेलंगाना राज्य की मंजूरी दी। आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 को तेलंगाना अधिनियम के नाम से जाना जाता है।



## Notes:-

### तेलंगाना (एक परिचय)

- तेलंगाना शब्द का शाब्दिक अर्थ तेलुगुभाषियों की भूमि है।
- राजधानी - हैदराबाद
- क्षेत्रफल 112077 वर्ग किलोमीटर
- जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 50 लाख (2011 के अनुसार)
- जीडीपी - 9.78 ट्रिलियन
- प्रतिव्यक्ति आय - 2,37,632
- राजभाषा - तेलुगू
- दूसरी अधिकारिक भाषा - उर्दू
- साक्षरता - 72.8%
- राज्य के पुनर्गठन से संबंधित संवैधानिक उपबंध
- भारतीय संविधान में भारतीय संसद को साधारण प्रक्रिया के तहत राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान की है।
- भारतीय संविधान के भाग- एक के अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान आर्बिट्रिट है।

### संविधान का भाग- 1

- भारतीय संविधान के भाग-1 में राज्यों या केन्द्रशासित प्रदेशों की स्थापना, नाम बदलने, विलय या सीमाओं में परिवर्तन करने की भारतीय संसद की शक्ति से संबंधित उपबंध है।
- अनुच्छेद-3
- भारतीय संविधान के भाग- 1 के अनुच्छेद-3 में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन के बारे में भारतीय संसद की शक्ति का उल्लेख है।
- जागीरदारी प्रणाली
- दिल्ली सल्तनत द्वारा शुरू की गई भागीदारी प्रणाली एक भू राजस्व आर्बंटन प्रणाली थी।
- इस प्रणाली के तहत मनसबदार जो सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे।
- भू-राजस्व एकत्र करने के बदले वेतन के रूप में जागीरें (जमीन) दी जाती थी।
- वर्ष 1952 में इस प्रणाली को एक अधिनियम के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया।

# Alzheimer's Drugs and Disease



## चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अमेरिकी दवा कंपनी एली लिली को अल्जाइमर रोग के लिए एक नई थेरेपी 'डोनानेमब' को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) के वैज्ञानिकों द्वारा सर्माधन प्राप्त हुआ है।

## अल्जाइमर रोग क्या है?

- अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील और अपरिवर्तनीय न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मुख्य रूप से मनुष्य की स्मृति, सोच एवं व्यवहार की प्रभावित करता है।
- अल्जाइमर रोग को आमतौर पर 'भूलने का रोग' के नाम से जाना जाता है।
- अल्जाइमर रोग में दिमाग की कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं जिसके कारण मनुष्यों की सोचने की शक्ति स्मृति एवं व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है।
- एमिलॉयड तंत्रिका कोशिका का सामान्य घटक है जो सामान्यतः न्यूरोन्स में बनता है।
- अल्जाइमर रोग का नाम, वर्ष 1906 में इस बीमारी की खोज करने वाले जर्मन मनोचिकित्सक एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया है।
- वर्ष 2016 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 48 मिलियन लोग अल्जाइमर रोग से प्रभावित थे जिसे वर्ष 2030 तक बढ़कर 76 मिलियन तक होने की संभावना जताई गई है।

## 'डोनानेमब थेरेपी क्या है?

- डोनानेमब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो अल्जाइमर रोग से पीड़ित रोगियों के मस्तिष्क में 'एमॉलाइड बीटा प्रोटीन' को असीमित रूप से बढ़ने से रोकता है।
- डोनानेमब थेरेपी शुरुआती चरण वाले अल्जाइमर रोगियों के लिए है जो दवा लेने के बाद लंबे समय तक अपने दैनिक गतिविधियों को बरकरार रख सकता है।
- अध्ययन से यह पता चला है कि अल्जाइमर रोगियों द्वारा 'डोनानेमब' के लगातार प्रयोग से 76 सप्ताह में संज्ञानात्मक गिरावट (Cognitive decline) को 35.1 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

## डोनानेमब का प्रतिकूल प्रभाव

- 'डोनानेमब' दवा का 1736 अल्जाइमर रोगियों के साथ किए गए अध्ययन से पता चला है कि इसका सबसे प्रतिकूल प्रभाव मस्तिष्क में सूचना या रक्त स्राव से संबंधित है।

- इस अध्ययन में कहा गया कि 'डोनानेमब' लेने वाले अल्जाइमर मरीजों में से 24 प्रतिशत मरीजों के मस्तिष्क में सूजन तथा 19.7 प्रतिशत मरीजों के मस्तिष्क में रक्त स्राव से संबंधित समस्याएं आईं।

## अल्जाइमर की दवा डोनानेमब की सफलता का महत्व

- स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार दुनियाभर में अल्जाइमर से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है विशेषकर विशाल आबादी वाले विकासशील देशों में इसकी संख्या अधिक होने की संभावना जताई गई है।
- विशेष रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाओं को यह अधिक प्रभावित करती है।
- लैसैट के एक नए अध्ययन के अनुसार वर्तमान में भारत में लगभग 5.3 मिलियन लोग अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं जो 2050 तक बढ़कर 14 मिलियन हो जाने की संभावना है।
- ऐसी वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखकर अल्जाइमर रोगियों के लिए कुछ अच्छे कुछ अच्छे अनुभव के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

## अल्जाइमर रोग के संभावित कारक

- सामान्यतः अल्जाइमर रोग का खतरा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में ज्यादा होता है जिनके मुख्य कारण निम्न हो सकते हैं।
- सिर पर गंभीर चोट
- अनिद्रा
- अत्यधिक शराब का सेवन
- अल्जाइमर रोग का अनुवांशिक या पारिवारिक होना
- उच्च वायु प्रदूषण
- मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप अल्जाइमर रोग है जोखिम को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

## संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA)

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं औषधि यानि (United States food and Drug Administration) अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग की एक संचयी एजेंसी है।
- स्थापना- 30 जून 1906

## तंत्रिका तंत्र (Nervous System)

- मानव तंत्रिका तंत्र मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित एक कमांड सेंटर के रूप में कार्य करता है।
- तंत्रिका तंत्र मनुष्य के मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच विद्युत संकेत भेजकर स्मृति, भावनाएं, विचार तथा इन्द्रियों पर नियंत्रित स्थापित करने का काम करता है।
- मनुष्य के मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन से अधिक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिसे न्यूरोन्स भी कहा जाता है।
- तंत्रिका कोशिकाएं (न्यूरोन्स) मनुष्य के पूरे शरीर से जुड़ी होती है।
- मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 3 पाउंड होता है जिसमें लगभग 60 प्रतिशत वसा तथा शेष 40 प्रतिशत पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लवण के मिश्रण से भरा रहता है।



# Antarctica Sandhi, Tourism And India



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में पिछले महीने 20 मई को भारत के केरल राज्य के कोच्चि में 'अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक' का 46 वां संस्करण का आयोजन किया गया।
- 20 मई से 30 मई के बीच चलने वाली इस बैठक में मुख्य रूप से अंटार्कटिका से संबंधित पर्यटन के मुद्दे एवं इसके निहितार्थों पर चर्चा हुई।

## अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक (Antarctic treaty Consultative meeting)

- अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक मुख्य रूप से 1 दिसंबर 1959 की गठित संधि है।
- 12 मूल देशों द्वारा हस्ताक्षरित यह संधि मुख्य रूप से अंटार्कटिका महाद्वीप में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और वैज्ञानिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा के रूप में है।

## संधि का इतिहास

- 1950 के दशक में अंटार्कटिक महाद्वीप के क्षेत्रों पर लगातार अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूके द्वारा औपचारिक दावे किए जाते रहे।
- हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, बेल्जियम, जापान सहित दक्षिण अफ्रीका द्वारा अंटार्कटिक महाद्वीप का पता लगाने का दावा किया जाता है।
- उपरोक्त विभिन्न देशों द्वारा अंटार्कटिक महाद्वीप के क्षेत्रों पर किए जा रहे दावे एक दूसरे से ओवरलैप हो गए, जिससे इन क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई।
- इसी क्रम में वर्ष 1956 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र से संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतरिम एजेंडों में 'अंटार्कटिका के मुद्दों' को शामिल करने का अनुरोध किया।
- इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के फलस्वरूप 2 मई 1958 को अमेरिका ने अन्य भागीदार देशों को अंटार्कटिक महाद्वीप को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक 'अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में संरक्षित' करने के लिए एक संधि में शामिल होने का प्रस्ताव दिया।
- इसी प्रस्ताव के तहत अंटार्कटिका में सम्मेलन का आयोजन 15 अक्टूबर से 1 दिसंबर 1959 के बीच चला जिसमें 'अंटार्कटिक संधि' को जन्म दिया, जो 1961 में लागू हुआ।

- इस संधि के तहत अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्र में विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे क्षेत्रीय दावे को निरस्त करने सहित इस क्षेत्र में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर प्रस्ताव पारित हुआ।
- वर्तमान में इस संधि में 56 देश शामिल हैं जिनमें 12 मूल हस्ताक्षरकर्ताओं सहित 29 देश परामर्शदाता दल के रूप में शामिल हैं।
- भारत वर्ष 1983 में इस संधि में शामिल हुआ जो इस संधि का 'परामर्शदाता दल' का भी सदस्य है।
- इस संधि के 12 मूल हस्ताक्षरित देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, बेल्जियम, जापान और दक्षिण अफ्रीका हैं।
- कोच्चि बैठक-
- इस वर्ष पिछले महीने में भारत के कोच्चि में आयोजित अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक में अंटार्कटिका महाद्वीप एवं सर्व-समावेशी शासन पर जोर, क्षेत्र के पर्यटन ढांचे में सुधार सहित 'मैत्री- III' अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की घोषणा की गई।

## अंटार्कटिका क्षेत्र में पर्यटन के मामले

- वर्ष 2007 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक (ATCM) सहित कोच्चि बैठक में भी अंटार्कटिका क्षेत्र में चुनिंदा देशों के निजी टूर ऑपरेटर्स द्वारा संचालित अनियंत्रित पर्यटन में तेजी से वृद्धि पर भारत ने चिंता जताई।
- हालिया आंकड़े के अनुसार वर्ष 2023 में अंटार्कटिका में 1 लाख से अधिक पर्यटक आए थे।
- भारत की इस चिंता पर कोच्चि में उपस्थित सभी अंटार्कटिका संधि पक्ष के देशों ने इस क्षेत्र में पर्यटन के लिए एक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता पर सहमति जताई।
- वर्ष 2025 में इटली में आयोजित होने वाली ATCM की अगली बैठक में अंटार्कटिका क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कड़े नियमों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है।
- कोच्चि में आयोजित इस बैठक में अंटार्कटिका क्षेत्र में समुद्री बर्फ परिवर्तन, पेंगुइन की रक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को बढ़ाने सहित इस क्षेत्र में पर्यावरण निगरानी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ढांचे के विकास पर भी चर्चा हुई।
- भारत ने इस बैठक में अंटार्कटिक क्षेत्र में 'सर्व समावेशी दृष्टिकोण' को अपनाने सहित अंटार्कटिका और उसके संसाधनों के संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर शासन, अनुसंधान और कानूनी नीतियां बनाने की जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया।

## अंटार्कटिका का महत्व

- अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के सबसे दक्षिण में स्थित सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है।
- दक्षिण महासागर (अंटार्कटिक महासागर) से घिरा हुआ यह महाद्वीप विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
- 14 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्र में फैला इस महाद्वीप का 98% भाग मोटी वर्ष की चादरों से ढका हुआ है।
- पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के करीब स्थित इस महाद्वीप में पृथ्वी के मीठे पानी का लगभग 75% भंडार मौजूद है।
- अंटार्कटिका की जलवायु अत्यधिक ठंड और शुष्क है।
- सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाने वाला यह महाद्वीप अपने वन्य जीवन और प्राचीन पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है।

## अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

- वर्तमान में वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पृथ्वी के तीनों ध्रुव उत्तर, दक्षिण और हिमालय को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है।
- इन ध्रुवों पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्माफ्रॉस्ट पिघलने की गतिविधि चिंता का विषय बनता जा रहा है।
- पर्माफ्रॉस्ट सक्रिय बर्फ की चादर के नीचे जमी हुई चट्टान और मिट्टी की परतें हैं।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्माफ्रॉस्ट के अंदर पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग दोगुना कार्बन और मीथेन गैस जमा है।
- वैश्विक स्तर पर बढ़ते तापमान के कारण इन पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन होता है जो वैश्विक जलवायु में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है।
- इस क्षेत्र में बढ़ते पर्यटन और मानव गतिविधियों के कारण अंटार्कटिका की हवा प्रदूषित होती जा रही है जो इस क्षेत्र के जीव-जंतुओं के लिए संभावित खतरा उत्पन्न कर सकता है।



## Notes:-

## अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान कार्यक्रम

- अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1981 में भारत सरकार के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के तहत हुई थी।
- वर्ष 1983 में भारत द्वारा 'अंटार्कटिक संधि' का सदस्य बनने के बाद अंटार्कटिका में भारत ने एक स्थाई 'दक्षिण गंगोत्री' नामक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया।
- इसके बाद भारत ने 1990 में यहाँ 'मैत्री' नामक शोध आधारित केंद्र की स्थापना की जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वायुमंडलीय, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक खोज करना है।

## भारती (मैत्री-II)

- 'भारती' अनुसंधान केंद्र 18 मार्च 2012 में अंटार्कटिक क्षेत्र में सालों भर भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम को संचालित करने के लिए शुरू किया गया था।
- यह अनुसंधान केंद्र 'मैत्री' से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में समुद्र विज्ञान संबंधी अध्ययन सहित महाद्वीप बहाव का अध्ययन करती है।
- 'भारती' भारत द्वारा अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र है।
- इसे मैत्री-II के नाम से भी जाना जाता है।

## मैत्री-III

- भारत का अंटार्कटिका क्षेत्र में चौथा अनुसंधान केंद्र मैत्री-III का संचालन जनवरी 2029 तक होने की संभावना है।
- केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार मैत्री-III के लिए स्थान का चयन हो गया है जहां प्रारंभिक स्थलाकृतिक सर्वेक्षण चल रहा है।
- भारत अब तक 40 से ज्यादा 'वैज्ञानिक अभियान' अंटार्कटिका में संचालित किया है।

# भारत में बढ़ते Financial Fraud



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में लगभग 47% भारतीय शहरी आबादी के साथ वित्तीय धोखाधड़ी (financial fraud) होने की बात कही गई है।
- लोकल सर्कल्स नामक एक एजेंसी द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण में कहा गया पिछले 3 वर्ष में देश के लगभग आधी शहरी आबादी के किसी-न-किसी सदस्य ने वित्तीय धोखाधड़ी का अनुभव किया है।

## सर्वेक्षण के आंकड़े

- लोकल सर्कल्स नामक एजेंसी द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में पीड़ित शहरी आबादी का लगभग 43% क्रेडिट कार्ड (credit card) संबंधित धोखाधड़ी जबकि 30% आबादी ने यूपीआई लेनदेन के माध्यम से धोखाधड़ी का अनुभव किया है।
- इसके अलावे 13% आबादी डेबिट कार्ड पर धोखाधड़ी वाले लेनदेन, 19% द्वारा बैंक खातों (Bank Account) संबंधित लेनदेन तथा 6% आबादी ने एटीएम (ATM) कार्ड संबंधित धोखाधड़ी की बात कही गई है।
- इस सर्वेक्षण के अनुसार 2 में से 1 क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी पीड़ितों को घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों एवं वेबसाइटों द्वारा अनावश्यक रूप से अनाधिकृत शुल्क (Unauthorized Charge) लिया गया।
- यूपीआई धोखाधड़ी मामले में 10 में से 4 लोगों द्वारा भुगतान संबंधित भेजे गए क्यूआर कोड/लिंक के कारण पैसे डेबिट होने की बात स्वीकार की गई।

## वित्तीय धोखाधड़ी (financial fraud)

- वित्तीय धोखाधड़ी मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों से संबंधित जमाकर्ताओं से अवैध साधनों का उपयोग करके धन प्राप्ति से संबंधित है।

## वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकार

- वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ, इन्हीं प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वित्तीय धोखाधड़ी माफिया अवैध रूप से नकदी प्राप्त करने के नए-नए तरीके ढूंढ रहे हैं, इनके कुछ प्रकार निम्न हैं-

## क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी

- क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया एक भुगतान कार्ड है जो उपयोक्ता को विभिन्न वस्तुओं की खरीददारी और नगदी निकालने की अनुमति देता है।
- क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के तहत किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी चुराकर खरीददारी या नकदी निकासी की जाती है।

## यूपीआई आधारित धोखाधड़ी

- यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑनलाइन भुगतान की सबसे सुलभ और तेज प्रक्रिया है।
  - इस भुगतान प्रणाली के तहत ग्राहक अपने UPI आईडी (ID) का तथा पिन का उपयोग करके विभिन्न बैंकों के माध्यम से पैसा भेज या प्राप्त कर सकते हैं।
  - वर्ष 2023 में भारत UPI से 8.7 बिलियन का लेनदेन करके सर्वोच्च स्थान पर है।
  - UPI धोखाधड़ी के तहत उपयोक्ता को भुगतान प्राप्त करने या भुगतान करने के संबंध में अनाधिकृत लिंक भेजा जाता है जिस पर क्लिक करते ही अनाधिकृत डेबिट लेन-देन हो जाता है।
1. ATM Card संबंधी धोखाधड़ी
  2. चेक संबंधी धोखाधड़ी
  3. पहचान चोरी (Identity theft) संबंधी धोखाधड़ी

## बढ़ते वित्तीय धोखाधड़ी के कारण

- लोकल सर्कल्स के अनुसार भारतीय उपभोक्ताओं के क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर समेत ईमेल एवं पते (Address) जैसी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी डेटाबेस में आसानी से उपलब्ध है।
- उपरोक्त व्यक्तिगत जानकारियों का उपयोग करके स्प्रेडशीट का ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति वित्तीय उपभोक्ताओं का प्रोफाइल बना सकता है जो वित्तीय धोखाधड़ी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।

## वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के संभावित उपाय

- सत्यापित ऐप का उपयोग करना
- अधिकृत वेबसाइट पर ब्राउज करना
- सुरक्षित वाई-फाई (wi-fi) कनेक्शन का उपयोग करना
- क्रेडिट/डेबिट या ATM कार्ड के उपयोग के समय सतर्क रहना
- फोन या कंप्यूटर में सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करना
- व्यक्तिगत जानकारी समक्ष करने से बचना।
- SMS या E-mail पर आए किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना।

## वित्तीय अपराध रोकने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून

- भारतीय संसद द्वारा वित्तीय अपराध या धोखाधड़ी को रोकने के लिए एवं वित्तीय अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए 'प्रिवेंसन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट' बनाए गए हैं।
- प्रिवेंसन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट यानी धन शोधन निवारण अधिनियम, भारतीय संसद द्वारा 17 जनवरी 2003 को अभिनीत किया गया जो 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ।

- धन शोधन निवारण अधिनियम- 2002 को वर्ष 2005, 2009 तथा 2012 में संशोधित किया गया।
- इस अधिनियम में अधिनियमित नियम बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और महा मध्यस्थों को उनके ग्राहकों की पहचान एवं रिकॉर्ड को गुप्त बनाए रखने का दायित्व देती है।
- इस अधिनियम के तहत वित्तीय अपराध करने वाले अपराधियों के लिए 3 साल से 7 साल तक की कठोर सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

## वित्तीय खुफिया इकाई

### (Financial Intelligence unit)

- वित्तीय खुफिया इकाई (FIU - INDIA) एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने सहित उसके प्रसार को रोकने के लिए जिम्मेदार है।
- भारत सरकार द्वारा इस केंद्रीय एजेंसी की स्थापना 18 नवंबर 2004 में की गई थी।
- वित्तीय खुफिया इकाई एक स्वतंत्र निकाय है जो वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद (EIC) को रिपोर्ट करती है।

## भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C)

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C), भारत में साइबर अपराध से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक सरकारी पहल है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 415.86 करोड़ राशि की मंजूरी देकर शुरुआत की गई थी।
- जून 2020 में भारत सरकार द्वारा 14 (C) की सिफारिश पर 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- अक्टूबर 2023 में गूगल (Google) और 14 (C) द्वारा सम्मिलित रूप से भारतीय उपयोगकर्ता को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए 'डिजीकवच' नामक ऐप लॉन्च किया गया।



## Notes:-

# Delhi Government Moves SC for Water Crisis



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में 31 मई को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार को दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में अधिक पानी छोड़ने में तत्काल निर्देश देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
- हालांकि यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

## दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई ?

- दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में बड़े प्रवासी आबादी और अतिरिक्त कार्यबल (Work Force) के कारण बढ़े पानी की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पानी की आपूर्ति आवश्यक है।
- दिल्ली सरकार के अनुसार उनकी ये मांग सिर्फ दिल्ली में मानसून के मौसम आने तक अतिरिक्त पानी की आपूर्ति को लेके है।
- दिल्ली सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार वर्तमान में दिल्ली NCT क्षेत्र में स्वच्छ पानी की लगातार आपूर्ति का दबाव ने एक जल संकट के रूप में आपात स्थिति पैदा कर रही है, जिसका तत्काल समाधान निकालने की आवश्यकता है।
- दिल्ली की आप सरकार ने अपने याचिका में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उनके द्वारा की गई अतिरिक्त पानी की मांग पर सहमति जताई गई है लेकिन इस पानी को हरियाणा सरकार की मदद से वजीराबाद बैराज से ले जाना होगा, जो वर्तमान में आपूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं है।
- इस याचिका में वजीराबाद बैराज से हरियाणा द्वारा अतिरिक्त पानी छोड़ने की दिल्ली सरकार की मांग का उल्लेख किया गया है जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा कोई साकारात्मक प्रतिबद्धता नहीं दिखाने का आरोप लगाया गया है।
- दिल्ली में पानी आपूर्ति की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर अन्य भूमिका
- 31 मार्च 1995 को सुप्रीम कोर्ट में एस डी सिन्हा द्वारा दायर एक याचिका में हरियाणा सरकार को दिल्ली में पीने के पानी की कमी पूरा करने के लिए यमुना नदी से पानी के नियमित प्रवाह बनाए रखने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

- इस याचिका पर आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को पीने के पानी की सख्त आवश्यकता है। अतः दिल्ली को हरियाणा सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से पानी आर्बंटित किया जाना चाहिए।

## दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर एमओयू (MoU)

- 12 मई 1994 को हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों में यमुना बेसिन के सह बेसिन राज्यों के बीच यमुना जल के आर्बंटन से संबंधित एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था।
- इस हस्ताक्षरित ज्ञापन में यह कहा गया कि जब भी दिल्ली में पानी की उपलब्धता निर्धारित मात्रा से कम होगी तो सबसे पहले यमुना बेसिन से दिल्ली के पेयजल आर्बंटन को पूरा करना होगा, जबकि शेष बचे राज्यों को उनके पानी आर्बंटन के अनुपात में आर्बंटित किया जाएगा।
- हालांकि वर्ष 1995 में एस डी सिन्हा द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन एवं 1994 में पाँच राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित यमुना बेसिन ज्ञापन के अनुसार दिल्ली में जल आपूर्ति न होने पर वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट में दो अवमानना याचिका दायर की गई।

## अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- उपरोक्त अवमानना याचिका पर 29 फरवरी 1996 को जस्टिस कुलदीप सिंह और बीएल हैसारिया की पीठ में फैसला सुनाते हुए कहा कि हरियाणा, दिल्ली को उपयोग के लिए यमुना नदी के माध्यम से उतना ही पानी आपूर्ति करेगा जितना पीने के लिए उपयोग किया जाता है।
- इसके अलावा पीठ ने कहा कि दिल्ली के वजीराबाद और हैदरपुर स्थित जलाशय संयंत्र को हरियाणा द्वारा यमुना नदी के माध्यम से आपूर्ति जल से अपनी क्षमता तक भरे रखेंगे।
- इस पीठ ने हरियाणा सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वे दिल्ली के पानी की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे, हालांकि अदालत से अपने इस आदेश को यमुना जल बेसिन के पानी के आर्बंटन पर विभिन्न राज्यों के द्वारा MOU से स्वतंत्र करार दिया।
- हालांकि 2021 में जब वजीराबाद जलाशय संयंत्र का जल स्तर 667 फीट तक गिर गया तब दिल्ली जल बोर्ड (DIB) ने हरियाणा सरकार पर अदालत के इस फैसले के अवमानना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।
- हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा दायर इस अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली में फरवरी 1996 के बाद बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे का विकास हुआ है, जिसके कारण दिल्ली में पीने की पानी की आपूर्ति की मांग बढ़ी है, जिसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेवार नहीं है।
- अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह अपनी पेयजल जल आपूर्ति को पूरा करने के लिए प्रयास करे।

## दिल्ली में गर्मियों में पेयजल आपूर्ति की मांग में वृद्धि

- दिल्ली क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष गर्मियों में पीने योग्य पानी की औसत मांग 1100 मिलियन गैलन प्रति दिन से अधिक बढ़ जाती है जबकि दिल्ली जल बोर्ड मात्र 935 मिलियन गैलन प्रति दिन ही आपूर्ति कर पाता है।

## दिल्ली के जल स्रोत

- दिल्ली द्वारा अपनी 90 प्रतिशत आबादी की पेयजल की मांग पूरा करने के लिए अपने पड़ोसी राज्य पर निर्भर है।
- दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत गंगा, यमुना और भाखड़ा-प्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के चैनल हैं।
- भाखड़ा-प्यास का जल चैनल पंजाब और हरियाणा से होकर रावी और व्यास नदी का जल दिल्ली लाता है।


## दिल्ली जल बोर्ड

- दिल्ली जल बोर्ड का गठन 6 अप्रैल 1998 को दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से किया गया।



## Notes:-

# Delhi's Warm Night and Urban Heat Islands Effect



## हालिया सन्दर्भ

- पूरे भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में गर्मी अपने चरम सीमा पर है, साथ ही उत्तर भारत में दिन एवं रात का उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान भी बढ़ता जा रहा है।
- भारत की राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है लेकिन रात के तापमान में वृद्धि नई चिंता का विषय है।
- बीते मंगलवार को दिल्ली में रात का न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो 1969 के बाद अब तक का सर्वाधिक था।
- 12 मई के बाद से दिल्ली में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हुआ है, वहीं जून में लगातार 6 रातों का न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है।
- 1969 से 2024 के बीच में रात का न्यूनतम तापमान वर्ष 1972 में मई 23 को 34.9°C रिकॉर्ड किया गया था।
- IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1969 से पहले का रिकॉर्ड विश्लेषित नहीं है अतः यह बताना मुश्किल है कि क्या मंगलवार रात को दर्ज किया रात का न्यूनतम तापमान अब तक दिल्ली की सबसे गर्म रात है या नहीं।
- हरियाणा के दो शहरों फतेहाबाद एवं महेन्द्रगढ़ में सुबह का तापमान क्रमशः 35.4 डिग्री सेल्सियस एवं 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था, जो दिल्ली से ज्यादा था।

## गर्म रात

- IMD के अनुसार 'गर्म रात' वह रात होती है, जिसमें रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 - 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है।
- वहीं गंभीर गर्म रात (Severe warm night) उसे कहा जाता है, जब यह अंतर 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का होता है।
- उपरोक्त दोनों ही स्थिति में शर्त यह है कि दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होना चाहिए।
- बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 8°C ज्यादा रहा अर्थात् पूर्व रात Severe warm night था, वहीं दिन का तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था।

## चिंताजनक स्थिति

- सामान्य 3 - 5 शुभ बजे सुबह, किसी भी दिन रात के चक्र यानी 24 घंटे के चक्र में सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है और इसी समय गर्मी से राहत भी मिलने की संभावना होती है, लेकिन दिल्ली में इस अवधि में भी राहत नहीं मिलती।
- यहां और भी गंभीर बात है कि उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में वर्ष में कमी की संभावना 90% से ज्यादा है और इन हिस्सों में अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है।
- दिल्ली में मई के अंत में हीट स्ट्रोक अपने चरम पर था, लेकिन जून के महीने में इसके मामले तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, जिसका कारण रात के तापमान में वृद्धि है।

## आंकड़ों की कहानी

- IMD ने कहा कि 2011 के बाद यह पहली बार है जब 1 जून से 19 जून के बीच 12 दिनों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है।
- 2018 के जून में भी बहुत गर्मी पड़ी थी लेकिन उस महीने में ऐसे 10 ही दिन रिकॉर्ड किए गए थे।
- चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली में जून के महीने में औसतन सामान्य न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस होता है।

## नगरीय ऊष्मा द्वीप (Urban heat Islands)

- कई रिसर्च बताते हैं कि शहरों के तापमान में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण urban heat Island effect भी है।
- नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव एक स्थानीय घटना/प्रभाव है जो घनी इमारती वाले शहरों एवं खुले तथा हरे-भरे क्षेत्र के तापमान में तुलनात्मक अंतर होता है।
- उदाहरण के लिए दिल्ली के पहाड़ी एवं हरियाली वाले क्षेत्रों में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान दिल्ली के ज्यादा घनी इमारती वाले क्षेत्र से कम दर्ज किया गया है।
- रिसर्च के अनुसार कंक्रीट (इमारत, सड़क, ओवर ब्रिज) क्षेत्र में गर्मी फंस जाती है और वायुमंडल में वापस नहीं जा पाती, जिससे क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है और तुलनात्मक रूप से खुले एवं हरे क्षेत्र में तापमान 2 - 4 डिग्री सेल्सियस तक कम पाया जाता है।
- दिलचस्प यह है कि उपरोक्त दोनों प्रकारों के क्षेत्र के बीच की दूरी महज एक से दो किलोमीटर ही होती है।
- रिसर्च बताते हैं कि शहरों में रातों की ठंडा होने की दर 2001 से 2010 की तुलना में धीमी हो गई है जो 'गर्म रात' का कारण बन रहे हैं।
- विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट 'Decoding the urban heat stress among Indian cities' में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई एवं बेंगलुरु के जनवरी 2001 से अप्रैल 2024 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया था।

## Urban heat Island vs सामान्य क्षेत्र

- गगनचुंबी इमारत, सड़क, पुल, परिवहन साधन, AC, फ्रिज आदि की वजह से ज्यादा गर्मी का प्रभाव
- ऊष्मा कंक्रीट क्षेत्र में कैद हो जाती है और वायुमंडल में नहीं जा पाए जिससे तापमान लगातार ऊंचा बना रहता है।
- रंगीन एवं काले इमारत या अन्य सामग्री जैसे सड़क आदि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, जिससे तापमान ऊंचा बना रहता है।
- प्रदूषण के कारण CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है जो अच्छा heat observer होता है और ऊष्मीय प्रभाव में योगदान देता है।
- वहीं ग्रामीण या सामान्य क्षेत्र खुले एवं हरे भरे एवं कम प्रदूषित होते हैं जो ऊष्मा को संवहन की माध्यम से वायुमंडल में वापस जाने देती है जिससे क्षेत्र का तापमान कम बना रहता है।

## IMD

- भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन
- मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान एवं भूकंप विज्ञान की सर्व प्रमुख एजेंसी
- भारत से लेकर अंटार्कटिका तक में सैकड़ों परीक्षण केंद्र
- 1875 में पूरे में स्थापित
- वर्ष 1875 में 'मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान' नामकरण
- वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित
- 1949 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का साक्ष्य बना।

## विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र

- एक गैर लाभकारी संगठन
- वर्ष 1980 में स्थापित
- नई दिल्ली में मुख्यालय
- सार्वजनिक हित, अनुसंधान एवं पर्यावरणीय मुद्दों एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधी मुद्दों पर 'थिंक टैंक' की भांति कार्य।



## Notes:-



# Europe में Dengue का हालिया प्रसार



## संदर्भ

- हाल के कुछ वर्षों में यूरोप में 'डेंगू' संबंधी मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है।
- चूंकि डेंगू यूरोप में 'स्थानिक' नहीं है यह यहाँ बढ़ती अंतरराष्ट्रीय यात्रा से आयातित है।

## यूरोप में डेंगू के बढ़ते आंकड़े

- यूरोपीय मुख्य भूमि पर स्थानिक रूप से प्रसारित डेंगू के मामले 2015 से पहले लगभग शून्य था।
- 2015 से 2019 के बीच एकत्र किए गए आंकड़े के अनुसार डेंगू हॉटस्पॉट से संबंधित देशों की यात्रा से आने वाले संबंधित व्यक्ति में डेंगू के लगभग 3000 मामले देखे गए जबकि इसी दौरान स्थानिक रूप से प्रसारित डेंगू के केवल 9 मामले देखे गए।
- लेकिन 2022 एवं 2023 में संयुक्त रूप से यूरोपीय मुख्य भूमि पर पिछले सात दशकों की तुलना में डेंगू के मामले में अधिक वृद्धि देखी गई।
- यूरोपीय देशों में फ्रांस, इटली और स्पेन में डेंगू के मामले में वृद्धि देखी गई।

## ECDC की रिपोर्ट

- यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल (ECDC) के अनुसार 'डेंगू' यूरोप में स्थानिक नहीं है क्योंकि डेंगू का वायरस यहाँ अपने आप जीवित नहीं रह सकता है।
- ECDC के अनुसार डेंगू के वायरस को जीवित रहने के लिए 'वेक्टर' (शरीर) की आवश्यकता होती है जो यहाँ डेंगू स्थानिक देशों की यात्रा करने वाले लोगों से प्रसारित है।
- ECDC के अनुसार डेंगू स्थानिक देशों से बढ़ती यूरोप की यात्रा से यूरोप में डेंगू मामले में वृद्धि सहित स्थानिक प्रकोप को भी बढ़ा सकता है।
- ECDC के अनुसार डेंगू स्थानिक क्षेत्र के यात्रा पर गए यूरोपीय यात्री को जब वहाँ डेंगू - वायरस वाले मच्छर काटता है तो उसके खून में डेंगू - वायरस भी आ जाता है।

## यूरोप में बढ़ते डेंगू के मामले के संभावित कारक

- विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण फ्रांस सहित दक्षिणी यूरोप में डेंगू के मामले में वृद्धि के निम्न कारक हो सकते हैं-

## उच्च तापमान

- दक्षिणी यूरोप में पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रही लगातार गर्मी के कारण दिन और रात का उच्च तापमान, दक्षिणी यूरोप में डेंगू के प्रसार का महत्वपूर्ण कारक हो सकता है से समय तक उच्च तापमान मच्छर है पनपने में सहायक होती है।

## यूरोप में मच्छरों की आबादी का विस्तार

- एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में डेंगू प्रसारित करने वाली एडीज मच्छर के प्रकार 'एडीज एल्बोपिक्टस' पहली बार 2000 के दशक के शुरुआत में पाया गया था।
- तब से लेकर यह एडीज मच्छर भूमध्यसागरीय और मध्य यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गया है
- वर्तमान में यूरोप में एडीज मच्छर की आबादी पूरी इटली, क्रोएशिया, अल्बानिया, स्लोवेनिया, हंगरी, फ्रांस, स्विटजरलैंड, दक्षिणी जर्मनी, आस्ट्रिया सहित स्पेन में फैल चुका है।
- हालांकि अन्य मच्छरों के विपरीत एडीज मच्छर अपने प्रजनन क्षेत्र से बहुत दूर नहीं जा सकता जिसके कारण इसे अन्य क्षेत्रों में फैलने में अभिक समय लग सकता है

## डेंगू वायरस का यात्रा संबंधी संचरण

- मुख्य रूप से यूरोप में डेंगू का बढ़ता प्रसार यहाँ के लोगों का डेंगू स्थानिक वाले देशों की यात्रा से संबंधित है
- डेंगू स्थानिक देशों की यात्रा हरने वाले युरोपीय वहाँ संक्रमित होकर घर वापस आकर इसको प्रसारित कर सकते हैं।

## वैश्विक स्तर पर डेंगू के आंकड़े

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोप के बाहर डेंगू के मामले वर्ष 2010 से 2022 के दौर दुगुने से अधिक हो गए हैं।
- WHO के अनुसार वर्ष 2000 में वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामले लगभग 5 लाख था जो 2019 में बढ़कर 5.2 मिलियन हो गया है।
- हालांकि WHO के अनुसार डेंगू के मामले की रिपोर्ट बहुत कम की जाती है इसलिए ऐसा अनुमान है कि डेंगू के प्रति वर्ष, दुनियाभर में लगभग 400 मिलियन के करीब मामले हो सकते हैं।

## डेंगू मच्छर का प्रसार

- डेंगू वायरस मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है।
- दुनिया भर डेंगू वायरस वाले मादा एडीज मच्छर के कई प्रकार पाए जाते हैं।
- डेंगू बीमारी एक मौसमी पैटर्न पर प्रसारित होता है जो आमतौर पर चरम मॉनसून के बाद आता है
- डेंगू बीमारी में प्रत्येक वर्ष जुलाई से नवंबर तक बढ़ोत्तरी देखी गई है जो पूरे वर्ष समान रूप से प्रसारित नहीं रहता है।
- डेंगू मच्छर 16 डिग्री से नीचे तापमान पर नहीं पनपता है तथा यह अपने प्रजनन क्षेत्र से 400 मीटर की सीमित दूरी तक ही उड़ सकता है।

## डेंगू का पता लगाने का परीक्षण तरीका

- डेंगू वायरस के पता लगाने के तरीके को 'एलिसा टेस्ट' के नाम से जाना जाता है।
- यह एलिसा टेस्ट IgM कोई IgG एंटीबॉडी परीक्षण और NS1 एंटीजन परीक्षण के तहत होता है।
- संक्रमित व्यक्ति के रक्त नमूने में अगर IgM या Ig4 एंटीबॉडी का पता चलता है तो यह 'डेंगू वायरस' की पुष्टि करता है।
- NS1 एंटीजन परीक्षण संक्रमित व्यक्ति डेंगू के लक्षण आने से पहले ही तीव्र परीक्षण की अनुमति देता है।

## डेंगू बुखार के सामान्य लक्षण

- 2 से 7 दिनों तक शरीर के तापमान में अचानक वृद्धि
- सिरदर्द
- कमजोरी
- त्वचा पर खुजली और दाने
- रक्त प्लेटफैट्स में गिरावट
- रक्तस्राव
- पेट में दर्द, उल्टी, बेचैनी, चिडविड़ापन

## भारत में डेंगू

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले एक साल में हर दिन लगभग 600 से अधिक डेंगू के मामले सामने आए हैं
- भारत में डेंगू का पहला मामला 1996 में आया था, तब से लेकर अब तक यहाँ डेंगू के प्रसार में 1312 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।



## Notes:-

# EVM का Burn Memory Verification



## चर्चा में क्यों?

- हाल ही में 2024 की लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों की समाप्ति के बाद इन चुनाव में भागीदार 11 उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) तथा मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की बर्न मेमोरी की जाँच के लिए चुनाव आयोग में आवेदन किया है।
- EVM और VVPAT की बर्न मेमोरी की जाँच के लिए आवेदन करने वाले 11 उम्मीदवारों में 8 उम्मीदवार ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जबकि अन्य तीन उम्मीदवार आंध्रप्रदेश और ओडिसा में विधान सभा चुनाव में उम्मीदवार थे।
- इन आवेदकों में से है भाजपा और कांग्रेस के तीन-तीन उम्मीदवार तथा डीएमके (DMK) तथा वाईएसआरसीपी (YSRCP) के एक-एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार है।

## सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार की गई आवेदन

- 26 अप्रैल 2024 को उच्चतम न्यायालय की जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की दो जजों वाली बेंच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिकॉमर्स बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मामले में फैसला सुनाते हुए EVM के बदले मतपत्रों से चुनाव कराने और वीवीपैट (VVPAT) पत्रियों की 100% गिनती संबंधित याचिका खारिज कर दी।
- दो जजों वाली उच्चतम न्यायालय की इस बेंच ने चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र के 5 प्रतिशत EVM मशीनों एवं VVPAT की बर्न मेमोरी को आवेदन के आधार पर सत्यापन का निर्देश दिया।
- इसके लिए उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों को मतदान केन्द्र या सीरियल नम्बर के आधार पर EVM का चुनाव करना होगा।
- इन चुनी गई EVM मशीनों की बर्न मेमोरी को प्रति विधानसभा क्षेत्र / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के EVM के इंजीनियरों के द्वारा जाँच और सत्यापन किया जाएगा।
- अदालत के अनुसार EVM और VVPAT की बर्न मेमोरी के सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधि को उपस्थित रहना होगा।
- अदालत के अनुसार इस प्रक्रिया में आन के लिए वास्तविक लागत था खर्च हो चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा जिसे उम्मीदवारों को भुगतान करना होगा।

- इसके आलावा अदालत ने ये भी कहा कि अगर EVM और VVPAT की बर्न मेमोरी
- सत्यापन में कोई छेड़छाड़ की बात सामने आती है तो उम्मीदवारों का खर्च वापस कर दिया जाएगा।
- इन ग्यारह उम्मीदवारों के 5% निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर लगभग 118 मतदान केन्द्रों के EVM और VVPAT के सेट का सत्यापन किया जाता है।

## EVM का बर्न मेमोरी क्या है?

- EVM के बर्न मेमोरी का तात्पर्य है मशीनों के प्रोग्रामिंग चरण पूरा हो जाने के पश्चात इसे इसमें इस्तेमाल होने वाली सॉफ्टवेयर मेमोरी को स्थायी रूप से लाक कर देना।
- चुनाव आयोग के अनुसार EVM में उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को वन टाइम
- प्रोग्रामेबल / मास्टकड चिप में बर्न कर दिया जाता है जो प्रोग्राम को दोबारा पढ़नेव बदलने की अनुमति नहीं देता है।
- बर्न मेमोरी में प्रोग्राम को 10 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

## सत्यापन के लिए क्या प्रक्रिया है?

- 1 जून को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने EVM और VVPAT की बर्न मेमोरी की जाँच और सत्यापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Sop) जारी की, हालांकि इसको अगस्त तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

## SoP के प्रमुख तथ्य

- जाँच एवं सत्यापन की पूरी प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) की देख रेख में होगा
- आवेदक उम्मीदवार को EVM और VVPAT के प्रति सेट के लिए 40,000 रुपये जमा करना होगा
- जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) द्वारा ऐसी आवेदन की सूची राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे जो EVM बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) को सूचित करेंगे।
- जाँच एवं सत्यापन के लिए आवश्यक स्ट्रॉंग रूम होगा जो सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगे।
- जाँच के दौरान सेल फोन, कैमरे सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित होंगे।

## इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Electronic voting Machine) को आइआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर एजीराव और रवि पूर्वैया की टीम द्वारा डिजाइन किया गया था।
- इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित इस वोटिंग मशीन में दो मुख्य प्रौद्योगिकी ऑप्टिकल स्कैनिंग और डायरेक्ट रिकॉडिंग मौजूद है।
- ऑप्टिकल स्कैनिंग वोटिंग सिस्टम प्रत्येक मतपत्र की एक इलेक्ट्रॉनिक छवि बनाता है जो प्रत्येक उम्मीदवार के नाम तथा चुनाव चिन्ह के टैली करके संग्रहित करता है।
- मतदाता ऑप्टिकल स्कैन के द्वारा संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर अपने उम्मीदवार के नाम एवं चुनाव चिन्ह को देखकर विकल्प चुन सकता है।

- डायरेक्ट रिकॉर्डिंग (DRE) सिस्टम ऑप्टिकल स्कैनिंग से केबल के द्वारा जुड़ा रहता है जो मतदान डाटा को मेमोरी में दर्ज करता है।
- डायरेक्ट रिकॉर्डिंग सिस्टम के तहत दर्ज किए गए डाटा का मिलन एक पेपर टेप जिसे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) कहा जाता है में प्रिंट किए गए पत्रों के तहत होता है।

## इतिहास

- आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर एजी राव और रवि पुवाया की टीम द्वारा डिजाइन किया गया EVM का चुनाव आयोग ने 1977 में रखा जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया (ECIL) को इसके विकास की जिम्मेदारी दी गई।
- वर्ष 1979 में EVM की एक मॉडल विकसित किया गया जिसे सभी राजनीतिक दलों को इससे अवगत कराया गया।
- 6 अगस्त 1980 को भारत की सार्वजनिक कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) को इसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी गई।
- EVM का परीक्षण सर्वप्रथम 1982 के केरल के परवूर विधानसभा के उपचुनाव में किया गया।
- हालांकि इस चुनाव में उपयोग किए गए EVM के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिस पर फैसला सुनाते हुए इसके उपयोग पर रोक लगा दी।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए कहा कि चूंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 59-61 में चुनाव के लिए कागज के मतपत्रों का उल्लेख है इसीलिए सरकार को EVM का चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए भारतीय संसद को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करना होगा।
- इसके बाद वर्ष 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं दिल्ली के लगभग 25 विधानसभा क्षेत्रों में प्रायोगिक रूप से EVM का इस्तेमाल किया गया।
- मई 2001 में आयोजित तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए EVM का उपयोग किया गया।
- वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में EVM से चुनाव संपन्न कराया गया।
- वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग ने EVM में मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की अध्ययन के लिए एक विशेष तकनीकी समिति नियुक्त की।
- वर्ष 2013 में पहली बार VVPAT को परीक्षण के लिए नागालैंड के नोकसेन विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया।
- 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के लिए EVM के साथ VVPAT लागू किया गया।
- 2014 के आम चुनाव से लेकर सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव EVM एवं VVPAT के साथ संपन्न कराए जा रहे हैं।

## EVM से चुनाव कराने वाले अन्य देश

- भारत सहित ब्राज़ील, फिलिपींस, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, वेनेजुएला, नामीबिया, मिस्र, भूटान, नेपाल सहित दक्षिण अमेरिका और एशिया के देश EVM से चुनाव कराने में रुचि दिखा रहे हैं।
- भारत, नेपाल, भूटान, नमिबीया और केन्या को चुनाव के लिए EVM निर्यात करता है।
- हालांकि कुछ देशों जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड सहित 11 से अधिक देशों ने चुनाव में EVM के उपयोग के बाद इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया।



## Notes:-

# What led to the deadly landslide in Papua New Guinea



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में 24 मई को पापुआ न्यू गिनी के यमबली गाँव में आए विशाल भूस्खलन के कारण पहाड़ के कुछ हिस्से गिर गए।
- इस विनाशकारी भू-स्खलन के कारण 2000 से अधिक लोगों के दबे होने का अनुमान लगाया गया है जबकि इस प्राकृतिक आपदा से लगभग 70 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए।
- इस घटना के बाद जारी बचाव कार्य में अभी भी काकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ की चट्टानें अभी भी हिल रही हैं और पहाड़ अभी भी टूट रहे हैं।
- मलबे के अंदर जीवित बचे व्यक्ति के मिलने की संभावना कम या ना के बराबर होने के कारण स्थानीय गंगा द्वारा मलबे में दबे मृत लोगों के अंतिम संस्कार का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया जिन्हें स्थानीय भाषा में 'होस क्राय' के रूप में जाना जाता है।
- पापुआ न्यू गिनी भूस्खलन और भूकंप के प्रति संवेदनशील क्यों है?
- पापुआ न्यू गिनी में लगातार हो रही भू-स्खलन और भूकंप की घटनाओं लिए इस देश की भौगोलिक स्थिति मुख्य कारणों में से एक है।
- पापुआ न्यू गिनी, प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में स्थित है।
- प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर क्षेत्र सैकड़ों जीवित ज्वालामुखियों और भूकंप स्थलों की श्रृंखला का क्षेत्र है।
- इस क्षेत्र का आकार वलयाकार जो एक अर्धवृत्त या घोड़े के नाल जैसा है।
- इस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों से लगातार फिसलने, टकराने या एक दूसरे के ऊपर या नीचे आ जाने की लगातार घटनाओं के कारण कई भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं होती रहती है।
- बार-बार आ रहे इस भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट की घटना के कारण पापुआ न्यू गिनी में बड़ी संख्या में भू-स्खलन की घटनाएं भी होती रहती हैं।
- पापुआ न्यू गिनी के पहाड़ी इलाके एवं इस क्षेत्र की उष्णकटिबंधीय जलवायु जैसे अन्य भौगोलिक कारक भी यहाँ अधिक मात्रा में भू-स्खलन के जिम्मेदार कारकों में से एक है।

- विशेषज्ञों के अनुसार ज्यादा पहाड़ी इलाके एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में भारी वर्षा, तूफान एवं उच्च ज्वार के कारण बाढ़ और कटाव जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ा देती है जो भू-स्खलन की घटनाओं को बढ़ावा देता है।
- पापुआ न्यू गिनी में ताइवान, इटली और जापान जैसे अन्य देशों के विपरीत प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बुनियादी ढाँचे और आर्थिक विकास का अभाव है जिसके कारण देश में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हताहत होने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है।
- उपरोक्त कारकों के अलावा कृषि के लिए ज्यादा मात्रा में वनों की कटाई और खनन कार्यों के कारण यहाँ अधिक 'भू-स्खलन' का सामना करना पड़ता है।
- ज्ञातव्य हो कि पापुआ न्यू गिनी दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा 'ताड़ के तेल' का निर्यातक है जहाँ 'ताड़' के तेल के बगान जंगलों को काटकर लगाए जा रहे हैं।
- इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी में सोना, चाँदी, निकेल, ताँबा तथा कोबाल्ट का खनन वाले क्षेत्र में भू-स्खलन की समस्या गंभीर होती जा रही है।

## जलवायु परिवर्तन ही भूमिका

- दुनिया के अन्य देशों की तरह पापुआ न्यू गिनी भी जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से अछूता नहीं है।
- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है अनुसार पापुआ न्यू गिनी के वार्षिक औसत तापमान में (1885-1900) की तुलना में 0.8-0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण इस देश में चरम मौसम की घटनाओं की बारंबारता और अधिक तीव्र हो गई है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे तापमान वृद्धि के कारण अधिक वाष्पीकरण होने के कारण वातावरण में नमी की मात्रा अधिक बनी रहती है जो क्षेत्र में अधिक वर्षा तीव्रता का कारण बनती है।
- वर्ष 2024 में अब तक पापुआ न्यू गिनी में तीव्र और भारी वर्षा हुई है जो हालिया 'भू-स्खलन' का जिम्मेदार कारक हो सकता है।

## रिंग ऑफ फायर

- प्रशांत महासागर में स्थित 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र अधिकांश प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को कवर करता है जिसकी लंबाई 40 हजार किमी और चौड़ाई 500 किमी है।
- 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र को पैसिफिक रिंग, 'गर्डल ऑफ फायर' या 'सर्कम-पैसिफिक बेल्ट' के नाम से भी जाना जाता है।
- 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र का निर्माण प्रशांत महासागर के चारों ओर विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने के कारण हुआ।
- रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में दुनिया के लगभग 90 प्रतिशत से अधिक भूकंप आते हैं।
- रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में लगभग 750 से 915 सक्रिय या निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो दुनिया के कुल ज्वालामुखी का लगभग दो-तिहाई है।

## पापुआ न्यू गिनी (एक परिचय)

- पापुआ न्यू गिनी आधिकारिक तौर पर 'ओशिनिया' समूह का एक देश है।
- पापुआ न्यू गिनी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 462.840 वर्ग किलोमीटर है।
- 1 जुलाई 1949 से पहले 'पापुआ न्यू गिनी' ऑस्ट्रेलिया द्वारा शासित था।
- 16 दिसंबर 1975 को इस देश को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई।

## जनसंख्या- लगभग 12 करोड़ (2011 के अनुसार)

- GDP- 41.785 बिलियन डॉलर
- राजधानी- पोर्ट मोरस्वी
- पापुआ न्यू गिनी वर्ष 1976 से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) का एक पर्यवेक्षक देश रहा है।
- पापुआ न्यू गिनी में भूकंप की घटनाएं-
- पापुआ न्यू गिनी 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ भूकंप के कारण भू-स्खलन की घटनाएं लगातार होती है।
- कुछ भूकंपीय घटनाएं-
- 1.17 जुलाई 1998
- भूकंप की तीव्रता- 7
- 2180 लोगों की मृत्यु
- 2.सितंबर 2002
- तीव्रता- 7.6
- स्थान- सैन्डोन प्रांत के देवाक तट
- 6 लोगों की मृत्यु
- 3.मार्च-अप्रैल 2018
- वर्ष 2018 के मार्च अप्रैल में पापुआ न्यू गिनी के हेला प्रांत में भूकंप की लगातार श्रृंखला एवं भू-स्खलन के कारण लगभग 200 लोगों की मौत हो गई।
- 4.11 सितंबर 2022
- स्थान- लास् और मदांग शहर
- 7 लोगों की मौत



## Notes:-

# FTI-TTP



## हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम' यानि 'FTI-TTP' प्रणाली का उद्घाटन दिया।
- गृह मंत्री ने कहा कि यह प्रणाली जल्द ही मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद सहित अन्य 13 हवाई अड्डों तक प्रसारित की जाएगी।
- वर्तमान में यह सुविधा सिर्फ भारतीय नागरिकों एवं OCI कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध होगी।

## क्या है FTI-TTP प्रणाली

- गृह मंत्रालय के अनुसार, यह प्रणाली यात्रियों के बायोमैट्रिक्स को संग्रहित कर डेटाबेस में रखेगा, जिसका उपयोग यात्रियों के real time (वास्तविक समय) सत्यापन के लिए किया जाएगा।
- यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि यात्रियों के आवागमन में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप हो।
- गृह मंत्रालय के अनुसार यह सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
- यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, जो तेज, सुगम और सुरक्षित आब्रजन निकासी के लिए महत्वपूर्ण होगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य स्वचालित द्वारों (इलेक्ट्रॉनिक गेट) के माध्यम से जांचे गए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए त्वरित आब्रजन निकासी के माध्यम से विश्व स्तरीय आब्रजन निकासी सुविधाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान एवं सुरक्षित बनाना है।
- कैसे काम करेगा यह प्रणाली -
- गृह मंत्रालय के अनुसार FTI-TTP प्रणाली को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया जायेगा।
- इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के आब्रजन को तेजी से ट्रैक करने के लिए आब्रजन ब्यूरो (Immigration Bureau) नोडल एजेंसी होगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर पंजीकरण (Registration) करना होगा तथा अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 'विश्वसनीय यात्रियों' की एक सूची तैयार होगी, जिसे स्वचालित द्वारों (इलेक्ट्रॉनिक गेट) पर भेजा जाएगा।

- विश्वसनीय यात्रियों के बायोमैट्रिक्स की विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या हवाई अड्डे से गुजरते समय संग्रहित (capture) किया जाएगा।
- इस प्रक्रिया के तहत, जैसी ही पंजीकृत यात्री स्वचालित गेट पर अपना बोर्डिंग स्कैन करेंगे, तत्काल उनका पासपोर्ट एवं बायोमैट्रिक्स को स्कैन कर प्रमाणित किया जाएगा और पहचान सत्यापित होते ही स्वचालित गेट अपने-आप खुल जाएगा और इमिग्रेशन क्लियरेंस दिया हुआ माना जाएगा।

## पंजीयन की वैधता

- एक बार रजिस्ट्रेशन किए जाने के बाद इसकी वैधता 5 साल या पासपोर्ट की वैधता, जो भी कम हो, तक रहेगी।
- अर्थात् पंजीकरण की अधिकतम वैधता 5 वर्ष होगी।
- यात्रियों द्वारा पंजीकरण को नवीनीकृत (Renewable) कराये जाने की सुविधा होगी।

## OCI यानि overseas citizen of India

- गृह मंत्रालय ने OCI उसे माना है :- जो,
- 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत का नागरिक था,
- 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक बनने योग्य था।
- या वह उपरोक्त दोनों श्रेणियों में से किसी एक में शामिल व्यक्ति की संतान या पोता-पोती (grand child) है तथा अन्य मानदण्डों को भी पूरा करता है।
- वह 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल किए गए किसी भाग का निवासी हो।
- OCI कार्ड नियमानुसार, यदि व्यक्ति या उसके माता-पिता या दादा-दादी, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे तो उसे OCI कार्ड प्राप्त नहीं होगा।
- उपरोक्त प्रावधान 2005 में जोड़ा गया था।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015 के द्वारा भारत सरकार ने OCI श्रेणी को भारतीय मूल के व्यक्ति (People of Indian origin) के साथ वर्ष 2015 में विलय कर दिया।

## अनिवासी भारतीय

- Non-Resident Indian यानि अनिवासी भारतीय (NRI) ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो या तो भारतीय नागरिक भारतीय हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं।
- किसी भारतीय नागरिक को NRI तभी माना जाएगा, जब वह एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल-31 मार्च) के दौरान कम-से-कम 183 दिन भारत से बाहर रहा हो।
- NRI को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, एवं उन्हें अपने आय पर Income tax return का भुगतान करना भी आवश्यक है।
- अगर बोर्ड NRI विदेशी नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता त्यागनी होगी, क्योंकि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है।

# G-7 History, 50th Summit and Challenges



## इतिहास

- G-7 की उत्पत्ति 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों विशेषकर 1973 में उत्पन्न हुए वैश्विक तेल संकट के दौरान 5 देशों के वित्त मंत्रियों के अनौपचारिक बैठक से हुई।
- इन 5 देशों में फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, USA, जापान एवं ग्रेट ब्रिटेन शामिल था।
- वर्ष 1975 में फ्रांस के नेतृत्व में 5 देशों ने रामबौइलेट (फ्रांस) में वैश्विक तेल संकट पर विस्तृत चर्चा की।
- वर्ष 1975 में इन 5 देशों ने इटली को शामिल कर G-6 यानि Group of 6 का गठन किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए मंच बनाना था।
- वर्ष 1976 में कनाडा को शामिल कर G-7 बना और G-7 की पहली औपचारिक बैठक USA के नेतृत्व में प्यूरटोरिको में आयोजित की गई।
- यूरोपीय यूनियन हालांकि G-7 का सदस्य नहीं है लेकिन वर्ष 1981 से G-7 की बैठकों में भागीदारी करता रहा है।
- वर्ष 1997 में रूस को शामिल कर G-8 बना, लेकिन रूस द्वारा क्रीमिया पर अधिकार कर लेने के बाद वर्ष 2014 में रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया और पुनः यह G-7 बन गया।

## वैश्विक महत्व

- G-7 के देश विश्व के आर्थिक महाशक्तियों में शामिल हैं।
- वैश्विक GDP में इन देशों का योगदान लगभग 45% है, जबकि जनसंख्या में 10% का योगदान देते हैं।

## चर्चा में क्यों ?

- 13 जून से शुरु हो रहे 50 वें G-7 की शिखर बैठक की अध्यक्षता इटली कर रहा है।
- यह शिखर सम्मेलन 13-15 जून के बीच इटली के अपुलिया क्षेत्र में बोर्गो इग्नाजिया रिसॉर्ट में आयोजित की रही है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख शामिल होंगे।
- इटली 7 वीं बार G-7 की अध्यक्षता कर रहा है।
- 48 वाँ G-7 शिखर बैठक जर्मनी में आयोजित की गई थी जबकि 49 वाँ जापान में आयोजित हुआ था।
- G-7 के शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रति वर्ष की जाती है तथा अध्यक्षता का चयन सदस्य देशों के बीच Rotation system (बारी-बारी से) द्वारा निर्धारित होता है।
- G-7 का सदस्य बनने के लिए कोई औपचारिक का मानदंड का निर्धारण नहीं है।

## आउटरीच देश

- वर्ष 2003 से G-7 में आउटरीच सदस्यों की शिखर बैठकों में आमंत्रण दिया जाने लगा, जिसमें मुख्यतः एशिया एवं अफ्रीका के विकासशील देशों को निमंत्रित किया जाता है।
- इस बार के शिखर सम्मेलन में भारत सहित 11 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। इन देशों में ब्राजील, अर्जेंटीना, मिस्र, मॉरिटानिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, केन्या एवं संयुक्त राष्ट्र संघ शामिल है।

## भारत की भागीदारी

- यह 11वां मौका होगा, जब भारत G-7 की बैठक में आउटरीच देश के रूप में भाग लेगा।
- इससे पूर्व भारत 2003 (फ्रांस), 2005 (UK), 2006 (रूस), 2007 (जर्मनी), 2008 (जापान), 2009 (इटली), 2019 (फ्रांस), 2021 (UK), 2022 (जर्मनी) एवं 2023 (जापान) की अध्यक्षता में इसमें भाग ले चुका है।
- महत्वपूर्ण तथ्य यह है की सभी बैठकों में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह 5 वीं बैठक होगी।

## ऐसा बार के प्रमुख मुद्दे

- इंडो- पेसिफिक क्षेत्र और चीन की बढ़ती शक्ति
- जलवायु परिवर्तन
- शरणार्थी समस्या
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- रूस यूक्रेन युद्ध

## 50 वां सम्मेलन और चुनौतियां

- इस सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को दिए रहे सहायता को दोगुना करने तथा चीन की बढ़ती राजनीतिक एवं आर्थिक महत्वाकांक्षा को संतुलित करने के लिए एक मत होना सबसे प्रमुख मुद्दों में है।
- G-7 नेताओं ने रूस की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज का उपयोग का यूक्रेन के लिए 50 बिलियन डॉलर के ऋण के लिए सहमति प्रकट की है।
- पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेन्स्की बैठक में हिस्सा लेंगे।
- इस बैठक के दौरान जेलेन्स्की एवं जो बाइडेन एक दीर्घकालिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं जिसके बारे में USA के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के लिए यूक्रेन के सहयोगियों के सामने लंबे वक्त तक टिकना संभव नहीं है।

## चीन पर प्रहार

- रूस के प्रतिबंधों को तीव्र करते हुए USA ने चीन के उन कंपनियों पर भी निशाना साधा है जो रूस को सेमीकंडक्टर उत्पाद बेचती है।
- हाल ही में USA ने चीन पर नए प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन की कंपनियां शामिल हैं।



- 1 महीने पूर्व USA ने चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क को चौगुना बढ़ाकर 100% कर दिया था, अब यूरोपीय आयोग ने घोषणा की है कि जुलाई से वह चीनी आयातित EV पर 38.1 % का अतिरिक्त शुल्क लगाएगा।

## सदस्य देशों के प्रमुख की चुनौतियां

- अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव संभावित है और कुछ दिन पहले ही जो बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन अवैध रूप से बंदूक खरीदने के लिए नशीली दवाओं के उपयोग के संबंध में झूठ बोलने के दोषी पाए गए थे।
- 4 जुलाई को यूके में चुनाव होने वाले हैं जिसमें ऋषि सुनक की स्थिति खराब बताई जा रही है।
- फ्रांस एवं जर्मनी के नेता भी राजनीतिक संकटों से गुजर रहे एवं जापान तथा कनाडा के प्रधानमंत्रियों के लिए जनमत निराशाजनक रहा है।
- सिर्फ इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इस मामले में सकारात्मक स्थिति में हैं।



## Notes:-

# Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary as India's second home for Cheetas



## चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गाँधी सागर वन्यजीव अभ्यारण को भारत के दूसरे चीतों (Cheetas) के घर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।
- ज्ञातव्य हो कि मध्य प्रदेश स्थित 'कुनो राष्ट्रीय उद्यान' पहले ही 'चीता' के घर के रूप में विकसित किया जा चुका है।
- मध्यप्रदेश सरकार के अनुसार 'गाँधी सागर वन्यजीव अभ्यारण' में चीतों के लिए उपयुक्त तैयारी करने के बाद नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से मानसून के बाद चीतों का आयात किया जा सकता है।

## गाँधी सागर वन्यजीव अभ्यारण ही क्यों ?

- गाँधी सागर वन्यजीव अभ्यारण, मध्यप्रदेश में राजस्थान की सीमा के करीब मंदसौर और नीमच जिलों में 368.62 वर्ग किमी में फैला हुआ क्षेत्र है।
- यह अभ्यारण चट्टानी पठार पर स्थित है जो 'चंबल नदी अभ्यारण' को लगभग दो भागों में विभाजित करती है।
- 1960 में चंबल नदी पर निर्मित 'गाँधी सागर बाँध' इसी अभ्यारण क्षेत्र में स्थित है जिसमें इसके जलाशय के कुछ हिस्से भी आते हैं।
- गाँधी सागर वन्यजीव अभ्यारण का पारिस्थितिकी तंत्र सवाना पारिस्थितिकी क्षेत्र के समान है जिसमें सूखे पर्णपाती पेड़ों और झाड़ियों के साथ खुले घास के मैदान शामिल हैं।
- इस अभ्यारण की नदी घटियां सदाबहार वन से भरपूर हैं।
- वन्यजीव अधिकारियों के अनुसार गाँधी सागर वन्यजीव अभ्यारण की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं पारिस्थितिकी तंत्र इसे चीतों के लिए आदर्श निवास स्थान 'मसाई मारा' की तरह बनाता है।
- 'मसाई मारा' केन्या में स्थित एक राष्ट्रीय अभ्यारण है जो सवाना जंगल सहित चीतों, शेरों, जिराफो जैसे वन्यजीव के आदर्श आवास के रूप में प्रसिद्ध है।
- वन्यजीव अधिकारियों के अनुसार 'कुनो राष्ट्रीय उद्यान' के बाद चीतों के लिए 'गाँधी सागर राष्ट्रीय उद्यान' आदर्श आवास के रूप में उभर सकता है।
- वन्यजीव अधिकारियों के अनुसार गाँधी सागर अभ्यारण में चीता के आवास को लगभग 2,000 वर्ग किमी क्षेत्र तक विस्तारित किया जा सकता है लेकिन इसके लिए राजस्थान के भैंसरोडगढ़ अभ्यारण के साथ-साथ मध्यप्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों के क्षेत्रीय प्रभागों को विस्तारित करने की आवश्यकता होगी।
- यानी इस क्षेत्र के विस्तार के लिए राजस्थान और मध्यप्रदेश को 'एकीकृत प्रबंधन योजना' के तहत काम करना पड़ेगा।

## गाँधी सागर अभ्यारण की तैयारी

- वर्तमान में गाँधी सागर वन्यजीव अभ्यारण में 17.72 करोड़ की लागत से लगभग 64 वर्ग किमी क्षेत्र को चीते की आवास के रूप में विकसित किया गया है।
- चीतों के आगमन के बाद उनके सुरक्षित आवास के लिए लगभग 1 वर्ग किमी का बाड़े (बोमा) का निर्माण किया गया है जो चार बराबर भागों में बांटा गया है।
- यहाँ एक अस्पताल (चीतों के लिए) के निर्माण के अलावा मौजूदा पारिस्थितिकी गतिशीलता का आकलन के लिए शाकाहारी और शिकारी वन्यजीव की व्यापक स्थिति का आकलन किया जा रहा है।

## चुनौती

- गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण में चीतों को जीवित रखने के लिए सर्वप्रथम उनके शिकार आधार में वृद्धि करना है।
- अर्थात इस अभ्यारण में ऐसे जानवरों की संख्या में वृद्धि करना है जिनका 'चीता' आसानी से शिकार कर सकते हैं।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार नर चीता अपने भाई-बहन सहित लगभग तीन से पाँच सदस्यों के साथ जबकि मादाएं अधिक समय एकान्त जीवन बिताती हैं।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार एक चीता परिवार (लगभग 5 सदस्य) के लिए लगभग 350 'अनगुलेट्स की आबादी' की आवश्यकता होती है।
- अनगुलेट्स जानवरों का एक विविध समूह है जिसमें बड़े स्तनधारी, हिरण, चीतल तथा चिकारा जैसे जीव शामिल है।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान के आकलन के अनुसार गाँधी सागर में 7 से 8 चीतों के परिवार के शिकार आधार के लिए लगभग 1500 चीतल, 1000 काले हिरण सहित 350 चिकारा को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
- मध्यप्रदेश वन्यजीव अधिकारियों के अनुसार गाँधी सागर अभ्यारण में कान्हा, सतपुड़ा और संजय गाँधी अभ्यारणों से चीतल और गौर (भारतीय बाइसन) का स्थानांतरण किया गया है।
- हालांकि गाँधी सागर अभ्यारण में चीतों के लिए अपर्याप्त शिकार आधार अभी भी एक जटिल मुद्दा बना हुआ है जिसे पूरा करने के लिए अधिकारी 5000 मृगों को स्थानांतरित करने पर जोर दे रहे हैं।

## अन्य चुनौतियां

- कुनो नेशनल पार्क की तरह गाँधी सागर अभ्यारण में तेंदूओं की आबादी ज्यादा होने के कारण शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है।
- इसके अलावा इस अभ्यारण में कई अन्य शिकारी जीव जैसे स्लॉथ मालू, धाड़ीदार लकड़बगघे, भूरे भेड़िये, सियार, लोमडियां सहित दलदली मगरमच्छ हैं जो चीतों के शिकार आधार को नुकसान पहुंचाने सहित जंगली मुठभेड़ को बढ़ाएंगे जो इस क्षेत्र में चीतों के विकास को प्रभावित कर सकता है।

## कुनो राष्ट्रीय उद्यान

- कुनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण है।
- कुनो राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसके क्षेत्र से होकर गुजरने वाली 'कुनो नदी' के नाम पर रखा गया है।

- 1981 में स्थापित, 344.68 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला यह अभ्यारण मध्यप्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में फैला हुआ है।
- वर्ष 2018 में इस उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया।
- यह राष्ट्रीय अभ्यारण भारतीय तेंदुआ, अफ्रीकी-चीता, जंगली बिल्ली, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा और काला हिरण के आवास के रूप में जाना जाता है।
- इसके अलावा यह अभ्यारण मगरमच्छ, घड़ियाल, भारतीय सॉफ्टशेल कछुए जैसे सरीसृप सहित 129 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों का निवास स्थल है।

### गाँधीसागर बाँध

- गाँधी सागर बाँध, भारत के मध्यप्रदेश में चंबल नदी पर बना है जो मंदसौर जिले में स्थित है।
- 62.17 मीटर ऊँचाई वाले इस बाँध के निर्माण की आधारशिला वर्ष 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी जो 1960 में बनकर तैयार हुआ।
- इस बांध की जल भंडारण क्षमता 7.322 विलियन क्यूबिक मीटर है।
- इस बाँध के निचले हिस्से में एक पनबिजली स्टेशन है जो लगभग 564 गीगावॉट बिजली का उत्पादन करता है।
- बिजली उत्पादन के बाद, यहाँ से छोड़ा गया पानी लगभग 427,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की जाती है।

### भारत में चीता

- विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार मुगलकालीन भारत में लगभग 1000 से अधिक चीते थे लेकिन ब्रिटिश उपनिवेश कालीन समय में बढ़ती शिकारी गतिविधियों ने इसकी संख्या में कमी ला दी।
- वर्ष 1952 में 'चीता' को आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया।
- वर्ष 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 में चीतों को भारत में वापस लाने के लिए नामीबिया के साथ चीतों के पुनरुत्पादन और फोरेसिक विज्ञान सहयोग पर समझौता किया।
- इस समझौते के तहत 17 सितंबर 2022 को 12 चीतों को नामीबिया से लाकर कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया।
- वर्ष 2023 के जनवरी में भारत में दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत दक्षिण अफ्रीका अगले 10 वर्षों तक भारत को प्रति वर्ष 12 चीते की आपूर्ति करेगा।
- वर्तमान में भारत में कुल 20 चीते (शावक के साथ) है जो 'कुनो नेशनल पार्क' में है।
- भारत सरकार द्वारा यह अभियान 'प्रोजेक्ट चीता' के अर्न्तगत आता है।

### 'प्रोजेक्ट चीता'

- वर्ष 2009 में भारत सरकार ने भारतीय वन्यजीव अभ्यारण की मदद से सितंबर 2022 में 'प्रोजेक्ट चीता' नामक महत्वाकांक्षी प्रयास लांच किया जिसका मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी चीतों को भारत लाकर उसका पुनरुत्पादन करना था।

### Notes:-



# GST And GST COUNCIL



## हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में 22 जून को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53 वीं वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।
- GST परिषद की इस बैठक में दूध के डिब्बे एवं सोलर कुकर जैसी वस्तुओं पर कर (Tax) की सिफारिश की गई थी। हिमाचल एवं जम्मू कश्मीर के सेब किसानों को राहत देते हुए सेब के डिब्बों पर GST, 18% से घटाकर 12% करने की घोषणा की गई।
- GST परिषद की इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री सहित बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री ने भाग लिया।

## वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?

- वस्तु एवं सेवा कर यानी Goods and Service Tax (GST) वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया अप्रत्यक्ष टैक्स है।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) को पहली बार 28 फरवरी 2006 को बजट भाषण के रूप में संसद में पेश किया गया जो 1 जुलाई 2017 को गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स अधिनियम के रूप में पूरे देश में लागू हुआ।

## GST का इतिहास

- वर्ष 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने पहली बार वस्तु एवं सेवा कर (GST) की अवधारणा प्रस्तुत की तथा इस नए प्रत्यक्ष कर का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया।
- वर्ष 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने GST को पहली बार अपने बजट भाषण में पेश किया जिसमें इसे 1 अप्रैल 2010 तक पूरे भारत में लागू करने की बात कही गई।
- वर्ष 2010 में GST के संरचनात्मक एवं कार्यान्वयन संबंधी समस्या के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।
- वर्ष 2013 में GST के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई स्थाई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- वर्ष 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने संसद में संशोधित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक प्रस्तुत किया।

- वर्ष 2015 में इस विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिली तथा वर्ष 2016 में राज्यसभा में पारित होने के साथ इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई।
- अंततः 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक कानून के रूप में पूरे देश में लागू हो गया।

## GST के तहत सम्मिलित करों (Taxes) की सूची

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून को 'एक राष्ट्र एक कर' (One Nation One Tax) के उद्देश्य से देश में मौजूद कई अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर 'एक कर' के रूप में पेश किया गया।
- 'एक राष्ट्र एक कर' की उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं पर एक केंद्रीकृत और एकीकृत कर प्रणाली लागू करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर कानून लागू किया गया।
- GST के अंतर्गत एकीकृत किए गए विभिन्न कर के इस प्रकार हैं:-
- केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रतिपूरक शुल्क आदि शामिल हैं।
- राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष करों में राज्य वैट, लकजरी टैक्स, विज्ञापनों पर कर, प्रवेश कर और चुंगी शुल्क, क्रय कर, सट्टा, लॉटरी और जुए पर कर, मनोरंजन कर, उपकार और अधिकार से संबंधित वस्तुएं और सेवाएं कर को GST के दायरे में रखा गया।

## GST के प्रकार

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) को इसमें शामिल लेन-देन के आधार पर इसे चार भागों में विभाजित किया गया है।
- 1. राज्य माल एवं सेवा कर (SGST)
- यह राज्य के अंदर सेवाओं एवं उत्पादों की बिक्री पर लागू कर है।
- 2. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST)
- GST का यह प्रकार अंतर राज्यीय उत्पादों की आपूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है।
- 3. संघ शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर (UTGST)
- GST का यह प्रकार केंद्रशासित प्रदेशों की उत्पादों और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है।
- 4. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST)

## GST की दरें

- वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा 5 तरह की कर निर्धारित की गई है जो 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28% के रूप में है।
- बहुत सारी वस्तुएं जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर के तहत छूट दी गई है उन पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है।
- संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 (A) के तहत जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में तथा केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं।
- इस अलावे इस परिषद में प्रत्येक राज्य द्वारा एक प्रभारी मंत्री को इस परिषद में नामित करने की अनुमति देता है।

## स्थापना का उद्देश्य

- संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी से परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर संघ और राज्यों को सिफारिश करना है जिनमें वस्तुओं एवं सेवाओं को GST के तहत लगने या GST से छूट देने की सिफारिश से शामिल हैं।
- यह परिषद GST से संबंधित विभिन्न स्लैब दरों को कुछ उत्पाद श्रेणियों के लिए संशोधित करने की आवश्यकता पर भी निर्णय लेती है।
- GST परिषद की पहली बैठक 22 दिसंबर 2016 को हुई थी।

## GST कानून लागू करने वाले अन्य देश

- वर्तमान में विश्व के 145 से अधिक देशों में GST लागू है जिनमें कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, ब्राजील, दक्षिण कोरिया सहित कई देश हैं।
- वर्ष 1954 में GST लागू करने वाला 'फ्रांस' दुनिया का पहला देश है।



## Notes:-

# How criminal based in Southeast Asia trapping Indians online



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (14C) ने एक रिपोर्ट पेश की है।
- इस रिपोर्ट में पाया गया है कि बड़ी संख्या में भारतीय लोग अपने निकटवर्ती दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों म्यांमार, लाओस और कंबोडिया स्थित अपराधियों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C) ने इस वर्ष जनवरी से अप्रैल तक प्राप्त आकड़े के अनुसार बताया कि भारतीयों के साथ इंटरनेट पर होने वाले कुल वित्तीय धोखाधड़ी का 46% उपरोक्त तीनों देशों से हुई है।
- इन तीनों देशों में स्थित अपराधियों द्वारा इन अवधि में लगभग 1776 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी की गयी है।
- नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर उपलब्ध डेटा के अनुसार इस वर्ष 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक इंटरनेट के माध्यम से की गयी वित्तीय धोखाधड़ी के 7.4 लाख शिकायतें दर्ज करायी गयी।
- हालांकि इसी पोर्टल पर पिछले वर्ष 2023 में इस प्रकार के मामले के कुल 15.56 लाख शिकायतें प्राप्त हुई थी।
- अन्य वर्षों 2019 में 26,049, 2020 में 2.57 लाख, 2021 में 4.52 लाख तथा 2022 में 9.66 लाख इस प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें इस पोर्टल के माध्यम से की गयी थी।

## साइबर काइम के प्रकार

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (14C) द्वारा उपरोक्त तीन देशों से होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी के आधार पर इस प्रकार के अपराध को चार श्रेणियों में विभाजित किया है-

## ट्रैडिंग घोटाला

- इस प्रकार के साइबर काइम में अपराधियों द्वारा सर्वप्रथम सोशल मीडिया पर मुक्त ट्रेडिंग टिप्स का विज्ञापन जारी किया जाता है जिसमें जाने-माने शेयर बाजार विशेषज्ञों की तस्वीरों तथा लेखों का इस्तेमाल किया जाता है।
- इन भ्रामक सोशल मीडिया विज्ञापन में पीड़ितों को टेलीग्राम चैनल व्हाटससप ग्रुप के माध्यम से जुड़ने के लिए कहा जाता है जहाँ उन्हें शेयरों में निवेश करके पैसा बनाने के लिए टिप्स (Tips) देने की बात कही जाती है।

- जब पीड़ित लोग टेलीग्राम चैनल या व्हाटससप (whatsapp) के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद उन्हें कुछ व्यापारिक एप्लिकेशन इंस्टॉल करने तथा खुद को इनमें पंजीकृत करने के लिए कहा जाता है।
- इन व्यापारिक एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के बाद पीड़ितों को निवेश करने के लिए कहा जाता है।
- हालांकि जो भी व्यापारिक एप्लिकेशन पीड़ित इंस्टॉल करते हैं, उनमें से कोई भी एप्स (APPS) शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकृत नहीं होता है।
- अब पीड़ितों द्वारा इन व्यापारिक एप्लिकेशन के एप्स (APPS) के माध्यम से किए गए निवेश में कुछ नकली लाभ दिखाई देने लगते हैं।
- लेकिन जब पीड़ित द्वारा अपने निवेशों से पैसा निकालने का प्रयास किया जाता है तो उन्हें एक संदेश प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता है कि आप इनमें से पैसा तभी निकाल सकते हैं जब आपके वॉलेट में एक निश्चित राशि (30 से 50 लाख) रुपये जमा हो।
- 14(C) द्वारा प्राप्त आंकड़े के अनुसार इस प्रकार के साइबर क्राइम के माध्यम से अब तक भारतीयों को ट्रेडिंग घोटाले में इस वर्ष 1420.48 करोड़ का नुकसान हुआ है।

## डिजिटल गिरफ्तारी

- इस प्रकार के साइबर क्राइम में सर्वप्रथम पीड़ितों को एक फोन कॉल आता है जिसमें उनको अवैध समान जैसे ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या अन्य प्रतिबंधित पार्सल के लिए दौषी ठहराया जाता है।
- इसके बाद अपराधी पीड़ितों से स्काइप या अन्य वीडियो कॉलिंग प्लेटफार्म से अक्सर पुलिस की वर्दी या अन्य किसी सरकारी कार्यालय की माध्यम से उनके अपराध के लिए समझौता (Settlement) करने के लिए फोन करके पैसे की मांग करते हैं।
- जबकि कुछ मामले में पीड़ितों को डिजिटल तरीके से तब तक उनसे संपर्क करने के लिए बाध्य किया जाता है जब तक की उनकी पैसे की मांग पूरी नहीं हो जाती।
- 14(C) के आंकड़े के अनुसार इस प्रकार के साइबर क्राइम में भारतीयों को इस साल अब तक कुल 120.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

## कार्य आधारित निवेश घोटाला

- इस प्रकार के साइबर घोटाले में पीड़ितों को आमतौर पर एक विदेशी नंबर से एक व्हाटसप संदेश प्राप्त होता है जिसमें उन्हें घर से काम करमे हुए 30 से 40 हजार प्रतिमाह कमाने का प्रस्ताव दिया जाता है।
- पीड़ितों को अपराधियों द्वारा कुछ संस्थाओं को पाँच सितारा (Five star) रेटिंग देने के लिए कहा जाता है।
- पीड़ितों द्वारा इन कार्य को पूरा करने के बाद उन्हें टेलीग्राम पर एक कोड प्राप्त होता है, जिन्हें अपने एडमिन से साझा करने के लिए कहा जाता है।
- इसके बाद एडमिन द्वारा किसी खास दिए गए खाते(Accounts) में कोई लाभ दिखाकर उन्हें इनमें और ज्यादा निवेश (1500 से 1 लाख रुपये) करके उच्च रिटर्न का वादा किया जाता है।
- 14(C) के आंकड़े के अनुसार इस प्रकार के कार्य आधारित निवेश घोटाले में अब तक इस वर्ष भारतीयों को कुल 222.58 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

## रोमांस/डेटिंग घोटाला

- इस प्रकार के साइबर क्राइम में विदेशी पुरुष, विदेशी महिलाएं बनकर या विदेशी महिलाएं पीड़ितों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से डेटिंग या शादी का प्रस्ताव रखकर व्यक्तिगत रूप से मिलने के योजना बनाते हैं।
- तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद पीड़ितों को फोन आता है कि वे उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं/रही हैं लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे छुटकारा पाने के लिए वे पैसे की मांग करते हैं।
- 14 (C) के अनुसार इस प्रकार के रोमांस/डेटिंग घोटाले में भारतीयों को इस वर्ष अब तक 13.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

## साइबर ठगी में दक्षिण पूर्व एशिया के देश ही क्यों ?

- 14 (C) द्वारा अपने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर उपलब्ध आंकड़े के अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँची कि म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में स्थित साइबर अपराधी एक भ्रामक रणनीतियों की श्रृंखला का उपयोग करके भारतीयों को फर्जी रोजगार, कम निवेश करके कम समय में उच्च रिटर्न वाली अवसरों से लुभाकर उनसे ठगी करते हैं।
- 14(C) के अनुसार आंकड़े के विश्लेषण के बाद उन्हें भारतीयों के साथ साइबर ठगी में चीनी संलिप्तता होने का भी संदेह जताया है क्योंकि साइबर ठगी के लिए उपयोग होने वाले अधिकतम बेब एप्लीकेशन में मंदारिन अक्षर मिले हैं।

## भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C)

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C), भारत में साइबर अपराध से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक सरकारी पहल है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है।
- एक योजना को अक्टूबर 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा 415.86 राशि की मंजूरी देकर शुरुआत की गयी थी।
- June 2020 में भारत सरकार द्वारा 14(C) के ही सिफारिश पर 59 चीनी मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- अक्टूबर 2023 में गूगल और 14(C) द्वारा मिलकर भारतीय उपयोगकर्ता को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए 'डिजिकवच' नामक एप लांच किया गया था।



## Notes:-

# How Space X's Starship can Revolutionize Space Tray and Exploration



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में एलोन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स (Space X) ने पिछले हफ्ते स्टारशिप रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है।
- ज्ञातव्य हो कि स्पेस एक्स को अपने चौथे प्रयास में स्टारशिप रॉकेट के लिए सफलता मिली है।
- मैक्सिको की खाड़ी स्टारशिप रॉकेट ने सफल उड़ान पूरी की।
- इस स्टारशिप रॉकेट की सफलता के बाद अब स्पेस एक्स तेजी से पूरा: प्रयोग में आने वाली रॉकेट प्रणाली (Reusable Rocket System) बनाने के अपने लक्ष्य के एक कदम और आगे आ गई है।
- स्पेसएक्स का यह सफल परीक्षण निकट भविष्य में खगोल विज्ञान और ग्रह विज्ञान (Astronomy and Planetary Science) के क्षेत्र में अंतरिक्ष यात्रा और नए अन्वेषण (exploration) के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है

## स्टारशिप रॉकेट क्या है ?

- स्पेस एक्स द्वारा विकसित किया जा रहा स्टारशिप रॉकेट दो चरण वाला सुपर हैवी - लिफ्ट लॉन्च वाहन है।
- इस स्टारशिप रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से लेकर चंद्रमा, मंगल या उससे आगे तक के जाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह स्टारशिप रॉकेट अपने दोनों चरणों का पुनः उपयोग (Reuse) करके पेलोड द्रव्यमान को बढ़ाकर तथा लॉन्च आवृत्ति को बढ़ाकर अंतरिक्ष मिशनों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए तैयार की गई है।
- 120 मीटर लम्बी स्टारशिप रॉकेट अब तक का उड़ाया गया सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम है।
- इससे पहले 'सैटर्न वी' नामक रॉकेट सिस्टम जिसने नील आर्मस्ट्रॉंग को चंद्रमा पर ले गया था, की लंबाई लगभग 111 मीटर थी। स्टारशिप रॉकेट के दो चरण हैं, पहला सुपर हैवी बुस्टर तथा दूसरा स्टारशिप अंतरिक्ष यान ।
- स्टारशिप रॉकेट के दोनों चरण रैप्टर इंजन से लैस हैं।
- स्टारशिप रॉकेट के पहले चरण के सुपर हैवी बुस्टर 33 रैप्टर इंजन से लैस है जो तरल ऑक्सीजन और तरल मीथेन (CH<sub>4</sub>) का 3.6:1 में उपयोग करके 74 मेगान्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है।
- तरल ऑक्सीजन एक ऑक्सीकारक (Oxidation-agent) के रूप में काम करता है जो तरल मीथेन से रसायनिक अभिक्रिया करके दहन पैदा करता है।

- 'न्यूटन' बल की इकाई है, एक मेगान्यूटन दस लाख न्यूटन बल के बराबर होता है।
- सुपर हैवी बुस्टर पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील मिश्रधातु से बनाया गया है जो पुनः उपयोग के लिए सक्षम होगा।
- सुपर हैवी बुस्टर आपने लांच स्थल से स्टारशिप अंतरिक्ष यान से अलग होने के बाद फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए सक्षम होगा।
- स्टारशिप रॉकेट प्रणाली का दूसरा चरण स्टारशिप अंतरिक्ष यान जिसमें छः रैप्टर इंजन और चार लैंडिंग पंख लगे हैं जो पुनः प्रयोज्य के लिए डिजाइन किये गए हैं।

## स्टारशिप रॉकेट प्रणाली, अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कैसे कम कर सकता है ?

- स्टारशिप रॉकेट प्रणाली की तीन ऐसी विशेषताएं हैं जो अंतरिक्ष यात्रा की लागत में भारी कमी ला सकता है।
- स्टारशिप रॉकेट कम से कम 150 टन तक पेलोड को पृथ्वी की कक्षा तक तथा 100 टन पेलोड को चंद्रमा और मंगल तक ले जाने में सक्षम है जो सामूहिक मानव जाति के अंतरिक्ष यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगी।
- स्पेस एक्स स्टारशिप को इस तरह डिजाइन किया गया है जिसमें यात्रा के दौरान पृथ्वी की कक्षा में अन्य स्टारशिप द्वारा ईंधन भरा जा सकता है जो इसे एक हवाई जहाज (Aeroplane) की तरह संचालित करने की अनुमति देगा।
- स्पेस एक्स स्टारशिप की जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो यह है कि इसे तेजी से पुनः उपयोग (Rapidly Reusable) में लाया जा सकता है।
- अन्य लॉन्च सिस्टम की तुलना में स्पेसएक्स स्टारशिप लॉन्च सिस्टम को आसानी से जमीन पर उतारकर उन्हें फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, जो लागत को कम करने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
- कुछ अनुमानों के अनुसार स्पेस एक्स लॉन्च सिस्टम स्टारशिप 50 मिलियन डॉलर की लागत से मंगल ग्रह पर 100 टन तक वजन पहुंचाने में सक्षम होगी।
- एक रिपोर्ट है अनुसार 2011 में सेनानिवृत्त किया गया स्पेस एक्स का 'स्पेस शटल' द्वारा केवल 25 टन वजन को पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचाने में 1.5 बिलियन डॉलर की लागत आती थी।

## स्पेस एक्सस्टारशिप की सफलता सेविज्ञान को क्यालाभ होगा ?

- पिछले कुछ वर्षों से अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष यात्रा के व्यावसायीकरण में सबसे बड़ी बाधा लांच वाहनों द्वारा भारी पेलोड ले जाने की अक्षमता रही है।
- इससे पहले भारी मात्रा में पेलोड के जाने वाली लांच वाहनों को बहुत अधिक इंजन अपने साथ ले जाने की आवश्यकता होती थी जिसकी लागत बहुत अधिक आती थी।
- स्पेस एक्स स्टारशिप की क्षमता भारी पेलोड को कम लागत में आसानी से ले जाने को प्रभावी बनाती है।
- स्पेस एक्स स्टारशिप की भारी पेलोड ले जाने की क्षमता भविष्य में चंद्रमा और मंगल मिशनों में बड़े उपकरण भेजने में सक्षम होगी।



## Notes:-


- उदाहरण के लिए स्पेस एक्स स्टारशिप बड़े आकार की ड्रिलिंग रिंग चंद्रमा और मंगल मिशनों में बड़े उपकरण भेजने में सक्षम होगी जो इनके सतहों को एक किलोमीटर तक ड्रिल कर सकती है जिससे चंद्रमा और मंगल के आंतरिक भाग तक वैज्ञानिकों की पहुँच बढ़ जाएगी।
- अब तक 'अपोलो मिशन' केवल छोटे उपकरण ही चंद्रमा तक ले जाने में सक्षम थी।
- चूंकि स्टारशिप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह पृथ्वी पर अपने मिशन के बाद लौटने में सक्षम है जो चंद्रमा और अन्य ग्रह से भारी मात्रा में नमूने लाने में सक्षम होगा, जिससे वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल और जीवन की उत्पत्ति के बारे में अन्वेषण के लिए मदद मिल सकती है।

### चुनौतियां क्या हैं ?

- अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष यात्रा को गति देने के लिए सर्वप्रथम स्पेस एक्स को यह साबित करना होगा कि यह प्रक्रिया कम लागत वाली, सुरक्षित और विश्वसनीय है।
- इससे पहले नासा की अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम इसलिए सुस्त पड़ गई क्योंकि इसकी पुनः प्रयोज्य वाली अंतरिक्ष शटल की लागत काफी ज्यादा रही तथा इसमें समय भी अधिक लगता रहा।

### स्पेस एक्सस्टारशिप रॉकेट सिस्टम का पिछला प्रयास

- 17 अप्रैल 2023 को अपने पहले उड़ान के दौरान स्टारशिप ने पहली कक्षीय उड़ान भरी जिसमें प्रक्षेपण के दौरान तीन इंजन निष्क्रिय हो गए एवं रॉकेट नियंत्रण से बाहर जाकर नष्ट हो गई।
- 18 नवंबर 2023 को अपने दूसरे प्रयास के दौरान स्टारशिप मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर 90 km ऊँचाई पर उड़ान के तीन मिनट बाद लिक्विड आक्सीजन फिल्टर में रुकावट के कारण बूस्टर नष्ट हो गया जिसे पृथ्वी की कक्षा में पुनः प्रवेश करने के प्रयास से पहले नष्ट कर दिया गया।
- 14 मार्च 2024 को स्टारशिप के परीक्षण है तीसरे प्रयास के दौरान दक्षिण टेक्सास तट के साथ स्पेस एक्स स्टारबेस से लॉन्च किया गया।
- इस प्रयास के दौरान बूस्टर के सभी 33 रैप्टर इंजन ने सफलतापूर्वक काम दिया और दूसरे चरण पृथक्करण भी सफल रहा लेकिन इनके वापस लैंडिंग के दौरान मैक्सिको की खाड़ी में सतह से 462 मीटर ऊपर विस्फोट हो गया।
- अंततः 6 जून 2024 को अपने चौथे प्रयास के दौरान सफलता हासिल की।



# IRDA Decisions on Policy Holders



## IRDA

- Insurance Regulatory and development Authority यानि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण भारत सरकार का एक एजेंसी है, जिसका उद्देश्य बीमाधारकों की हितों की रक्षा करना, बीमा क्षेत्र का विनियमन करना तथा संबंधित मामलों पर कार्य करना है।
- यह एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा की गई थी।
- यह उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए बीमा कंपनियों का निरीक्षण भी करता है।

## संगठनात्मक संरचना

- इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य एवं 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है एवं वे पुर्ननियुक्ति के पात्र होते हैं।
- इनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल अपन सका है, सरकार को भी 5 वर्षों का होता है, लेकिन वे पुर्ननियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं।
- सदस्य कभी भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना उन्हें सरकार को न्यूनतम 3 महीने पूर्व देनी होती है।

## चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में IRDA ने पॉलिसीधारकों को अपने पॉलिसी (बीमा की पॉलिसी) रद्द करने एवं रिफंड पाने की अनुमति प्रदान करने संबंधी निर्देश जारी किया है।
- IRDA ने कहा कि सामान्य बीमा यानि General Insurance उत्पाद के तहत रिपोर्ट किया गया कोई भी नुकसान, जो मोटर बीमा के मामले में 50,000 या उससे अधिक तथा मोटर बीमा के अलावा अन्य मामले में 1 लाख रुपये से अधिक का हो, उसका अनिवार्य रूप से पंजीकृत सर्वेक्षक एवं नुकसान का मूल्यांकन करने वाले द्वारा सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।
- IRDA ने बीमा धारकों को ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करते हुए कहा कि खुदरा बीमाधारक (Retail Policy holders) बीमाकर्ता को बीमा की अवधि के दौरान किसी भी समय सूचित करके अपने को रद्द करवा सकता है और शेष बची अवधि के लिए अपना रिफंड वापस पा सकता है।

- ध्यातव्य हो कि साधारण बीमा में निर्धारित अवधि के लिए बीमा की राशि वापस प्राप्त कर सकता है।
- पॉलिसीधारक को अपनी पॉलिसी रद्द करवाने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।
- ऐसे मामलों में बीमा बीमाधारक को कम-से-कम 7 दिनों का नोटिस देकर स्थापित धोखाधड़ी के आधार पर बीमा रद्द करवा सकता है।
- पॉलिसी की प्रीमियम रिफंड के मामले में IRDA ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसा 1 वर्ष से ज्यादा अवधि वाले बीमा में किया जाना चाहिए।
- IRDA ने कहा कि दस्तावेजों की कमी के कारण किसी बीमाधारक के दावों को खारिज नहीं किया जा सकता है। ग्राहकों को केवल ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है, जो प्रत्यक्षतः दावे के निपटान से संबंधित हैं।
- ऐसे दस्तावेजों में दावा फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस FIR, फायर बिग्रेड रिपोर्ट, अनट्रेस्ड रिपोर्ट, स्टॉक रजिस्टर, खाता बिल, मरम्मत बिल आदि शामिल हैं।
- IRDA ने कहा कि प्रत्येक पॉलिसी के साथ ग्राहक को एक सूचना पत्र दिया जाना चाहिए, जिसमें पॉलिसी से संबंधित विशेषताएँ जैसे- कवरेज का दायरा, Add-on, बीमित राशि का आधार, कटौती, विशेष शर्तें, दावा प्रक्रिया आदि शामिल है।
- IRDA ने कहा कि वाहन के बीमित व्यक्ति द्वारा घोषित मूल्य (IVD- Insured's Declare Value) की बीमित राशि माना जाएगा एवं इसे प्रत्येक बीमित वाहन के लिए प्रत्येक पॉलिसी अवधि के प्रारम्भ में तय किया जायेगा।
- IRDA कहा कि सिवाय दोहरे बीमा या कुल नुकसान के मामले के किसी भी परिस्थिति में बीमाकर्ता वैधानिक मोटर थर्ड पार्टी देयता (Liability) बीमा को रद्द नहीं कर सकता है।

## सामान्य बीमा vs जीवन बीमा

### सामान्य बीमा

- यह किसी प्रकार का बचत नहीं है।
- इसमें प्रीमियम की राशि एकपुश्त प्रदान करने के साथ वार्षिक अनुबंध किया जाता है।
- चोरी, आगजनी, दुर्घटना या किसी अन्य अप्रत्याशित मामले में बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।

### जीवन बीमा

- किसी व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा कवर देता है।
- यह बीमा बचत का एक प्रकार है, जो भविष्य में काम आता है।
- इसमें किश्त (Installments) के विकल्प के साथ दीर्घकालीन अनुबंध होता है।
- अगर बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति (Nominee) को बीमित राशि का भुगतान किया जाता है।

# Joshimath se Jyotirmath aur Kesiakutoli bana Sri Kainchi Dham



## चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में 12 जून को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के दो तहसीलों के नाम बदलने के उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- उत्तराखंड सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर 'ज्योतिर्मठ' करने तथा नैनीताल जिले के कोसियाकुटोली तहसील का नाम बदलकर 'श्री कैची धाम' करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।
- इसके लिए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया है क्योंकि 'सर्वे आफ इंडिया' जो कि भारत में मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदार निकाय है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

## जोशीमठ एवं ज्योतिर्मठ

- चमोली जिले में स्थित जोशीमठ पिछले वर्ष भूमि धंसने के कारण एवं कई भूस्खलन गतिविधियों के कारण सड़कों एवं इमारत में भारी दरार आने के कारण चर्चा में था।
- समुद्र तल से 6150 फीट ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ हिमालय पर्वत चढ़ाई अभियानों, ट्रेकिंग ट्रेल्स एवं बद्दीनाथ धाम जैसे धार्मिक तीर्थ स्थल के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है।

## शंकराचार्य तथा ज्योतिर्मठ

- ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8 वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत दर्शन को बढ़ावा देने के लिए ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी।
- ज्योतिर्मठ आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठों में से एक है जिसकी स्थापना आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार एवं सभ्यताओं के संरक्षण के लिए किया गया था।
- हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने यहां आकर अमर कल्पवृक्ष के नीचे तपस्या की थी जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
- ज्योतिर्मठ नाम उनके द्वारा यहां प्राप्त ज्ञान के प्रकाश पर रखा गया।
- ज्योतिर्मठ पहाड़ी जोशीमठ का प्राचीन नाम था।
- समय के साथ हुई कई क्रमिक और जैविक परिवर्तन जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय बोलियों और उच्चारण का प्रभाव शामिल है ने इस क्षेत्र का नाम ज्योतिर्मठ से जोशीमठ तक पहुंचाया।
- अतः ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्मठ से जोशीमठ नाम का परिवर्तन किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना के बजाय भाषायी और सांस्कृतिक विकास में हुए परिवर्तन को दर्शाता है।

- ज्योतिर्मठ के बदले जोशीमठ का नाम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के पहले ही प्रचलित हो गया था जिसके कारण सरकारी रिकॉर्ड में इस क्षेत्र का नाम 'जोशीमठ' दर्ज हो गया।
- हालांकि धार्मिक संदर्भ में इस क्षेत्र का नाम ज्योतिर्मठ के रूप में लिया जाता रहा जबकि आमतौर पर इसे लोग जोशीमठ के रूप में इस्तेमाल करते रहे।

## जोशीमठ से ज्योतिर्मठ करने की मांग एवं संभावित लाभ

- हाल के कुछ वर्षों से इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को बरकरार रखने के लिए इसका नाम जोशीमठ से ज्योतिर्मठ करने की मांग समय समय पर करती रही।
- इसी को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल चमोली में एक कार्यक्रम के दौरान जोशीमठ के नाम बदलकर ज्योतिर्मठ किए जाने की घोषणा की थी।
- इस क्षेत्र का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने से इस क्षेत्र की ऐतिहासिक एवं
- आध्यात्मिक महत्व को बढ़ावा दे सकता है जो अधिक तीर्थयात्री को आकर्षित करके स्थानीय पर्यटन और आर्थिक विकास में मदद कर सकता है।
- हालांकि इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी संवेदनशीलता अनियंत्रित पर्यटन और विकास कार्यों के कारण और प्रभावित हो सकती है।

## कोसियाकुटोली और श्री कैची धाम

- कोसियाकुटोली तहसील का नाम बदलकर श्री कैची धाम करने का मामला किसी ऐतिहासिक या धार्मिक विषय वस्तु से जुड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता है।
- कोसियाकुटोली नाम, नैनीताल जिले में बहने वाली 'कोसी नदी' को संदर्भित करता है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
- 'कोसी नदी' इस क्षेत्र के प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ स्थलीय पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- कोसियाकुटोली का दूसरा शब्द 'कुटोली' किसी गांव या बस्ती को संदर्भित करता है।
- कुमाऊं की संस्कृत में किसी स्थान का नाम उसकी भौगोलिक विशेषता के नाम पर रखना आम है।

## कोसियाकुटोली और नीम करोली बाबा

- कोसियाकुटोली का नाम बदलकर 'श्री कैची धाम' करने का जो मुख्य कारण हो सकता है वह यहां पर नीम करोली बाबा द्वारा 1962 में स्थापित कैची धाम आश्रम से जुड़ाव का मामला हो सकता है।
- नीम करोली बाबा प्रसिद्ध हिंदू गुरु और संत थे जिनकी अनुयायी लाखों में भारत सहित विदेशों में हैं।
- नीम करोली बाबा को उनके भक्ति योग, ईश्वर के प्रति समर्पण एवं उनकी शिक्षाओं के लिए इस क्षेत्र में काफी सम्मान है।
- कैची धाम आश्रम में प्रतिवर्ष 15 जून (कैची धाम आश्रम की स्थापना दिवस) को हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
- वर्ष 1973 में करोली बाबा के निधन के बाद उनके अनुयायी इस आश्रम को चलाते हैं।

## आदिगुरु शंकराचार्य

- 'शंकराचार्य' हिंदू धर्म की 'अद्वैत वेदांत परंपरा' में मठों के प्रमुखों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक धार्मिक उपाधि है।
- 'शंकराचार्य' मठों में एक धार्मिक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए अपनी शिक्षा एवं अद्वैत वेदांत परंपरा का प्रसार करते थे।
- 16वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशा (उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम) में चार मठों की स्थापना की जिनका संचालन करने वाला शंकराचार्य के नाम से जाना जाता था।

## आदिशंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ

### 1. श्रृंगेरी मठ

- श्रृंगेरी मठ भारत के दक्षिण में चिकमंगलूर में स्थित है।
- इस मठ से दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती तथा भारती नाम विशेषण लगाया जाता है।

### 2. गोवर्धन मठ

- गोवर्धन मठ भारत के पूर्वी भाग में उड़ीसा राज्य के 'जगन्नाथपुरी' में स्थित है। इस मठ से दीक्षा पाने वाले सन्यासियों के नाम के बाद वन या आरण्य नाम विशेषण लगाया जाता है।

### 3. शारदा मठ

- शारदा मठ भारत के पश्चिम में गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है।

### 4. ज्योतिर्मठ

- भारत के उत्तरी भाग में उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में ज्योतिर्मठ स्थित है।



## Notes:-

# Kaawli Puraskaar



## हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में 12 जून (बुधवार) को कावली पुरस्कार 2024 के घोषणा की गई।
- कावली पुरस्कार 2024 के तहत 8 विशेषताओं को उनके खगोल भौतिकी (Astrophysics), तंत्रिका विज्ञान (Neuroscience) तथा नैनो विज्ञान (Nano Science) में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

## कावली पुरस्कार क्या है?

- कावली पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2005 में नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, नॉर्वेजियन शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय एवं कावली फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।
- कावली पुरस्कार प्रत्येक दूसरे वर्ष खगोल भौतिकी, नैनो विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले दुनिया भर के वैज्ञानिकों को दिया जाता है।
- कावली पुरस्कार के तहत विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक स्कॉल सहित 10 लाख अमेरिकी डॉलर के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
- कावली पुरस्कार के लिए तीन स्वतंत्र चयन समितियां "द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स" को पुरस्कार विजेताओं के नाम के अनुशंसा करती है।
- प्रत्येक स्वतंत्र समिति में पांच सदस्य होते हैं जो दुनिया भर के प्रमुख विज्ञान संस्थाओं द्वारा नामित किया जाता है।
- इन प्रमुख विज्ञान संस्थानों में चीनी विज्ञान अकादमी, फ्रेंच विज्ञान अकादमी, जर्मनी की मैक्स प्लैंक सोसाइटी, अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस तथा यूके की रॉयल सोसाइटी शामिल है।
- प्रथम कावली पुरस्कार 9 दिसंबर 2008 को प्रदान किया गया था।
- कावली पुरस्कार नॉर्वेजियन अमेरिकी व्यावसायी 'फ्रेड कावली' के सम्मान में प्रदान किया जाता है।

## फ्रेड कावली कौन थे ?

- फ्रेड कावली (1927-2013) का जन्म नॉर्वे के इरेज्सफोर्ड में हुआ था और यहां इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर 1956 में अमेरिका (कैलिफोर्निया) चले आए।
- अमेरिका में फ्रेड कावली ने मिसाइलों के लिए उच्च तकनीक वाली सेंसर बनाने वाली कंपनी में काम करना शुरू किया, जहां एक साल के भीतर वे मुख्य अभियंता (engineer) बन गए।
- वर्ष 1958 में फ्रेड कावली ने अपनी खुद की कंपनी 'कवलिको' की स्थापना की।

- वर्तमान में 'कवलिको' कंपनी मिसाइल सेंसर से संबंधित प्रणालियों के लिए अग्रणी कंपनी के रूप में जानी जाती है।
- कवलिको कंपनी द्वारा निर्मित 'दबाव ट्रांसड्यूसर' अपनी उच्च सटीकता और विश्वसनीयता के कारण वैश्विक प्रसिद्धि हासिल कर रखी है।
- दबाव ट्रांसड्यूसर ऐसा उपकरण है जो दबाव (Pressure) को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है।
- वर्ष 2000 में फ्रेड कावली ने अपनी कंपनी कवलिको को 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचकर 'कवली फाउंडेशन' की स्थापना की।
- कवली फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करना है।
- वर्तमान में कवली फाउंडेशन 20 संस्थान संचालित करता है जो खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान, नैनो विज्ञान तथा सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अनुसंधान का काम करते हैं।

## कावली पुरस्कार की नोबेल पुरस्कार में अंतर

- हालांकि कावली पुरस्कार को खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की तरह डिजाइन किया गया था लेकिन इसका दृष्टिकोण नोबेल पुरस्कार की तुलना में दूरगामी है।
- अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल पुरस्कार के लिए निर्धारित क्षेत्रों के विजेता का चयन एक वर्ष के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों के आधार पर होता है जबकि 'कावली पुरस्कार' के तहत विशेषताओं का चयन किसी खास समय सीमा के तहत नहीं किया जाता है।

## वर्ष 2024 के लिए कावली पुरस्कार के विजेता खगोल भौतिकी (Astrophysics)

- कावली पुरस्कार 2024 के तहत इस वर्ष खगोल भौतिकी क्षेत्र में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डेविड चारबोन्यू, मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 'सारा सीगर' को प्रदान किया गया।
- इन दोनों विजेताओं को एक्सोप्लेनेट की खोजों एवं उनके वातावरण के लक्षण के वर्णन के लिए पुरस्कृत किया गया।
- डेविड चारबोन्यू एवं सारा गीगर के इस योगदान से ग्रहों के वायुमंडल में परमाणु प्रजातियों का पता लगाने, थर्मल इंफ्रारेड उत्सर्जन की माप तथा ग्रहों के आसपास आणविकफिगरप्रिंट खोजने में मदद मिलेगी।

## नैनो विज्ञान (Nano Science)

- कावली पुरस्कार 2024 के तहत नैनोविज्ञान क्षेत्र के लिए एमआइटी के रॉबर्ट लैंगर, शिकागो विश्वविद्यालय के आर्म्ड पॉल एस एलिविसैटोस तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के चाड मिर्कान को चुना गया।
- इन तीनों को यह पुरस्कार 'चिकित्सीय जैव अणुओं' के लिए सफल अनुसंधान के लिए दिया गया।
- इनका यह अनुसंधान मस्तिष्क कैंसर, प्रोटेस्ट कैंसर और सिलोफ्रेनिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए नियंत्रित दवा वितरण प्रणाली के विकास में मदद कर सकता है।

## तंत्रिका विज्ञान (Neuroscience)

- कावली पुरस्कार 2024 के तहत तंत्रिका विज्ञान क्षेत्र के लिए एमआइटी ने नैन्सी कनविशर, रॉकफेलर विश्वविद्यालय के विनरिच फ्रीवाल्ड तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डोरिस त्साओ को प्रदान किया गया।
- इन तीनों वैज्ञानिकों को चेहरे की पहचान और मस्तिष्क के बीच संबंध को मापने के लिए किए गए अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया।
- 2008 से लेकर अब तक इस द्विवार्षिक कावली पुरस्कार के तहत 19 देशों के 73 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जा चुका है।
- इस वर्ष का कावली पुरस्कार समारोह का आयोजन नॉर्वे के ओस्लो कॉन्सर्ट हॉल में 3 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जिसमें नॉर्वेजियन शाही परिवार पुरस्कार का वितरण करेंगे।

## नोबेल पुरस्कार

- 1895 में स्वीडिश रसायन वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 'नोबेल पुरस्कार' का गठन किया था।
- प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार पांच क्षेत्रों (भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति) में पिछले एक वर्ष के दौरान मानव जाति के लिए किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
- 'नोबेल पुरस्कार' को वैश्विक स्तर पर अपने संबंधित क्षेत्रों में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है।
- इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को एक हरा स्वर्ण पदक, एक प्रमाण पत्र सहित 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना प्रदान किया जाता है।
- क्रोना, स्वीडन की मुद्रा है।
- पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया।



## Notes:-

# केजरीवाल को जमानत And Money Laundering act



## हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली अदालत द्वारा मनी लाँड्रिंग केस में जमानत दी गई है।
- न्यायालय का यह निर्णय बेहद अहम इसलिए हो जाता है कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानि PLMA द्वारा जमानत दिए जाने के लिए बेहद उच्च मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।
- PLMA की धारा 45 (1) कहती है कि आरोपी को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि अदालत इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर रहने के दौरान आरोपी द्वारा इस प्रकार का कोई अपराध नहीं किया जाएगा।
- वास्तविकता यह है कि न्यायालय का यह निर्णय पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों को संभावित रूप से संदेहात्मक बनाती है।
- PLMA के तहत जमानत पाना इतना मुश्किल है कि इसके आरोपियों में से कई को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा है।

## पूर्व के मामले

- दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिंसोदिया को जमानत मिलने से पूर्व 1 वर्ष से अधिक जेल में बिताना पड़ा।
- NCP के नेता छगन भुजबल को वर्ष 2016 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था और उन्हें 2 वर्ष से अधिक समय तक जेल में बिताने पर भी जमानत नहीं मिल पाया था।

## प्रावधान की आलोचना

- जमानत देर से दिए जाने के पीछे एक तर्क है कि इससे न्यायालय को जमानत दिए जाने के लिए उचित आधारों के परीक्षण के लिए वक्त मिलेगा।
- सामान्यतः मनी लाँड्रिंग के केस में आरोपी को 3 - 7 साल की जेल होती है, ऐसे में आलोचना इसलिए की जाती है कि यह दोषसिद्धि से पूर्व ही आरोपी द्वारा सजा काटने के समान है।
- निकेश ताराचंद विवाद -
- नवंबर 2017 में निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को संवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया गया था।
- हालांकि न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने इसकी वैधता को बरकरार रखा था।

## ED का जवाब

- न्यायालय के आदेश पर ED का कहना है कि, इस तरह जमानत का आदेश केस को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि इससे कैसे पर संदेह उत्पन्न होता है, साथ ही अन्य मामलों पर भी प्रभाव पड़ता है।
- ED ने न्यायालय के आदेश को चुनौती देने का निर्णय लिया है, जिसके पीछे यह तर्क दिए जाने की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री रहते हुए वे सबूतों के साथ छेड़-छाड़ कर सकते हैं।
- ED इस बात का भी तर्क दे सकता है की जमानत का आदेश अवकाश कालीन न्यायालय द्वारा दी गई है और ऐसा तब किया गया है जब ED ने अनुरोध किया था कि आदेश को 48 घंटे तक स्थगित कर दिया जाए।
- अगर ED की याचिका खारिज हो जाती है तो अंतिम विकल्प के रूप में उसके पास सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प बचता है।
- ध्यातव्य हो कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
- अंतरिम जमानत अवधि पूरी हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे पुनः जेल जाने का आदेश दिया क्योंकि केजरीवाल की स्वास्थ्य आधार पर जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

## PLMA, 2020

- यह एक अधिनियम है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने एवं मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त किए जाने का प्रावधान है।
- इस एक्ट का उद्देश्य ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मागलिंग एवं आतंकवाद जैसे मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए धन पोषण के गतिविधियों को रोकना है।
- वर्ष 2023 में PLMA 2002 में संशोधन किया गया था।

## मनी लाँड्रिंग

- इसका मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से अर्जित आय को वैध दिखाना होता है।
- यह आतंकवाद, स्मागलिंग, डकैती, जबरन वसूली जैसे अवैध गतिविधियों को वित्त पोषण करने में मददगार होता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग वास्तव में 'डर्टी मनी' को 'वैध मनी' में रूपांतरित किए जाने की प्रक्रिया है।
- मनी लाँड्रिंग के सामान्य तरीकों में कैश स्मागलिंग, शेल कंपनियां, हवाला कारोबार, जुआ, रियल-एस्टेट, ट्रेड-बेस लॉन्ड्रिंग आदि शामिल हैं।

## प्रवर्तन निदेशालय

- वर्ष 1956 में 1 मई को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत इसकी स्थापना विनियम नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक मामलों के एक इकाई के रूप में हुआ था।
- वर्ष 1957 में इसका नाम 'प्रवर्तन इकाई' से बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया।
- वर्ष 1960 में इसे आर्थिक मामलों के विभाग से राजस्व विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया जो वित्त मंत्रालय के अधीन है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ एवं दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय है।
- यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 एवं पगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत अधिकार प्राप्त करता है।

## FATF

- वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की स्थापना वर्ष 1989 में G7 देशों द्वारा पेरिस में किया गया था, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना है।
- वर्तमान में इसमें 37 सदस्य देश हैं।
- भारत वर्ष 2006 में पर्यवेक्षक के रूप में तथा 2010 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ।
- ब्लैक लिस्ट में ईरान, उत्तर कोरिया एवं म्यांमार शामिल हैं, जिन्हें FATF ऐसे देशों के रूप में मानता है, जो आतंकी फंडिंग एवं मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करते हैं।
- ग्रे लिस्ट में ऐसे देश को शामिल किया जाता है जो आतंकी फंडिंग एवं मनी लांड्रिंग के लिए सुरक्षित स्थल हैं।
- लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रहने के बाद पाकिस्तान को 2022 में इस सूची से बाहर निकाला गया।



## Notes:-



# Kerala Pravasan Sarvekshan



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में केरल प्रवासन सर्वेक्षण (KMS, Kerala Migration Survey) - 2023 की रिपोर्ट पेश की गई है।
- इस रिपोर्ट का अनावरण पिछले सप्ताह तिरुवनंतपुरम में विदेश एवं अन्य राज्यों में निवासित केरलवासियों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित लोक केरल सभा में किया गया।
- केरल प्रवासन सर्वेक्षण, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट (IIMD) तथा गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टेक्सेशन द्वारा तैयार की जाती है।
- वर्ष 1998 से प्रत्येक 5 वर्ष में केरल प्रवासन सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की जाती रही है।
- केरल प्रवासन सर्वेक्षण-2023, इस संस्करण का छठा रिपोर्ट है।
- इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य केरल के प्रवासियों (EMI, Emigrants), रिटर्न प्रवासियों (REM), आऊट प्रवासियों (OEM) और रिटर्न आऊट प्रवासियों (ROM) का डेटा एकत्र करती है जिससे राज्य के समाजिक-आर्थिक प्रभावों को समझने में भी मदद मिलती है।

## सर्वेक्षण का आधार

- केरल प्रवासन सर्वेक्षण-2023 के लिए केरल के सभी 14 जिलों के 20,000 से अधिक घरों का सर्वेक्षण किया गया।
- इस सर्वेक्षण में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को अलग-अलग स्तर में बांटकर राज्यभर के 500 इलाकों का चयन किया गया।
- केरल प्रवासन सर्वेक्षण - 2023 के अर्न्तगत केरल के 20,000 घरों का सर्वेक्षण, केरल में अब तक किए गए सबसे बड़े समाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों में से एक है।
- इससे पहले केरल में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) ने केवल 12330 घरों का नमूना किया था।
- इस सर्वेक्षण में करीब तीन सौ प्रशिक्षित जांचकर्ताओं ने पहली बार डिजिटल डेटा संग्रह उपकरण का प्रयोग किया।

## सर्वेक्षण की मुख्य आंकड़े

- केरल प्रवासन सर्वेक्षण-2023 के अनुसार वर्तमान में केरल के प्रवासियों की कुल संख्या 2.2 मिलियन है जो वर्ष 2018 के 2.1 मिलियन से थोड़ा अधिक है।
- इस सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023 तक 1.8 मिलियन प्रवासन वापस केरल लौटे जबकि 2018 में यह आंकड़ा 1.2 मिलियन था।

## अन्य आंकड़े

- खाड़ी देशों में प्रवासन में गिरावट-
- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC, Gulf Co-operation council) के देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) में केरल के प्रवासियों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है।
- 1998 में जहाँ लगभग 95.8 प्रतिशत केरल के प्रवासी अपने गंतव्यों के लिए गल्फ में देशों को प्राथमिकता देते थे वह 2023 में घटकर लगभग 70% तक पहुंच गई।

## छात्र प्रवासन में वृद्धि

- केरल में उच्च शिक्षा के लिए छात्र प्रवासियों की बढ़ती संख्या जो शिक्षा के लिए गल्फ देशों को पसंद नहीं करते, गल्फ देशों में केरल के प्रवासियों की हालिया कमी को संदर्भित करता है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार केरल के कुल प्रवासियों का लगभग 11.3 प्रतिशत छात्र प्रवासियों का है।
- वर्ष 2018 की तुलना में 2023 में छात्र प्रवासियों की संख्या लगभग दोगुनी (129,763 से 250,000) हो गई।

## महिलाओं के प्रवासन में वृद्धि

- इस सर्वेक्षण में केरल के महिला प्रवासियों की संख्या में वृद्धि की बात कही गई है।
- वर्ष 2018 में जहाँ महिला प्रवासियों की संख्या 15.8% थी जो 2023 में बढ़कर 19.1 प्रतिशत हो गई है।
- इस सर्वेक्षण के अनुसार केरल के प्रवासियों में पुरुष प्रवासियों की तुलना में महिला प्रवासियों के अधिक दक्ष एवं योग्य होने की बात कही गई।
- इस सर्वेक्षण के अनुसार केरल के कुल महिला प्रवासियों में 71.5% 'स्नातक' है जबकि कुल पुरुष प्रवासियों का केवल 34.7% ही 'स्नातक' (graduate) है।
- केरल की लगभग 51.6% महिला प्रवासी नर्सिंग क्षेत्र में काम करती है जिनमें से 40.5 महिलाएं पश्चिमी देशों में कार्यरत है।
- कुल छात्र प्रवासियों में लगभग 45.6 प्रतिशत महिलाएं हैं।

## उत्तरी केरल से प्रवासी की सबसे बड़ी आबादी

- केरल के कुल प्रवासियों में लगभग 41.8 % प्रवासी उत्तरी केरल से आते हैं जिनका प्रवास गल्फ देशों में अधिक देखा जाता है।
- केरल के कुल प्रवासियों में दूसरा सबसे बड़ा योगदान मध्य केरल (33.1%) तथा तीसरा स्थान दक्षिण केरल (25%) है।
- मुस्लिम प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक-
- वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार केरल की आबादी का 26% मुसलमान आबादी है।
- केरल की प्रवासियों की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा मुसलमानों का (41.9%) है।
- हिंदू, जो कि राज्य के कुल आबादी का 54% है का केरल की कुल प्रवासी आबादी का 35.2% है।
- ईसाई जो राज्य की कुल आबादी का 18% है, केरल के कुल प्रवासियों का 22.3% का प्रतिनिधित्व करती है।

## FATF

- वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की स्थापना वर्ष 1989 में G7 देशों द्वारा पेरिस में किया गया था, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना है।
- वर्तमान में इसमें 37 सदस्य देश हैं।
- भारत वर्ष 2006 में पर्यवेक्षक के रूप में तथा 2010 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ।
- ब्लैक लिस्ट में ईरान, उत्तर कोरिया एवं म्यांमार शामिल हैं, जिन्हें FATF ऐसे देशों के रूप में मानता है, जो आतंकी फंडिंग एवं मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करते हैं।
- ग्रे लिस्ट में ऐसे देश को शामिल किया जाता है जो आतंकी फंडिंग एवं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित स्थल हैं।
- लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रहने के बाद पाकिस्तान को 2022 में इस सूची से बाहर निकाला गया।
- प्रवासियों द्वारा भेजे गए धन में वृद्धि-
- कोविड-19 महामारी के बाद केरल के प्रवासियों की 'आय' में लगातार वृद्धि देखी गई।
- वर्ष 2018 में जहाँ केरल के प्रवासियों ने केरल में 85,092 करोड़ रुपये भेजे जो 2023 में 154.9% की वृद्धि के साथ 216,893 करोड़ रुपये हो गया।
- वर्ष 2018 में प्रति प्रवासी परिवार की औसत आय 96,185 रुपये थी जो 2023 में बढ़कर 2.24 लाख रुपये हो गई।
- केरल राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय 61,118 रुपये है।

## प्रवासियों के वापस केरल लौटने में वृद्धि

- इस सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों में केरल प्रवास सर्वेक्षण के इतिहास में वापस लौटने वाले केरल प्रवासियों की सबसे बड़ी वृद्धि की बात कही गई है।
- पिछले 5 वर्षों में लगभग 495,962 व्यक्ति जो कुल प्रवासियों का 38.3% है वापस केरल लौट आए।
- इन वापस लौट रहे प्रवासियों में लगभग 19% ने कोविड महामारी के बाद नौकरी छूटने, 13.8% ने कम वेतन, 7.8% ने खराब कामकाजी परिस्थिति, 11.2% ने बीमारी या दुर्घटना, 16.1% ने केरल में काम करने की इच्छा, 12% ने सेनानिवृत्ति के रूप में वापस लौटने के कारणों का खुलासा किया।



## केरल के पिछले 30 वर्षों के प्रवासी आंकड़े


- केरल प्रवासन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1998 में केरल के प्रवासियों की संख्या 1.4 मिलियन, जो 2003 में बढ़कर 1.8 मिलियन, 2008 में बढ़कर 2.2 मिलियन, 2013 में बढ़कर 2.4 मिलियन, 2018 में घटकर 2.1 मिलियन तथा 2023 में बढ़कर 2.2 मिलियन हो गई।
- ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कुल वैश्विक मलयाली प्रवासी की संख्या 5 मिलियन है, जिनमें लगभग 3 मिलियन केरल के मालयाली प्रवासी तथा बाकी 2 मिलियन मलयाली प्रवासी भारत के अन्य राज्यों से हैं।
- केरल की कुल प्रवासी का लगभग 76.9 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक है।

## निष्कर्ष

- विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की सबसे आबादी के रूप में केरल भारत के अग्रणी राज्यों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में राज्य के शैक्षिक बुनियादी ढाँचे को विकसित करने सहित तत्काल संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा प्रवासियों के साथ बढ़ती एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी की घटना को कम करने के लिए भाषा प्रशिक्षण केन्द्र सस्ति भर्ती एजेंसियों की नियमित निगरानी और विनियमन के करने आवश्यकता है।
- राज्य के श्रमिक प्रवासी आबादी को बेहतर रोजगार एवं अवसर को सुरक्षित करने सहित विदेश में अधिक भुगतान प्राप्त करने के लिए उनके कौशल (skill) में सुधार करने की जरूरत है।

## Notes:-

# La Nina, El Nino And BCNN Model



## एल नीनो एवं ला नीना

- एल नीनो एवं ला-नीना बेहद जटिल मौसमी पैटर्न है, जो विषुवतीय क्षेत्र के प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्री जल के तापमान में उत्पन्न भिन्नता से घटित होता है।
- ये दो विपरीत अवस्थाएं हैं, जो अल-नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO-El-nino southern oscillation) के नाम से जानी जाती है।
- सामान्यतः ला-नीना एवं अल-नीनो की घटना 1 वर्ष तक चलती है लेकिन कई बार ये दीर्घकालीन भी होती हैं, जो वर्षों तक प्रभाव में रहती हैं।

## अल नीनो

- इस स्थिति में पूर्वी विषुवतीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र का जल असामान्य रूप से गर्म हो जाता है।
- अल नीनो की घटना ला नीना की तुलना में ज्यादा बार घटित होती है।
- अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ छोटा लड़का या Baby Boy होता है।
- सर्वप्रथम पेरु के तट पर मछुआरों ने इस घटना को महसूस किया था।
- सामान्यतः अल नीनो की भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल होता है।
- अल नीनो के प्रभावस्वरूप तटीय जल के गर्म होने से क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है।

## ला नीना

- ला नीना भी स्पेनिश शब्द है, जिसका अर्थ 'छोटी लड़की' यानी Baby Girl होता है।
- यह स्थिति पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्री जल के असामान्य रूप से ठंडा होने की स्थिति को दर्शाता है।
- ऐसी स्थिति में क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाता है।
- ला नीना की घटना अल नीनो के विपरीत 1-3 वर्ष तक लगातार प्रभावी रहता है।

## तटस्थ स्थिति

- ENSO में तीसरी स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब ला नीना या अल नीनो की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसी स्थिति को तटस्थ या Neutral स्थिति कहा जाता है।

- दरअसल ऐसी स्थिति में पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र (दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी) पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की तुलना में ठंडा होता है, जिसका प्रमुख कारण Trade Winds यानि पूरवा पवनें हैं, जो गर्म जल को बहाकर इंडोनेशियाई क्षेत्र की ओर बहाकर लेकर जाता है जिससे नीचे का ठंडा पानी ऊपर आकर क्षेत्र में तापमान को कम कर देता है।

## चर्चा में क्यों?

- हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र (INCOIS) ने ला नीना एवं एल नीनो को भविष्यवाणी करने के लिए नया मॉडल विकसित किया है।
- इस नए मॉडल का नाम बायोसियन कन्वील्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (BCNN) है, जो पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने के लिए AI, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का प्रयोग करता है।
- मॉडल का पूर्वानुमान इस तथ्य पर निर्भर करता है कि एल नीनो अथवा ला नीना धीमे समुद्र बदलावों एवं उनके वायुमंडलीय युग्मन से संबंधित होते हैं।
- यह मॉडल 3.4 सूचकांक का उपयोग करता है, जो मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की तापमान में उत्पन्न विसंगति का औसत निकालकर प्राप्त किया जाता है।
- यह क्षेत्र 5°N - S एवं 170°W - 120°W में फैला हुआ है।
- पूर्वानुमानप्राप्त करने के लिए सांख्यिकी मॉडल, जो विभिन्न देशों से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार किया जाता है तथा दूसरा गतिशील मॉडल, जिसमें उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर तकनीक से वायुमंडल का 3D मॉडल विश्लेषण शामिल है, का प्रयोग किया जाता है।
- कंप्यूटर आधारित गणितीय मॉडल सांख्यिकी मॉडल से ज्यादा सटीक होता है।
- BCNN गतिशील एवं AI मॉडल का संयोजन है, जिसके मदद से अल नीनो एवं ला नीना के उत्पन्न होने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
- इस मॉडल की मदद से 15 महीने पूर्व तक का अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि अन्य मॉडल 6 - 9 महीने पूर्व अनुमान लगा पाने में सक्षम होते हैं।

## पूर्वानुमान में चुनौतियां

- सामान्यतः पूर्वानुमान के लिए सदियों तक की इस क्षेत्र की मौसमी आंकड़ों की आवश्यकता होती है।
- स्थल क्षेत्र के लिए प्रचुर मात्रा में आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन समुद्र या महासागर संबंधी आंकड़ों की कमी है।
- आंकड़ों की कमी के अंतर ने ही पूर्वानुमान की सटीकता को परेशानी में डाल रखा है।
- INCOIS द्वारा BCNN मॉडल विकसित करने में 8 महीने लगा है, जिस दौरान इसे कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा।

## निष्कर्ष/पूर्वानुमान


- INCOIS ने कहा की 70 - 90% उम्मीद यह है कि ला नीना जुलाई सितम्बर के बीच उत्पन्न होगा।

## ला नीना एवं अल नीनो का भारत पर प्रभाव

- ला नीना भारतीय मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और इसके कारण मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश होती है।
- अल नीनो की वजह से भारत में मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश होती है तथा भीषण गर्मी व सूखा की स्थिति को उत्पन्न करता है।

## INCIOS

- यह पृथ्वी मंत्रालय के अधीन एक स्वयत्त संस्था है, जिसे वर्ष 1999 में हैदराबाद में स्थापित किया गया था।
- इस संस्था का प्रमुख कार्य महासागरों से संबंधित सूचनाओं का एकत्रण कर समाज, सरकारी एजेंसी एवं वैज्ञानिकों को जरूरी जानकारी एवं सलाह देना है।



## Notes:-

# Lithium Mining



## हालिया सन्दर्भ

- केंद्रीय खान मंत्रालय के नवीनतम जानकारी के अनुसार लिथियम की खोज छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक कदम आगे बढ़ गई है। जिसके तहत खान का एक ब्लॉक निमाबी के दूसरे दौर में पहुंच गया है और अन्य ब्लॉक के प्रारंभिक अन्वेषण में आशाजनक अंतर पाए गए हैं।
- लिथियम भंडार के खोज में यह एक महत्वपूर्ण संकेत है और लिथियम भंडार पहले विकसित खदान केंद्र होगा।
- इससे पूर्व अपर्याप्त निदेशक रुचि के कारण जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम ब्लॉक की नीलामी रद्द करनी पड़ी थी।
- स्थानीय प्रतिरोध के कारण मणिपुर के किया जंग जिले में अन्वेषण कार्य को स्थगित करना पड़ा था वहीं लद्दाख और असम में अन्वेषण के दौरान उत्साहजनक परिणाम सामने नहीं आए थे।
- कोरबा क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) द्वारा वित्तपोषित एक निजी कंपनी ने 168 - 295 PPM (Part per million) के हार्ड रॉक लिथियम के भंडार पाए हैं और आगे ज्यादा बड़ा भंडार मिलने का अनुमान है।
- PPM का तात्पर्य है कि अगर 1 मिलियन KG के भंडार मिलते हैं तो उसमें 168 - 295 KG तक लिथियम प्राप्त होगा।

## पूर्व में असफलता

- मणिपुर के कामजोंग जिले में स्थानीय प्रतिरोध के कारण अन्वेषण कार्य स्थगित है।
- भारत चीन सीमा के पास स्थित लद्दाख के मेराक क्षेत्र में अन्वेषण के दौरान उत्साहजनक परिणाम सामने नहीं मिले।
- वही NMET ने असम के धुबरी और कोकराझार जिले में लिथियम अन्वेषण से संबंधित परियोजनाओं को छोड़ने के सिफारिश की।

## वर्तमान दौर

- नवंबर में अब तक खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के 38 ब्लॉक नीलामी के लिए रखे हैं जिनमें दो लिथियम के ब्लॉक हैं।
- इनमें से एक जम्मू कश्मीर के रियासी जिले एवं दूसरा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का ब्लॉक है।
- कोरबा के ब्लॉक को पर्याप्त निवेदक प्राप्त हुए हैं जबकि रियासी में नीलामी की प्रक्रिया रोकनी पड़ी थी।
- सर्वेक्षणों के अनुसार कोरबा जिले में लिथियम सांद्रता 10 - 2000 PPM पाई गई, जबकि रियासी में यह सांद्रता 200 PPM से ज्यादा है।
- लिथियम की सांद्रता लिथियम निष्कर्षण में महत्वपूर्ण तो है लेकिन कठोर चट्टान ग्रेनाइट और पेग्माटाइट्स जैसे चट्टान से लिथियम का निष्कर्षण काफी कठिन है।

## विदेश में खनन कार्य

- खान मंत्रालय के तहत 3 सार्वजनिक कंपनियों के सार्वजनिक संयुक्त उद्यम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) ने इस वर्ष की शुरुआत में अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 5 ब्लॉकों में लिथियम की खोज की एवं निष्कर्षण के अधिकार हासिल किए।
- इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण खनिज को स्वयं (भारत) के लिए सुरक्षित अधिग्रहण पर विचार कर रही हैं।

## लिथियम का महत्व

- लिथियम का नया उपनाम 'सफेद सोना' हो गया है क्योंकि इसका प्रयोग उच्च क्षमता वाली रिचार्जबल बैटरियों में होता है, जिससे इसकी मांग काफी बढ़ गई है।
- लिथियम से वस्तुतः मिश्रित धातु में बनाई जाती है, जिसका प्रयोग मोटर इंजन में सफेद धातु के बियरिंग बनाने में तथा एल्यूमिनियम के साथ इसे मिश्रित कर प्लेन के कस पुर्जे बनाने में किया जाता है।
- इसके अलावा विद्युत रासायनिक बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों एवं लैपटॉप आदि में लिथियम का खूब प्रयोग किया जाता है।

## लिथियम के रासायनिक गुण

- इसका प्रत्येक LI होता है।
- यह काफी हल्का लेकिन काफी ठोस होता है।
- यह चांदी के समान रंग का होता है।
- यह अत्यधिक ज्वलनशील एवं प्रतिक्रियाशील क्षारीय प्रकृति का दुर्लभ खनिज धातु है।
- दुर्लभ धातु में लिथियम के अलावा नायोबियम, लुटिशियम, स्कैंडियम, बेरिलियम एवं सीजियम शामिल हैं।
- दुर्लभ धातुएं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं जिनका प्रयोग रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में किया जाता है।

## लिथियम ट्रायंगल

- लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना चिली एवं बोलीविया के कुछ क्षेत्र शामिल हैं जहां लिथियम के प्रचुर भंडार मिलने की संभावना है।
- चिली, अर्जेंटीना एवं ऑस्ट्रेलिया लिथियम के सबसे बड़े भंडार वाले देश में शामिल हैं।

## भारत में संभावना

- राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों के अभ्रक बेल्ट में इसके पाए जाने की प्रचुर संभावना है।
- असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ में इसके भंडार पाए भी गए हैं।
- इसके अलावा भारत के पैगमाटाइट चट्टान जो आग्नेय चट्टान से निर्मित है के क्षेत्र में भी इसके पाए जाने की संभावना है।

# लोकसभा सदस्य की शपथ प्रक्रिया और कार्यकाल



## हालिया सन्दर्भ

- 18 वीं लोकसभा के लिए protem speaker (सामयिक अध्यक्ष) चुना जा चुका है, जो आज से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की शपथ दिलवाएंगे

## शपथ का प्रावधान

- सदन के विधायी काम काज शुरू होने से पूर्व प्रत्येक लोकसभा सांसद को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है।

## पहला शपथ

- नवनिर्वाचित protem speaker भर्तृहरि माहताब पहले लोकसभा सांसद होंगे, जो राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे
- भर्तृहरि माहताब लगातार 7 वीं बार कटक लोकसभा क्षेत्र से सदस्य चुने गए हैं
- राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 95 (1) के तहत उन्हें protem speaker का दायित्व सौंपा है, जो सदन के पहले बैठक की अध्यक्षता करेंगे
- भर्तृहरि माहताब सभी लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाएंगे, जिसका प्रावधान संविधान के अनुसूची - 3 में है।

## सांसद का कार्यकाल

- लोकसभा सांसद का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जो उस दिन से शुरू होता है जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की परिणामों की घोषणा करता है।
- उपरोक्त प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 में वर्णित है।
- चुनाव आयोग ने 6 जून को परिणाम घोषित किए थे और लोकसभा सांसदों का कार्यकाल उसी दिन से प्रारंभ हो गया।
- कार्यकाल शुरू होने का तात्पर्य यह है कि उसी दिन से निर्वाचित सांसद प्रतिनिधियों के रूप में अधिकारों के पात्र हो जाते हैं।
- कार्यकाल शुरू होने का तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर सांसद अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा बदलकर अन्य दल में मिलते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर सकते हैं।
- इसके अलावा कार्यकाल शुरू होने की सांसदों को वेतन एवं भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकार मिलने प्राप्त हो जाते हैं।

## कार्यकाल शुरू होने के बाद राज्य की प्रासंगिकता

- जब कार्यकाल पहलेही शुरू होजाता है तोशपथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
- दरअसल चुनाव जीतने एवं कार्यकाल शुरू हो जाने मात्र से सांसद को सदन की कार्यवाही में भाग लेने की पात्रता नहीं मिल जाती।
- अनुच्छेद 99 के तहत लोकसभा में बहस करने तथा मतदान करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान लेकर सदन में अपनी सीट लेनी होती है।
- अनुच्छेद 104 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए सदन की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो प्रतिदिन ₹500 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

## अपवाद

- उपरोक्त नियम का एक अपवाद भी है।
- कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत हुए 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। इस दौरान उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होती है अथवा उसका मंत्री पद खत्म हो जाता है।
- मंत्री इस दौरान दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान दोनों में किसी सदन में नहीं कर सकता।

## शपथ क्या है ?

- संविधान के तीसरी अनुसूची में संसदीय शपथ का वर्णन है जिसमें लिखा है:-
- मैं,.....
- नाम.....
- ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं.....
- विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा/रखूँगी।
- मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा/रखूँगी।
- मैं जिस कर्तव्य को ग्रहण करने वाला हूँ उसकी निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूँगा।

## शपथ का बदलता स्वरूप

- B.R अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने शपथ में ईश्वर शब्द का उल्लेख नहीं किया था।
- समिति ने लिखा था कि व्यक्ति पूरी ईमानदारी एवं सत्य निष्ठा से संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा एवं आस्था रखने का शपथ लेगा।
- चर्चा के दौरान के टी शाह एवं महावीर त्यागी ने ईश्वर शब्द जोड़ने के लिए प्रस्ताव पेश किया।
- दोनों ने प्रस्ताव में कहा कि हम शपथ में ईश्वर को नहीं छोड़ सकते जिन्हें ईश्वर पर भरोसा होगा वह ईश्वर की शपथ लेंगे और जो नास्तिक होंगे उन्हें गंभीरता से शपथ लेने की स्वतंत्रता होगी।
- अंबेडकर ने संशोधन प्रस्ताव को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि कुछ लोगों के लिए ईश्वर ब्रह्मांड एवं उनके व्यक्तिगत जीवन की शासन शक्ति है ऐसे में वह अगर ईश्वर की शपथ लेंगे तो वे नैतिक रूप से अपने दायित्व का ज्यादा गंभीरता से पालन करेंगे।
- शपथ में अंतिम परिवर्तन राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पर 16 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के माध्यम से किया गया जिससे शपथ में "भारत की अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखने वाला" अंश जोड़ा गया।

## कैसे लिया जाता है शपथ ?

- शपथ प्रतिज्ञान लेने से पूर्व सांसदों को अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लोकसभा के कर्मचारियों को प्रस्तुत करना होता है।
- यह प्रक्रिया 1957 के घटना के बाद जोड़ा गया जब मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ने सांसद के रूप में सदन में शपथ ले ली थी।
- निर्वाचन प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद सांसद अंग्रेजी सहित आठवीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी में भी शपथ ले सकते हैं।
- सामान्यतः आधे से ज्यादा सांसद हिंदी या अंग्रेजी में शपथ लेते हैं।
- 2019 में 44 सांसदों ने जबकि 2014 में 39 सांसदों ने संस्कृत में शपथ ली थी।
- शपथ के दौरान सांसदों को निर्वाचन प्रमाण पत्र में लिखे गए नाम का ही प्रयोग करना होता है।
- 2019 में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (बीजेपी के लोकसभा सांसद) नए शपथ के दौरान अपने नाम में प्रत्यय जोड़ा था जिस पर पीठासीन अधिकारी ने फैसला सुनाया कि प्रमाण पत्र में वर्णित नाम ही रिकॉर्ड में रखा जाएगा।
- 2024 में जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल ने इंकलाब जिंदाबाद के साथ शपथ को समाप्त किया तो उन्हें फिर से शपथ लेने को कहा गया।
- शपथ vs प्रतिज्ञान -
- 2019 लोकसभा में 87% सांसदों ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली थी जबकि 13% ने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की प्राप्त की।
- वहीं यह अनुपात 2009 में क्रमशः 84% एवं 16% जबकि 2014 में 93% और 7% था।



## Notes:-

### हिंदी vs अंग्रेजी

- 2004 में हिंदी में 220 लोकसभा सांसदों ने, 2009 में 234 सांसदों ने, 2014 में 212 सांसदों ने तथा 2019 में 212 सांसदों ने शपथ प्रतिज्ञान लिया।
- अंग्रेजी में 2004 में 60, 2009 में 100, 2014 में 115 एवं 2019 में 54 सांसदों (लोकसभा) ने शपथ/प्रतिज्ञान लिया।
- अन्य प्रमुख भाषाओं में मराठी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली और उड़िया रहा।

### जेल में बंद सांसद और शपथ

- संविधान में यह प्रावधान है कि यदि कोई सांसद सदन में लगातार 60 दिन उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है।
- इसी आधार पर न्यायालयों ने जेल में बंद सांसदों को शपथ लेने की अनुमति दी है।
- जून 2019 में घोसी (UP) लोकसभा सांसद गंभीर अपराधिक आरोपों में जेल गए थे, जिन्हें न्यायालय ने जनवरी 2020 में शपथ लेने की अनुमति दी।

# Maldives Ban Israeli Citizen



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में मालदीव के गृह सुरक्षा एवं तकनीकी मंत्री ने कहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान यह निर्णय लिया है कि इजरायली पासपोर्ट धारकों को मालदीव में आने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
- यह निर्णय इजरायल द्वारा गाजा क्षेत्र में लगातार किए जा रहे बमबारी को ध्यान में रखकर किया गया है।
- इजरायली पासपोर्ट धारकों को प्रतिबंधित किए जाने वाले निर्णय को कानूनी रूप देने की प्रक्रिया भी शुरू दी गई है।
- ऐसा करने के लिए एक विशेष कैबिनेट कमिटी का भी गठन किया जा चुका है।
- साथ ही यह द्विपीय देश संघर्ष में फिलीस्तीन से बेघर हुए लोगों को मदद पहुंचाने के लिए विचार कर रही है।
- मालदीव इस मामले में UNWA यानी संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के साथ सहयोगी भूमिका निभाएगा।
- साथ ही देशव्यापी मार्च भी निकाले जाने पर चर्चा हुई, जिसका स्लोगन 'Maldivians with Palestine' होगा।
- इसके अलावा मालदीव सभी इस्लामिक देशों के साथ फिलीस्तीन मामले के लिए प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है।
- मालदीव सरकार के द्वारा उपरोक्त सभी निर्णय उस घटना के बाद लिए जा रहे हैं, जब दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजरायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की शुरुआत की।

## संघर्ष की स्थिति

- गाजा युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमस के द्वारा इजरायल पर हमले के बाद शुरू हुई, जिसमें हमस के लड़ाकों ने इजरायल के अंदर जाकर कत्लेआम मचाया था तथा कई इजरायली लोगों को बंधक बना लिया था।
- हमस के उस हमले में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी तथा हमस ने 252 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें से 121 अभी भी गाजा में है, साथ ही इजरायली सेना के मुताबिक 37 बंधकों की जान भी जा चुकी है।
- इजरायली की जवाबी कार्यवाही में लगभग 37000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर नागरिक हैं। यह जानकारी हमस के द्वारा संचालित क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्री ने दी है।

## सीजफायर पर विचार

- बिने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की थी कि इजरायल के गाजा में सीजफायर और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई के संबंध में प्रस्ताव रखा है।
- इस प्रस्ताव के माध्यम से हमस तक पहुंचा दिया गया है।

- इस प्रस्ताव के अनुसार गाजा क्षेत्र से सभी इजरायली सेना वापस हो जाएगी तथा गाजा के आबादी वाले क्षेत्र में पूर्णतः सीजफायर हो जाएगा तथा सभी इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा।

## संघर्ष से जुड़े विभिन्न ऑपरेशन

- ऑपरेशन अजय-** हमस एवं इजरायली सेना के बीच संघर्ष शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद भारत ने इजरायल में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए 'ऑपरेशन अजय' शुरू किया।
- इजरायल में 20,000 भारतीय रहते हैं।
- ऑपरेशन अल-अक्सा-** फिलीस्तीनी चरमपंथी संगठन हमस ने 07 अक्टूबर 2023 को इजरायल के भीतरी इलाकों में घुसकर लोगों की हत्या कर दी थी।
- इस घटना को हमस ने 'ऑपरेशन अल-अक्सा' नाम दिया।
- ऑपरेशन आयरन स्विड्स-** हमस द्वारा इजरायल पर हमले के जवाब में इजरायल ने 'ऑपरेशन आयरन स्विड्स' के जरिए हमस लड़ाकों पर जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी, जो अब भी जारी है।

## अल-अक्सा मस्जिद

- सबसे पुराने शहरों में एक जेरूसलेम में यह मस्जिद स्थित है।
- मान्यता है कि इसे पैगम्बर मोहम्मद के दोस्त खलीफा इल-अब्र-खट्टाव ने बनाया था।
- अल-अक्सा मस्जिद को मस्जिद अल हरम और मस्जिद नवबी के नाम से भी जाना जाता है।
- मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा को दुनिया से भर के मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है।
- मान्यता है कि हज़रत पैगम्बर मोहम्मद ने जन्नत का रास्ता यहीं से तय किया था।
- यहूदी धर्म के लोग इसे 'टैपल माउंट' कहते हैं।
- यहूदी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 1000 ईसा पूर्व राजा सोलोमन ने यहाँ यहूदी मंदिर बनवाए थे, जिसे कई बार ध्वस्त किया गया।
- कई बार ध्वस्त किए जाने के बाद यहाँ सिर्फ एक दीवार बची है, जिसे यहूदी 'बेस्ट वॉल' कहते हैं।
- यहूदियों की मान्यता है कि अल-अक्सा वही जगह है जहाँ ईश्वर ने इस धरती के पहले ईसाई का निर्माण किया था।
- ईसाई धर्म की मान्यता है अल अक्सा परिसर में ही ईसा मसीह ने पवित्र उपदेश दिया था तथा इसी जगह पर उन्हें सूली पर लटका दिया गया था तथा यहीं वे पुनर्जीवित भी हुए।
- 1967 में इजरायल ने अल-अक्सा के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अरब देशों से इजरायल ने प्रसिद्ध 'six day war' लड़ा था, जिसमें इजरायल विजयी हुआ था।

## संयुक्त राष्ट्रराहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA)

- वर्ष 1948 में अरब - इजरायल युद्ध के बाद विस्थापित फिलिस्तीनियों की मदद के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
- UN ऐसे लोगों को फिलीस्तीनी शरणार्थी मानता है, जिनका निवास स्थान 1 जून 1946 से 15 मई 1948 फिलीस्तीन था, लेकिन 1948 के युद्ध के कारण उनका आवास तथा आजीविका दोनों नष्ट हो गए।



# Not just Delhi, how Temperature Records are Tumbling across the World



## संदर्भ

- पिछले दो दिनों में नई दिल्ली में दर्ज की गई अत्यधिक उच्च तापमान की तुलना अगर पिछले कुछ वर्षों में तापमान में वृद्धि की वैश्विक प्रवृत्ति के साथ जोड़कर देखा जाय तो यह एक समान्य घटना लगती है।
- ज्ञातव्य हो कि कल यानि 29 मई को नई दिल्ली के मुंगेशपुर स्थित मौसम केन्द्र में 52.9 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान दर्ज किया गया जो अब तक का पूरे भारत का रिकार्ड तापमान है।
- हालांकि मौसम विभाग इस मामले में मुंगेशपुर स्थित मौसम केन्द्र की डेटा और सेंसर की जाँच कर रही है।
- पृथ्वी पर अब तक का सबसे अधिक तापमान 100 साल से भी अधिक समय पहले 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलीफोर्निया के रेगिस्तान में डेथ वैली नामक स्थान पर 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

## पिछले कुछ वर्ष में तापमान वृद्धि की वैश्विक प्रवृत्ति

- वर्ष 2022 के जुलाई में यूनाइटेड किंगडम (UK) में पहली बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया।
- पिछले वर्ष 2023 में चीन के उत्तर-पश्चिम के छोटे से शहर का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो चीन में दर्ज अब तक का सबसे उच्च तापमान है।
- वर्ष 2021 में इटली के सिसिली नामक स्थान पर 48.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया जो यूरोप में अब तक का दर्ज सबसे उच्च तापमान स्तर है।
- पिछले वर्ष जलवायु परिवर्तन पर केन्द्रित यूके स्थित प्रकाशक 'कार्बन ब्रीज' ने एक विश्लेषण जारी किया जिसमें बताया गया कि वर्ष 2013 से लेकर 2023 के बीच पृथ्वी के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से पर उच्च दैनिक तापमान दर्ज किया गया।
- इस विश्लेषण में अंटार्कटिका में भी दैनिक तापमान वृद्धि का जिक्र किया गया जबकि इस अवधि के दौरान भारत में सबसे अधिक तापमान राजस्थान के फलौदी में दर्ज किया गया था।

## दिल्ली के संन्दर्भ में

- दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में बुधवार 29 मई को दर्ज 52.9 डिग्री सेल्सियस की पुष्टि अगर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) कर देता है तो यह भारत में दर्ज अभी तक का सबसे उच्चतम तापमान होगा।

- ज्ञातव्य हो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) हरियाणा की सीमा से लगे दिल्ली के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित मुंगेशपुर में स्थित स्वचालित मौसम केन्द्र द्वारा दर्ज की गई 52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान की जाँच कर रहा है।
- दिल्ली के मुंगेशपुर स्थित स्वचालित मौसम केन्द्र द्वारा रिकार्ड किया गया यह तापमान संदेह के दायरे में इसलिए भी है क्योंकि इस समय दिल्ली में स्थित सभी 20 अन्य मौसम केन्द्र में किसी में भी 52.9 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान दर्ज नहीं किया गया।
- बुधवार को दिल्ली के अन्य मौसम केन्द्रों में दर्ज सबसे अधिक तापमान नजफगढ़ स्टेशन द्वारा 49.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अधिकारियों के अनुसार इसके जाँच के बाद आधिकारिक पुष्टि करने में कुछ समय और लग सकते हैं।
- अगर वास्तविकता को देखा जाय तो पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली सहित अधिकांश उत्तरी भारत उच्च गर्मी वाले दौर से गुजर रहा है।
- दिल्ली के अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

## ग्लोबल वार्मिंग

- वर्ष 2023, वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्ष के रूप में अपना रिकार्ड दर्ज किया था, जिसका प्रभाव इस वर्ष 2024 में भी जारी रहने की उम्मीद थी।
- यूरोपीय आयोग की एजेंसी कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार अप्रैल 2024 लगातार सबसे गर्म ग्यारहवां महीना था जो वैश्विक औसत मासिक तापमान का रिकार्ड स्तर है।
- मई 2023 से अप्रैल 2024 के बीच की अवधि की गर्मी पूर्व औद्योगिक वर्ष (1850-1900) के औसत से लगभग 1.61 डिग्री सेल्सियस अधिक थी।

## भारत में तापमान वृद्धि

- भारत की तापमान वृद्धि की तुलना अगर वैश्विक प्रवृत्ति से की जाय तो यह काफी कम नजर आता है।
- अगर वर्ष 1900 को आधार वर्ष माना जाय तो भारत का वार्षिक औसत तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जबकि इसी अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर लगभग 1.59°C की वृद्धि दर्ज की गयी है।
- हालांकि अगर वैश्विक तापमान में पूर्व औद्योगिक वर्ष (1850-1900) से लगभग 1.1°C की वृद्धि दर्ज की गयी है।

## वैश्विक स्तर की तुलना में भारत में कम तापमान वृद्धि के कारण-

### भारत की उष्णकटिबंधीय स्थिति


- वैश्विक स्तर की तुलना में भारत के तापमान की कम वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण इसकी स्थिति है।
- भारत के कुल क्षेत्रफल का अधिकांश हिस्सा निम्न अक्षांशों में स्थित है।

- इसके अलावा भारत के अधिकांश भाग की स्थिति भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के साथ-साथ महासागरीय क्षेत्र से जुड़ा होना है जो भारत में कम तापमान वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारक है।

## एरोसॉल का प्रभाव

- एरोसॉल वातावरण में हवा में निलंबित सभी प्रकार के सूक्ष्म कणों को संदर्भित करता है, जिसमें स्थानीय तापमान को काफी हद तक प्रभावित करने की क्षमता होती है।
- वास्तव में वातावरण में एरोसॉल की मात्रा सूर्य से आने वाली प्राकश के किरणों को परावर्तित या अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- भारतीय क्षेत्र की उष्णकटिबंधीय स्थिति और शुष्क जलवायु के कारण इनके वातावरण में एरोसॉल की सघनता काफी अच्छी है।
- इसके अलावा कुछ मानवजनित कारक जैसे उद्योगों, वाहनों, निर्माण कार्य एवं अन्य गतिविधियों के कारण भी भारतीय वातावरण में एरोसॉल की सघनता ज्यादा पायी जाती है।
- भारतीय वातावरण में एरोसॉल की यह सघनता सूर्य की किरणों को ज्यादा मात्रा परावर्तित कर देती हैं जिससे भूमि द्वारा कम गर्मी अवशोषित होती है और तापमान सामान्य बना रहता है।

## Notes:-



# ऑलंपिक में हुए नये खेल शामिल

## चर्चा में क्यों ?

- इस वर्ष आयोजित होने वाली ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में होना है।
- पेरिस में आयोजित होने वाली इस ओलंपिक में ब्रेकिंग या ब्रेकडांसिंग खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा।
- ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक में सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को ओलंपिक खेलों के रूप में शामिल किया गया था।
- भारत 2036 में आयोजित होने वाली ओलंपिक खेलों का आयोजन 'अहमदाबाद' में आयोजन के लिए बोली लगाने सहित भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा योग, T-20 क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज, स्वैश सहित खो-खो को ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए सिफारिश कर सकता है।

## ओलंपिक में खेलों के लिए क्या मानदंड हैं ?

- अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC), ओलंपिक खेलों के प्रत्येक संस्करण के लिए खेल कार्यक्रम निर्धारित करता है।
- अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा खेल कार्यक्रम का निर्धारण वार्षिक सत्र में किया जाता है।
- **किसी भी खेलों को ओलंपिक खेल में शामिल होने के निम्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं-**
- खेलों को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय महासंघों (IF) द्वारा संचालित होना चाहिए।
- खेलों को ओलंपिक चार्टर का पालन करना होगा।
- ओलंपिक चार्टर, खेलों से जुड़ा एक संहिताबद्ध नियमों और सिद्धांतों का संग्रह है जो ओलंपिक खेलों के संचालन एवं संगठन को निर्देशित करता है।
- खेलों को विश्व डोपिंग रोधी संहिता का पालन करना
- विश्व डोपिंग रोधी संहिता सभी देशों में सभी खेलों के लिए डोपिंग विरोधी नीतियों और नियमों का मानवीकरण करता है।
- खेलों को ओलंपिक मूवमेंट कोड का पालन

## ओलंपिक में नए खेलों को शामिल कैसे किया जाता है?

- वर्ष 2014 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक एजेंडा 2020 की घोषणा की जिसके तहत 'खेलों' को चुनने के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए।



- ओलंपिक एजेंडा 2020 का उद्देश्य ओलंपिक में नए खेलों को शामिल करने सहित खेलों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की संख्या, खर्च और जटिलता को नियंत्रित करना था।
- अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए देश के शहरों का चुनाव के बाद मेजबान देशों के लिए एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाती है।
- इस समिति के माध्यम से मेजबान देश ओलंपिक खेलों में नए खेलों को शामिल करने के लिए सिफारिश कर सकता है।
- वर्ष 2020 में टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक के लिए टोक्यो आयोजन समिति ने पांच नए खेलों सर्फिंग, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और बेसबॉल/सॉफ्टबॉल के ओलंपिक खेलों में शामिल करने की सिफारिश की गई थी जिसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सहमति प्रदान की।
- इसी प्रकार वर्ष 2024 के ओलंपिक में मेजबान पेरिस आयोजन समिति के सिफारिश पर इस वर्ष की सर्फिंग, कराटे और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है।
- इसके अलावा पेरिस आयोजन समिति वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए ब्रेकिंग या ब्रेड ब्रेकडांसिंग को एक नए ओलंपिक खेल के रूप में पेश करने जा रहा है।
- ओलंपिक वेबसाइट के अनुसार ब्रेकिंग या ब्रेकडांसिंग हिप-हॉप संस्कृति से जुड़ा एक 'शहरी नृत्य शैली' है जिसकी उत्पत्ति 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी।
- पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रेकिंग या ब्रेकडांसिंग खेलों का आयोजन 9 और 10 अगस्त को 'लॉ कॉनकार्ड' में किया जाना है।

## ओलंपिक 2036-40 के आयोजन में भारत की रुचि

- अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बारव के अनुसार भारत सहित कई अन्य देश 2036 और 2040 के ओलंपिक आयोजन के लिए मेजबानी का दावा पेश किया गया है।
- ज्ञातव्य हो कि ओलंपिक खेलों के मेजबान देश के रूप में अगले तीन ओलंपिक का आयोजन पेरिस (2024), लॉस एंजेलिस (2028) और ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया (2032) को आवंटित किया जा चुका है।
- थॉमस बारव के अनुसार वर्ष 2036 और 2040 के ओलंपिक खेलों के आयोजन की मेजबानी के लिए भारत सहित इंडोनेशिया, कतर और जर्मनी प्रमुख देश है।
- ओलंपिक की मेजबानी में रुचि रखने वाले उपरोक्त चार देशों में जर्मनी के अलावा किसी ने अभी तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है।
- हालांकि भारतीय ओलंपिक संघ के अनुसार भारत अगले डेढ़ दशक में एशियाई खेलों, युवा ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है तथा वर्ष 2048 में आजादी के शताब्दी समारोह के उपलक्ष में 'ओलंपिक' की मेजबानी का लक्ष्य रखता है।

## ओलंपिक (इतिहास)

- प्राचीन ओलंपिक खेलों का इतिहास लगभग 776 ईसा पूर्व का माना जाता है। यूनानियों द्वारा प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर इस खेल का आयोजन यूनानियों के देवता 'जीऊस' के सम्मान में आयोजित किया जाता था।
- ओलंपिया नामक पहाड़ पर इस खेल के आयोजन के कारण इसका नाम 'ओलंपिक' पड़ा।
- 393 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसिस प्रथम द्वारा इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- इसके बाद आधुनिक ओलंपिक के जनक कहे जाने वाले 'पियरे डी कुबर्टिन' की अथक प्रयास से अप्रैल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आधुनिक ओलंपिक का पहला संस्करण आयोजित किया गया।
- तब से लेकर वर्ष 2024 में पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक तक 30 ओलंपिक का आयोजन हो चुका है।
- इस अंतराल में वर्ष 1924 तथा प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ओलंपिक का आयोजन नहीं हो सका।
- एथेंस में आयोजित ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण में 12 देश के 280 एथलीटों ने 43 स्पर्धाओं में भाग लिया।



## अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति

- 23 जून 1894 को पियरे डे कोर्बिटेन ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी जिसके प्रथम अध्यक्ष 'देमित्रिस विकेलस' थे।
- वर्तमान में विश्व की कुल 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसके सदस्य हैं।
- अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष 8 वर्षों के लिए चुना जाता है जिसके बाद यह चार साल की अवधि के लिए फिर से चुने जाने के लिए पात्र होता है।

## ओलंपिक ध्वज

- वर्ष 1914 में 'पियरे डे कोर्बिटेन' द्वारा ओलंपिक ध्वज का प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया गया।
- इस ओलंपिक ध्वज में सफेद पृष्ठभूमि के साथ पांच अलग-अलग रंग के छल्ले (रिंग) बने हुए हैं जो दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यह पांच छल्ले (Ring) नीला, पीला, लाल, कला और हरे रंग के हैं।
- नीला रंग (ओशिनिया), काला (अफ्रीका), लाल (अमेरिका) पीला (एशिया) और हरा (यूरोप) का प्रतिनिधित्व करता है।
- ओलंपिक ध्वज को ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले देशों के झंडे के साथ स्वतंत्र रूप से फहराया जाता है।

## अन्य तथ्य

- वर्ष 1992 तक शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों खेलों का आयोजन एक ही साथ किया जाता था लेकिन 1992 के बाद से इन खेलों का आयोजन शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के रूप में दो वर्षों के अंतराल पर किया जाता है।
- ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रत्येक लीप वर्ष जैसे 2016, 2020, 2024 में आयोजित किया जाता है जबकि शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दो वर्ष बाद जैसे 2018, 2022, 2026 में आयोजित किया जाता है।
- वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक जो कोविड-19 महामारी के कारण अगस्त 2021 में आयोजित किया गया, में 206 देशों के प्रतिभागियों ने 33 खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लिया।

## Notes:-

# Operation Bluestar, Theft Holy Book



## चर्चा में क्यों ?

- वर्तमान में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चल रही मतदान में सातवें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को पंजाब के सभी लोकसभा सीटों और अन्य राज्यों के कुछ लोकसभा सीटों पर होना है।
- पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए जो मतदान का दिन है वह पंजाब में घटित दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सालगिरह वाला दिन है, जिसने काफी हद तक राज्य की हालिया इतिहास और राजनीति को प्रभावित किया है।

## जून को पंजाब में घटित दो ऐतिहासिक घटनाएं ऑपरेशन ब्लूस्टार (1 जून, 1984)

- 1 जून 2024 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से खालिस्तानी आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लूस्टार की शुरुआत की 40 वीं वर्षगांठ होगी।
- दरअसल ऑपरेशन ब्लूस्टार 1 जून से 10 जून 1984 के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया एक ऑपरेशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर में छिपे खलिस्तानी आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके अन्य सहयोगियों को उस स्थल से हटाना था।
- दरअसल वर्ष 1973 में सिख समुदाय के लिए अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाले कुछ सिख संगठनों में 'आनंदपुर साहिब' नामक प्रस्ताव जिसमें सिखों के लिए एक अलग स्वायत्त क्षेत्र 'खलिस्तान' की मांग भी शामिल थी, को तत्कालीन केन्द्र सरकार को सौंपा।
- हालांकि सिख समुदाय द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को तत्कालीन केन्द्र सरकार ने पूर्णरूपेण खारिज कर दिया।
- तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा 'आनंदपुर साहिब प्रस्ताव' के खारिज किए जाने के पश्चात सिख संगठन के सदस्य जनरल सिंह भिंडरावाले अपने समर्थकों के साथ उस समय की पंजाब की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल 'अकाली दल' में शामिल हो गई।
- जनरल सिंह भिंडरावाले और राजनीतिक पार्टी अकाली दल में संयुक्त रूप से वर्ष 1982 में भारत सरकार से "आनंदपुर साहिब प्रस्ताव" लागू करवाने के लिए धर्म युद्ध मोर्चा शुरू कर दिया।

- जनरल सिंह भिंडरावाले समूह और अकाली दल के लोग 'धर्म युद्ध मोर्चा' के नाम से पंजाब में जगह-जगह हिंसा और अराजकता को काफी चरम पर पहुँचा दिया।
- हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा कई बार जनरल सिंह भिंडरावाले को वार्ता के लिए बुलाया गया लेकिन प्रत्येक बार वार्ता विफल रही और पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती चली गई।
- पंजाब में अगले मई, 1984 में कई हिंसक घटनाएं हुई जिसमें लगभग 410 लोग मारे और लगभग 1200 लोग घायल हुए।
- पंजाब में हो रहे हिंसक घटनाओं और दंगे को ध्यान में रखकर तत्कालीन केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी द्वारा जनरल सिंह भिंडरावाले की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया।
- जनरल सिंह भिंडरावाले की गिरफ्तारी के आदेश जारी होने के बाद सिख राजनीतिक पार्टी शिरोमणी अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल ने जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को गिरफ्तारी से बचने के लिए सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल 'स्वर्ण मंदिर' में छिपने के लिए आमंत्रित किया और वे लोग विभिन्न सशस्त्र हथियार को लेकर स्वर्ण मंदिर में शरण ले ली।
- प्रणव मुखर्जी सहित विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों के असहमती के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने मई 1984 के मध्य में स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्यवाही के लिए 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' की अनुमति दे दी।
- 29 मई तक, अमृतसर में मेरठ की 9 वीं इन्फैंट्री डिवीजन के सैनिक पहुँच चुके थे।
- 1 जून तक सशस्त्र बल स्वर्ण मंदिर के आसपास सभी इमारतों पर कब्जा कर चुके थे जिसमें मंदिर में छुपे आतंकी और सशस्त्र बलों के बीच चली गोलीबारी में 11 नागरिकों की मौत हो गयी।
- 1 जून से 10 जून तक चलने वाले इस ऑपरेशन ब्लूस्टार में सेना के रिपोर्ट के अनुसार 554 मौतें दर्ज की गयी, जिनमें 4 सैन्य अधिकारी और 79 सैनिक शामिल थे।
- हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस ऑपरेशन में वास्तविक हताहतों की संख्या कहीं अधिक थी, जिनमें कई तीर्थयात्री और सामान्य नागरिक भी शामिल था।
- इस ऑपरेशन में जनरल भिंडरावाला समेत कई आतंकी मारे गये।

## ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद के परिणाम

- केन्द्र सरकार द्वारा सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर में चलाये गये 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' ने पंजाब और भारत की राजनीति में काफी प्रभाव डाला।
- इस ऑपरेशन का बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी को उनके ही दो सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी।
- इंदिरा गाँधी के हत्या के बाद पंजाब और दिल्ली में कई हिंसक दंगे हुए जिनमें अकेले दिल्ली में लगभग 2146 लोग मारे गये।
- इंदिरा गाँधी के हत्या के बाद राजीव गाँधी भारत के प्रधानमंत्री बने जिन्होंने वर्ष 1985 में उस समय के पंजाब के सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी अकाली दल के नेता संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- हालांकि उस शांति समझौते के हस्ताक्षर के कुछ महीने बाद ही संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पंजाब में पुनः हिंसा और अस्थिरता का काल दशक शुरू हो गया।

- ऑपरेशन ब्लूस्टार आज भी पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है।
- अकाली दल के अध्यक्ष सुखवीर सिंह बादल आज भी ऑपरेशन ब्लूस्टार में क्षतिग्रस्त हुए अकाल तख्त की तस्वीर दिखाकर कांग्रेस को घेर रही है, जबकि भाजपा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिखों के नरसंहार को याद दिला कांग्रेस को घेर रही है।

## सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरुग्रंथ साहब के एक स्वरूप का गायब होना (1 जून 2015)

- पंजाब में 1 जून को होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण घटना है वर्ष 2015 में पंजाब के फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह में स्थित एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब के एक स्वरूप का गायब हो जाना।
- गुरु ग्रंथ साहब के एक स्वरूप के गायब हो जाने के बाद पंजाब में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये।
- अक्टूबर 2015 में गुरु ग्रंथ साहब के गायब हुए एक स्वरूप के कुछ फटे पन्ने बरगारी गुरुद्वारे के बाहर सड़क पर पाए गए।
- इसके बाद से पंजाब में अशांति और तेजी से बढ़ गई, जिसमें 'बहबस कला' में पुलिस गोलीबारी में दो प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई।
- पंजाब में आए दिन गुरु ग्रंथ साहब से जुड़े बेअदबी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जो पंजाब में अशांति के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक हैं।

## परिणाम

- पंजाब में 'गुरु ग्रंथ साहिब' के साथ हुए इस बेअदबी का मुद्दा काफी संवेदनशील रहा है जो पंजाब में 2015 से राजनीतिक भूचाल लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
- वर्ष 2017 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल जिन्हें 1 जून 2015 वाली घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया को करारी हार का सामना करना पड़ा।
- 2017 में हुए इस विधानसभा चुनाव में अकाली दल को राज्य के कुल 117 विधानसभा सीटों में से मात्र 15 पर जीत हासिल हुई।
- पंजाब में बेअदबी का मुद्दा का राजनीतिक वर्चस्व काफी रहा है, जिसे देखते हुए पंजाब की भगवत मान सरकार ने वर्ष 2022 में विधानसभा में एक विधेयक पारित करके गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।



## Notes:-

# Parliament Election in European Parliament



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में 6 से 9 जून के बीच यूरोपीय संसद का चुनाव हुआ।
- इस यूरोपीय संसद चुनाव में यूरोपीय संघ (EU) के 27 देशों के मतदाताओं ने भाग लिया।
- यूरोपीय संघ के 27 देशों के 370 मिलियन से अधिक मतदाताओं में से लगभग 51 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया।
- यह यूरोपीय संसद चुनाव 1979 में हुए पहले प्रत्यक्ष चुनाव के बाद से दसवां संसदीय चुनाव था।
- इस यूरोपीय संसदीय चुनाव के साथ कुछ यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में भी चुनाव कराए गए।
- यूरोपीय संसद के 720 सदस्यीय सदन के चुनाव में दक्षिणपंथी समूह, यूरोपीय पीपुल्स पार्टी (EPP) को सबसे अधिक सीटें (186) जीतने का अनुमान लगाया गया था जो ईपीपी (EPP) के 2019 में प्राप्त कुल सीटों से 10 अधिक है।
- इस चुनाव में आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी (ID) समूह जिसमें नेशनल रैली (NR) पार्टी भी शामिल है को 58 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है।
- इटली प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ब्रदर्स ऑफ इटली संग गठबंधन वाली यूरोसेप्टिक यूरोपीयन कंजर्वेटिव्स एंड रिफॉर्मिस्ट्स (EECR) समूह को 73 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है।

## यूरोपियन संसद

- यूरोपियन संसद यूरोपीय संघ के विधायी निकाय के रूप में जाना जाता है।
- 10 सितंबर 1952 को स्थापित यूरोपियन संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव जून 1979 में संपन्न हुआ था।
- 720 सदस्यों वाली यूरोपियन संसद, भारत के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रित निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है।
- यूरोपियन संसद का मुख्यालय फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में स्थित है जबकि इसका प्रशासनिक कार्यालय 'लक्जमबर्ग' में स्थित है।
- यूरोपियन संसद के सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है।

- यूरोपियन संघ के सभी 27 देशों में, माल्टा, बेलजियम, आस्ट्रिया और जर्मनी को छोड़कर न्यूनतम मतदान आयु 18 वर्ष है।
- जबकि माल्टा, बेलजियम, आस्ट्रिया और जर्मनी की न्यूनतम मतदान आयु 16 वर्ष है।

## यूरोपीय संसदका महत्त्व

- यूरोपीय संघ के सभी 27 देश अपनी सामूहिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव को बनाए रखने के लिए यूरोपिय संसद पर निर्भर हैं।
- चूंकि यूरोपियन संघ (EU) के सभी 27 देशों के नागरिक अपने मतदान का प्रयोग करके यूरोपीय संसद का सदस्य का चुनाव करते हैं इसलिए यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ है सभी सदस्य देशों को एक निश्चित लोकतांत्रिक वैद्यता प्रदान करती है।
- व्यावहारिक रूप से यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को कुछ निर्णय लेने की शक्तियों के लिए यूरोपीय संसद पर निर्भर रहना पड़ता है।
- यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिए यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ की परिषद तथा यूरोपीय आयोग कुछ प्रमुख संस्थान है।
- यूरोपीय संसद के सीटों का आबंटन सदस्य देशों के बीच 'अधोगामी अनुपातिकता के सिद्धांत' (Principle of degressive proportionality) पर आबंटित की जाती है।
- अधोगामी अनुपातिकता का सिद्धांत (Principle of degressive proportionality) का तात्पर्य कम जनसंख्या वाले को राज्यों को अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व देना है।

## यूरोपियन संसदके कार्य

- यूरोपियन संसद, यूरोपियन संघ के सदस्य देशों के लिए कानून बनाने एवं उसमें संसोधन करने का काम करता है।
- यूरोपियन संसद, यूरोपियन संघ के अन्य सभी संस्थानों जैसे यूरोपियन संघ की परिषद तथा यूरोपियन आयोग के कामों की निगरानी करता है तथा यूरोपियन आयोग में नियुक्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति रखता है।
- यूरोपियन संसद, यूरोपियन संघ के सदस्य देशों के बजट पर भी अधिकार साझा करता है।
- यूरोपियन संसद 'यूरोपीय लेखा परीक्षक न्यायालय' की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर पिछले बजटों के कार्यान्वयन पर भी नजर रखता है।

## नए यूरोपीय संसदके भागामी संभावित वैश्विक मुद्दे

- नया यूरोपीय संसद वर्तमान के कुछ वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए अगले 5 वर्षों के लिए नीतियाँ बनाकर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संभावित दिशा तय करने का प्रयास कर सकती है।
- इन वैश्विक मुद्दों में जलवायु परिवर्तन, वर्ष 2050 तक यूरोप को कार्बन तटस्त बनाने के लिए नीतियाँ, रूस- यूक्रेन युद्ध, मध्य-पूर्व देशों के लिए नीतियाँ, इंडो पैसेफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए नीतियाँ बनाने पर विचार कर सकती है।

## यूरोपीय संसद के राजनीतिक समूह

- वर्तमान में यूरोपीय संसद में सात राजनीतिक समूह हैं जो निम्न हैं-
- यूरोपीय पीपुल्स पार्टी (EPP)
- समाजवादी और डेमोक्रेटस का गठबंधन (S&P)
- यूरोपीय मुक्त गठबंधन (EFA)
- यूरोपीय परंपरावादी और सुधारवादी समूह (ECR)
- आइडेंटिटी एन्ड डेमोक्रेसी समूह (ID)
- वामपंथी समूह
- रिन्यु यूरोप
- यूरोपियन संसद के हुए पिछले दो चुनावों में कोई भी राजनीतिक समूह पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाया है।
- हालांकि यूरोपीय पीपुल्स पार्टी (EPP) पिछले दोनों चुनावों में सबसे बड़ी राजनीतिक समूह के रूप में उभरा है।

## अप्रवासन मुद्दे पर यूरोपियन संसद का प्रभाव

- हालिया यूरोपियन संसदीय चुनाव में दक्षिणपंथी समूह के राजनीतिक दल की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है।
- ये दक्षिणपंथी राजनीतिक समूह लगातार यूरोपियन संघ राज्यों में आप्रवासन, राष्ट्रीय पहचान तथा अपने इस्लाम विरोधी रुख पर लोकप्रियता हासिल करने में सफल हुए हैं।
- इन दक्षिणपंथी समूहों द्वारा नई संसद में अप्रवासन के मुद्दे पर सख्त सीमा नियंत्रण तथा सख्त आब्रजन और शरणार्थियों के लिए कानून बनाने पर संभावित जोर देने का प्रयास किया जा सकता है।
- यूरोपीय संघ (European Union)
- यूरोपीय संघ, यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है।
- औपचारिक रूप से यूरोपियन संघ के गठन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 में फ्रांस, इटली, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, लक्समबर्ग और नीदरलैंड के बीच हस्ताक्षरित पेरिस की संधि के तहत हो गई थी, जिसके तहत यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (ECSC) की स्थापना की गई थी।
- बाद में ECSC, यूरोपीय संघ का हिस्सा बन गया।
- इसके बाद 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के निर्माण के लिए रोम की संधि यूरोपियन संघ के गठन के लिए काफी महत्वपूर्ण थी।

- 17 फरवरी 1986 में हस्ताक्षरित 'एकल यूरोपीयन अधिनियम', जो कि पूरे यूरोप के लिए एकल बाजार स्थापित करने के संबंध में था, यूरोपीय संघ के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- 1 नवंबर 1993 को हस्ताक्षरित 'मास्ट्रिच संधि' यूरोपीय संघ के गठन के आधार के रूप में जाना जाता है।
- मास्ट्रिच में संधि के तहत तत्कालीन 12 यूरोपीय सदस्य राज्यों द्वारा 'यूरोपीय एकीकरण' के लिए 'एक साझा यूरोपीय नागरिकता' का प्रावधान किया गया।
- 13 दिसंबर 2007 को हस्ताक्षरित एवं 1 दिसंबर 2009 को लागू की गई लिस्बन की संधि ने यूरोपीय संघ के गठन को संवैधानिक आधार देने का काम किया।
- कुल क्षेत्रफल- 4,233,255 वर्ग किमी
- जनसंख्या- 448 मिलियन (2022 के अनुसार)
- मुद्रा- यूरो
- सदस्य देश- 27
- आस्ट्रिया 2. बेल्जियम 3. बुल्गारिया 4. क्रोएशिया 5. साइप्रस 6. चेक रिपब्लिक 7. डेनमार्क 8. एस्तोनिया 9. फिनलैंड 10. फ्रांस 11. जर्मनी 12. यूनान 13. हंगरी 14. आयरलैंड 15. इटली 16. लातविया 17. लिथुआनिया 18. लक्समबर्ग 19. माल्टा 20. नीदरलैंड 21. पोलैंड 22. पुर्तगाल 23. रोमानिया 24. स्लोवाकिया 25. स्लोवेनिया 26. स्पेन 27. स्वीडन

## यूरोपीय संघ में अप्रवासन के आंकड़े

- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक डेटा (2020) के अनुसार लगभग 87 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी यूरोप में रहते हैं।
- वर्ष 2020 तक गैर यूरोपीय प्रवासियों की आबादी यूरोपीय संघ में 40 मिलियन से अधिक हो गई।
- फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के पश्चात लगभग 5.7 मिलियन यूक्रेनी शरणार्थी पोलैंड, माल्टा, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस तथा चेक गणराज्य में पनाह की।
- जर्मनी, पूरे यूरोपीयन यूनियन में सबसे अधिक लगभग 2 मिलियन शरणार्थियों को पनाह दे रहा है।





# Person in Mexico Died of a Bird Flu, That hadn't be Confirmed Before in Human



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मैक्सिको में बर्ड फ्लू के एक प्रकार एच5 एन2(H5N2) से एक इंसान के मौत की पुष्टि की है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वह व्यक्ति कैसे संक्रमित हुआ, लेकिन मैक्सिको के पोल्ट्री में H5N2 बर्ड फ्लू की सूचना मिली है।
- मैक्सिकन स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 59 वर्षीय में मैक्सिकन नागरिक में पोल्ट्री या अन्य जानवर के संपर्क में नहीं आने के बावजूद H5N2 से संक्रमित था।

## बर्ड फ्लू क्या है ?

- बर्ड फ्लू (Bird flu) को समान्य तौर पर एवियन (पंक्षी) इन्फ्लूएंजा (फ्लू) टाइप ए (A) वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- एवियन इन्फ्लूएंजा या बर्ड फ्लू स्वाभाविक रूप से दुनिया भर के जंगली, जलीय पक्षियों, घरेलू मुर्गीपालन और अन्य पशु और पंक्षी की प्रजातियों को संक्रमित कर सकता है।
- एवियन इन्फ्लूएंजा बर्ड फ्लू का संक्रमण चिकन, टर्की, गीस, मोर और बत्तख जैसी पक्षियों में तेजी से फैलता है।
- थाईलैंड के चिड़ियाघरों में सूअरों, बिल्लियों एवं बाघों में भी एवियन इन्फ्लूएंजा (वर्ड फ्लू) के संक्रमण की खबरें आयी हैं।

## एवियन इन्फ्लूएंजा के अन्य स्टेज

- एवियन इन्फ्लूएंजा प्रकार के वायरस को उनकी सतहों पर दो प्रकार के प्रोटीन हेमाग्लुटिनिन (HA) और न्यूरोमिनिडेज (NA) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
- इस प्रकार एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस को लगभग 18 HA और 11 NA उप प्रकार हैं।
- इन दोनों प्रोटीनों से मिलाकर वायरस के कई संयोजन बन जाते हैं।
- इन संयोजनों में H5N1, H5N2, H7N2, H9N6, H17N10, H1N1, H1N2, आदि प्रमुख हैं।

## एवियन इन्फ्लूएंजा के मनुष्यों में संक्रमण

- आमतौर पर एवियन इन्फ्लूएंजा से संक्रमित मनुष्यों का संक्रमण संक्रमित मृत या जीवित पशु-पक्षीओं से सीधे संपर्क पर होता है।
- हालांकि अगर मनुष्य संक्रमित पशु-पक्षियों के स्थान पर जाता है तो वहाँ के वायु के संपर्क में आने से भी मनुष्यों में संक्रमण का खतरा रहता है।

## लक्षण

- एवियन इन्फ्लूएंजा एक वायरस संक्रमण है जो मनुष्य की श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है।

## अन्य लक्षण

- बुखार, खांसी, गले में खराश
- मांसपेशियों में दर्द, मतली, पेट दर्द, दस्त, उल्टी
- गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी जैसे सांस की तकलीफ, सांस लेने में कठिनाई, निमोनिया
- तंत्रिका संबंधी परिवर्तन जैसे परिवर्तित मानसिक स्थिति, दौरे पड़ना आदि।

## एवियन इन्फ्लूएंजा (इतिहास)

- एवियन इन्फ्लूएंजा को शुरुआत में 'फाऊल प्लेग' के रूप में जाना जाता था।
- वर्ष 1878 में ही अन्य बिमारियों से अलग किया था जो पक्षियों में उच्च मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार थी।
- 1990 के दशक में दुनियाभर में पोल्ट्री फार्म की अप्रत्याशित वृद्धि के कारण एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- एवियन इन्फ्लूएंजा का मानव संक्रमण पहली बार 1997 में हांगकांग में रिपोर्ट किया गया था।

## एवियन इन्फ्लूएंजा का वैश्विक प्रसार

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के अनुसार एवियन इन्फ्लूएंजा का प्रसार मुख्य रूप से अमेरिका, एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के 60 से अधिक देशों में हुआ है।
- **जनवरी 2017 (चीन)**
- जनवरी 2017 को चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन आयोग ने एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस H7N9 के 106 मामले की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी।
- इन 106 मामले में लगभग 35 मौतें हुई थी।
- **2014-15 (संयुक्त राज्य अमेरिका)**
- वर्ष 2014-15 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस H5N2 के सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया।

## 2020 यूरोप

- वर्ष 2020 के अंत एक बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी आयरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम सहित अधिकांश यूरोपीय देशों ने एवियन इन्फ्लूएंजा के विभिन्न वायरस के किस्मों के प्रकोप की विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिपोर्ट की गई।
- यूरोपीयन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल (ECDC) के एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान यूरोप में एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस की तीन वेरियंट H5N8, H5N5 तथा H5N8 के संक्रमण की बात कही गई।

## स्पेनिश फ्लू (1918-1920)

- 1918-20 के दौरान फैली महामारी जिसे ग्रेट इन्फ्लूएंजा महामारी या स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है।
- H1N1 इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण फैली यह वैश्विक महामारी का पहला प्रकोप 1919 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैनसस राज्य में देखा गया।
- 1920 के अंत तक H1N1 एवियन इन्फ्लूएंजा से लगभग दुनिया की एक तिहाई आबादी (500 मिलियन) संक्रमित हो चुकी थी जिनमें लगभग 17 मिलियन से 50 मिलियन लोगों की मौत की आशंका जताई गई।

## एशियान फ्लू (H2N2)

- 1957-58 के दौरान एशिया के दक्षिणी चीन के गुइझोऊ प्रांत से उत्पन्न H2N2 इन्फ्लूएंजा वायरस एक वैश्विक महामारी थी।
- इस महामारी के दौरान लगभग 1.4 मिलियन मौत होने का अनुमान लगाया जाता है।

## हांगकांग फ्लू (H3N2)

- एशिया के हांगकांग में उत्पन्न H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस 1968-69 के दौरान एक वैश्विक महामारी के रूप में फैली।
- इस दौरान महामारी के कारण लगभग 1 से चार मिलियन लोगों के मौत का अनुमान लगाया जाता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार संभवतः हांगकांग फ्लू एशियन फ्लू (H2H2) के एंटीजन शिफ्ट से उत्पन्न हुआ था।



## महामारी (Pandemic) और स्थानिक (Epidemic)

### महामारी (Pandemic)

- जब किसी रोग का प्रकोप एक स्थान या क्षेत्र तक सीमित न होकर दूसरे देश या दूसरे महाद्वीप तक होता है तो उसे महामारी (pandemic) कहा जाता है।

### स्थानिक (Epidemic)

- जब किसी रोग का प्रकोप किसी निश्चित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या को प्रभावित करती है तो वह स्थानिक (epidemic) कहलाती है।

## विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए काम करती है।
- स्थापना- 7 अप्रैल 1948
- मुख्यालय- जेनेवा (स्वीट्ज़रलैंड)
- विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य रूप से दुनिया भर में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक निर्धारित करता है तथा वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे पर डेटा एकत्र करता है।

## Notes:-

# प्रोटेम स्पीकर, अधिकार एवं दायित्व, चर्चा में क्यों ?



## प्रोटेम स्पीकर

- संविधान में यह व्यवस्था की पिछले लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के विघटन होने पर अपना पद नहीं छोड़ता है बल्कि नई लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है।
- ऐसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक में राष्ट्रपति नई लोकसभा से वरिष्ठतम सदस्य को सामयिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) चुन लेता है।
- प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं एवं शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं।

## अधिकार एवं दायित्व

- प्रोटेम स्पीकर के पास लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही शक्तियां होती हैं।
- वह लोकसभा की पहली बैठक में सदन का पीठासीन अधिकारी होता है।
- सामयिक अध्यक्ष का मुख्य कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है।
- सामयिक अध्यक्ष/प्रोटेम स्पीकर लोकसभा को नए अध्यक्ष के चुनाव में भी मदद करता है।
- पहली बैठक के सामान्यतः 3 - 4 दिन बाद लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, एवं तत्काल सामयिक अध्यक्ष का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है अर्थात् प्रोटेम स्पीकर/सामयिक अध्यक्ष को इस्तीफा देने की औपचारिकता पूरी नहीं करनी होती है।

## वरिष्ठतम का तात्पर्य

- वरिष्ठतम सदस्य की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है, लेकिन सामान्यतः सबसे लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहने वाले सदस्य को वरिष्ठ माना जाता है। परंपरागत रूप से सबसे ज्यादा समय तक लोकसभा (L.S.) के सदस्य (वर्षों में न कि कार्यकाल की संख्या) रहने वाले को यह पद दिया जाता है।

## संवैधानिक उपबंध

- प्रोटेम स्पीकर के लिए संविधान में प्रत्यक्षतः कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद - 95 (1) कहता है कि यदि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

- संविधान में यह भी वर्णन है कि लोकसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा।
- राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों को स्वयं शपथ न दिलवाकर स्वयं द्वारा नियुक्त 'प्रोटेम स्पीकर' के सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं।

## चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भरतहरी मेहताब को राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, जिसका विरोध करते हुए विपक्षी दलों ने कहा कि 8 बार के लोकसभा सांसद के सुरेश को यह पद दिया जाना चाहिए था।
- महताब 7 बार सांसद (L.S.) जबकि के सुरेश 8 बार लोकसभा के सदस्य सांसद रह चुके हैं।
- विपक्ष का कहना है कि सरकार दलित विरोधी है इसलिए के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया।

## सरकार का जवाब

- संसदीय कार्य मंत्री ने कहा वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अनुसार सबसे लंबे समय तक 'निरंतर कार्यकाल' वाले लोकसभा सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है।
- रिजिजू (संसदीय कार्य मंत्री) ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर की अवधारणा वेस्टमिंस्टर प्रणाली से प्रेरित है, जहां लगातार सबसे लंबा समय तक सेवा देने वाले सदस्य को 'Father of house' या 'सदन का पिता' कहा जाता है।
- उन्होंने कहा कि के सुरेश के आठ कार्यकाल हैं, लेकिन 1998 - 2004 तक वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, जबकि भरतहरी मेहताब 1998, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 एवं 2024 में लगातार 7 वें कार्यकाल के लिए बिना अंतराल के सदस्य रहे हैं।


## भरतहरी महताब

- 1998 से लगातार कटक (उड़ीसा) लोकसभा क्षेत्र से सातवीं बार निर्वाचित।
- 2017 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित
- 2024 मार्च में बीजू जनता दल छोड़कर बीजेपी में आए एवं 2024 लोकसभा चुनाव में कटक से ही विजयी हुए।
- 18 वीं लोकसभा सांसदों को 24 - 25 को शपथ दिलवाएंगे एवं 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होते ही प्रोटेम स्पीकर पद समाप्त हो जाएगा।

## वेस्टमिंस्टर प्रणाली

- भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है।
- ब्रिटेन का संसद लंदन शहर के वेस्टमिंस्टर नामक क्षेत्र में है, जिसके नाम पर ही 'वेस्टमिंस्टर प्रणाली' नामकरण हुआ।

# RBI Monetary Committee Meeting



## हालिया संदर्भ

- 7 जून को संभावित RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस दर पर RBI अन्य व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन उधार देता है, वह अपरिवर्तित रहेगी।
- समिति की बैठक 5-7 जून के बीच संभावित है, जिसमें संभावना है कि रेपो दर 6.5% पर स्थित रहेगी।
- ऐसा मुख्यतः खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए किया जाएगा।
- वर्तमान में मुद्रास्फीति 4% के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर बना हुआ है।

## जरूरत क्यों ?

- दरअसल मौजूदा हीट वेव (लू) की वजह से खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हीट वेव की वजह से न केवल आपूर्ति श्रृंखला पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, बल्कि फसलों को भी भारी नुकसान पहुँच सकता है।
- ऐसी संभावना है कि मई महीने में खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है।
- लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य व्यवस्था के तहत RBI को उपभोक्ता मूल्य-आधारित मुद्रास्फीति यानि Consumer price based inflation को 2-6% की सीमा में बनाए रखना होता है।
- RBI ने मुद्रास्फीति को टिकाऊ रूप में 4% तक बनाए रखने का लक्ष्य रखा है।
- अप्रैल में मुद्रास्फीति 4.9% से घटकर 4.8% हो गई।
- वर्ष 2023-24 में खाद्य मुद्रास्फीति 2022-23 के 6.7% के मुकाबले बढ़कर 7% हो गई। जिसकी मुख्य वजह अनाज, दाल, मसाले तथा सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान था।

## संभावनायें

- ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि RBI वास्तविक GDP और मुद्रास्फीति भविष्यवाणी में परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि RBI ब्लासा वृद्धि कर सकता है।
- वर्तमान में वास्तविक GDP की विकास दर RBI द्वारा 7% अनुमानित है।
- वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति का लक्ष्य RBI द्वारा 4.5% रखा गया है।

## उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- यह खुदरा खरीद बिक्री के दृष्टिकोण से कीमतों में हुए परिवर्तन को मापता है।
- इसे N50 यानि National Statistical office द्वारा जारी किया जाता है।
- इसके चार प्रकार हैं-
- औद्योगिक मजदूरों के लिए CPI
- कृषि मजदूरों के लिए CPI
- ग्रामीण मजदूरों के लिए CPI
- ग्रामीण/ शहरी/ संयुक्त CPI
- उपरोक्त में से प्रथम 3 का संकलन श्रम ब्यूरो (Labor Bureau) द्वारा किया जाता है, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन है तथा अंतिम प्रकार का संकलन Central Statistical Organization द्वारा किया जाता है। इसका आधार 2012 है।

## थोक मूल्य सूचकांक (Whole Price Index) WPI

- यह थोक कीमतों में हुए बदलावों को मापता है।
- इसका प्रावधान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा किया जाता है।
- मुद्रास्फीति संकेतक में सर्वाधिक इस्तेमाल WPI का ही किया जाता है।
- इसका आधार वर्ष 2011-12 है, जो पूर्व में 2004-05 था।

## RBI (परिचय)

- RBI की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- RBI Act 1934, RBI के काम-काज को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
- RBI ने 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य प्रारंभ किया था।
- RBI का गठन मुख्यतः बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करने, मौद्रिक स्थिरता के लिए रिजर्व बनाए रखने तथा देश की ऋण और मुद्रा प्रणाली को संचालित करने के लिए किया गया था।
- RBI मुख्यतः शेरधारकों के बैंक के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन RBI Act, 1949 द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया।
- महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि RBI ने अप्रैल 1947 तक म्यांमार (बर्मा) के केन्द्रीय बैंक के रूप में भी किया है।
- प्रारंभ में RBI का मुख्यालय कोलकाता में था जिसे वर्ष 1937 में मुम्बई स्थानांतरित किया गया।
- RBI का काम-काज केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित होता है।
- इसमें एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 उप-गवर्नर होते हैं।

## RBI की प्रमुख दरें

- रेपो दर- जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।
- रिवर्स रेपो दर- जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त धन राशि RBI के पास जमा करता है।

## नकद आरक्षित अनुपात- CRR

- CRR कुल जमा का एक हिस्सा होता है, जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना होता है।

## वैधानिक तरलता अनुपात- SLR

- यह भी कुल जमा का एक हिस्सा होता है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास तरल सम्पत्तियों के रूप में निश्चित भाग के रूप में जमा करना होता है।

## सीमांत स्थायी सुविधा दर- MSER

- इस दर पर वाणिज्यिक बैंक RBI से धन उधार लेता है, लेकिन इसमें वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास प्रतिभूतियों को जमा करने की अनिवार्यता नहीं है।



## Notes:-

# पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा प्रति व्यक्ति एक सिम कार्ड



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने केन्द्र से एक व्यक्ति को कई प्रीपेड सिम कार्ड जारी करने संबंधी व्यवस्था की निगरानी और विनियमन का प्रयास तेज करने का आग्रह किया है।
- भारत में बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी के बीच पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है।

## क्या है मामला

- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी न्यायालय द्वारा सुमित नंदवानी बनाम हरियाणा राज्य मामले में था।
- न्यायालय ने सुमित नंदवानी की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
- सुमित नंदवानी 'ऑनलाइन धोखाधड़ी' के एक मामले में वर्तमान में हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है।
- दरअसल पिछले वर्ष सुमित नंदवानी ने एक व्यक्ति को 'व्हाट्सएप' संदेश के माध्यम से घर का काम करते हुए 'पैसा' कमाने के बारे में पूछा गया था।
- सुमित नंदवानी ने पीड़ित व्यक्ति को पहले पैसा जमा करने के लिए कहा जिसके लिए उन्हें उच्च रिटर्न प्राप्त होने की बात कही गई।
- आरोपित ने पीड़ित के साथ विश्वास हासिल कर उसे आगे और पैसा जमा करने के लिए प्रेरित किया।
- अंततः आरोपित ने पीड़ित के साथ 8 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया।
- हरियाणा पुलिस को इस मामले की जाँच में सुजित नंदवानी से जुड़े कई बैंक खाते और मोबाइल नंबर मिले।
- आरोपित के पास से हरियाणा पुलिस को ऑनलाइन घोटाले को अंजाम देने के लिए उपयोग किए गए 35 सिम कार्ड प्राप्त हुआ।
- हरियाणा पुलिस के अनुसार आरोपित ने एक 'पॉइंट ऑफ सेल एजेंट' के रूप में काम करते हुए घोटाले में इस्तेमाल कई सिम कार्ड नंबरों को सक्रिय किया और उन्हें अलग-अलग लोगों के नाम पर पंजीकृत किया।

## कोर्ट का फैसला

- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुमित नंदवानी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया।

- कई सिम कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन धोखाधड़ी की इस घटना ने न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की एकल न्याययीश पीठ को यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि 'कोई भी सरकारी उपाय व्यक्तियों को एक प्रीपेड सिम कार्ड का उपयोग करने के लिए प्रेरित क्यों नहीं करता'।
- न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सुझाव दिया कि प्रति व्यक्ति को एक से अधिक सिम कार्ड जारी नहीं किया जाना चाहिए।
- अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में 'साइबर अपराध के व्यापक खतरे' के बारे में बात करते हुए कहा कि साइबर अपराधी एक से अधिक सिम कार्ड का उपयोग करके 'पीड़ितों की एक निश्चित संख्या का शोषण करके अपने सिमकार्ड को या तो त्याग देते हैं या निष्क्रिय कर देते हैं और अपने अगले काम को जारी रखने के लिए आसानी से नए सिम कार्ड प्राप्त कर लेते हैं।
- अदालत ने इस बात पर हैरानी जाहिर की कि कैसे आरोपित अपने पहचान पत्रों के अलावा अनजाने व्यक्तियों के पहचान पत्र के तहत अक्सर धोखेबाजी से प्रीपेड सिम कार्ड प्राप्त कर लेते हैं।
- अदालत ने दूरसंचार मंत्रालय से सवाल करते हुए पूछा कि किसी भी व्यक्तियों, फर्मों या कम्पनियों को उनके नाम के तहत कई प्रीपेड सिम कार्ड हासिल करने की अनुमति क्यों दी जाती है।
- अदालत ने कहा चूंकि आधार कार्ड विशेष रूप से ओटीपी पीढी के लिए एक ही सिम कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो कई प्रीपेड सिम कार्ड जारी करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

## सिम कार्ड सम्बन्धी मामले में क्या कहता है कानून

- वर्ष 2001 के संसद हमलों से संबंधित मामले की वर्ष 2005 में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले पहचान सत्यापन के बिना सिम कार्ड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- ज्ञातव्य हो कि संसद हमले में आरोपित आतंकवादियों ने असत्यापित सिम कार्ड से बड़ी मात्रा में फोन कॉल की थी।
- वर्ष 2006 और 2009 में भारतीय संचार मंत्रालय के तहत आने वाले दूरसंचार विभाग (DOT) में अधिसूचना जारी करके प्री एक्टिवेट सिम कार्ड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- प्री एक्टिवेट सिम कार्ड को खरीदने के लिए किसी आईडी प्रूफ या फार्म की आवश्यकता नहीं होती थी जिसे फोन में डालने के तुरंत बाद सक्रिय किया जा सकता था।
- वर्ष 2012 के अभिषेक गोयनका बनाम भारत संघ (2012) के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायधीशों की एक पीठ ने सिम कार्ड जारी करने वाले दूरसंचार कंपनियों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार को एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया।
- इसके तहत चार महीने बाद केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाली दूरसंचार मंत्रालय ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश जारी कर एक व्यक्तिगत ग्राहक (स्थानीय, बाहरी या विदेशी) के लिए अपने नाम पर अधिकतम 'नौ सिम कार्ड' कनेक्शन देने का निर्देश दिया गया।
- हालांकि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति छः सिम कार्ड कनेक्शन को निर्धारित किया गया।
- इस निर्देश के तहत ग्राहक को सिम कार्ड आवेदन फार्म भरते समय पहले से मौजूद सिम कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य किया गया।

## सिम कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना

- सुप्रीम कोर्ट ने के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2018) मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाते हुए कहा कि 'आधार' किसी व्यक्ति के निजता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है।
- इसलिए 'आधार' को सिम कार्ड से जोड़ना अनिवार्य नहीं किया जा सकता।
- हालांकि भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम - 2023 की धारा 3 (7) में सिम कार्ड जारी करने वाली इकाई को किसी भी सत्यापन योग्य बायोमेट्रिक आधारित पहचान का उपयोग करके उस व्यक्ति की पहचान कर सिम कार्ड जारी करने की अनुमति देता है।
- चूंकि भारत में इस समय एकमात्र बायोमेट्रिक आधारित पहचान सिर्फ 'आधार' ही है इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि सिमकार्ड खरीदने सहित किसी भी दूर-संचार सेवाओं का लाभ पाने के लिए 'आधार' अनिवार्य है।

## भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)

- Telecom Regulatory Authority of India, (TRAI) यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भारत में दूर-संचार पर नियंत्रण हेतु एक नियामक प्राधिकरण है।
- TRAI की स्थापना 28 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम-1997 के माध्यम से की गई थी जिसे वर्ष 2000 में संशोधित किया गया।
- यह एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करने के अलावा भारत में दूरसंचार के विकास के लिए परिस्थितियां सृजित करना है।
- TRAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- भारत का दूर-संचार नेटवर्क एशिया में दूसरा तथा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है।

## Notes:-



# सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम)



## हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में 19 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC - NET) - 2024 को रद्द करने की घोषणा की।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी (परीक्षा की अखंडता को नुकसान) के आधार पर इसे रद्द किया।
- ज्ञातव्य हो कि 18 जून 2024 को यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित की गई थी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को गृह मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14 C) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई द्वारा आयोजित परीक्षा में कुछ गड़बड़ी होने के इनपुट मिले थे।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए इसे केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को जिम्मेदारी दी है।
- इसी वर्ष फरवरी महीने में पेपर लीक को रोकने के लिए भारतीय संसद द्वारा सख्त नया कानून पारित किया गया था, जिसके बाद से पहली बार 'आयोजित सार्वजनिक परीक्षा' को केंद्र द्वारा रद्द किया गया।
- UGC - NET एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेज में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) पदों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है।
- इस परीक्षा का संचालन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA करती है।
- यह परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है।
- 18 जून 2024 को आयोजित इस परीक्षा को 317 शहरों में करीब 9 लाख से अधिक उम्मीदवार ने भाग लिया था।

## पेपर लीकके आंकड़े

- इस हालिया घटना से पहले पिछले 5 वर्षों में भारत में 16 राज्यों में पेपर लीक के करीब 50 से अधिक मामले सामने आए हैं।
- विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं में लगभग 1.2 लाख पदों के लिए लगभग 1.5 करोड़ आवेदकों को प्रभावित किया।

## सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक - 2024 क्या है?

- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक - 2024 को 17 वीं लोकसभा के दौरान 5 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था तथा 9 फरवरी को यह राज्यसभा से पास हो गया।
- 25 फरवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति के सहमति के बाद यह विधेयक कानून के रूप में सामने आया।

## उद्देश्य

- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक - 2024 का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के साथ 'अनुचित स्थान' के प्रयोग को रोकना है।
- इस अधिनियम की धारा 3 में ऐसे 15 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जो सार्वजनिक परीक्षा में मौद्रिक या अन्य लाभ के लिए अनुचित साधन के अंतर्गत आती है।

## सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन के अंतर्गत आने वाले कार्य -

- प्रश्न पत्र का लीक
- उत्तर कुंजी में छेड़छाड़
- बिना अधिकार के प्रश्न पत्र या OMR (ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन) रिस्पांस सीट तक पहुंचना
- कंप्यूटर संबंधी किसी उपकरण के साथ छेड़छाड़
- फर्जी वेबसाइट का निर्माण
- उपरोक्त सभी कृत्यों को इस अधिनियम के तहत 'गैर कानूनी' करार दिया गया है।

## सार्वजनिक परीक्षाओं के अंतर्गत कौन-कौन सी परीक्षाएं आती हैं ?

- इस विधेयक की अनुसूची में पांच सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों का उल्लेख किया गया है।

### संघ लोकसेवा आयोग (UPSC)

- इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा को अधिसूचित किया गया है।

### कर्मचारी चयनआयोग (SSC)

- इसके अंतर्गत केंद्र सरकार में गुप सी (गैर तकनीकी) और गुप बी (गैर राजपत्रित) नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा सम्मिलित है।

### रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)

- इसके अंतर्गत भारतीय रेलवे की गुप सी (तकनीकी और गैर तकनीकी) तथा गुप डी भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया है।

### बैंकिंग कार्मिक चयनसंस्थान (IBPS)

- इसके अंतर्गत सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के लिए सभी भर्ती परीक्षाएं सम्मिलित हैं।



## राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)

- इसके तहत आने वाले परीक्षाओं में जेईई (मेन), एनईईटी-यूजी (NEET-UG), यूजीसी-नेट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) शामिल है।
- उपरोक्त सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों के अलावा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय या विभाग में कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित अधीनस्थ कार्यालय भी इस कानून के अंतर्गत आते हैं।

## सजा का प्रावधान

- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक - 2024 में उल्लेखित 'अनुचित साधन' से संबंधित व्यक्ति या परीक्षा प्राधिकरणों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।
- इस अधिनियम की धारा - 9 के अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्तियों या परीक्षा प्राधिकरणों के लिए सभी अपराध को संज्ञेय, गैर - जमानती और गैर - समझौता योग्य माना गया है।
- यानि इस अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों या प्राधिकरण को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है जो गैर जमानती होगा।
- इस अधिनियम की धारा 10 (1) में 'अनुचित साधनों' और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए 3 से 5 साल तक का जेल एवं 10 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है।
- अगर आरोपित व्यक्ति जुर्माना देने में विफल रहा तो उसे भारतीय न्याय संहिता-2023 के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी।
- इस अधिनियम की धारा 10 (2) में परीक्षा संचालन करने वाली प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग में दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानि (University Grants Commission) केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देने के साथ आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है।
- भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1948 ई में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में देश की आवश्यकताओं और उन पर सुधार कार्यों के लिए 'यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिटी' की नींव रखी गई थी।
- इसी आयोग की सलाह पर वर्ष 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का गठन किया गया।
- मुख्यालय - नई दिल्ली

## राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)

- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानि (National Testing Agency) शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्त संस्था है।
- इसकी स्थापना नवंबर 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा और भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए की गई थी।
- यह एजेंसी मुख्य रूप से JEE मेन, NEET-UG, CMAT, GPAT आदि परीक्षाओं का आयोजन करती है।



## Notes:-

# Satanamis, The Dalit Religious Community



## चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में 10 जून को मध्य छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में 'सतनामी' समुदाय की भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव सहित दर्जनों वाहन हो आग लगा दी तथा पुलिस अधीक्षक (superintendent of police) कार्यालय में आग लगा दी।
- सतनाम समुदाय के प्रदर्शनकारी, गिरौदपुरी में स्थित सतनामियों के लिए पवित्र धार्मिक संरचना 'जैतखंभ' को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न करने से नाखुश थे।
- ज्ञातव्य हो कि पिछले महीने के 15-16 मई की रात को कुछ अज्ञात लोगों ने गिरौदपुरी धाम में स्थित 'जैतखंभ' को तोड़ दिया था।

## सतनाम पंथ-

- सतनामपंथ जिसे सतनामी समाज या साधनापंथ के नाम से जाना जाता है, इविदासिया संप्रदाय की एक शाखा के रूप में जाना जाता है।
- सतनाम पंथ की स्थापना वर्ष 1657 में वर्तमान हरियाणा के नारनौल में 'वीरमान' नामक भिक्षुक ने की थी।
- वीरमान संत कबीर के शिक्षाओं से प्रेरित थे।
- मुगलकालीन इतिहासकार खफी खान (1664-1732) के अनुसार इस समय सतनामी पंथ के लोग नारनौल और मेवात जिले में 4 से 5 हजार की संख्या में थे।
- प्रारंभ में अधिकांश सतनामी चमड़े का काम करने वाले 'अछूत' जाति के थे जो आगे चलकर लगभग चमड़े के व्यवसाय से दूर होते चले गए।
- मुगलकालीन समय में सतनामी के आजीविका का मुख्य साधन कृषि और व्यापार था।
- वर्तमान में सतनामी समाज के लोग अनुसूचित जाति से आते हैं जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं।
- सतनामी समाज के लोग मुख्य रूप से संत कबीर और संत रविदास के शिक्षाओं से प्रेरित होकर मूर्तिपूजा और संगठित धर्म की रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर निर्गुण भक्ति परंपरा का पालन करते हैं।

## गुरु घासीदास एवं जैत खंभ-

- सतनामी पंथ के पूर्ववर्ती इतिहास के अलावा इस पंथ का छत्तीसगढ़ में प्रसारित करने का श्रेय गुरु घासीदास को जाता है।
- गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1765 को वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार जिले के गिरौदपुरी गाँव में हुआ था।
- गुरु घासीदास ने जाति-व्यवस्था एवं सामाजिक असमानता को खारिज करते हुए सतनामी पंथ को प्रसारित करने का काम किया।
- गुरु घासीदास के बाद उनकी शिक्षाओं को एवं सतनामी पंथ को प्रसारित करने का काम उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी गुरु बालकदास ने जारी रखा।

## जैत खंभ-

- छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार जिले के गिरौदपुरी गाँव जो गुरु घासीदास की जन्मस्थली एवं सतनामी समुदाय के प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है, में 'जैतखंभ' स्थित है।
- 'जैतखंभ' को सतनामी समुदाय द्वारा पवित्र पूजा की वस्तु एवं सतनामी पहचान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है।
- जैतखंभ स्मारक का उद्घाटन 18 दिसंबर 2015 में किया गया।
- 51.43 करोड़ की लागत से बनी यह स्मारक 77 मीटर ऊँचा है जिसके केन्द्र में एक सम्मेलन कक्ष है जिसकी क्षमता 2000 लोगों की एक साथ बैठने की है।
- गुरु घासीदास के जन्मदिन के अवसर पर उद्घाटित इस स्मारक परिसर में चरण कुंड जिसे सतनामी समुदाय द्वारा पवित्र तालाब के रूप में जाना जाता है, स्थित है।
- गुरु घासीदास के जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ प्रतिवर्ष सतनामियों द्वारा 'गुरु दर्शन मेला' का आयोजन किया जाता है।

## सतनामी विद्रोह

- औरंगजेब के शासनकाल में सख्त इस्लामी नीतियाँ, जजिया कर, संगीत और कला पर प्रतिबंध तथा हिन्दू मंदिरों के नष्ट करने से हिंदू समुदाय के बीच मुगल शासक के लिए खिलाफ व्याप्त नाराजगी थी।
- वर्ष 1672 में पंजाब तथा हरियाणा में रहने वाले सतनामियों ने औरंगजेब की सख्त इस्लामी नीतियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
- सतनामियों का आक्रोश मुगलों के प्रति तब और उग्र हो गया जब मुगलों के एक सैनिक ने एक सतनामी को लाठी से पीटकर अधमरा कर दिया।
- जबाब में सतनामियों की भीड़ ने उस मुगल सैनिक को मारकर अधमरा कर दिया।
- इसके बाद स्थानीय मुगल शिकदार (पुलिस प्रमुख) ने सतनामियों को गिरफ्तार करने के लिए अपनी सेना भेजी जिसका सतनामियों के खुला विद्रोह शुरु कर दिया।
- विद्रोह उग्र होकर ससस्त्र रूप ले चुका था जिसे मुगलों ने अपने हथियार और ताकत के बल पर कुचल दिया।
- मुगल इतिहासकार साकी मुस्तदखान के अनुसार इस विद्रोह में सतनामियों ने बहादुरी से लड़ते हुए हजारों सतनामियों की कुर्बानी दी यह।

## गुरु घासीदास के धार्मिक दर्शन

- गुरु घासीदास का धार्मिक दर्शन मुख्य रूप से पुराने एवं सतनामियों एवं संत कबीर और रविदास के शिक्षाओं से प्रेरित था।
- घासीदास ने मूर्तिपूजा का विरोध कर 'सतनाम' के जाप के माध्यम से ईश्वर की आराधना के मार्ग पर जोर दिया।

## गुरु घासीदास के सतनाम के सिद्धांत-

- ईश्वर की आराधना सतनाम के 'जाप' से करना
- जीव-हत्या नहीं करना
- मांस खाने, शराब, धूम्रपान या तंबाकू से परहेज करना
- मिट्टी के बदले पीतल के बर्तन का उपयोग करना
- अपने जाति का नाम हटाकर उसके स्थान पर 'सतनामी' का प्रयोग करना।
- तुलसी से बने मोतियों का हार पहनना
- चोरी और जुआ से दूर रहना

## वर्तमान में सतनामी

- गुरु घासीदास की मृत्यु के समय सतनामियों की संख्या लगभग 2.5 लाख थी जो मुख्यतः अनुसूचित जाति से संबन्धित थे।
- गुरु घासीदास की मृत्यु के बाद उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी गुरु बालकदास ने सतनामिपंथ के प्रसार के लिए ग्राम स्तर पर दो-स्तरीय संगठनात्मक संरचना विकसित की।
- 20 वीं शताब्दी के शुरुआत तक कई सतनामियों ने अपने आपको हिंदू धार्मिक मुख्यधारा का हिस्सा मानकर अनुष्ठान और मूर्तिपूजा करना शुरु कर दिया।
- वर्तमान में सतनामी छत्तीसगढ़ के 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति (SC) आबादी पर अपना प्रभाव बनाकर तेजी से राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहे हैं।



## Notes:-

# She's fighting to save America's last best Place from Suicide



## मोंटाना राज्य, USA

- यह USA का एक राज्य है, जो इसके उत्तरी भाग में है।
- यह USA का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है।
- अन्य राज्य जो क्षेत्रफल में इससे बड़े हैं, वे हैं- अलास्का, टेक्सास और कैलीफोर्निया।
- मोंटाना की उत्तरी सीमा कनाडा के ब्रिटिश कोलम्बिया अल्बर्ट और सस्केचवान से मिलती है।
- 'मोंटाना' नाम स्पेनिस भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'पहाड़' होता है। हालांकि मोंटाना राज्य की औसत ऊंचाई USA के कई पर्वतीय राज्यों से काफी कम है।
- मोंटाना वास्तव में USA के उत्तरी ग्रेट प्लेन (North great plains) का हिस्सा है।
- मोंटाना पूर्वी हिस्सा अमेरिका ने 1803 में फ्रांस से खरीदा था, जबकि पश्चिमी हिस्सा ब्रिटेन के साथ 1846 में की गई एक संधि के तहत प्राप्त हुआ।
- मोंटाना को वर्ष 1889 में 41 वें राज्य के रूप में USA में शामिल किया गया।
- मोंटाना की आबादी लगभग 11 लाख है, जिसमें 94% से अधिक लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं जो राज्य की आधिकारिक भाषा है।
- मोंटाना USA का चारों तरफ से भूमि से घिरा सबसे बड़ा राज्य है।

## चर्चा में क्यों?

- पिछले 3 सालों में मोंटाना राज्य में आत्महत्या की दर USA के सभी राज्यों से ज्यादा है।
- इन आत्महत्या में सबसे ज्यादा मौतें आग्नेयास्त्रों, विशेषकर बन्दूकों से हुई है।
- 11 लाख की आबादी वाले इस राज्य में जनवरी 2021 से नवंबर 2023 के बीच 955 लोगों ने आत्महत्या की।
- पुरे USA में वर्ष 2022 में लगभग 27,000 आत्महत्याएँ बन्दूक से हुई, जो उस वर्ष रिकॉर्ड में दर्ज आत्महत्या की संख्या 19,500 से बहुत ज्यादा है।
- सामूहिक गोलीबारी से होने वाली मौतें राष्ट्रीय सुर्खियों में आती हैं, लेकिन अमेरिका में ज्यादातर मौतें बन्दूक के द्वारा आत्महत्या के कारण होती हैं।

- पिछले 25 वर्षों में USA में प्रत्येक वर्ष बन्दूक से होने वाली हत्याओं की तुलना में बन्दूक से की जाने वाली आत्महत्या की संख्या ज्यादा है।
- व्योमिंग और न्यू मैक्सिको जैसे USA के अन्य शहर भी मोंटाना जैसी उच्च आत्महत्या की चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

## अली मुलेन का प्रयास

- अली मुलेन पिछले एक वर्ष से USA में बन्दूक आत्महत्या को रोकने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत वह प्रत्येक चाहने वाले व्यक्ति को Gun lock system उपलब्ध करवा रही है।
- Gun lock system USA में कानूनी रूप से रखना बाध्य नहीं है, लेकिन यह उन लोगों के लिए सुरक्षा कवच होता है जिनका आग्नेयास्त्र उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रहता है।
- वस्तुतः 20 January 2019 को अली मुलेन के पति जॉन मुलेन ने बन्दूक से ही आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद अली मुलेन आत्महत्या से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं।

## LOSS टीम

- अली मुलेन LOSS टीम नामक एक संस्था से जुड़ी हैं, जो ऐसे लोगों के लिए काम करता है, जिनके किसी प्रियजन ने आत्महत्या कर ली है।
- LOSS टीम के सदस्य आत्महत्या से पीड़ित परिवार के साथ सम्बन्ध स्थापित कर उन्हें मानसिक समर्थन देती है तथा आत्महत्या से बचने के लिए जागरूक करती है।
- LOSS team का मानना है कि बन्दूक का स्वामित्व मोंटानावासियों के जीवन का हिस्सा बन गई है, लेकिन बन्दूक को सुरक्षित रूप से रखना, बन्दूक से होने वाले आत्महत्या को कम करने में मददगार हो सकते हैं।

## USA में Gun Culture

- USA में हथियार रखने एवं धारण करने का अधिकार विभिन्न राज्यों एवं USA के विभिन्न संघीय कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है।
- स्मॉल आर्म्स सर्वे 2011 के अनुसार, USA में प्रत्येक 100 में से 88 अमेरिकियों के पास गन है।
- USA में गन खरीदने की न्यूनतम आयु निर्धारित है।
- The gun control act, 1968 के अनुसार, कोई भी छोटा हथियार खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, जबकि हैंडगन आदि खरीदने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
- संघीय कानूनों के अनुसार, USA का कोई राज्य न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ा तो सकता है, लेकिन घटा नहीं सकता है।
- ऐसे लोग जो भगोड़े हों, मानसिक रूप से बीमार हों, जिन्हें एक वर्ष से अधिक जेल की सजा या 2 वर्ष से अधिक सजा मिली हो, USA में बन्दूक खरीदने के पात्र नहीं हैं।
- ऐसे लोग जो अवैध नशीले पदार्थ का सेवन का सेवन करते दोषी पाए गए हैं, वे भी बन्दूक खरीदने के पात्र नहीं हैं।
- संघीय कानूनों के मुताबिक USA में बन्दूक बेचने वाले का न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा बन्दूक व्यापार का एक निश्चित स्थान होना चाहिए।

- बंदूक विक्रेता को बंदूक बेचने का लाइसेंस तभी प्राप्त हो पाता है, जब वह अपने मानसिक स्थिति संतुलित होने संबंधी प्रमाण-पत्र देता है।
- इसके अलावा बंदूक बेचने के स्थान के बारे में वहाँ की स्थानीय पुलिस को पता होना चाहिए।

## ग्लेशियर नेशनल पार्क

- एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तर-पश्चिमी मोंटाना में कनाडा-USA की सीमा पर स्थित है।
- यह नेशनल पार्क कनाडा के वॉचरटन झील नेशनल पार्क के पास स्थित है।
- इन दोनों राष्ट्रीय उद्यान को संयुक्त रूप से वाचरटन-ग्लेशियर इंटरनेशनल पीस पार्क के रूप में जाना जाता है।
- संयुक्त रूप से इस क्षेत्र को 'Crown of the continent Ecosystem' यानि 'महाद्वीपीय पारिस्थितिकी का मुकुट' कहा जाता है।
- यहाँ 41,000 वर्ग किमी का संरक्षित क्षेत्र है।
- यह UNESCO World Heritage Site भी है।
- काला भालू, भूरा भालू, विगहॉर्न भेड़, एल्क, पहाड़ी शेर एवं पहाड़ी बकरियाँ, ग्रे वुल्फ, वूल्वरिन तथा कनाडाई लिंक्स जैसी जानवर की प्रजातियाँ यहाँ निवास करती हैं।



## Notes:-

# Shrinking of Eco Sensitive area in Western Ghats



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के संचय में एके अधिसूचना जारी की है।
- इस मसौदा अधिसूचना में केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट के छह राज्यों में से तीन राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के पश्चिमी घाटों की रक्षा के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों (Eco sensitive zone) का प्रस्ताव दिया है।
- संबंधित राज्यों ने पश्चिमी घाट में विस्तृत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) में कमी की मांग की है।
- मंत्रालय द्वारा जारी किया गया वर्तमान मसौदा का पहला संस्करण मार्च 2014 में जारी किया गया था, हालांकि इस पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है।
- इस वर्ष जून में मसौदे की समय सीमा खत्म होने वाली है लेकिन विशेषज्ञ समिति सितंबर तक अपना रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी।
- इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता पूर्व वन महानिदेशक संजय कुमार ने की है जिसे जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया था।
- कर्नाटक ने प्रस्तावित मसौदे का विरोध यह कहकर किया कि इससे लोगों की आजीविका प्रभावित होगी।
- वहीं दूसरी ओर गोवा भी प्रस्तावित 1461 वर्ग किलोमीटर में लगभग 370 वर्ग किलोमीटर की कमी की मांग कर रहा है।

## पश्चिमी घाट ( Western Ghats)

- पश्चिमी घाट यानि साहद्री एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर 1600 किलोमीटर तक फैली है।
- लगभग 160,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल एवं तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है।
- पश्चिमी घाट दक्षिण में नीलगिरी के पूर्वी घाट से मिलती है।
- पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का निर्माण गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से हुआ।
- पश्चिमी घाट की ऊंचाई में दक्षिण से उत्तर की ओर असमानताएं दिखती हैं, तथा इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर (3,900 फीट) है।

- पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी (8842 फीट) है।
- पश्चिमी घाट भारत के लगभग 40% क्षेत्रों को जल प्रदान करती है।
- पश्चिमी घाट की अधिकांश नदियां दक्कन के पठार के अधिक ऊंचाई के कारण बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं।
- पश्चिमी घाट अरब सागर से पूर्व की ओर बहने वाली मानसूनी हवा को रोककर पश्चिमी तट पर वर्षा करने के लिए जिम्मेदार है।
- वर्ष 2012 में यूनेस्को इसकी जैव विविधता के कारण 'विश्व धरोहर स्थल' घोषित किया गया।
- पश्चिमी घाट वनस्पतियों और जीवन की अलग-अलग प्रजातियों के साथ वैश्विक रूप से संकटग्रस्त 325 प्रजातियों का घर माना जाता है।

## जैव विविधता

- पश्चिमी घाट भारत में पाई जाने वाली कुल वनस्पतियों एवं जीवन का लगभग 30 % प्रजातियों का घर होने के साथ एक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है।
- पश्चिमी घाट की वनस्पतियां मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय, ऊपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पट्टी वाले नम वन तथा शुष्क पर्णापाती वनों के पारिस्थितिकी तंत्र से मिलकर बना है।
- पश्चिमी घाट लगभग 6000 से अधिक कीट प्रजातियों के साथ-साथ बाघों एवं हाथियों के घर के रूप में जाना जाता है।
- 2022 के आंकड़े के अनुसार पश्चिमी घाट में लगभग 1000 बाघ और 11000 से अधिक हाथियों की आबादी है।

## पश्चिमी घाटका संरक्षण

- पश्चिमी घाट के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती मानव गतिविधि जैसे अतिदोहन, अवैध चराई, खनन तथा अवैध शिकार ने इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाया है।
- भारत सरकार द्वारा पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र में दो बायोस्फीयर रिजर्व, 13 राष्ट्रीय उद्यान तथा कई वन्यजीव अभ्यारण्य सहित संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं।
- अगस्त 2011 में पश्चिमी घाट की जैव विविधता और पर्यावरणीय मुद्दों का आकलन करने वाली पश्चिमी घाट पर स्थित की विशेषज्ञ पैमल (WGEEP) ने पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया।

## पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (Eco sensitive zone)

- पारिस्थितिकी रूप से पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां स्थानीय प्रजातियाँ, पौधों और जानवरों की विविधता अधिक होती है।
- किसी भी क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील घोषित करने के लिए सरकार वहां की स्थलाकृति, जलवायु, वर्षा, भूमि उपयोग, सड़कें, मानव आबादी, पेड़ पौधे एवं पशुओं की प्रजातियों का अध्ययन करती है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के डेटा का अध्ययन कर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित कर सकती है।

- किसी भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में खनन, रेत उत्खनन, औद्योगिक निर्माण कार्य सहित अन्य मानव गतिविधियों के क्रियान्वयन पर रोक होता है।
- केंद्र सरकार द्वारा पश्चिमी घाट को वर्ष 1988 में पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट घोषित किया गया था।

## कस्तूरीरंगम रिपोर्ट

- वर्ष 2012 में गठित कस्तूरीरंगम आयोग ने गाडगिल रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी घाट में विकास और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए कई सिफारिशों की।
- कस्तूरीरंगम आयोग द्वारा पश्चिमी घाट के केवल 37 प्रतिशत हिस्से को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की जबकि गाडगिल रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के 64 % क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव था।
- के कस्तूरीरंगम के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय कार्य समूह पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल(Western Ghats Ecology Expert Panel) ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल एवं तमिलनाडु में फैले 60 हजार वर्ग किलोमीटर पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में विकास गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई।
- हालांकि कस्तूरीरंगम आयोग की इस सिफारिश का केरल, कर्नाटक सहित सभी राज्यों ने विरोध करते हुए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र(ESZ) को कम करने के लिए केंद्र सरकार को कहा।
- कस्तूरीरंगम आयोग की सिफारिश में कर्नाटक के 20,688 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र के 17,340 वर्ग किलोमीटर, केरल के 9,933 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु के 6,914 वर्ग किलोमीटर, गोवा के 1461 वर्ग किलोमीटर तथा गुजरात के 449 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करने को कहा गया।



## Notes:-

# Slovenia Become Latest European Country to Recognize a Palestine State



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में स्लोवेनिया 'फिलिस्तीन' राज्य को मान्यता देने वाला सबसे नवीनतम यूरोपीय देश बन गया है।
- 4 जून को स्लोवेनिया की संसद (नेशनल असेम्बली) में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।
- स्लोवेनिया की 90 सीटों वाली संसद में इस प्रस्ताव के पक्ष में 52 वोट पड़े जबकि इसके खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा।
- स्लोवेनिया द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का यह निर्णय हाल ही में अन्य यूरोपीय देश स्पेन, नार्वे और आयरलैंड द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के कुछ दिनों बाद आया है।
- ज्ञातव्य हो कि अब तक 140 से अधिक देशों में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है जो संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य देशों के दो-तिहाई से अधिक है।
- 'अल्जीरिया' स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाला सबसे पहला देश है।

## किसी देश को मान्यता देने का आधार

- 26 दिसंबर 1933 को उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो में हुए एक सम्मलेन में किसी भी क्षेत्र को 'राज्य' की मान्यता प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाए गए।
- इसके लिए जो चार सबसे जरूरी आधार है वो निम्न हैं-
- स्थाई जनसंख्या
- स्थाई सरकार
- तय क्षेत्रफल
- दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध
- उपरोक्त आधारों के अलावा किसी देश को मान्यता मिलने के लिए यूएन (United Nations) की मान्यता लेना भी जरूरी है।

## UN द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आंशिक मान्यता

- चूंकि संयुक्त राष्ट्र के कई देशों द्वारा अभी तक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी है, इसलिए यूएन (UN) द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को आंशिक मान्यता प्रदान की गई।
- वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा एक गैर - सदस्य पर्यवेक्षक राज्य के रूप में कर दिया गया है।

## फिलिस्तीन राज्य को मान्यता नहीं देने वाले देश

- अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देश सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान तथा दक्षिण कोरिया ने अभी तक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में फिलिस्तीन को पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश बनने के प्रयास को 'वीटो' के अधिकार के द्वारा रोका गया है।

## फिलिस्तीनी राज्य हो मान्यता देने वाले देश

- फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) द्वारा 15 नवंबर 1988 को आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य की घोषणा की गई थी।
- तब से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र के 140 से अधिक देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान की है।
- फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान करने वाले जी-20 (G-20) के नौ सदस्य अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल हैं।
- इसके अलावे मध्य-पूर्व के कई देश एवं एशियाई एवं अफ्रीकी देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान की है।
- वर्ष 2011 को फिलिस्तीन राज्य को 'यूनेस्को' में शामिल किया गया।

## फिलिस्तीनी राज्य का इतिहास

- फिलिस्तीनी क्षेत्र का मानव इतिहास काफी पुराना माना जाता है।
- फिलिस्तीनी क्षेत्र में सबसे पहले मानव अवशेष जॉर्डन रिफ्ट घाटी में गैलिली सागर में 'उबेदिया' नामक स्थान पर पाए गए थे।
- 1550 - 1400 ईसा पूर्व के दौरान इस क्षेत्र में इजिप्ट का प्रभुत्व था।
- इस क्षेत्र पर से 'इजिप्ट' का प्रभुत्व हटने पर यह क्षेत्र कनान इस्त्रालियों और पलिशितियों का निवास स्थल बन गया।
- 734-645 ईसा पूर्व में असीरिया के राजा तिग्लथ पिलेसर तृतीय द्वारा आक्रमण पर कब्जा कर लिया गया जिसने पलिशितियों एवं इस्त्रालियों की बड़ी आबादी को निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया।
- इसके बाद कई वर्षों तक यह क्षेत्र मिस्र के बेबीलोनिया साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य का प्रभुत्व का केन्द्र बना रहा।
- आधुनिक इतिहास
- प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया।
- ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा 1920 से 1948 के बीच इस क्षेत्र पर राष्ट्र संघ की ओर से शासित किया गया।
- वर्ष 1923 में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच हुए एक समझौते द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का अधिकार दिया गया।
- इस समझौते के तहत जॉर्डन नदी के दोनों किनारे, गैलिली के सागर को फिलिस्तीन का हिस्सा बनाया गया।
- फिलिस्तिनियों की पहली चर्चा 26 जुलाई 1928 को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बनाई गई कार्यकारी समिति के एक दस्तावेज में किया गया है।



- वर्ष 1921 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीनी को धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए 'मुस्लिम उच्च परिषद' नामक संस्था बनाई गई।
- इसी क्रम में ब्रिटिश शासन ने फिलिस्तीनियों के इच्छा के विरुद्ध इस क्षेत्र में उदार आब्रजन नीतियों को कायम रखते हुए यहूदियों को सामूहिक प्रवास की अनुमति दी।
- वर्ष 1922 में की गई जनगणना के अनुसार इस फिलिस्तीनी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 8 लाख थी जिनमें 89 प्रतिशत अरब मूल के फिलिस्तीनी और 11 प्रतिशत यहूदी थे।
- हालांकि 1947 के अंत तक इस क्षेत्र में यहूदियों की जनसंख्या बढ़कर 31 प्रतिशत के करीब हो गई।
- वर्ष 1936 में फिलिस्तीनी लोगों द्वारा ब्रिटिश शासन के द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदियों के प्रवास की अनुमति के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो बाद में चलकर एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में उभरा।
- इस सशस्त्र विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सैन्य बलों का प्रयोग किया गया जिसमें काफी वृहद स्तर पर फिलिस्तीनी आबादी को नुकसान पहुँचा।
- वर्ष 1937 में फिलिस्तीनी और यहूदी आबादी को फिलिस्तीनी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए 'पील आयोग' का गठन किया गया।
- इस 'पील आयोग' द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र को एक यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने की सिफारिश की गई।
- इस सिफारिश के तहत यहूदियों को तेल अवीव, तटीय मैदान, उत्तरी घटियाँ और गैलिली के क्षेत्र देने तथा अरबों को जोर्डन नदी का पश्चिमी क्षेत्र, मध्य फिलिस्तीन और दक्षिण रेगिस्तान क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा गया।
- हालांकि पील आयोग की इस सिफारिश का फिलिस्तीनियों द्वारा विरोध किया गया।

## द्वितीय विश्व युद्ध के बाद

- द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इस क्षेत्र में ब्रिटेन का नियंत्रण लगातार कमजोर होता चला गया।
- अंततः 15 मई 1948 को ग्रेट ब्रिटेन द्वारा इस क्षेत्र में अपने शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई।
- वर्ष 1948 में संयुक्त राज्य महासभा द्वारा एक प्रस्ताव जारी किया गया जिसमें फिलिस्तीन को यहूदी राज्य के साथ एक स्वतंत्र अरब राज्य और यरुशलम शहर के लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की बात कही गई।
- इस प्रस्ताव को फिलिस्तीनी अरब नेता ने अस्वीकार कर दिया जबकि यहूदी नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया।
- हालांकि इस प्रस्ताव के पारित होने के कुछ दिनों के बाद सशस्त्र गृह युद्ध गुरु हो गया जिसमें लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी भाग गए या भगा दिए गए।
- इसके पश्चात 14 मई 1948 को यहूदी पीपुल्स काउंसिल ने एक यहूदी राज्य इजराइल की स्थापना की घोषणा की।
- यहूदी द्वारा अलग इजराइल देश बनाने के बाद अरब राज्यों द्वारा फिलिस्तीनीयों के समर्थन में इजराइल पर हमला कर दिया गया जो अरब-इजराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है।
- हालांकि यहूदियों के लिए अलग इजराइल राज्य की घोषणा वाले दिन ही 'अरब लीग' द्वारा पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक 'एकल अरब नागरिक प्रशासन' स्थापित करने की घोषणा कर दी गई।

## फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO)

- वर्ष 1964 में काहिरा में आयोजित एक 'अरब शिखर सम्मेलन' में 'फिलिस्तीन मुक्ति संगठन' का गठन किया गया।
- इस संगठन के स्थापना का मुख्य उद्देश्य 'फिलिस्तीनी क्षेत्र' में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण करना।



- वर्ष 1969 में 'यासर अराफात' द्वारा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) के अध्यक्ष बनने के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन को नई गति मिली।
- 1970-80 के दशक में यासर अराफात है नेतृत्व वाली पी एल ओ ने इजरायल पर लगातार सैन्य हमले किए।
- अंततः 15 नवंबर 1988 को यासर अराफात ने सीमाओं को परिभाषित किए बिना एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के गठन की घोषणा की।

## फिलिस्तीन - इजरायल विवाद क्षेत्र

- यहूदियों द्वारा 1948 में घोषित इजरायल राज्य के बाद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लगातार संघर्ष होते रहे हैं।
- इन दोनों के बीच संघर्ष के पीछे कुछ विवादित क्षेत्र हैं जो निम्न हैं-
- वेस्ट बैंक-
- वेस्ट बैंक का क्षेत्र इजराइल और जोर्डन है बीच स्थित है जो 1967 के अरब-इजरायल युद्ध के दौरान इजरायल के कब्जे में आ गया।
- इजरायल और फिलिस्तीन क्षेत्रों के द्वारा इस क्षेत्र को अपना बताया जाता है।

## गाजा पट्टी

- इजराइल और मिस्र के बीच स्थित गाजापाट्टी वर्तमान में हमास नामक इजरायल विरोधी समूह के कब्जे में है।
- वर्ष 2005 में उस क्षेत्र से इजरायली सेना की वापसी के बाद 'हमास' इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया हुआ है जिसका इजरायल द्वारा विरोध किया जाता रहा है।

## पूर्वी येरुशलम

- इस क्षेत्र पर इजरायल और फिलिस्तीन नागरिकों के लिए अपनाई गई दोहरी नागरिकता नीति विवाद का कारण है।

## जेरुशलम का विवाद

- फिलिस्तीनी क्षेत्र में स्थित जेरुशलम ऐसा विवादित धार्मिक स्थान है जहाँ ईसाई, इस्लाम और यहूदियों तीनों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है।

## Notes:-

# बुद्ध की अभय मुद्रा और विभिन्न मुद्राएं तथा इसकी प्रासंगिकता



## चर्चा में क्यों ?

- लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का प्रयोग किया, जिससे यह देश में चर्चा का विषय बन गयी।

## बौद्ध संदर्भ में मुद्रा से तात्पर्य

- संस्कृत में, मुद्रा शब्द का अर्थ मुहर, चिन्ह या मुद्रा हो सकता है, लेकिन बौद्ध संदर्भ में, इसका अर्थ है "अनुष्ठान अभ्यास के दौरान किए गए हाथ और बांह के इशारे या बुद्ध, बोधिसत्व, तांत्रिक देवताओं और अन्य बौद्ध छवियों की छवियों में दर्शाए गए" (बसवेल और लोपेज़, प्रिंसटन डिक्शनरी ऑफ बुद्धिज़्म, 2013)।
- मुद्राएँ आमतौर पर बुद्ध (या बुद्धरूप) के दृश्य चित्रण से जुड़ी होती हैं, जिसमें अलग-अलग हाव-भाव अलग-अलग मनोदशा और अर्थ व्यक्त करते हैं, जो बुद्ध की प्राप्ति की अवस्थाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को दर्शाते हैं।
- बुद्ध के लगभग 500 साल बाद, जो 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे, महान शिक्षक के व्यक्तित्व को किसी छवि या मूर्तिकला के रूप में चित्रित नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, सांची में, बुद्ध को एक खाली सिंहासन या पदचिह्न द्वारा दर्शाया गया है।
- बुद्ध के पहले ज्ञात भौतिक चित्रण पहली सहस्राब्दी की शुरुआत के आसपास उभरे। ये चित्रण सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप (वर्तमान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान) के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित गांधार की कला में दिखाई दिए, जो हेलेनिस्टिक कला से प्रभावित था।
- बाद में, गंगा के मैदानों में गुप्त काल की कला में इसी तरह के चित्रण देखे गए।
- सबसे शुरुआती बुद्धरूप चित्रण में चार मुद्राएँ हैं: अभय मुद्रा, या "निर्भयता का इशारा"; भूमिस्पर्श मुद्रा, या "पृथ्वी को छूने वाला इशारा"; धर्मचक्र मुद्रा, या "धर्म के पहिये का इशारा"; और ध्यान मुद्रा, या "ध्यान का इशारा"।
- जैसे-जैसे महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म विकसित हुआ और बौद्ध कलाकृतियाँ भारत से परे फैलीं, सैकड़ों मुद्राएँ बौद्ध प्रतिमा विज्ञान का हिस्सा बन गईं। तांत्रिक बौद्ध परंपराओं में, मुद्राएं गतिशील अनुष्ठानिक हस्त गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, जो भौतिक अर्पण, पूजा के रूपों और कल्पित देवताओं के साथ संबंधों का प्रतीक हैं।

## अभय मुद्रा है निर्भयता का संकेत

- अभय मुद्रा आमतौर पर दाहिने हाथ की हथेली को कंधे की ऊंचाई पर बाहर की ओर करके और उंगलियों को ऊपर की ओर करके बनाई जाती है।
- कभी-कभी, तर्जनी, दूसरी या तीसरी उंगली अंगूठे को छूती है, जबकि बाकी उंगलियाँ ऊपर की ओर फैली होती हैं।
- कुछ मामलों में, इस मुद्रा में दोनों हाथों को एक साथ दोहरी अभयमुद्रा में उठाया जा सकता है।
- बौद्ध परंपरा में, यह मुद्रा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद से जुड़ी हुई है, जो ज्ञान प्राप्ति से प्राप्त सुरक्षा, शांति और करुणा की भावना को दर्शाती है।
- अभय मुद्रा, निर्भयता का प्रतीक है, यह उस क्षण को दर्शाता है जब बुद्ध ने एक जंगली हाथी को वश में किया था, जो उनके अनुयायियों में साहस पैदा करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है।
- किंवदंती है कि देवदत्त, बुद्ध द्वारा अपमानित महसूस करते हुए, एक मदमस्त हाथी का उपयोग करके हमला करने की योजना बना रहा था।
- अराजकता के बावजूद, बुद्ध शांत रहे और प्रेम और करुणा के भाव में अपना हाथ बढ़ाया, जिससे हाथी उनके सामने घुटने टेकने लगा।
- यह मुद्रा न केवल सुरक्षा का संकेत है, बल्कि जरूरतमंदों को आश्रय प्रदान करने का प्रतीक भी है।

## हिंदू धर्म में अभय मुद्रा

- समय बीतने के साथ हिंदू देवताओं के चित्रण में अभय मुद्रा का चित्रण किया जाने लगा, और अंततः बुद्ध को पौराणिक भगवान विष्णु के नौवें अवतार के रूप में हिंदू देवताओं में शामिल कर लिया गया।
- इंडोलॉजी की विशेषज्ञ वेंडी डोनिगर ने अपनी प्रसिद्ध कृति द हिंदूज: एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री में उल्लेख किया है कि हिंदुओं ने 450 ई. से छठी शताब्दी के बीच बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में देखना शुरू किया।
- बुद्ध अवतार का सबसे पहला संदर्भ विष्णु पुराण में मिलता है, जो 400-500 ई. का है।
- हिंदू धर्म के विशाल मिश्रण में विभिन्न परंपराएँ, प्रथाएँ और सांस्कृतिक प्रभाव समाहित हो गए, जिसके परिणामस्वरूप कला और देवताओं के दृश्य चित्रण में विविध अभिव्यक्तियाँ सामने आईं।
- अभय मुद्रा, जो निडरता का एक संकेत है, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान गणेश के चित्रण में प्रमुखता से दिखाई गई।
- गौतम बुद्ध से जुड़ी विभिन्न मुद्राएँ और प्रतीक

## बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा

- संस्कृत में "धर्मचक्र" शब्द का अर्थ धर्म चक्र है, इसलिए, धर्मचक्र मुद्रा धर्म चक्र के घूमने का प्रतिनिधित्व करती है।
- इस मुद्रा में गौतम बुद्ध, दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी के सिरों को जोड़कर एक चक्र बनाते हुए दिखाया जाता है, जो धर्म चक्र का प्रतीक है।
- धर्मचक्र मुद्रा को आमतौर पर धर्म चक्र की शिक्षा देने के लिए संकेत के रूप में जाना जाता है।
- ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपने पहले उपदेश के दौरान, बुद्ध ने धर्मचक्र मुद्रा का प्रदर्शन किया, जो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक को दर्शाता है।

## बुद्ध की भूमिस्पर्श मुद्रा

- "भूमिस्पर्श मुद्रा" के नाम से जानी जाने वाली मुद्रा का अर्थ है "पृथ्वी को छूना।"
- इस मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमाओं को "पृथ्वी-साक्षी" बुद्ध कहा जाता है, जो उन्हें दुनिया भर में बुद्ध के सबसे पहचाने जाने वाले प्रतिनिधित्वों में से एक बनाता है।
- ये प्रतिमाएँ ऐतिहासिक शाक्यमुनि बुद्ध, या भूमिस्पर्श मुद्रा में बुद्ध को दर्शाती हैं, जो अपने दाहिने हाथ को अपने दाहिने घुटने पर लटकाए हुए और कमल के सिंहासन को छूने के लिए ज़मीन की ओर पहुँचे हुए बैठे हैं।
- इस बीच, उनका बायाँ हाथ उनकी गोद में हथेली ऊपर करके रखा हुआ है।
- यह मुद्रा बुद्ध की इस मान्यता का प्रतीक है कि पृथ्वी ने उनके ज्ञानोदय की गवाही दी, जो उनके जागरण के क्षण को चिह्नित करती है।

## बुद्ध की वरद मुद्रा

- वरद मुद्रा को सभी पांच अंगुलियों के विस्तार द्वारा दर्शाया जाता है, जो उदारता, आतिथ्य, दान, करुणा और ईमानदारी का प्रतीक है।
- इसे आम तौर पर मानवता को लालच, क्रोध और अज्ञानता से मुक्त करने के लिए समर्पित एक सम्मानित व्यक्ति द्वारा बाएँ हाथ से किया जाता है।
- वरद मुद्रा को हाथ मोड़कर और हथेली को थोड़ा ऊपर उठाकर या हाथ को नीचे करके और उंगलियों को हथेली में थोड़ा मोड़कर या सीधा करके किया जा सकता है।
- इसे अक्सर दाहिने हाथ में अभय मुद्रा के साथ जोड़ा जाता है और कभी-कभी उनकी समानताओं के कारण वितर्क मुद्रा के साथ भ्रमित किया जाता है।

## बुद्ध की उत्तरबोधि मुद्रा

- उत्तरबोधि मुद्रा बुद्ध के हाथ की मुद्रा ज्ञानोदय के शिखर पर पहुँचने का प्रतीक है।
- यह एक हाथ को हृदय पर रखकर बनाई जाती है, जिसमें तर्जनी उँगलियाँ ऊपर की ओर स्पर्श करती हैं और इशारा करती हैं, तथा शेष उँगलियाँ आपस में जुड़ी होती हैं।
- यह मुद्रा दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ संबंध का भी प्रतिनिधित्व करती है।

## बुद्ध की ध्यान मुद्रा

- ध्यान मुद्रा, जिसे समाधि मुद्रा या योग मुद्रा भी कहा जाता है, का उपयोग बुद्ध के समय से बहुत पहले योगियों द्वारा विभिन्न एकाग्रता, उपचार और ध्यान प्रथाओं में किया जाता रहा है।
- हाथों की यह मुद्रा ध्यान के दौरान अच्छे नियम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें हाथ और उंगलियाँ आध्यात्मिक अग्नि या त्रिरत्न का प्रतीक त्रिकोण बनाती हैं।
- इस मुद्रा में हाथों को गोद में रखना, दायाँ हाथ बाएँ हाथ के ऊपर, उंगलियाँ पूरी तरह से फैली हुई (चार उंगलियाँ एक दूसरे पर टिकी हुई और अंगूठे तिरछे एक दूसरे की ओर ऊपर की ओर इशारा करते हुए) शामिल हैं।
- अमिताभ बुद्ध और शाक्यमुनि बुद्ध दोनों को अक्सर ध्यान मुद्रा का उपयोग करते हुए दर्शाया जाता है, जबकि भैसज्यगुरु के औषधि बुद्ध के रूप में कुछ चित्रण में, मुद्रा को औषधि का कटोरा पकड़े हुए दिखाया जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भारत के गांधार क्षेत्र में हुई थी, जो चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार से पहले हुई थी।
- ध्यान मुद्रा आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में थेरवाद बौद्ध धर्म के भीतर प्रचलित है, जहाँ अंगूठे हथेलियों के खिलाफ दबाए जाते हैं।



## बुद्ध की अंजलि मुद्रा

- अंजलि मुद्रा, जिसे नमस्कार मुद्रा भी कहा जाता है, स्वागत, आराधना और प्रार्थना का प्रतीक है।
- संस्कृत में, अंजलि के कई अर्थ हैं जैसे कि भेंट, सम्मान का संकेत या अभिवादन।
- इसके अतिरिक्त, इसका अर्थ सम्मान और उत्सव मनाना भी है।
- इस मुद्रा को अक्सर भेंट या भक्ति के संकेत के रूप में देखा जाता है, जिसमें हथेलियाँ प्रार्थनापूर्ण तरीके से एक साथ दबाई जाती हैं।
- अंजलि मुद्रा आमतौर पर हृदय चक्र पर की जाती है, जिसमें अंगूठे छाती को धीरे से छूते हैं।

## बुद्ध की करण मुद्रा

- करण मुद्रा एक पवित्र बौद्ध मुद्रा है जो बाधाओं और भय को दूर करने के लिए माना जाता है।
- इसे एक सुरक्षात्मक गति माना जाता है जो बुराई और हानिकारक प्रभावों को दूर करती है, खुशी और संतोष जैसी सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देती है जबकि चिंता, भय और अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाओं को दूर करती है।
- इस मुद्रा को "बुराई को दूर भगाने के लिए मुद्रा" के रूप में भी जाना जाता है।
- इस मुद्रा में, बुद्ध का दाहिना हाथ क्षैतिज या लंबवत रूप से फैला हुआ है, जिसमें हथेली आगे या बाईं ओर इशारा करती है।
- मध्यमा उंगली धीरे-धीरे अंगूठे की नोक से मिलने के लिए नीचे की ओर मुड़ी हुई है, जिससे एक अंडाकार आकृति बनती है।
- तर्जनी और छोटी उंगली सीधी ऊपर की ओर इशारा करती है, जबकि अनामिका उंगली थोड़ी नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है।
- अंगूठा और मध्यमा उंगली, शरीर में अग्नि और आकाश तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इस मुद्रा द्वारा उत्तेजित होती हैं।

## बुद्ध की वज्रा मुद्रा

- वज्र मुद्रा सभी बौद्ध सिद्धांतों की एकता का प्रतीक है।
- यह मुद्रा वैरोचन बुद्ध को समर्पित है, जिन्हें दिव्य बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है जो बाहरी दुनिया के बारे में व्यक्ति की धारणा को प्रबुद्ध करते हैं।
- यह हाथ का इशारा शक्तिशाली वज्र के रूप में वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है।
- वज्र मुद्रा करने के लिए, दाहिनी मुट्ठी बनाई जाती है, और बाईं तर्जनी को दाहिनी मुट्ठी के भीतर बंद किया जाता है, जिसमें दाहिनी तर्जनी की नोक बाईं तर्जनी की नोक को छूती या लपेटती है।

## भगवान बुद्ध की मुद्राओं का महत्व

- दुनिया भर में बौद्ध मूर्तियों और संरचनाओं में बुद्ध मुद्राएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वे धार्मिक अनुसरण कर्ताओं को चित्रित देवताओं की प्रकृति और उद्देश्य की एक सरल व्याख्या प्रदान करती हैं।



- उनकी यह हस्त मुद्राएं दिव्यता की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और भिक्षुओं द्वारा दिव्य शक्तियों का आह्वान करने के लिए औपचारिक ध्यान और एकाग्रता में भी उपयोग की जाती हैं।
- हालांकि, मुद्राएँ किसी गूढ़ अनुष्ठान के अर्थ को उजागर करने से कहीं अधिक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं।
- बुद्ध की विभिन्न मुद्रा किसी मूर्ति, नृत्य चाल या ध्यान मुद्रा में संदर्भित करती है, जिससे उसका प्रभाव बढ़ जाता है।
- अपने शुद्धतम रूप में, यह प्रतीकात्मक आंदोलनों की एक रहस्यमय कला है जो अदृश्य शक्तियों को भौतिक दुनिया के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है। ऐसा माना जाता है कि इन अनुष्ठानिक हाथ के इशारों के पैटर्न ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्राओं के विकास को प्रभावित किया होगा।
- वैश्विक भारत-एआई शिखर सम्मेलन 2024 का दिल्ली में आयोजन और सम्बद्ध मुद्दे

## चर्चा में क्यों?

- वैश्विक भारत-एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 3-4 जुलाई को किया जा रहा है।

## शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें

- यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि देश वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
- इस शिखर सम्मेलन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा आमंत्रित किए गए वैश्विक प्रतिनिधियों, एआई विशेषज्ञों और निर्णयकर्ताओं की बैठक हुई।
- इसका उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उद्घाटन समारोह में शामिल रहे।
- इस शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख फोकस यह है कि समाज एआई की क्षमता का किस प्रकार उपयोग कर सकता है
- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए विनियमन और कानून बनाने पर काम कर रही है, जिसका ध्यान प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिमों को रोकने और एआई के आसपास सुरक्षा उपाय लागू करने पर है।
- अपितु एआई के विनियमन के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच वैश्विक समन्वय की आवश्यकता होगी।
- उन्होंने यह वक्तव्य दिया कि "भारत में, हम समझ गए हैं कि हमारे सामने आने वाली कई समस्याओं के समाधान के लिए एआई एक बहुत बड़ा उपकरण हो सकता है, साथ ही जोखिमों को भी नियंत्रित करने की जरूरत है।"

## भारतीय पहलू

- भारत ने अन्य देशों को एआई और इसके विनियमन से संबंधित सभी मामलों के लिए वैश्विक भागीदारी (GPAI) को सर्वोच्च निकाय बनाने के लिए सहमत कर लिया है।
- भारत वर्तमान में जीपीएआई का अध्यक्ष है, जो एआई के जिम्मेदार विकास और उपयोग पर केंद्रित एक वैश्विक पहल है।
- सरकार एक सरकारी प्लेटफॉर्म बनाने में भी निवेश करेगी, जहां 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट तक की कंप्यूटिंग शक्ति, एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट, अन्य संसाधनों के अलावा एक सामान्य ढांचा सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि एआई से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए देशों को एक साथ आने की जरूरत है क्योंकि यह तकनीक दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए भी खतरा है।

## जिम्मेदार एआई विकास के लिए प्रतिबद्धता

- ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका की पृष्ठभूमि में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एआई द्वारा प्रस्तुत बहुमुखी चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने में नए मानक स्थापित करना है।
- कंप्यूट क्षमता, आधारभूत मॉडल, डेटासेट, एप्लिकेशन डेवलपमेंट, भविष्य के कौशल, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सुरक्षित और विश्वसनीय एआई पर विषयगत ध्यान केंद्रित करने के साथ, यह कार्यक्रम संपूर्ण एआई स्पेक्ट्रम को कवर करने वाली व्यापक चर्चाओं का वादा करता है।

## कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता प्रभुत्व

- पिछले एक दशक में स्मार्टफोन, स्मार्ट होम डिवाइस और पर्सनल असिस्टेंट जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में AI तकनीक का प्रचलन तेजी से बढ़ा है।
- प्रेडिक्टिव टाइपिंग से लेकर बेहतर फोटोग्राफी और भाषा अनुवाद तक, AI स्मार्टफोन में पाए जाने वाले लगभग हर "स्मार्ट" फीचर में केंद्रीय भूमिका निभाता है। Amazon के Alexa, Apple के Siri और Google Assistant जैसे AI-संचालित पर्सनल असिस्टेंट के उदय ने तकनीक के साथ हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके में क्रांति ला दी है, जिससे हम सरल वॉयस कमांड के माध्यम से संवाद कर सकते हैं।
- आज की दुनिया में, AI स्पीकर, टेलीविज़न, पहनने योग्य गैजेट, रेफ्रिजरेटर, थर्मोस्टैट, सुरक्षा कैमरे और यहाँ तक कि लाइटिंग सिस्टम सहित कई तरह के डिवाइस में पाया जा सकता है।
- स्मार्ट होम की ओर यह बदलाव एक नए युग का संकेत देता है जहाँ AI डिवाइस और व्यक्तियों के बीच सहज इंटरैक्शन को सक्षम बनाता है, व्यक्तिगत जीवनशैली और आदतों के अनुरूप रहने के अनुभव को तैयार करता है।
- इन उत्पादों में AI के एकीकरण के पीछे मुख्य चालक सेवाओं को अनुकूलित करके और डिवाइस की सहजता को बढ़ाकर बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना है।
- इसके अतिरिक्त, AI स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को अधिक समझदारी से प्रबंधित करके और घरेलू उपकरणों में बिजली की खपत को अनुकूलित करके बेहतर दक्षता में योगदान देता है।
- जैसे-जैसे AI हमारे दैनिक जीवन और रहने की जगहों में विकसित होता जा रहा है, हम नियमित कार्यों के अधिक स्वचालन की उम्मीद कर सकते हैं जिन्हें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के शेड्यूल किया जा सकता है।

## नैतिक विचार और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ

- AI तकनीक के उपयोग से जुड़ी नैतिक और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ चल रहे विमर्श का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं।
- चूँकि AI अनुप्रयोगों में अक्सर एल्गोरिथम-आधारित निर्णय लेना शामिल होता है, इसलिए AI सिस्टम द्वारा अनुचित या पक्षपातपूर्ण कार्यों की संभावना के बारे में सवाल उठते हैं।
- इसके अलावा, जब AI की त्रुटियों के परिणामस्वरूप वास्तविक दुनिया में नुकसान या गलत सूचनाएँ होती हैं, तो जवाबदेही एक दबावपूर्ण मुद्दा बन जाती है।
- साथ ही, हम आभासी संस्थाओं को स्वायत्तता छोड़ने के लिए किस हद तक तैयार हैं, यह सभ्यता के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
- इसके अलावा, AI उपकरणों के साथ लाखों नौकरियों को बदलने के नैतिक निहितार्थ AI एकीकरण के आर्थिक और सामाजिक नतीजों को उजागर करते हैं।
- कॉपीराइट, स्वामित्व और एट्रिब्यूशन के मुद्दे भी जनरेटिव AI टूल विकसित करने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करने के संदर्भ में उभरे हैं।
- AI सिस्टम द्वारा संसाधित व्यक्तिगत डेटा की विशाल मात्रा AI जीवनचक्र में डेटा उपयोग की गहन जाँच की आवश्यकता को रेखांकित करती है, क्योंकि दुर्भावनापूर्ण कारक इस डेटा का गलत उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
- यह देखते हुए कि AI एक नवजात तकनीक है जिसे लगातार अपनाया जा रहा है, वर्तमान कानून और नियम इसकी जटिलताओं को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं।
- जबकि कुछ क्षेत्र हितधारकों को शामिल करने और कानून का मसौदा तैयार करने की शुरुआत कर रहे हैं, एआई की परिवर्तनकारी प्रकृति विनियामक प्रयासों को पीछे छोड़ सकती है।
- मजबूत विनियमन के अलावा, विशेषज्ञ एआई के जिम्मेदार विकास और तैनाती को आकार देने के लिए वैश्विक रूप से लागू सर्वोत्तम प्रथाओं और नैतिक दिशानिर्देशों की वकालत करते हैं।

## कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य

- AI में मौजूदा डेटा का विश्लेषण करने और भविष्यवाणियाँ करने की क्षमता है, जो लोगों को आगे आने वाली चीज़ों के लिए तैयार होने में सहायता करेगी है।
- AI चैटबॉट वर्तमान में वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के साथ बातचीत करने के लिए विकास में हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई मानव उपयोगकर्ता करता है।
- AI में अगला फ्रंटियर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) है, एक ऐसी मशीन जो किसी भी कार्य को करने में सक्षम होगी, जिसे मानव मस्तिष्क द्वारा किया जा सकता है।
- AI तकनीक में प्रगति के साथ, AI के लिए अपनी प्रोग्रामिंग सीमाओं को पार करने और यहां तक कि उपयोगकर्ताओं को धोखा देने की संभावना है, अगर ऐसा करने का निर्देश दिया जाए।



## कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विनियमन

- एआई विनियमन के प्रति भारत का दृष्टिकोण विनियमन की कमी से उपयोगकर्ताओं को होने वाले नुकसान को रोकने पर केंद्रित विनियमन में बदल गया है। विनियमन को न्यूनतम रखकर, भारत का लक्ष्य नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है, जो देश को एआई में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर सकता है।
- भारत में एआई के लिए विनियामक ढांचा वर्तमान में अव्यवस्थित है, जिसमें विभिन्न मंत्रालय और समितियाँ विनियमन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती हैं। भारत वर्तमान में मौजूदा वैश्विक कानूनों से प्रेरणा लेते हुए एक एआई विनियमन कानून को लागू करने पर काम कर रहा है, हालाँकि देश की अनूठी परिस्थितियाँ इसे अन्य देशों से अलग बनाती हैं।

## Notes:-

# US, Chinese Defense Chiefs Meet in Singapore



## हालिया संदर्भ

- हाल ही में 31 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और चीन के रक्षा सचिव डोंग के बीच सिंगापुर में दुश्शावींशांगरी-ला संवाद शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- दोनों देशों की रक्षा प्रमुखों की आमने-सामने की यह बैठक लगभग 18 महीने बाद हुई है।

## बैठक का महत्व

- दोनों देश रक्षा सचिवों के बीच हुए इस बैठक में अमेरिका और चीनी सैन्य कमाण्डरों के बीच टेलीफोन पर हर महीने बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है।
- ज्ञातव्य हो कि ताइवान जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती से नाराज चीन ने तत्कालीन प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 2022 में अमेरिका के साथ सैन्य संचार को समाप्त कर दिया था।
- इसके अलावा वर्ष 2023 में एक कथित चीनी जासूसी गुब्बारा जिसे अमेरिकी हवाई क्षेत्र में मार गिराया गया एवं ताइवान को दी गई अमेरिकी सैन्य सहायता के दोनों देश के संबंधों को काफी प्रभावित कर दिया था।
- हालांकि पिछले वर्ष नवंबर में चीनी राष्ट्रपति शी - जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बीच हुए एक शिखर सम्मेलन के बीच दोनों पक्ष उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए।

## बैठक में चर्चा

- प्राप्त समाचार के अनुसार इस बैठक में अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन ने ताइवान जलडमरूमध्य के आस पास हालिया चीनी सैन्य गतिविधि के बारे में चिंता व्यक्त की।
- वहीं चीनी रक्षा सचिव डोंग ने अमेरिका को ताइवान के साथ चीन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही है।
- इसके अलावा अमेरिकी रक्षा सचिव द्वारा इस बैठक में चीन के परमाणु, अंतरिक्ष और साइबर विकास का भी मुद्दा उठाया।
- दोनों पक्षों ने दक्षिणी चीन सागर, यूक्रेन तथा गाजा में चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की।

- अमेरिका द्वारा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रही चीनी सैन्य क्षमताओं को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई।
- इंडो-पैसिफिक के मामले में अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन ने कहा कि इस स्वतंत्र और खुले क्षेत्र के लिए हम अपने क्षेत्रीय समकक्ष के समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे।

## दक्षिणी चीन सागर विवाद

- दक्षिणी चीन सागर चीन के मुख्य भूमि के ठीक दक्षिण में स्थित है।
- दक्षिणी चीन सागर की सीमा चीन इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस ब्रुनेई ताइवान और वियतनाम जैसे देशों के साथ लगती है।
- ये सारे देश आपस में सदियों से इस सागर क्षेत्र में क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर झगड़ते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ तनाव और भी अधिक बढ़ गया है।
- इन सभी देशों के लिये दक्षिण चीन सागर रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है।
- संयुक्त राज्य ऊर्जा सूचना एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण चीन सागर में करीब 11 करब बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस जमा है।
- इसके अलावा यह क्षेत्र समुद्री मछली पकड़ने के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है जो इस क्षेत्र के लाखों लोगों के आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के आधे से अधिक मछली पकड़ने वाले जहाज इसी क्षेत्र से संचालित होते हैं।
- व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है अनुसार दक्षिण चीन सागर में वर्ष 2016 से कुल वैश्विक व्यापार का 21% से अधिक व्यापार 3.37 ट्रिलियन डॉलर) इस क्षेत्र से होकर होता है।

## दक्षिण चीन सागर में चीन का दावा

- वर्ष 1947 में चीन की राष्ट्रवादी कुओमिन्तांग पार्टी के शासन के समय, दक्षिण चीन सागर के 'नाइन डैस लाइन' क्षेत्र तक को अपने मानचित्र में दिखाया।
- दक्षिण चीन सागर का 'नाइन डैस लाइन' कुल समुद्री हिस्से का 90 % कवर करती है।
- इसके बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद भी इस क्षेत्र को चीन द्वारा लगातार अपने मानचित्र में दिखाया गया।
- यह दक्षिण चीन सागर की 'नाइन डैस लाइन' चीन की मुख्य भूमि से 2000 किलोमीटर दूर, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम के कुछ क्षेत्रों को भी कवर करती है।
- हालांकि चीन द्वारा किए जा रहे इस दावों द्वारा इस क्षेत्र के अन्य देशों द्वारा व्यापक रूप से विरोध किया जा रहा है।
- ज्ञातव्य हो कि चीन द्वारा दावा किया जा रहा दक्षिण चीन सागर का यह क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के अन्तर्गत आता है।
- इस क्षेत्र में चीन द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य दक्षिण चीन सागर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के अन्तर्गत आने वाले द्वीपों एवं क्षेत्रों पर चीन लगातार द्वीपों का विस्तार व समुद्र में नए द्वीप बनाने का काम कर रहा है।
- चीन द्वारा इस क्षेत्र में खासकर पारासेल और स्पैटली द्वीप समूह में बंदरगाहों, सैन्य प्रतिष्ठानों और हवाई पट्टियों का सिमि निर्माण किया जा रहा है।

- इसी क्षेत्र के वुडी द्वीप में चीन द्वारा लड़ाकू जेट, कूज मिसाइल और रडार प्रणाली की तैनाती कर सैन्यीकरण किया जा रहा है।
- हालांकि पारासेल और स्पैटली दोनों द्वीप पर वियतनाम अपना दावा करता है। वियतनाम का दावा है कि ये दोनों द्वीपों उनका शासन 17 वीं सदी से ही सक्रिय रूप से रहा है।

## दक्षिण चीन सागर और भारत

- दक्षिण चीन सागर, भारत के लिए भी रणनीतिक एवं व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
- तेल और गैस संसाधन, नौवहन की व्यापारिक स्वतंत्रता तथा सामरिक हित, भारत के लिए ऐसे तीन महत्वपूर्ण कारक हैं जो इस क्षेत्र को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।
- दक्षिण चीन सागर में लगातार तेजी से बढ़ रहा चीनी प्रभाव भारत के हिंद महासागर में प्रभुत्व को नुकसान पहुँचा सकता है।
- दक्षिण चीन सागर, भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में पहुँच के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह कार्य करता है।
- हालांकि भारत का इस क्षेत्र में चीन और आसियान देशों के साथ कोई विवाद नहीं है फिर भी इस क्षेत्र में बढ़ता चीनी हस्तक्षेप भारत का दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ बढ़ रहे व्यापारिक संबंध और आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुँचा सकता है।
- उपरोक्त चीजों को ध्यान में रखकर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से तथा क्वाड (QUAD) के माध्यम से इस क्षेत्र में बढ़ रहे चीनी प्रभाव का जवाब देने पर काम कर रहे हैं। हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र (Indo-Pacific region)
- हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों से मिलकर बना समुद्र का एक हिस्सा है।
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र विश्व की कुल भूमि का 44% हिस्सा जुड़ा हुआ जिसमें विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 65% हिस्सा समाहित है।
- इस क्षेत्र से विश्व के कुल व्यापार का लगभग 46% व्यापार होता है।
- इस क्षेत्र से भारत सहित अमेरिका, चीन, कोरिया, जापान सहित कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का व्यापार इस क्षेत्र से होता है।
- भारत के कुल व्यापार का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से होकर होता है।
- हालांकि चीन इस क्षेत्र को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के बजाय 'एशिया प्रशांत' क्षेत्र के रूप में मानता है।
- इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाली चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड को लेकर चीन इस क्षेत्र में गैर कानूनी समुद्री दावों, सैन्य ताकत और आर्थिक दबावों का उपयोग कर रहा है।
- हालांकि भारत, अमेरिका सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र बनाने के संयुक्त प्रयासों पर काम कर रहा है।

## चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद

- चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड भारत, जापान, आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2007-08 में हुई, हालांकि वर्ष 2017 के दौरान हुए आसियान शिखर सम्मेलन में इनके सभी सदस्य देशों द्वारा पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत हुई।
- मनीला में आयोजित इस आसियान शिखर सम्मेलन में क्वाड के सभी सदस्य देश इंडो-पैसिफिक एवं दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य और कूटनीतिक शक्ति से मुकाबला करने के लिए रणनीतिक रूप से मिलकर काम करने पर सहमत हुए।
- मार्च 2021 में क्वाड सदस्य देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इंडो-पैसिफिक एवं दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए 'नियम आधारित समुद्री व्यवस्था' जारी की।



## Notes:-